छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा   दशम् सत्र

मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2026
(आषाढ़ 23, शक सम्वत् 1948)

[अंक 02]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2026

(आषाढ़ 23, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत् हुई

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

<u>**तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर**</u>

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपका और नेता जी के जैकेट का कलर Same है।

अध्यक्ष महोदय :- आज नहीं, हमेशा रहना चाहिए। (हंसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी भगवा कलर में आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धीरे-धीरे परिवर्तन आएगा। प्रश्न क्रमांक 1, श्री भईया लाल राजवाड़े जी। सचिन तेंदुलकर बहुत दिनों बाद बैटिंग में उतरे हैं। वे पुराना खिलाड़ी हैं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- पिछले सत्र में अस्पताल में पूरा बैटरी चार्ज करवाए हैं, भाई साहब। (हंसी)

<u>**जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाईपलाईन कार्य एवं पानी टंकी का निर्माण**</u>

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. (*क्र. 305) श्री भईया लाल राजवाड़े : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया में जल ग्रहण मिशन अन्तर्गत पानी टंकी और पाईप लाईन निर्माण कार्य में गाईडलाईन का पालन न किए जाने एवं निम्न स्तर का पाईपलाईन लगाये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) जल जीवन मिशन अन्तर्गत बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया में कितने पानी की टंकी का निर्माण किया गया है ? (ग) कितना पूर्ण है और कितना अपूर्ण है ? (घ) पानी टंकी निर्माण में कितना भुगतान किया गया है और कितनी राशि का भुगतान लंबित है ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) जल जीवन मिशन अन्तर्गत बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया में कुल 928 पानी की टंकी का निर्माण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कराया गया है। (ग) 751 पूर्ण है और 177 अपूर्ण है। (घ) पानी टंकी निर्माण में राशि रु. 6635.92 लाख भुगतान किया गया है और रु. 6418.90 लाख का भुगतान शेष है।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन अंतर्गत पानी टंकी एवं पाइपलाइन कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किए जाने के मेरे सवाल में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, जिसमें मैं सहमत नहीं हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन अंतर्गत बैकुंठपुर, जिला कोरिया में किए गए कार्यों के गुणवत्ता एवं कार्य पूर्णता की क्या भौतिक सत्यापन या समीक्षा की गई है?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसका मैंने बहुत ही स्पेसिफिक उत्तर दिया है कि कितने पानी टंकियों के निर्माण कराये गये हैं। कोरिया जिले में 928 पानी टंकियों का प्रावधान किया गया था। उनमें से 751 पूर्ण हैं, 177 अपूर्ण हैं, जो प्रगतिरत हैं, जिनमें से 447 में जल प्रदाय प्रारंभ हो गया है, 304 में अप्रारंभ है और 177 में काम प्रगतिरत है। माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में 605 टंकियों का निर्माण होना था, जिनमें से 514 पूर्ण हो गए हैं और 91 अपूर्ण हैं, जो प्रगतिरत हैं। जहां तक जल जीवन मिशन के कामों की गुणवत्ता का विषय है, जल जीवन स्कीम में जो प्रावधान है, उसके अनुरूप कार्य हो रहा है। स्पेसिफिक रूप से कोई अलग से शिकायत नहीं आई है। यदि किसी योजना में कोई गड़बड़ी की शिकायत हो तो वह हमें उसकी जानकारी दें, हम निश्चित रूप से उसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 928 टंकियों में से 177 अपूर्ण हैं। अगर कार्य पूर्ण हो गया है तो कितने घरों में पानी जा रहा है और कितने टंकियों में पानी की व्यवस्था है? एक भी टंकी में पानी है ही नहीं, पानी निकला ही नहीं है और वहां पानी का व्यवस्था बता दी गई। (शेम-शेम की आवाज)

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से अपने उत्तर में बताया है कि 928 टंकियों का प्रावधान है। उनमें से 751 पूर्ण हुए हैं, जिनमें से 447 टंकियों से जल का प्रदाय किया जा रहा है।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पंचायतों से पूरी जानकारी आयी है। किसी गांव में किसी टंकी में पानी ही नहीं है। कहीं पर घरों में नल का केवल टोटी लगा हुआ है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बरसात का पानी होगा।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नल का केवल टोटी लगा है और पाइपलाइन भी नहीं बिछी है। कहीं बिछी है तो टूटी-फूटी और अधूरी पड़ी हुई है। कहीं भी व्यवस्था के तहत खुदाई नहीं हुई है, केवल पानी टंकी बना दी गई है, पर पानी का पता ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- राजवाड़े जी, मंत्री जी का जवाब है कि 751 पूर्ण एवं 177 अपूर्ण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं?

श्री भईया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सहमत नहीं हूं। मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र के संबंध में जो बता रहे हैं कि 600 कुछ हुआ है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरिया जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 678 योजनायें स्वीकृत है । 678 योजनाओं में से 143 योजनायें पूर्ण करके ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है । ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी है, यह नहीं हो रहा है तो स्पेसिफिक कम्पलेंट बता दें, कोई गांव का नाम बता दें, हम निश्चित रूप से उसका परीक्षण करायेंगे । जल जीवन मिशन का काम अति महत्वपूर्ण काम है, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिये इतनी वृहद योजना बनाई है और हमारी सरकार बनने के बाद उस योजना को सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं । जैसा मैंने बताया कि हमने 143 योजनाओं को ग्राम पंचायत को हैंडओव्हर कर दिया है । हैण्डओव्हर करने के पहले ग्राम सभा का आयोजन होता है, ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद पंचायतों को हस्तांतरित होता है । पंचायतें संचालित कर रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं अभी थोड़े दिन पहले बस्तर संभाग के दौरे पर गया था, वहां जल जीवन मिशन के काम को भी देखा । कांकेर जिले के बड़े गौरी गांव में गया, वहां महिला सरपंच है, उस योजना को महिला सरपंच इतने अच्छे से संचालित कर रही है, मैंने पूरे गांव के लोगों के साथ बैठक की तो गांव का हर व्यक्ति संतुष्ट था । मैं माताओं एवं बहनों के घरों में जाकर मिला, उन्होंने बताया कि हम 1 किलोमीटर-2 किलोमीटर से पानी लेकर आते थे आज हमारे घर में शुद्ध पेयजल आ रहा है, वह समय पर आ रहा है तो बड़ा संतोष था । यह सही है कि जिस तरीके से प्रगति होनी चाहिये थी, वह हुई नहीं है और उसके कारणों में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि हम जल जीवन मिशन के काम को आगे तेज गति से पूर्ण करें और प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस बड़े उद्येश्य को लेकर यह योजना बनाई है, उस योजना के अनुरूप उसका क्रियान्वयन करें ।

अध्यक्ष महोदय :- आप भईयालाल रजवाड़े को कैसे संतुष्ट करोगे ?

श्री भईयालाल रजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम बनाकर टंकी और पानी सभी ग्रामवासियों को सौंप दिया है, लेकिन आप मेरे को एक भी गांव बता दो कि यहां पर ...।

श्री भईयालाल रजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, मैंने....।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, ऐसा प्रश्न थोड़ा कठिन है । 177 जो अपूर्ण बता रहे हैं, आपके पास उसके अतिरिक्त और सूची है क्या ? माननीय मंत्री जी को वह दे दें ।

डॉ.चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा यह होगा कि एक दिन के लिये जायें और माननीय सदस्य के साथ रात्रि विश्राम करें, उसके बाद संतुष्टि हो सकती है । इधर भी और उधर भी । (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- रात्रि को मतलब क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप सूची दे दें । मंत्री जी दिखवा लेंगे । आप जो प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । यदि मेरे जो आंकड़े हैं, उसमें किसी तरह का लगता है कि जानकारी पूरी नहीं है तो वह मुझे बतायें । मैं निश्चित रूप से उन कामों का परीक्षण करा लूँगा ।

अध्यक्ष महोदय :- वह तैयार हैं, आप सूची दे दीजिए ।

श्री भईयालाल रजवाड़े :- सूची तो दे दूँगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इतना हैण्डओव्हर कर दिया है । उनको पैसा भी दे दिया गया है, लेकिन आज तक न उसका नल है, न जल है । केवल टोंटी लगा हुआ है । (हंसी) सुबह उठकर केवल टोंटी देखते हैं । (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- टोंटी लगा है और इधर टोपी लगा है तो कैसे बनेगा ?

श्री भईयालाल रजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह है कि क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि किसी तरह से उनको लगता है कि यह काम हुआ नहीं है, अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है, वह जानकारी मुझे बता दें, मैं निश्चित रूप से उनका परीक्षण करा लूँगा । मैंने अपनी प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट रूप से कही है...।

अध्यक्ष महोदय :- साफ जवाब आ गया है, जहां-जहां बता रहे हैा, उनकी टोंटी का जांच करा लें ।

श्री भईयालाल रजवाड़े :- जहां-जहां क्या, पूरे जगहों पर वही हाल है । (हंसी) टंकी बन गया है और पानी का पता ही नहीं है ? टंकी तो बना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोई ब्रेकर नहीं है, पानी सीधे फोर्स के साथ निकल रहा है । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- रजवाड़े जी, वह शोले पिक्चर का तो टंकी नहीं है ? (हंसी)

श्री भईयालाल रजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पानी की जांच होती है, उसमें पानी निकलता है फिर टंकी बनता है, लेकिन यहां टंकी बन गया, न खुदाई हुआ और न ही पानी निकला और टंकी खड़ा है और घरों में नल का टोंटी लगा दिये हैं, हो गया काम पूरा और ग्राम पंचायतों को हैण्डओव्हर कर दिया गया है ? (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- भईया लाल जी, पूरी मेहनत बेकार हो गई। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप जांच के लिए दे दीजिए, मंत्री जी तैयार हैं।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो बोल रहा हूं। मंत्री जी जांच कराएंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- बहुत गंभीर विषय है, आप सूची दे दीजिए, मंत्री जी जांच करा लेंगे। आपका जवाब बहुत अच्छे से दिया है, जरूरत नहीं है। आप इनको सूची दे दीजिए।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- नहीं, सूची के अलावा संपूर्ण कोरिया जिले की पूरी जांच कराएंगे?

अध्यक्ष महोदय :- हां, पूरी जांच कराएंगे बोल रहे हैं ना। मंत्री जी बोल दीजिए।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो भी शिकायत देंगे, उसकी निश्चित रूप से जांच कराएंगे।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- चलिए ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर, क्रमांक दो।

<u>**अमृत मिशन एवं जल जीवन मिशन अंतर्गत रायपुर शहर में जल आपूर्ति**</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

2. (*क्र. 380) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर नगर पालिका निगम अंतर्गत अमृत मिशन कब लागू हुआ और कब कार्य पूर्ण सम्पादित हुआ? पूरे कार्य में कितनी लागत आयी है? इस योजना से निगम क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों को पेयजल उपलब्ध हुआ? इसी प्रकार जल जीवन मिशन की भौतिक और वित्तीय उपलब्धि,कार्यपूर्णता की समयावधि के साथ बतायें? **(ख)** 15 जून, 2026 की स्थिति में उक्त दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन होने के बाद रायपुर निगम क्षेत्र के कितने प्रतिशत लोगों को नल से शुद्ध पेयजल 24 घण्टे उपलब्ध हो रहा है? मकान एवं जनसंख्या, दोनों को अलग-अलग बतायें और यदि पूरी आबादी को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या हैं ? दोषी कौन है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 (15 जून, 2026 की स्थिति) में रायपुर शहर क्षेत्र अंतर्गत पानी टैंकर से पानी सप्लाई में कितनी राशि, किस मद से व्यय हुयी है? उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात टैंकर से पानी सप्लाई के कारण क्या हैं ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत अमृत मिशन योजना वर्ष 2016 में प्रारंभ तथा वर्ष 2025 में पूर्ण हुई। योजना के जल प्रदाय घटक के कार्यों को पूर्ण करने में कुल रू. 42737.23 लाख की लागत आई है। इस योजना के तहत 20 वार्ड में निवासरत जनसंख्या को पूर्ण रूप से तथा 25 वार्ड में निवासरत जनसंख्या को आंशिक रूप से पेयजल

उपलब्ध हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत नगर पालिक निगम, रायपुर में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं है। **(ख)** नगर निगम रायपुर द्वारा क्रियान्वित अमृत मिशन योजना में 24 घण्टे (निरंतर) जलापूर्ति का प्रावधान नहीं था, वर्तमान में जलागारों से सुबह व शाम जलापूर्ति की जाती है। रायपुर शहर में पेयजल व्यवस्था अमृत मिशन के अलावा अन्य योजनाओं, स्मार्ट सिटी मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी की गयी है। वर्तमान में कुल 3.42 लाख आवासों/मकानों में से कुल 2.21 लाख आवासों/मकानों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जनसंख्या के पृथक से ऑकड़े उपलब्ध नहीं है। शहर के तीव्र विस्तार एवं निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण सम्पूर्ण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चूंकि ढांचागत विकास वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर है, अतः शत-प्रतिशत क्षेत्र कवर न होने के लिए कोई विशिष्ट अधिकारी दोषी नहीं है। **(ग)** टैंकर सप्लाई हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रू. 58.35 लाख, 2024-25 में राशि रू. 168.46 लाख, 2025-26 में राशि रु. 206.98 लाख, तथा 2026-27 (15 जून 2026 की स्थिति में) में राशि रू. 211.54 लाख का व्यय जल संकट मद से किया गया है। शहर के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ भू-जल स्तर में गिरावट आना इसका मुख्य कारण है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछ रहा हूं, उसमें माननीय मंत्री जी की सीधे भागीदारी नहीं है, पर अभी सीधे भागीदारी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष की पूरी भागीदारी थी। मैं बिना भूमिका के सीधे प्रश्न में आता हूं। आप यह बताएंगे कि रायपुर में जो अमृत मिशन लागू हुआ, उसमें आपके उत्तर के हिसाब से 25 वार्ड भर में जल आपूर्ति की योजना बनाई गई और 20 वार्ड में आंशिक रूप से पानी दिया जा रहा है। योजना किसने बनाई? उसके आधार क्या थे? सिर्फ 25 वार्ड के लिए अमृत मिशन योजना स्वीकृत हुई कि पूरे रायपुर के लिए स्वीकृत हुई? यदि सिर्फ 25 वार्ड के लिए स्वीकृत हुई तो फिर उसके चयन के आधार क्या थे? यह थोड़ा प्रकाश डालिए, फिर आगे बढ़ेंगे।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रारंभ की। रायपुर में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत 2016 में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ। सात पैकेज में यह काम थे और उपलब्ध राशि के हिसाब से पांच पैकेज की स्वीकृति हो पाई। उस राशि से 20 वार्डों में पूर्ण रूप से पेयजल और 25 वार्डों में आंशिक रूप से पेयजल की उपलब्धता हो पाई। जहां तक राजधानी रायपुर की बात है, रायपुर में पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, हमारी सरकार बनने के बाद पिछले ढाई सालों में लगभग 219 करोड़ रुपये अलग-अलग तरह से रायपुर शहर को उपलब्ध कराए हैं कि राजधानी में हर घर तक नल से पानी पहुंचे। अभी 304 करोड़ के काम प्रक्रियाधीन हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- इसमें आगे बढ़ते हैं ना।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं, राजधानी का मामला है। हमारी प्रतिबद्धता है कि रायपुर में पेयजल की समस्या का निराकरण हो। राजधानी होने के नाते लगातार जनसंख्या का भी प्रसार हो रहा है और हम सबको भी यह विदित है कि जल का स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है। हर घर तक नल से पानी पहुंचे, इसके लिए रायपुर शहर में 3,42,000 आवास चिन्हित हैं और 2,21,000 आवासों तक नल के कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। शेष परिवारों तक भी नल से पेयजल पहुंचे, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से राजधानी होने के नाते सभी घर तक पानी पहुंचे, इस पर हमारी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 319 करोड़ रुपये की स्वीकृति अलग-अलग योजनाओं से दी है, हम आने वाले समय में निश्चित रूप से रायपुर के हर घर तक पानी पहुंचाने में सफल होंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी पेयजल व्यवस्था में तो धीरे-धीरे आता। एक शब्द आया कि उपलब्ध पैसे के आधार पर की। मैंने पैसे की उपलब्धता नहीं पूछी थी। मैंने कहा था कि यह परियोजना कितने वार्डों के लिए बनी? पूरे लोगों के लिए बनी? आप परियोजना बनाकर भेजे होंगे तो उस परियोजना के आधार पर राशि स्वीकृत हुई थी या उत्तर की उपलब्ध राशि के आधार पर योजना लागू की गई थोड़ा विपरीत लगता है। एक तो उसको स्पेसिफिक क्लियर कर दीजिएगा कि आपने योजना बनाकर कितने राशि की भेजी, वह पूरे रायपुर के लिए थी कि वार्डों के लिए थी, यह क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, जब आपने आंकड़ों की बात कही, राजधानी के लिए आपका प्रेम दिखा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, राजधानी सबकी है। आपके इतने मिशन के बाद जो आंकड़े दिए हैं, 1,21,000 घरों में पानी ही नहीं जा रहा है, आप ही ने आंकड़े बताए हैं उसी के आधार पर है। आप पहले यह बता दीजिए कि परियोजना राशि आपको फिक्स मिली कि आपने परियोजना बनाकर दी उसके आधार पर राशि मिली और वह वार्डों के हिसाब से बनी थी कि पूरे रायपुर के लिए बनी थी और उसको किसने बनाई थी?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन योजना इस तरह की योजना है कि जो फेज-1 था, उसमें 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में केंद्रांश 50 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत और निकाय का अंश 20 प्रतिशत, इस प्रकार से निर्धारित हुआ और भारत सरकार ने जो राशि उपलब्ध कराई, उसके हिसाब से जो उपलब्ध राशि थी, दो पैकेज की लागत लगभग 211 करोड़ थी। राशि उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वह पैकेज स्वीकृत नहीं हुये। इसके कारण से जो पाइपलाइन का कनेक्शन होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। परंतु यह एक वृहद योजना बनी थी। आने वाले समय में वह योजना आगे बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि जो 1 लाख 21 हजार परिवारों तक नल के कनेक्शन से पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां भी पानी पहुंचे, हम उसके लिए काम कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में अमृत मिशन एक के बाद अमृत मिशन दो भी लागू हो गया है। अब अमृत मिशन दो के बारे में रायपुर शहर के माननीय विधायक बात

करेंगे। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं, उसमें यदि हम राजधानी की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा टैंकर रायपुर में ही चलते हैं। मैं अब दूसरा प्रश्न आपसे कर लेता हूं। आपने अन्य योजनाओं में सिर्फ स्मार्ट सिटी का नाम लिया है। यह मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने स्मार्ट सिटी से, 15वें वित्त आयोग से, नगरोत्थान से और जल कष्ट से इसमें कितना व्यय किया है और स्मार्ट सिटी में अमृत मिशन लागू होने के बाद आपने जो परियोजना बनाई, उसमें कितनी राशि का प्रावधान था और कितने प्रतिशत ऊपर में उसका काम शुरू किया गया और अभी कितना पूरा हो गया है और कितने लोगों को 24X7 पानी मिल रहा है?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो 304 करोड़ रूपये के काम स्वीकृत हुए हैं, उसमें।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, इसको एग्जाई करने के बजाय सबको अलग-अलग बता दीजिये। मैंने स्मार्ट सिटी का प्रश्न पूछा है, फिर नगरोत्थान का प्रश्न पूछा है, फिर 15वें वित्त आयोग का प्रश्न पूछा है।

श्री अरूण साव :- मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप बाद में उत्तर दे दीजिएगा। उसकी जानकारी आ जाएगी, तब तक मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूं। आपने एक चीज का उल्लेख किया है। मंत्री जी, आप सुन रहे हैं? मैं प्रश्न करूं या वेट करें?

श्री अरूण साव :- जी-जी, आप प्रश्न पूछिये न।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप दूसरे प्रश्न को बाद में ले लीजिएगा या मुझे जानकारी दे दीजिएगा। मैं अगला प्रश्न पूछ लेता हूं। आपने उल्लेख किया है।

श्री अरूण साव :- मैं आपको उत्तर दे देता हूं। 15वें वित्त से 45 करोड़ 33 लाख रूपये का व्यय लाभांडी एवं फुंडहर में पाइपलाइन विस्तार के लिए किया है। पेयजल कष्ट के लिए 9 करोड़ 9 लाख रूपये का प्रावधान हुआ है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से 207 करोड़ रूपये इस मद में दिया गया है और साथ ही अधोसंरचना मद से भी पाइपलाइन विस्तार के लिए और जलागार के लिए भी राशियां जारी हुई हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैंने इसी प्रश्न में पूछा था कि स्मार्ट सिटी से कितने पैसे व्यय किए गए, उसके टेंडर कितने अबव में गए, उस राशि में से कितनी पेयजल के लिए थी और कितने वार्ड को पायलट प्रोजेक्ट में 24X7 पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और उस पैसे का उपयोग जिस उद्देश्य में होना था, वह हुआ या नहीं हुआ? असली चीज वह है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि यह अमृत मिशन से संबंधित प्रश्न है, इसलिए अमृत मिशन की ही जानकारी मैंने माननीय सदस्य को दी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर को पढ़ लीजिए, उसमें स्मार्ट सिटी लिखा है। आप अलग से जानकारी दे दीजिएगा। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि स्मार्ट सिटी में टोटल भ्रष्टाचार हुआ है। वह मेरा विषय नहीं है, आप जांच करवा लीजिए। 158 करोड़ रूपये बिना अनुमति के कार्य योजना के बाहर व्यय किए गए। मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि 21 प्रतिशत से ऊपर वह टेंडर गया और किसी भी वार्ड को अभी तक 24X7 पानी नहीं मिला है। वहां double-triple एक के ऊपर एक पाइपलाइन बिछाई गई है। यह मैं आपको केवल जानकारी के लिए दे रहा हूं। अब मैं एक छोटा सा तीसरा प्रश्न कर लेता हूं। आपने उत्तर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का उल्लेख किया है। रायपुर शहर में पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी की गई है, यह आपके उत्तर में है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कौन-सी योजना के तहत रायपुर को पानी देता है और वह कहां से पानी सप्लाई करता है? यह आप मुझे बताइएगा, एक। दूसरी बात, नगर निगम में पेयजल आपूर्ति के लिए क्या सेटअप है? आप यह बता दीजिएगा कि नगर निगम में कोई तकनीकी रूप से दक्ष आदमी पदस्थ है कि नहीं है? दो चीज बस बता दीजिये, यह दोनों मेरे आखिरी प्रश्न हैं।

श्री अरूण साव :- देखिए, नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थ हैं और पेयजल की व्यवस्था के लिए भी पूरा सेटअप है। पेयजल की जांच के लिए पूरी व्यवस्था है और आपने जो स्मार्ट सिटी का प्रश्न पूछा था, जो प्रश्न में नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं कि 14 वार्डों के लिए 130 करोड़ रूपये की योजना थी, उस पर काम हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, अब आगे बढ़ गए हैं। मैंने आपसे पूछा है, आप स्पेसिफिक बता दीजिएगा। आपने उत्तर में दिया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी पेयजल की व्यवस्था की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कौन-सी योजना के तहत, कहाँ पानी दिया जा रहा है और कितना पानी दिया जा रहा है? मेरे हिसाब से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा रायपुर शहर में कोई योजना संचालित नहीं है। एक, आप बताइए कि कौन-सी योजना के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पानी दे रहा है? दूसरा, आपने कर्मचारियों की संख्या बताई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन कौन व्यक्ति रायपुर शहर के पेयजल के लिए जिम्मेदार है? ई.ई. है, ए.सी. है, कौन से लेवल का व्यक्ति है, कौन देखता है, क्या जोन में पदस्थ है? क्योंकि मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार तकनीकी रूप से एक भी विशेषज्ञ आदमी नहीं है जो रायपुर, राजधानी के पेयजल को संचालित करे। हो सकता है कि मैं गलत हूं। एक, आप यह बता दीजिए कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कौन-सी योजना के तहत रायपुर शहर को पानी देता है? दो, कितनी जनसंख्या को देता है? तीन, तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति कौन है? आप यह बताइएगा। संख्या आपने बताई, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक के जो अधिकारी हैं, वह जल विभाग के प्रभारी अधिकारी हैं। पूरा सेटअप है।

अध्यक्ष महोदय :- सुनील सोनी जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आपके बहुत प्रश्न हो गये। सोनी जी कर लेंगे ना।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भी रायपुर, उत्तर में पानी की व्यवस्था होती है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कौन-सी योजना के तहत पानी देता है? कहाँ पर देता है? कितनी जनसंख्या को देता है? मैं सदन में बोल रहा हूं कि रायपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की स्वतंत्र रूप से कोई योजना संचालित नहीं है। यह उत्तर में आया है। यदि मैं सही हूं तो जो गलत उत्तर दिए हैं, आप उस पर कार्रवाई कीजिए और यदि उत्तर सही है तो उसको बताइए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि पूर्व में पी.एच.ई. ही शहर, ग्रामीण सबके पेयजल के लिए योजनाएं संचालित करती थी। जल आवर्धन योजना पूर्व में रायपुर में संचालित रही है। यह उनके द्वारा किए गए काम हैं, जो आज नगर निगम को हैंडओव्हर हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सुनील जी। ठीक है, हो गया। पर्याप्त जवाब आ गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि फिर मैं जवाबदारी से बोल रहा हूं कि रायपुर में पेयजल योजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा संचालित नहीं है। विभाग ने सही उत्तर नहीं दिया है, यह विधान सभा का विषय है। माननीय मंत्री जी, मैं आपके लिए कह रहा हूं कि या तो उत्तर आ जाए या गलत उत्तर देने वालों के ऊपर कार्रवाई हो। यदि हम एकीकृत विचार नहीं करेंगे तो रायपुर में टैंकर ही चलते रहेगा। आपकी संवेदनशीलता दिखे और आप जिम्मेदार के ऊपर कार्रवाई करें।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से उत्तर को पढ़ देता हूं, जो उत्तर में उल्लेखित है कि रायपुर शहर में पेयजल की व्यवस्था अमृत मिशन के अलावा अन्य योजनाएं, स्मार्ट सिटी मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी की गई है, की जा रही है, यह नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अब मैं पढ़ता हूं। रायपुर शहर में पेयजल व्यवस्था अमृत मिशन के अलावा अन्य योजनाओं, स्मार्ट सिटी मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी की गई है। यह आपने लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी देख लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, चलिए।

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मेरा बहुत सरल प्रश्न है। पूरी गर्मी में जहां-जहां टंकियां हैं, वहीं पर टैंकर चल रहे थे। जैसे चंगोराभाटा है, भाटागांव है और भक्त कर्मा माता और चंगोराभाटा में मिलाएंगे तो 19 टैंकर चले हैं और वहां पर टंकी है। इस प्रकार से मेरा एक प्रश्न यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? यह आज भी हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह कब से चला आ रहा है?

श्री राजेश मूणत :- सालों से।

अध्यक्ष महोदय :- महापौर जी, आपसे भी पूछ रहा हूं। (हंसी) कब से चला आ रहा है ?

श्री सुनील कुमार सोनी :- आप बोले कि कब से चला आ रहा है, आप माननीय मुख्यमंत्री थे, उस समय आपने पैसा दिया था। अब आप बोल रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब मत दीजिए, आप बस सवाल ही पूछ सकते हैं।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। यह एक टंकी का मैंने उदाहरण दिया। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन शहर के अंदर में बिछी है, उसको भी राइजिंग लाइन से जोड़ दिया और पुरानी लाइन भी राइजिंग लाइन से जुड़ी है। माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि 2 लाख घरों के अंदर में पानी दे रहे हैं। आपने पिछले साल सुना होगा कि हम 24X7 घंटे पानी देंगे। लेकिन अभी उत्तर में ये आया है कि दो टाईम पानी दे रहे हैं। जहां-जहां टंकियां हैं, वहां पानी नहीं मिल रहा है, मेरा प्रश्न यह है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपके अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो आप 2 लाख घरों में पानी देने का उदाहरण दे रहे हैं, वहां पर आधा, एक घंटे से ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है। उसके लिये मेरा प्रश्न यही है कि इसके लिये आप क्या कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में 1 लाख से अधिक लोगों को पानी देने वाले हैं, उसकी योजना क्या है?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर शहर में कुल मिलाकर 45 पानी की टंकियां हैं, पूर्व से निर्मित 33 टंकियां हैं, अमृत मिशन से 12 टंकियां निर्मित हुई हैं, लाभांडी और फुण्डहर की 2 टंकियां ऐसी हैं, जहां से जल की आपूर्ति अभी किया जाना शेष है और वह दोनों टंकी ही है जहां से अभी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों टंकियों से भी पानी की सप्लाई प्रारंभ हो जाये।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि चंगोराभाठा में टंकी है, वहीं पर भक्त कर्मा माता वार्ड और चंगोराभाठा वार्ड है तो वहां टैंकर क्यों चल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- राजेश मूणत जी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न करने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। यह रायपुर की पेयजल की समस्या समाचार पत्रों से लेकर के आम जनता की चर्चा का विषय है। मैं खाली इतना पूछना चाहता हूं नगरीय प्रशासन विभाग की कोई कार्ययोजना है कि रायपुर के अंदर आम जनता को घर तक मीठा पानी कब तक पहुंचायेंगे, क्या ऐसी कोई कार्ययोजना बनी है ? मेरे प्रश्न का एक प्रश्न है, उसी में एक प्रश्न और है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुनील कुमार सोनी सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, चंगोराभाठा क्षेत्र में कुछ क्षेत्र बहुत दूर में हैं, दूरवर्ती क्षेत्र है, वहां टंकी से पानी की सप्लाई नहीं

हो पा रही थी, इसलिए वहां पर टैंकर से पानी की व्यवस्था की गई। माननीय राजेश मूणत जी ने जो प्रश्न किया है, अभी मैंने अपने विभाग से सभी नगरीय निकायों के आयुक्त और सी.एम.ओ. को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उनसे कहा है कि आपके शहर में पेयजल पूर्णत: आपूर्ति के लिये क्या करने की आवश्यकता है, इसकी कार्ययोजना बनायें और मैं लगातार इस दिशा में काम कर रहा हूं कि हम आने वाले समय में प्रदेश के सभी नगरीय निकाय के हर घर तक पेयजल की योजना बनाकर उस पर काम करें। तो यह हमारी चिंता है कि हम घर तक शुद्ध पेयजल से पानी पहुचायें और उस पर हमारा विभाग काम भी कर रहा है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यानि हमारे पास योजना नहीं है। आपके ही उत्तर में और सुनील कुमार सोनी जी पूर्व महापौर रहे हैं, सांसद भी रह लिये और विधायक भी हैं। रायपुर शहर की पेयजल सप्लाई के लिये साढ़े 300 एम.एल.टी. का फिल्टर प्लांट रायपुर में है। 17 टंकियां पहले बनीं, अमृत मिशन में 24 टंकी बनी जिसमें 2 टंकी 5 साल तक कंपलीट होकर खड़ी रही, पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया। आपने 15वें वित्त आयोग में पैसा दिया है, पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है। आपके उत्तर में आपने एक बात कही है कि 24X7 पानी देने के लिये आपने 3 वार्डों को चिन्हित किया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। आपने 3 वार्डों को चिन्हित किया। नगरनिगम ने उन 3 वार्डों का नाम बता देता हूं जो आपने खुद ने चिन्हित किया है जिसमें 24X7 पानी की सप्लाई होगी, जिसमें पुराने वार्ड जिसमें पहले से पाइप लाईन डली है, उसे अमृत मिशन की डबल लाइन डली है । पहला तात्यापारा, दूसरा शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड और तीसरा स्वामी आत्मानंद यह तीनों वार्ड, जिन वार्डों में आपने डबल पाइप लाईन डालने के बाद, स्वयं नगर निगम ने यह रिपोर्ट दी है कि इनमें 24X7 वाटर सप्लाई होगा । इनमें वाटर सप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है ? मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा इसके बारे में बता देंगे कि इसमें किसकी जिम्मेदारी है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ बताना चाहेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन में 24 घंटे पानी सप्लाई करने की योजना नहीं है । यह प्रश्न अमृत मिशन से संबंधित है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अटल श्रीवास्तव जी ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय मंत्री जी, यह आपके प्रश्न में उत्तर है ।

अध्यक्ष महोदय :- 25 मिनट हो गये हैं ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजधानी का महत्वपूर्ण विषय है, मेरा विषय इतना ही है ।

अध्यक्ष महोदय :- किसी और विषय में उठा लेंगे ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय प्रश्नकाल में आ गया । आपने संवेदनशीलता भी दिखायी लेकिन राजधानी है और काम की आवृत्ति हुई।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं । अजय जी, मैं समझ रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरोत्थान में वही, पंद्रहवें वित्त आयोग में वही, स्मार्ट सिटी में वही, अमृत मिशन में वही और उसके बाद 1 लाख 21 हजार घरों में पानी नहीं है । हम जाँच न करवायें, हाउस में कम से कम यह बोल दें कि हम रायपुर को 2 साल में शुद्ध पेयजल देंगे, इतना बोल दें चूंकि राजधानी है, यह आवश्वासन आ जाये ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सामान्य बात ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया । प्रश्न आगे बढ़ गया ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है । मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाता हूँ कि यहां शासन-प्रशासन, पक्ष-विपक्ष सब बैठे हैं । अगर रायपुर शहर में साढ़े 300 एम.एल.टी. पानी है और आपका सर्वे बोलता है कि वर्ष 2011 में रायपुर शहर की 5 लाख की आबादी के आधार पर हमने कार्य योजना बनाई, आपने रायपुर शहर में लिखित में दिया है कि 90 हजार नल कनेक्शन अवैध हैं, 90 हजार और 2 लाख 17 हजार एम.एल.टी. पानी सप्लाई हो रहा है तो साढ़े 300 एम.एल.टी. पानी में से बचा हुआ पानी कहाँ जा रहा है ? आज तक इसकी बात कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है ? आखिर में यह भर्राशाही है कहां ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, इसके लिए कभी चर्चा और दूसरे विषय में उठायेंगे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय मंत्री जी, हमारा इतना ही कहना है कि अगर किसी की जिम्मेदारी है तो उसको सुनिश्चित करें ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक । अटल जी पूछिए ।

बिलासपुर जिले में शासकीय आयोजनों में व्यय राशि

[लोक निर्माण]

3. (*क्र. 120) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिसंबर, 2023 से 16.06.2026 तक बिलासपुर जिले में शासकीय आयोजनों

एवं कार्यक्रम हेतु टेंट, स्टेज, कुर्सी, सजावट, लाईट एवं सांउड की व्यवस्था हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गयी है? (ख) कौन-कौन सी फर्म, एजेंसी एवं दुकान को किस-किस कार्य के लिये कितना भुगतान किया गया है और कितना भुगतान किया जाना शेष है? (ग) प्रश्न (क) एवं (ख) के उत्तर में आयोजन एवं कार्यक्रम का नाम, दिनांक, स्वीकृत राशि, भुगतान राशिएवं लंबित राशि का विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) (ख) एवं (ग) जानकारी पुनरीक्षित प्रपत्र-'अ'[1] एवं 'ब' अनुसार है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता था कि बिलासपुर जिले में शासकीय आयोजनों एवं कार्यक्रम हेतु टेंट, स्टेज, कुर्सी, सजावट, लाईट, साउंड की व्यवस्था हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गयी ? कौन कौन सी फर्म, एजेंसी एवं दुकान से किस-किस कार्य के लिए कितना भुगतान किया गया ? तो इसमें इनका जो जवाब आया है । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे इसमें स्पेसिफिक 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दिनांक 12.12.2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी का तखतपुर में कार्यक्रम था । शासकीय जे.एम.पी. विद्यालय में टेंट, कुर्सी व्यवस्था के लिए 40 लाख रूपए का बिल प्रोड्यूस किया गया । उसी दिन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बताया जा रहा है जिसके लिए 24 लाख 77 हजार रूपये का बिल प्रोड्यूस किया गया है । जबकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम केवल एक ही कॉलेज में हुआ था और पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ । यह जसराज टेंट सर्विस, रायपुर द्वारा 24 लाख 77 हजार रूपये का एक्स्ट्रा बिल दिया गया है । दूसरा केस है कि दिल्ली से कलकत्ता फ्लाइट का शुभारंभ, दिल्ली से कलकत्ता फ्लाइट का वर्चुअल 1 लाख 27 हजार रूपये का प्रोजेक्टर का बिल यम एसोसिएट द्वारा प्रोड्यूस किया गया जबकि 12 तारीख को 13 के एक दिन पहले बिलासपुर दिल्ली फ्लाइट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारम्भ किया जिसमें छेदी साउंड वाले को डेढ़ लाख रूपए दिया लेकिन कलकत्ता से दिल्ली की फ्लाइट के लिए वहाँ कहाँ पहुँच गये जबकि मुख्यमंत्री जी वहाँ गए ही नहीं और इसने बिल प्रोड्यूस किया है और बिल्हा के ग्राम रहेंगी में एक कृषक सम्मेलन हुआ था । कृषक सम्मेलन में छेदी साउंड सर्विस वाले को एक सम्मलेन का 13 लाख 36 हजार रूपये का पेमेंट किया गया । माननीय मंत्री जी, ऐसे तमाम अनेक उदाहरण हैं । आप देखिये की आपके डिपार्टमेंट में लगभग 300 परसेंट ज्यादा पेमेंट टेंट, कुर्सी वालों को हो रहा है और कई फर्जी बिल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसमें आप जाँच कराइए और इस पर कारवाई कीजिए । यह लगातार एक-एक कार्यक्रम के 2-2 जगह के बिल प्रोड्यूस हो रहे हैं ।

---

[1] परिशिष्ट "एक"

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद टेंट, लाईट इसके बिलों को पूरी तरह से प्रॉपर वेरिफिकेशन करके ही भुगतान होता है। यह जो बिल लंबित हैं, भुगतान से पहले पूरी तरह से वेरिफिकेशन करके ही भुगतान करते हैं । भुगतान में किसी तरह की कोई अनयमितता और गड़बड़ी का प्रश्न ही नहीं है । यदि माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक उदाहरण देंगे तो निश्चित रूप से परीक्षण करायेंगे ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उदाहरण दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तखतपुर में केवल एक कार्यक्रम हुआ, जिसका बिल उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उसके साथ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जो वहां से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है, वहां भी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का बिल 24 लाख 77 हजार रूपये है। आखिर ये कौन लोग हैं ? यह कहां एसोसियट है?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि उसमें बिल सबमिट हुआ है और उसका भुगतान से पहले पूरी तरह से परीक्षण होता है, उसके बाद ही भुगतान होता है। विभाग के पास जो लंबित बिल हैं, मैंने वह स्पष्ट किया है। उसका पूरी तरह से परीक्षण के बाद ही भुगतान होता है। किसी तरह के कोई अनियमित भुगतान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी जिले में सबसे बड़ा कार्यक्रम 15 अगस्त और 26 जनवरी का होता है, शायद जिसे जिला कलेक्ट्रेट करवाता है वहां पर साऊंड के लिए साढ़े तीन लाख से साढ़े चार लाख रूपये पेमेण्ट होता है, परन्तु आप कृषक सम्मेलन करवाते हैं तो केवल 13 लाख, 77 हजार रूपये साऊंड का बिल होता है मतलब यह बहुत ज्यादा बिल है। जब इतने बड़े प्रोग्राम का कलेक्ट्रेट से बिल भुगतान होता है तो वह साढ़े तीन लाख रूपये का होता है और वहां कृषक सम्मेलन होता है तो आप साढ़े 13 लाख रूपये का पेमेण्ट करते हैं, जो पेमेण्ट हो चुका है। आखिर जनता के पैसे का क्या हो रहा है मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि लगातार जिस तरीके से यह टेंट लाईट के बिलों में भुगतान हो रहे हैं, क्या आप उसकी जांच करवायेंगे?

श्री रामकुमार यादव :- यह सब अयोध्या गया है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी से कहा है कि उन बिलों का भुगतान पूरी तरह से परीक्षण और संतुष्ट होने के बाद ही होता है फिर भी माननीय सदस्य को यह लगता है कि इस पर्टीक्यूलर बिल में गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से हम उसकी जांच करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप उनको यह दे दीजिए।

प्रदेश में घटित औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच

[श्रम]

4. (*क्र. 282) डॉ. चरण दास महंत : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जनवरी, 2024 से मई, 2026 की अवधि में प्रदेश में घटित गंभीर प्रकृति की औद्योगिक दुर्घटनाओं का विवरण उद्योग का नाम, पता, स्थान, दुर्घटना का प्रकार तथा कारण, मृतकों की संख्या, मुआवजा राशि, अन्य राहत सहित बताएं? **(ख)** उपरोक्त दुर्घटनाओं के संबंध में किसके-किसके विरूद्ध, क्या-क्या कार्यवाही की गई? नाम, पदनाम सहित विवरण देवें ? प्रश्नाधीन उद्योगों का सेफ्टी ऑडिट कब-कब, किसके-किसके द्वारा किया गया था ? **(ग)** दुर्घटनाओं के संबंध में क्या-क्या जांच हुई?जांच के निष्कर्ष क्या रहे ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :(क) 01 जनवरी 2024 से 31 मई 2026 तक की अवधि में प्रदेश में घटित गंभीर प्रकृति की औद्योगिक दुर्घटनाओं का विवरण कारखाने का नाम, पता, स्थान, दुर्घटना का कारण, मृतकों की संख्या, मुआवजा राशि, अन्य राहत संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** उपरोक्त दुर्घटनाओं के संबंध में की गयी कार्यवाही, उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पदनाम की जानकारी एवं इन कारखानों द्वारा कराये गये सेफ्टी आडिट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** दुर्घटनाओं के संबंध में किये गये जांच एवं निष्कर्ष की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।**

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आदरणीय लखन लाल जी से यह प्रश्न किया था और यह पूछा था कि विगत 2 वर्षों में ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी, आज की कार्यसूची में छपा है कि मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव है, आपने अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है उसके बाद भी प्रश्न कर रहे हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई, आप हमेशा गड़बड़ करते हो। ऐसा लगता है कि आपको दिन भर चढ़ी रहती है, हम अविश्वास प्रस्ताव में तो वह कर लेंगे जो करना है, हम किसके कारण यह ला रहे हैं, अभी बताने तो दीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 01 जनवरी, 2024 से 31 मई 2026 तक कितनी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई हैं। माननीय मंत्री जी ने मुझे बड़ी ईमानदारी से कहा है कि इसकी जानकारी परिशिष्ट में है। मेरे पास यह परिशिष्ट है। यहां 235 औद्योगिक संस्थानों में दुर्घटनाएं हुईं हैं जिसमें सैकड़ों मजदूर मारे गये हैं। मैं इस परिशिष्ट को पढ़ नहीं रहा था, लेकिन मैं इसे झांक और देख रहा था और इसमें पूरा जो कारण मिला है वह सेफ्टी ऑडिट नहीं होने के कारण यह सभी दुर्घटनाएं हुईं हैं। माननीय मंत्री जी,

आप सेफ्टी ऑडिट के बारे में बताएंगे कि आपने कितने औद्योगिक घरानों में सेफ्टी ऑडिट न होने से कुछ नोटिस दिया होगा या कुछ जांच की होगी, लोगों का निलंबन किया होगा, आपने कितने सेफ्टी ऑडिट करवाएं हैं ? आज की तारीख में सेफ्टी ऑडिट के क्या प्रावधान हैं ? यह एक साल में होना चाहिए ? दो साल में होना चाहिए ? या तीन साल में होना चाहिए ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खतरानाम रसायनों के निर्माण, भण्डारण संबंधी नियम 1989 के प्रावधान के अनुसार अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों में प्रत्येक वर्ष में एक बार बाह्य एजेंसी से तथा प्रत्येक वर्ष में आंतरिक रूप से सेफ्टी ऑडिट करवाएं जाते हैं। वर्ष 2024 से 31 मई 2026 तक की अवधि में 76 कारखानों में सेफ्टी ऑडिट हुए हैं। प्रदेश के 32 अति खतरनाक श्रेणी के कारखाने स्थित हैं, इनमें 5 कारखानों में दुघटनाएं घटित हुईं हैं। इन सभी 5 कारखानों में सेफ्टी ऑडिट हुए हैं। इसके साथ ही हमारे अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों में सेफ्टी ऑडिट नहीं होने पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से वहां सेफ्टी ऑडिट करवाया गया है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, सक्ती में वेदांता का कारखाना है, जिसमें अभी लगभग 25 लोगों की मौत हुई है, बाकी 7 लोग अभी भी घायल चल रहे हैं । इसमें जिन-जिन लोगों को दोषी पाया गया, उनकी संख्या आपने 2 बतायी है और मेरी जानकारी में आप सत्य कथन नहीं कर रहे हैं । अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ बताऊं या फिर आप प्रश्न में सुधार कर रहे हैं ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ थर्मल पॉवर प्लांट, सिंहितराई में अभियोगी अरूण मिश्रा, कारखाना प्रबंधक देवेन्द्र पटेल के विरूद्ध में पुलिस में भी एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस थाना डभरा-सक्ती द्वारा एफ.आई.आर. 119 दिनांक 15.4.26 को पंजीबद्ध किया गया है । प्रकरण में कारखाना के निर्देशक अनिल अग्रवाल जी एवं अन्य को भी आरोपी बनाया गया है, वर्तमान में विवेचनाधीन है । कलेक्टर सक्ती द्वारा दुर्घटना के उपरांत अनुविभागीय दंडाधिकारी डभरा, जिला सक्ती को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । उसी तरह से श्रम विभाग के माध्यम से भी श्रम न्यायालय में उसका प्रकरण दायर किया गया है ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि जब पुलिस की एफ.आई.आर. में वहां के निर्देशक अनिल अग्रवाल का नाम है तो आप अपने जवाब में उस नाम को क्यों छिपाना चाहते हैं ? क्या आपके कोरबा में भी वेदांता का समूह है इसलिए उनका नाम छिपा रहे हैं या और कोई व्यक्तिगत कारण है ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहां छिपाना चाह रहा हूं, मैं तो सदन में बता रहा हूं कि उनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज है ।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में नहीं है । समझ लीजिए कि हमने पुलिस से एफ.आई.आर. प्राप्त किया है, उसमें 18 लोगों के नाम है । निर्देशक अनिल अग्रवाल प्लस 17 । तो इस तरह से अनिल अग्रवाल जी को पकड़ने के लिए अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है, आप बताएंगे ।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पूरी कार्रवाई विवेचना पर है । जैसे ही कार्रवाई पूर्ण होगी तो निश्चित तौर पर जो भी दोषी होगा, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विवेचना का क्या अर्थ है ? लेन-देन नहीं हुआ है । विवेचना का अर्थ क्या होता है ? उनसे पूछताछ के लिए कोई इंग्लैण्ड गया है, यहां आपने बुलाने की नोटिस दी है, क्या किया है, बता दीजिए ।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है । निश्चित तौर पर पुलिस विभाग दृढ़संकल्पित होकर काम करेगी । किसी भी तरह से कोई दोषी को बक्शा नहीं जाएगा, पूर्ण रूप से निष्पक्ष भाव के साथ में जांच होगी ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने इंवेस्टीगेशन के लिए वहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंक्वायरी बाई अथॉरिटी का नाम बता देता हूं । इंक्वायरी कमेटी अंडर बॉयलर्स एक्ट..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी सक्ती को छोड़कर दूसरे मामलों में, राज्य का और कोई दूसरा प्रश्न होगा तो इतने गंभीर नहीं रहते, जितनी गंभीरता से अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हर मामलों में गंभीर रहते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग भी हर मामलों को देख रहे हैं मामा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हर मामलों में गंभीर हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्षेत्र रामकुमार यादव जी के हे । इंक्वायरी कमेटी अंडर बॉयलर एक्ट, 2025, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी आर्डर बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सक्ती, इंक्वायरी बाई फैक्ट्री इंसपेक्टर, इंक्वायरी आर्डर बाई स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस इंवेस्टीगेशन, नेशनल ह्यूमन राईट कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रियूबनल। इतने लोगों के द्वारा अलग-अलग इंक्वायरी की जा रही है । अलग-अलग लोग क्या-क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, कहां-कहां हिसाब-किताब हो रहा है, इसके बारे में कुछ तो बताईए ।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के द्वारा भी जांच की जा रही है, फैक्ट्री एक्ट के तहत भी जांच की जांच की जा रही है, कलेक्टर के द्वारा भी जांच की जा रही है, लेबर कोर्ट में भी परिवाद प्रस्तुत किया गया है। ये सारी कार्यवाहियां प्रक्रियाधीन हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक फैक्ट्री में 25-25 लोग मर रहे हैं। जहां पर बॉयलर का काम चलता है, वहां पर 4-5 अटेण्डेंट की जरूरती पड़ती है। यहां बॉयलर में 25-25 लोग क्या काम कर रहे थे, जिससे एक साथ 25 लोग मर गये ? आपने उसकी जानकारी ली ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां बॉयलर फटा, वहां नीचे में लोग बैठे थे। दोपहर का समय था, खाना खाने के लिए बैठे थे। अचानक बायलर फटा, उसके कारण ये दुर्घटना हुई है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी उस फैक्ट्री में गये थे और मैं भी वहां गया था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये यादव जी, आप भी एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहत हंव कि जो दुर्घटना होय हे, ये प्रदेश के सबसे बड़े दुर्घटना हे वहां 25 आदमी अकाल मौत मा समा गय हे। वहां जो मजदूर काम करत रहिस हे, जैसे ही दुर्घटना होइस तो सरकार हा घोषणा करे रहिस कि 5 लाख रूपया देबो अउ दिल्ली के सरकार भी 2 लाख देबो, करके घोषणा करे हे। ओ पैसा आज तक नहीं मिलिस, उहां काम देबो कहे रहिस हे, ओ मन ला नौकरी देबो कहे रहिस, ओहू भी नहीं मिल पाइस। अध्यक्ष महोदय जी, जहां प्लाण्ट लगथे उहां हमन देखथन कि ओखर सारा जमीन चले जाथे। वेदान्ता पावर प्लाण्ट वाला इतना निर्दयी हे कि ओमन के पहले के जो पेमेन्ट बचे हे, ओला भी आज तक नहीं दे हे। मैं ओखर विषय में विधान सभा मा ध्यानाकर्षण भी लगाय हव। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करिहंव, ओला ले भी लेही। इसलिए आपसे प्रार्थना हे। गरीब आदमी होथे तो पुलिस उही दिन चल देथे। ये भारत के धरती मा 2 ठन कानून हे का ? आज तक उद्योपति ला खोजे नहीं गय हे अउ कोने गरीब के लइका होही तो ओला तुंहर पुलिस हा पीट के ले आथे। ऐसने कोनो पुलिस होथे का ? मोर आपसे निवेदन हे कि छोटे-बड़े बर एक ठन कानून होना चाही। ओ कतको बड़े उद्योपति रहय ओला जेल मा दिखना चाही, तब हमन मानबो। हम आपसे पूछना चाहत हन कि ओ बड़े आदमी कब जेल मा सलाख के पीछे जाही ?

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी, आपके पास भी बहुत सारा पैसा है। हम लोगों ने भी वीडियो में देखा है। आप कुछ पैसा मृतको के परिवारों को ले जाकर दे दो। आप पांच-पांच सौ की गड्डी को कहां करोगे ?

श्री रामकुमार यादव :- रहा, मैं अभी अयोध्या ले लाहव।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पांच-पांच सौ की गड्डी को कहां करोगे ?

श्री रामकुमार यादव :- ओ तुंहर इंहा छापा परिस तो मोला शक हे कि अयोध्या के तुंहरे बर चंपत राय जी हा झन भेज दे रहिस हावय ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय यादव जी ने कहा उनको सहायता राशि नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय :- दे दी गई है।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि कम्पनी द्वारा आश्रितों को 35-35 लाख रूपये का मुआवजा दे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 2-2 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया है और घायलों को 50-50 हजार दिया गया है। कम्पनी के द्वारा घायलों को 15-15 लाख रूपया दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 5-5 लाख रूपये देना है। मुख्यमंत्री जी की गई घोषणा के अनुसार कुछ राशि आश्रितों को मिल गई है।

श्री रामकुमार यादव :- नइ मिले हे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी सदन में बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव का व्यक्ति है।

अध्यक्ष महोदय :- यदि कोई नाम होगा तो आप नाम दे देना।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को राशि नहीं मिला है। मैं ऐसा असत्य थोड़े ही बोलूंगा। मंत्री महोदय, आप चेक करवा लीजिये, उनको पैसा नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप एक बार देख लेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- आश्रितों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। मेरी कलेक्टर से बात हुई है। मेरे गांव का एक मृतक परिवार है, उन लोगों से बात हुई है। उनको पैसा नहीं मिला है। आपसे निवेदन है कि वेदान्ता द्वारा जो पुराना भुगतान होना है, उसको भी आप दिलवायेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- यदि कहीं कोई पेमेन्ट रूका होगा, तो तुरन्त करवा दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- जो पुराना पेमेन्ट रूका हुआ है, उसको भी भुगतान करवा दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत ही गंभीर विषय को उठाया है। यह रामकुमार यादव जी के क्षेत्र का मामला है। जब अनिल अग्रवाल पर एफ.आई.आर. हुआ तब हम लोगों ने सोचा कि सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। इसके पहले कितने डायरेक्टर पर एफ.आई.आर. दर्ज हुआ ? अब आने वाले समय में जितनी घटनाएं होंगी तो क्या डायरेक्टर्स पर सीधे एफ.आई.आर. दर्ज होगा ? यह अकेला अनिल अग्रवाल वाला उदाहरण है और इसके बार डायरेक्टर्स पर एफ.आई.आर. दर्ज होगा या नहीं होगा ? या सभी मामलों में प्रकरण दर्ज होगा ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के तहत जो भी दोषी पाया जायेगा, सभी के ऊपर प्रकरण दर्ज होगा। अगर दोषी नहीं पाये जायेंगे तो उनके ऊपर प्रकरण दर्ज नहीं होगा। दोषियों के ऊपर कार्यवाही तो होगा ही।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि इसके पहले आप ही के क्षेत्र में वेदान्ता में दुर्घटना हुई थी। वहां पर अनिल अग्रवाल के ऊपर कार्यवाही नहीं हुआ था। आप ही के क्षेत्र में दुर्घटना हुई थी, उसमें 42 लोग मरे थे। अभी 25 लोग मरे हैं तो एफ.आई.आर. हुआ। तो जितने अभी यह लिस्ट दिखाया है। आपने पूरा दिया है। तो जितने डायरेक्टर हैं जहां-जहां ये घटनाएं हुई हैं, सब में उनके डायरेक्टरों के खिलाफ एफ.आई.आर. होगी? या केवल इसी भर में?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अनिल अग्रवाल को बचाना चाहते हैं। उसके मतलब कि पहले एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं हुआ? सारे डायरेक्टरों के ऊपर एफ.आई.आर., जो भी प्रक्रिया के तहत हैं, जो भी दोषी मिलेंगे,उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप लोग अनिल अग्रवाल जी को अंदर में लाना चाहते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, अनिल अग्रवाल को मुख्यमंत्री जी बचाना चाह रहे हैं?

श्री लखन लाल देवांगन :- पूर्व मुख्यमंत्री, सॉरी, क्षमा चाहता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अनिल अग्रवाल जैसा नेता जी ने कहा, एफ.आई.आर. भर कर दिए और उसको बुलाने के लिए नहीं गए, कोई नोटिस भेजा गया है?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विवेचना पर है और मैंने पहले ही कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कैसे कार्रवाई होती है, कैसे प्रक्रिया होती है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी किसी का नाम लेकर विधानसभा में कार्रवाई की मांग नहीं की जा सकती । चाहे ध्यानाकर्षण में हो या किसी में हो।

श्री भूपेश बघेल :- क्या बात है। जब एफ.आई.आर. हो गया तो फिर क्यों उसमें कार्रवाई नहीं होगी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जितने जिम्मेदार रहें, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप नाम लेकर कार्रवाई की मांग नहीं कर सकते, जिम्मेदार होंगे, वह अलग बात है।

श्री भूपेश बघेल :- क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, फिर जिसके खिलाफ जांच चल रही है, उसको बुलाइए । फिर वह आकर अपना स्पष्टीकरण देगा ।

श्री भूपेश बघेल :- तो बुलाइए, सरकार बुलाए। कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा नहीं होता कि किसी का नाम लेकर कार्रवाई की मांग की जाये।

श्री भूपेश बघेल :- सवाल इस बात का है, क्या आप अनिल अग्रवाल को दबाव में ला रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- नियम में नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए एफ.आई.आर. किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नाम लेकर किसी पर कार्रवाई की मांग नहीं कर सकते।

श्री भूपेश बघेल :- यह सीधी सी बात है, किसी और को फायदा पहुंचाने के एफ.आई.आर. किया गया है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां जहां घटना हुई है, सभी डायरेक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी डायरेक्टर के ऊपर होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- सरकार बनने के बाद कितने डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है बताइए? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- अपराधी को बचाना बंद करिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- नाम लेकर कार्रवाई नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- अपराधी को बचाना बंद करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- नाम लेकर कार्रवाई नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- सरकार के द्वारा लगातार संरक्षण दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आखिर उसकी गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, ठीक है। हो गया, हो गया, बहुत सारे प्रश्न हो गए और जो चर्चा हो रही है, व्यक्तिगत नाम लेकर कहीं पर चर्चा नहीं की जाती। अन्य माध्यम से आप उसको उठा सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री भूपेश बघेल :- एक मिनट, एक मिनट। प्रश्न आपने पूछा, उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया, एफ.आई.आर. में अनिल अग्रवाल का नाम है । है न? अब मेरा प्रश्न यह है कि आपकी सरकार बनने के बाद जितनी भी औद्योगिक घटनाएं घटी हैं, क्या सभी डायरेक्टरों के खिलाफ एफ.आई.आर. करेंगे? या आने वाले समय में जो घटनाएं घटेंगी, डायरेक्टर के खिलाफ सीधी कार्रवाई करेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- यह कौन सा प्रश्न हुआ आने वाले...।

अध्यक्ष महोदय :- गुण-दोष के आधार पर उन्होंने बता दिया है।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष, जो नियम में होगा उसके तहत पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, श्रीमती विद्यावती सिदार।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है कि केवल आज तक में अनिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है । इसके पहले कभी नहीं हुई है। तो क्या उसको दबाव में लाने के लिए, उसकी फैक्ट्री बिकवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है? (शेम-शेम की आवाज) (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अपराधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान) ये ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारे लगाये गये)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जितनी घटना हुई है, सबके ऊपर कार्रवाई हो। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- फैक्ट्री के भुगतना ला हम भुगत थन।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बैठिए, बैठिए, प्रश्न आगे बढ़ गया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर हम बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11.54 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। विद्यावती सिदार, प्रश्न संख्या 5। श्रीमती विद्यावती सिदार, प्रश्न संख्या 5। श्री पुरंदर मिश्रा जी, पुरंदर मिश्रा जी।

श्री पुरंदर मिश्रा :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से...।

अध्यक्ष महोदय :- आप बाहर हैं या अंदर हैं?

श्रीमती विद्यावती सिदार :- अंदर हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, एक प्रश्न करने दें, आप महिला सदस्य हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, अब तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई, पुरंदर जी को पूछने दीजिए ।

विद्यावती सिदार :- मैं अध्यक्ष जी से अनुमति ले ली हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ये महिला हैं, छोटा प्रश्न कर लीजिए, मैं आपको अवसर दे रहा हूं ।

प्रदेश में संचालित शराब दुकानें

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

5. (*क्र. 309) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में कुल कितनी देशी/विदेशी मदिरा दुकानें संचालित थीं? जून,2026 की स्थिति में कुल कितनी देशी/विदेशी मदिरा दुकानें संचालित हैं? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 24 जनवरी,2024 में प्रदेश में कोई भी मदिरा दुकान नहीं खोलने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो विभाग द्वारा उक्त निर्णय के पालन के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रदेश में कितनी शराब दुकानें, स्कूलों एवं राजमार्गो के 50 से 100 मीटर की परिधि में संचालित हैं? जिलेवार बताएं?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :(क) प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में 172 देशी मदिरा दुकान, 304 विदेशी मदिरा दुकान, 167 कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान, 01 कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान एवं 28 प्रीमियम मदिरा दुकान इस प्रकार कुल 672 मदिरा दुकानें संचालित थी, जिसकी जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** †[2] **अ** अनुसार है। जून 2026 (दिनांक 20.06.2026 तक) की स्थिति में 109 देशी मदिरा दुकान, 155 विदेशी मदिरा दुकान, 239 कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान, 154 कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान एवं 48 प्रीमियम मदिरा दुकान इस प्रकार कुल 705 मदिरा दुकानें संचालित है, जिसकी जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं, प्रश्न उद्भूत नही होता। **(ग)** प्रदेश में स्कूलों एवं राजमार्ग के 50 से 100 मीटर की परिधि में संचालित होने वाली 66 मदिरा दुकानों की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र स** अनुसार है।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं जानकारी चाहती हूं कि आबकारी नीति 2024-25 में प्रभावशील है या नहीं? आपकी आबकारी नीति में कंडिका 9 (4) में लिखा है कि मदिरा प्रदाय कांच की बोतलों में किया जाएगा, फिर सरकार प्लास्टिक के बोतलों में मदिरा क्यों बेच रही है?

---

[2] † परिशिष्ट "दो"

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय सदस्य ने प्लास्टिक के बोतल के बारे में प्रश्न नहीं किया है, फिर भी उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने कम रेट के शराब पर प्लास्टिक की बोतल प्रारंभ की है और उससे विक्रय प्रारंभ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद। पुरन्दर मिश्रा जी। अब हो गया। प्लास्टिक वाला प्रश्न नहीं है।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्लास्टिक वाला प्रश्न उसमें संदर्भित ही नहीं हो रहा है।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- आबकारी का मेरे को उत्तर मिल गया है, लेकिन एक मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। एक छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, पूछ लीजिये।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र लैलुंगा में शहरी भीड़भाड़ इलाके में संचालित शराब दुकान हटाने के लिए वहाँ के जनता द्वारा कलेक्टर को आवेदन दिया गया था, लेकिन आज तक वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि आप वहाँ जो शराब दुकान है, जिसके कारण कॉलेज और स्कूल प्रभावित हो रहे हैं, उसके खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, कुछ कार्रवाई करेंगे।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, उसका परीक्षण करा लेंगे। वैसे भी हम लोगों ने कलेक्टरों के माध्यम से पूरा प्रदेश का परीक्षण कराया है कि जहाँ-जहाँ पर इस प्रकार की आपत्ति है।

श्री सुनील सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, इसमें हो प्रश्न गया। आपको हर बार मौका नहीं मिलेगा। इसमें आप एक बार ही अतिरिक्त प्रश्न पूछ सकते हैं, बार-बार खड़ा होना उचित नहीं है। पुरन्दर जी।

<u>रायगढ़ जिले के मोहन जूट मिल में शासकीय भूमि में षड्यंत्रपूर्वक अन्य प्रयोजन के निर्माण</u>

[वाणिज्य एवं उद्योग]

6. (*क्र. 286) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या रायगढ़ शहर के मध्य स्थापित मोहन जूट मिल के प्रबंधन द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को परिवर्तित कर नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है तथा नए बोर्ड ऑफ डारेक्टर द्वारा जूट मिल को विक्रय कर जूट मिल की 40 एकड़ से अधिक भूमि एवं संपत्ति को विक्रय कर कॉलोनी/व्यावसायिक प्रयोजन का निर्माण किया जा रहा है? (ख) क्या यह सत्य है कि मोहन जूटमिल के

श्रमिकों कीबकाया संबंधी कार्यवाही लंबित है एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम, रायपुर द्वारा मोहन जूट मिल को श्रमिकों के पक्ष में 10 करोड़ रूपये स्वास्थ्य सेवा के अंश का जमा न करने पर तहसीलदार, रायगढ़ एवं थाना को 27 जनवरी, 2026 को नोटिस जारी कर मोहन जूट मिल की परिसंपत्तियों को आधिपत्य में लेकर कुर्की करने को कहा गया है? (ग) क्या यह भी सत्य है कि मोहन जूट मिल के परिसर में शासकीय भूमि एवं 7 एकड़ का शासकीय तालाब था? यदि हां, तो उक्त शासकीय भूमि एवं तालाब को पाटकर किस आधार पर कॉलोनी/व्यावसायिक प्रयोजन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) रायगढ़ शहर के मध्य स्थापित मोहन जूट मिल निजी भूमि पर स्थापित उद्योग है। इसके संचालक मंडल में परिवर्तन संबंधी जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में उपलब्ध नहीं है। कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार निगम द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कॉलोनी/व्यावसायिक प्रयोजन हेतु कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। (ख) जी हाँ, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर तथा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार मोहन जूट मिल के श्रमिकों के स्वास्थ्य सेवा अंशदान की बकाया राशि जमा न किए जाने संबंधी वसूली कार्यवाही लंबित है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 27.01.2026 को राशि 10,42,48,027/- रुपये तथा दिनांक 25.10.2025 से प्रतिदिन ब्याज दर 9,810.46 रुपये की वसूली हेतु मोहन जूट मिल की परिसंपत्तियों को कुर्की करने का आदेश जारी कर तहसीलदार, रायगढ़ एवं थाना प्रभारी, जूटमिल, रायगढ़ को प्रतिलिपि पृष्ठांकित की गई थी। इसके विरुद्ध नियोक्ता मेसर्स रायगढ़ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्व नाम मोहन जूट मिल) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में रिट याचिका (डब्ल्यू.पी.सी.) क्रमांक 549/2026 प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।(ग) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार यह असत्य है कि मोहन जूट मिल के परिसर में शासकीय भूमि एवं 7 एकड़ का शासकीय तालाब था। कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर कॉलोनी/व्यावसायिक प्रयोजन हेतु किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति/अनुज्ञा प्रदान नहीं की गई है।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन भूमि पर नगर निगम और नगर निवेश द्वारा कॉलोनी निर्माण एवं व्यावसायिक प्रयोजन हेतु कोई अनुमति नहीं दी गई है, तो मोहन जूट मिल ध्वस्त कर कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने मोहन जूट मिल के संबंध में प्रश्न पूछा था कि वह शासकीय जमीन है, तालाब है, तो वहाँ के कलेक्टर, अपने एस.डी.एम., तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार कोई भी शासकीय जमीन नहीं है, तालाब नहीं है। जो मोहन जूट मिल

है, उसको 2019 के अनुसार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के माध्यम से नीलामी कर दिया गया है और रायगढ़ प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा उसको खरीदा गया है। रायगढ़ प्रोजेक्ट द्वारा पार्टनरशिप फर्म बनाया गया है, जिसमें कृष्णा रियलिटी के नाम से इसमें कुल 07 सदस्य हैं, बाकी उद्योग विभाग में कोई भी उसका पंजीयन आदि रजिस्टर्ड नहीं है। माननीय सदस्य जो भी जानकारी चाह रहे हैं, उसमें इतना ही है, क्योंकि वह जमीन नीलामी हो चुका है, दूसरे ने खरीद लिया है। उसमें उनका जो सी.आई.एस. का पैसा मिलना था, उसके लिए 10 करोड़ रूपये देना बाकी था। उसके लिए मोहन जूट मिल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और वह विचाराधीन है।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि दिनांक 23.09.2004 को अनुविभागीय अधिकारी, आर.आई. और पटवारी द्वारा जांच तैयार करके सरकारी जमीन और तालाब होना दर्शाया गया है। जिन्होंने यह जो असत्य जानकारी दी है, क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें किसी भी प्रकार का तालाब और सरकारी जमीन नहीं है, जो यही जानकारी एस.डी.एम. और अनुविभागीय अधिकारी ने दी है।

अध्यक्ष महोदय :- राघवेन्द्र जी।

<u>**प्रदेश की प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों के रिक्त पद**</u>

[स्कूल शिक्षा]

7. (*क्र. 359) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितनी शासकीय प्राथमिक शालाएं संचालित हैं ? उक्त शासकीय प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में कुल कितने शिक्षक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? (ख) राज्य में संचालित शासकीय प्राथमिक शालाओं में शिक्षक उपलब्धता के आधार पर विद्यालयों की संख्या कितनी-कितनी है ? शिक्षकविहीन, एकल शिक्षकीय, दो शिक्षकीय, तीन शिक्षकीय, चार शिक्षकीय, पांच शिक्षकीय एवं पांच से अधिक शिक्षकीय विद्यालयों की संख्यात्मक जानकारी पृथक-पृथक देवें ? (ग) क्या राज्य शासन द्वारा शिक्षकों की पदस्थापना हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण देवें ? (घ) विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में किए गए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत प्रदेश की कितनी शासकीय प्राथमिक शालाओं का सामायोजन/युक्तियुक्तकरण किया गया ? क्या समायोजित की गई शालाओं का यू डाईस नं. वर्तमान में यथावत प्रचलित/प्रभावशील है ? यदि हां, तो बंद नहीं होने के क्या कारण हैं ? क्या

युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया अथवा यू डाईस के संबंध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्रो यादव) : (क) प्रश्नांश 'क' जानकारी संलग्न प्रपत्र[3] के कॉलम क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'ख' की जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 6 से 12 अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश घ की जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 13 अनुसार है। जी हाँसमायोजन करने की कार्यवाही भारत सरकार में प्रक्रियाधीन होने के कारण। जी नहीं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय मंत्री जी, मेरा सीधा प्रश्न आपसे यह है कि मैंने जो एकल, दो, तीन, चार, पाँच शिक्षकीय के संबंध में मैंने जो पूछा था, उसमें जो जवाब आया है, उसमें रिक्त पद 30,000 आपने सिर्फ प्राथमिक शाला में बताया है, वह कब तक भर लिए जाएंगे? इसका सीधा मुझे एक जवाब दे दीजिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो रिक्त शिक्षक का प्रश्न किया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब स्कूल का सेटअप बना है, यह उसके आधार पर है। बाद में जब नई शिक्षा नीति आई, उसमें प्राथमिक शाला में तय हुआ है कि 30 बच्चों पर एक ही शिक्षक देना है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी, क्या एक या दो शिक्षक प्राथमिक शाला में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन दे सकते हैं?

(प्रश्नकाल समाप्त)

[3] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- पत्रों का पटल पर रखा जाना । श्री ओ.पी.चौधरी ।

समय

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2024 वर्ष)-2025)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 173 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25) पटल पर रखता हूँ ।

(2) वित्त विभाग से संबंधित विभिन्न निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(i) दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-02 (निष्पादन लेखा परीक्षा- सिविल)

(ii) दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-03 (निष्पादन लेखापरीक्षा- सिविल)

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्ष 2024-2025 के लिये राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-04 (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

(iv) जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-05 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :-

(i) दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-02 (निष्पादन लेखा परीक्षा- सिविल),

(ii) दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-03 (निष्पादन लेखापरीक्षा- सिविल),

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्ष 2024-2025 के लिये राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-04 (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) तथा

(iv) जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-05 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) पटल पर रखता हूँ।

समय
12.03 बजे

सदन की सूचना

"एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- आज दिनांक 14 जुलाई 2026 को दोपहर 1.30 बजे विधान सभा परिसर में वन विभाग की ओर से "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित है । सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कष्ट करें ।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के पश्चात् माननीय केदार कश्यप, वन मंत्री जी द्वारा भोजन की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन की व्यवस्था की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ का सीजन चल रहा है, किसान परेशान है । अप्रैल महीने में जहां खाद-बीज के भण्डारण जहां कर दिये जाते थे, किसान उठाव करते थे । सरकार ने इस साल पहले ही जो 60:40 का रेश्यो है, 60 परशेंट नगद और 40 परशेंट खाद का, उसे बदलकर 70:30 कर दिया गया है और उसके बाद भी सोसायटियों में खाद की भारी कमी है । किसान जून के महीने में लगातार भटकते रहे हैं, उनको डीएपी नहीं मिला, सिंगल सुपर फास्फेट नहीं मिला है, उसे पोटाश नहीं मिला है, बल्कि उसकी जगह में NPK और (12-32-16)और साथ ही (10-10-26) (13-13-20) इस प्रकार से उनको खाद उपलब्ध कराया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से खाद

दिया गया है, सोसायटियों में पहुंचा नहीं है और डी.ओ. कट गये, लेकिन उपलब्ध नहीं रहा है । अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो खाद डीएपी और सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटाश जो सोसायटियों में नहीं था, वह व्यापारियों के दुकान में मिल रहा था । वह सारी चीजें उपलब्ध है, बल्कि उस पर पांच रूपये खाद का लादन और दिया जाता था । सरकार के द्वारा एक तरफ यह बताया जा रहा है कि विदेश में हमले हो रहे हैं, इस कारण से यह उपलब्ध नहीं हो रहे हैं । जब सरकार के लिये उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो व्यापारियों के लिये कहां से उपलब्ध हो गये ? अध्यक्ष महोदय, किसान लुट रहे हैं, वह परेशान है और ऊपर से वर्षा नहीं हो रही है । बोवाई पूरे प्रदेश में पिछड़ चुका है, खण्ड वृष्टि हो रही है और उसमें बिजली की कटौती हो रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं नहीं मिल रहा है । हवा के झोंके से बिजली गोल हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हमने इस मामले में स्थगन लाया हुआ है । चूँकि यह पावस सत्र है और किसानों के बोआई का सीजन है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । आप यदि ग्राहय करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सी जानकारी हम लोग उपलब्ध करायेंगे । यह आपसे आग्रह है ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से खाद की कालाबाजारी चल रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, अभी डी.ए.पी. की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, अभी सोसायटियों में डी.ए.पी. की जो उपलब्धता है, वह बिल्कुल भी नहीं है, कालाबाजारी चल रही है। इस साल इंद्रदेव भी हमसे नाराज हैं। पानी की किल्लत हो रही है, पानी लगातार कम गिर रहा है, उससे हमारी बुआई पीछे जा चुकी है, वह तो अलग है। लेकिन जिनके पास बोर, ट्यूबवेल की उपलब्धता है, वह भी खेती करने में असमर्थ हैं, क्योंकि 6 घंटे की कटौती है, 6 घंटे की कटौती को मान रहे हैं, लेकिन 18 घंटे की बिजली उसको मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है लेकिन 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे की कटौती के अलावा जो बंद है, उससे लोग लगातार परेशान हैं। ट्रांसफार्मर फेल है 7-7 दिन, 8-8 दिन, 20-20 दिन तक ट्रांसफार्मर लग नहीं रहा है। बिजली, खाद और अभी जो पानी नहीं गिर रहा है, इन सब के कारण किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। अध्यक्ष महोदय, आप अगर स्थगन लेंगे तो हम इस पर वृहत चर्चा करेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में पूरी बुआई का काम चल रहा है, आज सोसायटी की स्थिति बहुत ही खराब है। सोसायटी में खाद उपलब्ध नहीं है, जबकि व्यापारी वर्ग के पास खाद है, प्राइवेट दुकान में खाद है, मैं जब सोसायटी गई तो वहां पर 266 रुपये का यूरिया 900 रुपये में बेच रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- संगीता जी, सोसायटी की स्थिति खराब है या खाद की स्थिति खराब है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सोसायटी में खाद ही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- ते तो सोसायटी के स्थिति खराब हे केहेस।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सोसायटी की स्थिति भी खराब है।

श्री भूपेश बघेल :- सोसायटी में तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसकी भी स्थिति खराब है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सोसायटी के ऑपरेटर लोग तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं, अब उसके लिए भी हम लोग अलग स्थगन लाएंगे।

श्री रामकुमार यादव :- मोला लगथे तुंहर दिमाग खराब हे।

श्री भूपेश बघेल :- सोसायटी के कर्मचारियों पर बड़ी संख्या में एफ.आई.आर. भी हो रही है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, हमने जो किसान कुटीर बनाया है, उसमें आप लोग ऑफिस लगा रहे हैं। जो 266 रुपये का यूरिया है, वह दुकान में 900 रुपये में मिल रहा है, उसी तरह से जो 900 रुपये का डी.ए.पी. है, वह दुकान में 2200, 2000 रुपये रेट में मिल रहा है। कालाबाजारी बहुत बढ़ चुकी है। बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है कि हवा आने से पहले लाइट बंद कर दिया जाता है। 1 घंटे नहीं लगातार 4-4, 5-5 घंटे लाईट गोल रहती है, हमेशा 2-2 घंटे में लाइट गोल होती है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, स्थगन लाए हैं, उसमें विचार कीजिए और इसमें चर्चा करवाइए। धन्यवाद।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि इस खरीफ सत्र में हमको खाद, बीज दोनों की आवश्यकता पड़ती है और जिस प्रकार से सम्मानित सदस्यों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में खाद की चिंता की है और चिंता तो चिंता रहेगी ही सही। कई विषय ऐसे हैं कि सेवा सहकारी समिति में किसानों का धान बेचने का पंजीयन है, परंतु वह के.सी.सी. दूसरे बैंक से ले रखा है, उन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद व्यापारियों से ले रहे हैं और व्यापारी भी अधिक कीमत पर दे रहे हैं। जब व्यापारियों से संपर्क करते हैं तो वे भी बोलते हैं कि...।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी शून्य काल की सूचना दिए हैं, उसमें बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल आपको सुन लेंगे।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय चंद्राकर जी, पूरा विधानसभा आपका है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है, उनका सुन लिए, एक हमारा सुन लीजिए, फिर उनका सुन लीजिए, फिर उनका सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपको सुन लेंगे।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, जब हम ही खड़े होंगे तो आपको कहने का बड़ा शौक रहता है। सुन तो लीजिए, फिर बोलिएगा। फिर पूछते हो कि कितने किसान हो। खेती-किसानी की बात हो रही है, किसान हैं, कुर्मी किसान हैं, आप भी तो चिंता कीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर कोई नई सुने, मंत्री बनिहा करके आस लगा के बइठे हो।

श्री ब्यास कश्यप :- हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने सूचना दी है, मैं अपनी सूचना में क्यों नहीं बोल सकता ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी शून्यकाल की सूचना दी है।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा बताओ भला, कौन सी सूचना है ? कौन सी सूचना दिए हो। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- एखर राम मंदिर वाला सूचना ए।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता इस बात की है कि जो किसान सेवा सहकारी समिति में अपना धान बेचता है, उसको भी खाद चाहिए, उसको भी तो बीज चाहिए। परंतु सेवा सहकारी समिति कम पैसा देती है, प्राइवेट बैंक या जिला सहकारी बैंक के अतिरिक्त जो अन्य बैंक हैं, उनके द्वारा अधिक राशि देने के कारण किसान वहां से केसीसी उठाता है। उन किसानों को सेवा सहकारी समिति से न बीज मिल पा रहा है और न ही खाद मिल पा रही है। यह चिंता का विषय है। वह प्राइवेट व्यापारियों से बात करते हैं तो उनको पता है कि किसान मजबूर हैं और वह भी बोलते हैं कि हमने अधिक कीमत पर यूरिया खरीदा है तो मजबूरी में हम भी अधिक कीमत पर यूरिया दे रहे हैं या डीएपी दे रहे हैं या सुपर फास्फेट दे रहे हैं या 12-32-16 दे रहे हैं या 20-20-20 दे रहे हैं या विभिन्न प्रकार के उर्वरक दे रहे हैं और नैनो यूरिया के नाम से कीमत बढ़ा दे रहे हैं। वास्तव में यह किसानों की चिंता है। एक बात और है कि छत्तीसगढ़ में कृषि विकास यानी कि बीज विकास निगम के द्वारा मात्र 30 प्रतिशत ही बीज उपलब्ध कराई जाती है। आज छत्तीसगढ़ के किसान 70 रूपये से 100 रूपये, 100 रूपये से 140 रूपये तक में बीज खरीद रहे हैं। मैंने भी 140 रूपये में बीज खरीदा है। कुल मिलाकर बीज निगम की पूर्ति उस ढंग से नहीं हो पा रही है। आने वाले समय में आप बीज विकास निगम से पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने की कृपा करें, मेरी छत्तीसगढ़ सरकार से यही मांग है।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में खरीफ सीजन और खेती-किसानी का समय चल रहा है, लेकिन इस समय पूरे प्रदेश के किसान बहुत ही परेशान हैं। पूरा प्रदेश व बस्तर भी इसमें सम्मिलित है। जिस तरीके से आज किसानों के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इस सदन में हमने स्थगन लाया है और सभी किसानों को कहीं पर उन्नत धान का बीज नहीं मिल रहा है, कहीं पर खाद नहीं मिल रही है, कहीं पर बिजली की समस्या है, कहीं पर समय पर पंजीयन की समस्या है, ऐसी नई-नई बहुत सारी समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप बाकी कामों को रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर किसानों के हित में चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- अध्यक्ष महोदय जी, किसानों के खाद-बीज के संबंध में खाद के लिए कृषि विभाग कभी मार्कफेड को जिम्मेदार बताता है और मार्कफेड वाले कभी कृषि विभाग को जिम्मेदार बताते हैं। इन दोनों विभागों में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह जिम्मेदारी किसकी

है। जब कंपनी से खाद आती है तो उसको वितरण करने के लिए सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कितने का रेशियो होना चाहिए, यह स्पष्ट नहीं है। कभी 60-40 के रेशियो में वितरण होता है, कभी बोलते हैं कि कृषि विभाग हमारे अंडर में कंट्रोल में है। लेकिन वह किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अभी मैं आपको यह बताऊंगा। यह पूरी खाद लक्ष्य के विरुद्ध सरकारी क्षेत्र में कम और निजी क्षेत्र में लक्ष्य के अधिक वितरित हुई है। यह पूरा जंगल क्षेत्र में कोंडागांव, बस्तर, सरगुजा में खाद जाकर ऐसे उल्टा मतलब व्यापारी के उसमें आता है और कंपनी का कंट्रोल। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे पास पूरा फिगर है, खाद की कमी नहीं है। परंतु बैलेंस बनाने के लिए एनपीके को सहकारी क्षेत्र में देते हैं और जितने भी डीएपी और यूरिया का पूरा सहकारी क्षेत्र में है, ये मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम ये कंट्रोल किसके हाथ में है? यह मार्कफेड के हाथ में है या आपके हाथ में है? इस पर तो गहन चर्चा होनी चाहिए और चर्चा करने से ही यह किसानों के हित में होगा। मैं विपक्ष के नेताओं से कहना चाहूंगा कि इस पर गहन अध्ययन हो और चर्चा कराई जाये।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश का अन्नदाता वर्तमान राज्य सरकार की जो कृषि के क्षेत्र में घोर उपेक्षा चल रही है, कुप्रबंधन चल रहा है, उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो लापरवाही हो रही है, वह बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि डीएपी, पोटाश नदारद हैं। यूरिया, नैनो फर्टिलाइजर को डंपिंग करके कृषि विभाग के अधिकारी बाजीगरी कर रहे हैं। सोसायटियों में यदि किसान जाता है तो उनको कहते हैं कि जो खाद है वह लेना है तो लो, नहीं तो घर जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। आपके कवर्धा में, बेमेतरा में, मुंगेली में जिस तरह से व्यापारियों ने अमानक खाद खपाने के लिए दलालों की भूमिका शुरू कर दी है, वह हमारे प्रदेश के लिए बहुत चिंतनीय है और जिस तरह से अमानवीय ढंग से यह बिजली की कटौती चल रही है, उसने किसानों की कमर तोड़ दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि यह बहुत बड़ा संकट है। हर जगह एग्रीकल्चर पोर्टल बना हुआ है, वह किसानों के लिए एक मानसिक प्रताड़ना का काम कर रहा है। चाहे रजिस्ट्रेशन में हो, चाहे फसल परिवर्तन हो, चाहे रकबा सुधार हो, इन सब के नाम से किसानों को जाना पड़ता है और पसीना बहाना पड़ता है। जिस ढंग से आपने छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 यहां प्रस्तुत किया है और उसमें आप लोगों ने जी.डी.पी. का योगदान 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार यह चाहती है कि जो बम्पर धान की फसल हो रही है, उनसे भागा जाए, भगाया जाए। किसानों को दुष्चक्र और आत्महत्या में धकेलने की जो कोशिश चल रही है, यह सब एक चौतरफा प्रहार किसानों पर हो रहा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा दिया हुआ जो स्थगन प्रस्ताव है, आप उसको स्वीकृत कर लें ताकि हमारे किसानों की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। यही आपसे निवेदन है।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं जो मामला उठा रहा हूं, मैं उसका ध्यानाकर्षण भी लगा चुका हूं । गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पेंड्रा बाईपास को लेकर के वहां की जनता, वहां के सभी राजनीतिक दल के लोग, जनप्रतिनिधि और यहां तक कि वं के पत्रकारगण भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वर्ष 2018 में पेंड्रा बाईपास का शिलान्यास हुआ और इन आठ वर्षों में वह बाईपास अभी तक बन भी नहीं पाया है और मैं कह सकता हूं कि वह शुरू भी नहीं हो पाया है, जिसके कारण वहां की जनता उद्वेलित है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, बॉर्डर का जिला है, आदिवासी बाहुल्य जिला है और वहां के विकास को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। चूंकि प्रशासन की तरफ से और विभाग की तरफ से इसमें कोई सही जानकारी लोगों को नहीं दी जा रही है, जबकि हमारे पास जो जानकारी है, अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट लगेगा, मैं उसको पढ़ देता हूं। वर्ष 2018 में 13 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क का शिलान्यास किया गया था, तब उसकी लागत 54 करोड़ रूपये थी, वह आज बढ़कर के 105 करोड़ हो गई है और 10 करोड़ रुपये से भूमि अर्जन की लागत बढ़कर 54 करोड़ रूपये हो गई है और इसमें 286 किसान प्रभावित होंगे। गौरेला-पेंड्रा जैसे एकदम रिमोट एरिया के लोगों को सड़क पाने का अधिकार है और उसमें सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि उसके लिए पूरी मीडिया के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। अजय जी, बोलिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपके माध्यम से एक यह आग्रह करना चाहता हूं कि वहां के जो भी प्रभारी मंत्री हों या माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, आप वहां के कलेक्टर से बोलकर भूख हड़ताल वालों से बात करवाइये और उनको सही-सही जानकारी बता दीजिए। उसमें शासन क्या कर सकता है, कब तक होगा, ताकि इस प्रकार के आंदोलन की स्थिति निर्मित मत हो और यह आंदोलन जनहित से प्रेरित आंदोलन है और मीडिया के लोग आंदोलन कर रहे हैं इसलिए इसको बहुत ही संवेदनशीलता से माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान देकर आगे कार्रवाई करेंगे और कलेक्टर को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के साथी प्रश्नकाल में नाम ले लेकर बोल रहे थे। लेकिन किसी तरह की मांग नहीं किए हैं। मैंने प्रदेश की औद्योगिक दुर्घटना के बारे में सूचना दी है। अभी 25-30 लोगों की मृत्यु हुई, उसके अतिरिक्त इन दो-ढाई सालों में 300 से अधिक लोगों की औद्योगिक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है और अभी भी कुछ दिन पहले झुलसने से और दो-तीन लोगों की मृत्यु हुई ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने सूचना दी है ना?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने उसमें ध्यानाकर्षण सूचना दी है और मैं चाहता हूं कि उस पर चर्चा हो जाए तो प्रदेश में जो औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं, वे रूकें। विभाग प्रभावी कार्रवाई करे तो औद्योगिक दुर्घटनाओं पर लगाम लगे।

समय:
12.19 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में खाद और उन्नत बीज की अनुपलब्धता से उत्पन्न किसानों की समस्या

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में खाद और उन्नत बीज की अनुपलब्धता से उत्पन्न किसानों की समस्याओं के संबंध में 35 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। चूंकि भूपेश बघेल सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अतः मैं इसको पढ़कर सुनाता हूं।

खरीफ 2026 के धान की खेती में प्रदेश के किसानों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर्वाधिक बड़ी समस्या खाद और उन्नत बीज की अनुपलब्धता की ओर आ रही है। प्राथमिक कृषि साख समिति संस्थाओं में डी.ए.पी., पोटाश की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, जबकि बुआई और रोपाई में इसी की अधिक आवश्यकता होती है। यूरिया जैसे उर्वरक अधिक मात्रा में भंडारित किए गए हैं, जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार नैनो फर्टिलाइजर का बड़ी मात्रा में भंडारण कराया गया है, इसकी भी अभी उपयोगिता नहीं है। ऐसे उर्वरकों सहित भंडारित उर्वरक की मात्रा पर्याप्त है ऐसा बताकर कृषि विभाग भ्रमित कर रहा है। धान के उन प्रजातियों के बीज की भी बहुत कमी है, जिनकी किसानों द्वारा मांग की जा रही हैं। सोसाइटियों में किसानों को कहा जा रहा है कि मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध नहीं है तो अन्य उर्वरक ले जाओ वरना ये भी नहीं मिलेगा। वर्षा की अपर्याप्तता के कारण पंप चलाकर खेती करने का प्रयास किसानों द्वारा किया जा रहा है लेकिन बिजली की निरन्तर आपूर्ति नहीं होने के कारण पानी की भी बड़ी समस्या आ रही है। बिजली बंद हो जाने पर काफी समय तक नहीं आती है, शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही नहीं होती है। निजी क्षेत्र में उर्वरक का अभाव नहीं है। संभवतः इसीलिये सहकारी समितियों से नगद ऋण 70 प्रतिशत तथा वस्तु ऋण 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली आदि कई जिलों में तो सहकारी सोसाइटी का प्रबंधक निजी व्यापारियों से अमानक उर्वरकों की आपूर्ति किसानों को करवा रहे हैं। किसानों के लिए एक और बड़ी समस्या एग्रीस्टैक पोर्टल है। प्रत्येक किसान के लिये इस पोर्टल में अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य है, अन्यथा उसे ऋण प्राप्त नहीं होगा, समर्थन मूल्य पर उपज का विक्रय नहीं होगा। इस एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन करवाने, फसल परिवर्तन करवाने, रकबा की त्रुटि सुधरवाने आदि में किसानों का पसीना निकल जाता है। इस सरकार के "छत्तीसगढ़ अंजोर' विजन @2047 नामक दस्तावेज, जिसे विकास का रोडमैप कहा गया है, के अनुसार जी.डी.पी. में कृषि का योगदान वर्तमान के 20 प्रतिशत से धीरे-धीरे कम करते

हुए 2047 में 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य है. संभवतः इसीलिये किसानों के समक्ष इतनी अधिक समस्याएं उत्पन्न की जा रही है ताकि धान का उत्पादन कम हो तथा कम खरीदी करना पड़े। खरीफ 2026 की धान की खेती में आ रही अनेक प्रकार की समस्याओं तथा उनका निराकरण करने में राज्य सरकार के अक्षम रहने के कारण प्रदेश के किसान भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं। अतः प्रदेश के अन्नदाता किसानों के हित से संबंधित अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य विषय को रोकते हुए चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें।

शासन का वक्तव्य, माननीय मंत्री जी, कुछ कहेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है, इसलिए इसको ग्राह्य करके चर्चा करायें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी का एक वक्तव्य आ जाये, जानकारी आ जायेगी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य दे देंगे, उसके बाद तो चर्चा नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय :- पहले वक्तव्य आ जाये।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- पूरी बात रख ही दी, अब क्या बचा है?

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, बहुत सारी बातें हैं। किसी ने नहीं कहा कि आप एक एकड़ में 25 किलो डी.ए.पी. दे रहे हैं, 25 किलो सुपर फास्फेट दे रहे हैं, सरगुजा में बिल्कुल नहीं है, बोनी हो नहीं रही है।

अध्यक्ष महोदय :- भूपेश जी, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में सब बातों का जो भी उल्लेख करेंगे, उसके बाद कोई प्रश्न करना होगा, मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में उर्वरक एवं उन्नत बीज की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, ये जीयत लबारी हे।

श्री रामविचार नेताम :- सुनबे तब कुछ काम आही। सुन पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ 2026 के लिये उर्वरक का लक्ष्य 15.55 लाख मे.टन निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध 90 प्रतिशत अर्थात् 14.06 लाख मे.टन उर्वरक का भण्डारण करा लिया गया है। इसी प्रकार समस्त फसलों के बीज के निर्धारित लक्ष्य 4.95 लाख क्विं. के विरूद्ध छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा 4.95 लाख क्विं. प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तथा 4.76 लाख क्विं. प्रमाणित बीज का भण्डारण किया जा चुका है जो मांग के विरूद्ध 96 प्रतिशत है। धान फसल के प्रमाणित बीज की कुल 4.79 लाख क्विं. मांग के विरूद्ध 4.72 लाख क्विं. बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी जिसमें प्रमुखता से कृषकों की मांग अनुसार स्वर्णा, स्वर्णा सब-1, महामाया, एमटीयु 1001, एमटीयु 1010, विक्रम टीसीआर, एमटीयु 1156 इत्यादि किस्मों के प्रमाणित बीज की पर्याप्त उपलब्ता सुनिश्चित की गई है। सहकारी समितियों में 4.54 लाख क्विंटल का भंडारण किया गया है । जिसमें से अद्यतन

जानकारी अनुसार 3.73 लाख क्विंटल का वितरण हुआ है । लगभग 1 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज अभी भी प्रदेश के सहकारी समितियों में शेष है । इसके अलावा बीज निगम के प्रक्रिया केंद्रों में धान के 17872 क्विंटल प्रमाणित बीजों की अभी भी उपलब्धता है । इस प्रकार खरीफ 2026 हेतु मांग अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है । प्रदेश में डीएपी के निर्धारित लक्ष्य 3 लाख मे. टन के विरूद्ध सर्वविदित विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के उपरांत भी 56 प्रतिशत अर्थात् 1.67 लाख मे.टन तथा 99 प्रतिशत पोटाश का भंडारण किया जा चुका है । यह सही है कि बोआई तथा रोपाई में फास्फेटिक तथा पोटेशिक उर्वरकों की आवश्यकता अधिक होती है किन्तु यह कहना सही नहीं है कि इनकी आपूर्ति केवल डीएपी तथा पोटाश के माध्यम से ही की जा सकती है । इनकी प्रदायगी हेतु विभिन्न वैकल्पिक स्रोत जैसे एनपीके के विभिन्न ग्रेड, सिंगल सुपर फास्फेट एवं उर्वरकों के अन्य मिश्रण भी हैं । सहकारी समितियों में एनपीके उर्वरकों का 95 प्रतिशत एवं सिंगल सुपर फास्फेट का 146 प्रतिशत भंडारण कराया जा चुका है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत् वर्ष की तुलना में डीएपी 3951 मे.टन, एनपीके 10317 मे.टन, एसएसपी 1387 मे.टन एवं पोटाश का 2201 मे.टन अधिक भंडारण कराया जा चुका है । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मृदा में उपलब्ध तथा स्थिर फॉस्फोरस एवं पोटाश को सूक्ष्म जीवियों के माध्यम से उपलब्ध कराने संबंधी वैज्ञानिक अनुशंसा को प्रचार-प्रसार के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है । नैनो उर्वरकों के उपयोग की वैज्ञानिक अनुशंसा है । इसके उपयोग हेतु कृषकों को बाध्य नहीं किया जा रहा है अपितु यह पूर्णत: वैकल्पिक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उर्वरक आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मेरे स्वयं के द्वारा माननीय केंद्रीय मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से निरंतर समन्वय किया जा रहा है।कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से निरंतर संपर्क में रहे हैं । इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में उर्वरक आपूर्ति में निरंतर वृद्धि हुई तथा गत् वर्ष की तुलना में इस अवधि में लगभग 96 हजार मे.टन अधिक उर्वरकों का भंडारण हुआ । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो है 96 हजार मे.टन अधिक उर्वरक का भंडारण हुआ है । यह कहना सही नहीं है कि कृषि ऋण प्राप्ति हेतु एग्रीस्टैक पंजीयन की अनिवार्यता है। एग्रीस्टैक में पंजीयन का उद्देश्य मात्र फसलवार वास्तविक क्षेत्र ज्ञात करने का ही है । सिंचाई हेतु बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है । ऐसे क्षेत्र जिनमें डीजल पंप की सहायता से सिंचाई की जाती है, उनमें भी कृषकों को सहायता देने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा कृषकों को उनकी मांग अनुसार डीजल उपलब्ध कराने के आशय के निर्देश जारी किए जा चुके हैं । चूंकि सहकारी समितियों का नियंत्रण निजी क्षेत्र के व्यापारियों पर नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में कबीरधाम, मुंगेली एवं बेमेतरा में सोसाइटी प्रबंधकों द्वारा निजी व्यापारियों के माध्यम से अमानक

उर्वरक विक्रय कराये जाने संबंधी कथन भी स्वत: ही निरस्त हो जाता है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस वर्ष उर्वरकों के 2898 नमूने अभी तक लिये जा चुके हैं जिनमें से 1747 नमूने विश्लेषित भी किये जा चुके हैं तथा अमानक पाये गये सभी 94 नमूनों से संबंधित उर्वरक स्कंध का विक्रय प्रतिबंधित किया जा चुका है। हमने इतने लोगों को प्रतिबंधित भी किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंजोर विजन 2027 में राज्य की जीडीपी में कृषि क्षेत्र के वर्तमान योगदान 20 प्रतिशत को वर्ष 2047 तक कम कर 15 प्रतिशत करने को कृषि क्षेत्र के महत्व को कम करने जैसे भ्रामक उल्लेख का प्रयास किया गया है। किसी भी विकसित अर्थ व्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अन्य क्षेत्र, यथा सेवा क्षेत्र, उद्योग एवं वाणिज्यिक क्षेत्र का योगदान निरंतर बढ़ता है। वस्तुत: अंजोर विजन 2047 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के वर्तमान योगदान में भी अपेक्षित तथा पर्याप्त वृद्धि अनुमानित है।

राज्य शासन द्वारा कृषकों को फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरक उपलब्ध कराने हर वैकल्पिक प्रयास को बढ़ावा दिया है ताकि कृषकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। कम वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषकों हेतु निरन्तर सामयिक कृषि सलाह जारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिलेवार आकस्मिक कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। उर्वरक, बीज पदाय तथा सिंचाई सुविधा में सुलभता के दृष्टिगत शासन द्वारा किये गये प्रयासों से किसानों में राज्य शासन के प्रति विश्वास और बढ़ा है। चूंकि स्थगन प्रस्ताव में उल्लेखित समस्त बिन्दुओं पर शासन पूर्व से ही कार्यवाही कर रहा है अत: स्थगन प्रस्ताव अग्राहय किये जाने योग्य है। अत: मैं समझता हूँ कि यह स्थगन प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए कहा था कि इसमें चर्चा करा लें। माननीय मंत्री जी ने खुद ही स्वीकार किया है कि इसमें 56 प्रतिशत डीएपी है, उनके लिखित वक्तव्य में है। यह सीजन डीएपी का है आपके पास उसकी उपलब्धता नहीं है। दूसरी बात यह है कि वैकल्पिक व्यवस्था एनटीके है 10-10, 26 है, 13-13, 20 है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन में उत्तर आने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसान विरोधी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर व्यवस्था दे दी है। अब इसके बाद कोई विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले उन्होंने क्या कहा है ? उसके पहले जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय
12.33 बजे

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए गर्भगृह में आएं)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

समय :-
12:35 बजे

गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित हो गये हैं :-

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1. डॉ. चरणदास महंत
2 श्री भूपेश बघेल
3. श्री कवासी लखमा
4 श्रीमती अनिला भेंडिया
5. श्री उमेश पटेल
6. श्री लखेश्वर बघेल
7. श्री दलेश्वर साहू
8. श्री भोलाराम साहू
9. श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े
10. श्री दिलीप लहरिया
11. श्री रामकुमार यादव
12. श्री द्वारिकाधीश यादव
13. श्रीमती अंबिका मरकाम

14. श्रीमती संगीता सिन्हा
15. श्री कुंवर सिंह निषाद
16. श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा
17. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
18. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
19. श्री विक्रम मण्डावी
20. श्रीमती विद्यावती सिदार
21. श्री फूल सिंह राठिया
22. श्री अटल श्रीवास्तव
23. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
24. श्री ब्यास कश्यप
25. श्री बालेश्वर साहू
26. श्रीमती शेषराज हरवंश
27. श्रीमती चातुरी नंद
28. श्रीमती कविता प्राण लहरे
29. श्री संदीप साहू
30. श्री इन्द्र साव
31. श्री जनक ध्रुव
32. श्री ओंकार साहू
33. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

<u>गोंडवाना गणतंत्र पार्टी</u>

1. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं ध्यानाकर्षण की सूचनाएं लूंगा । श्री अजय चन्द्राकर ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :-

12:38 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश में पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण संवर्धन में लापरवाही की जाना.

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद), (श्री धर्मजीत सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक धरोहर राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। सिरपुर, भोरमदेव मंदिर, राजिम मंदिर तथा बारसूर मंदिर जैसे धरोहर प्राचीन स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं। इन स्थलों से प्राप्त मूर्तियां, अभिलेख एवं अवशेष छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, किन्तु न रिकार्ड दूरूस्त है और न ही उनसे जुड़ी वस्तुओं का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। महंत घासीदास संग्रहालय जिसकी स्थापना सन् 1875 में रायपुर में की गई थी। भारत में निजी सहयोग से स्थापित होने वाला पहला संग्रहालय है। जहां सिरपुर की खुदाई से प्राप्त 7 वीं शताब्दी की प्राचीन अवलोकितेश्वर की मूर्ति रखी गयी थी, (जिसकी कीमत करीब 19 करोड़ तक आंकी गयी है), जो लगभग 80 के दशक के दौरान महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर से चोरी गायब हो गयी थी, जिसे अमेरिका के प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करने वाले नेटवर्क के पास से अमेरिका द्वारा भारत को 2026 मे लौटाया गया। किन्तु महंत घासीदास संग्रहालय के पुरावशेष (अधिग्रहण) रजिस्ट्रर (दीमक लगने की वजह से) नष्ट हो जाने के कारण कानूनी रूप से संग्रहालय अवलोकितेश्वर सरीखी वस्तुओं पर अपना अधिकार का कोई प्रमाण पेश नहीं कर पायी। परिणाम स्वरूप मूर्ति को अभी तक छत्तीसगढ़ के संग्रहालय में वापस नहीं लाया जा सका है । इससे यह भी प्रमाणित होता है कि राज्य के धरोहर के साथ कैसी लापरवाही की जा रही है। यह भी आशंका है कि ऐसी और कितनी मूर्तियों एवं अन्य पुरातात्विक वस्तुयें गायब हो चुकी होंगी या फिर रिकार्ड नष्ट होने के कारण उसकी जानकारी ही न हो। जबकि रजिस्टर किसी भी संग्रहालय या अभिलेखागार का अहम दस्तावेज होता है। जिसमें अधिग्रहण वस्तुओं का लेखा रहता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे नया रिकार्ड दूरूस्ती का कार्य भी किया जाता है फिर भी विभाग की इतनी बड़ी चूक एक गंभीर सवाल उठाती है। वही राज्य के प्रशासन के लिये पुरातत्व विभाग महत्वहीन जैसा हो चुका है। जहां छत्तीसगढ़ की इतिहास, परंपरा के साक्ष्यों को कबाड़ की वस्तुओं की तरह फेक दी गयी है, न तो रिकार्ड दूरूस्ती है, न ही रख-रखाव है और न ही आज तक एक अभिलेखागार बना पायें हैं, जहां संरक्षण-संवर्धन कर रखा जा सके। सिरपुर जो छत्तीसगढ़ के लिये पुरातत्व विभाग की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहां आज तक संग्रहालय नहीं बना पायें हैं। राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण-सवंर्धन की नाकामी के कारण जनता में प्रशासन के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

समय

12.42 बजे **निलंबन समाप्ति की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम 1 के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं।

ध्यान आकर्षण सूचना (क्रमश:)

संस्कृति मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना उचित है कि छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक धरोहर राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। सिरपुर, भोरमदेव मंदिर, राजिम मंदिर तथा बारसूर मंदिर जैसे धरोहर प्राचीन स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उपब्धियां है। इन स्थलों से प्राप्त मूर्तियां, अभिलेख एवं अवशेष छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन मे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि राज्य में ऐसे धरोहर की संरक्षण-संवर्धन एक बड़ी चुनौती है, ना रिकार्ड दुरूस्त है और ना ही उनसे जुड़ी वस्तुओं का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। अपितु वस्तुस्थिति यह है कि राज्य शासन द्वारा 63 राज्य संरक्षित स्मारक/स्थलों, 04 अधीनस्थ संग्रहालयों एवं 06 जिला पुरातत्वीय संघ संग्रहालयों के संरक्षण, संवर्धन तथा विकास हेतु प्रतिवर्ष स्वीकृत बजट एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सतत् कार्यवाही की जा रही है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर राज्य का एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक संग्रहालय है, जिसमें प्रदर्शित पुरावशेषों/कलावस्तुओं का दस्तावेजीकरण कर प्रकाशित किया गया है। इस संग्रहालय का अवलोकन सुगम बनाने के लिए वर्चुअल टूर भी तैयार कर वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है। राज्य संरक्षित स्मारकों, स्थलों के ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय महत्त्व पर भी विभागीय प्रकाशन उपलब्ध हैं।

यह कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि 7 वीं शताब्दी की प्राचीन अवलोकितेश्वर की मूर्ति जो 80 दशक के दौरान महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर से चोरी या गायब हो गयी थी और हाल ही में अमेरिका के प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करने वाले नेटवर्क के पास से अमेरिका द्वारा भारत को 2026 मे लौटाया गया। अपितु वास्तविकता यह है कि यह प्राचीन प्रतिमा दिनांक 15.04.1967 को चोरी हुई थी। विभिन्न माध्यमों से उक्त प्रतिमा को अमेरिका से भारत लाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। किन्तु प्रतिमा की वापसी के सम्बन्ध में अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं आई है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं की सूचनाओं के आधार पर उक्त प्रतिमा को छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपने आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन की ओर से दिनांक 18.05.2026 को भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। इसी तारतम्य में

महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली को पत्र दिनांक 10.07.2026 के माध्यम से उक्त प्रतिमा के पहचान से सम्बन्धित उपलब्ध दस्तावेज प्रेषित कर प्रतिमा के भारत वापसी की आधिकारिक पुष्टि सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार अवलोकितेश्वर मूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु लगातार भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से पत्राचार की जा रही है। भारत सरकार से आधिकारिक पुष्टि होने पर राज्य शासन द्वारा प्रतिमा के अवाप्ति संख्या, विभागीय प्रकाशन में दर्ज विवरण और छायाचित्र तथा अन्य प्रकाशित सन्दर्भों के आधार पर अधिकार का प्रमाण पेश कर संग्रहालय में वापस लाने आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अतः छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ घोर अपमानजनक स्थिति और राज्य के धरोहरों के साथ लापरवाही की बात निराधार है।

यह कहना सही नहीं है कि महंत घासीदास संग्रहालय के पुरावशेष (अधिग्रहण) रजिस्टर दीमक लगने की वजह से नष्ट हो जाने के कारण संग्रहालय अवलोकितेश्वर सरीखी वस्तुओं पर अपना अधिकार का कोई प्रमाण पेश नहीं कर पायी है, अपितु स्थिति यह है कि महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर के पुरावशेष (अधिग्रहण) पंजी की द्वितीय प्रति पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय भोपाल से लाई गई है तथा विभागीय प्रकाशन में भी उक्त मूर्ति पर दावा करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है तथापि पुरावशेष (अधिग्रहण) रजिस्टर दीमक लगने की वजह से नष्ट हो जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को कर्त्तव्य में लापरवाही के लिए कारण बताओ सूचना पत्र देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिस पर अभी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

यह कहना सही नहीं है कि राज्य के प्रशासन के लिये पुरातत्व विभाग महत्वहीन जैसा हो चुका है जहां छत्तीसगढ़ की इतिहास, परंपरा के साक्ष्यों को कबाड़ की वस्तुएं की तरह फेंक दी गयी हैं, न तो रिकॉर्ड दुरूस्ती है, न ही रख-रखाव है और न ही आज तक एक अभिलेखागार बना पायें है, जहां संरक्षण-संवर्धन कर रखी जा सके। बल्कि वास्तविकता यह है कि राज्य शासन द्वारा ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है और अभी तक 12,32,450 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है। नवा रायपुर में राशि रु. 12.91 करोड़ की लागत से अभिलेखागार भवन का निर्माण प्रस्तावित है।

वर्ष 1958 में सिरपुर उत्खनन से मिले 02 बौद्ध विहार राज्य शासन द्वारा संरक्षित हैं। वर्ष 2004 से 2011 तक हुए उत्खनन से मिले मंदिर, विहार, प्राचीन व्यापारिक केंद्र के भग्नावशेष तथा हजारों की संख्या में महत्वपूर्ण पुरावस्तुएँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के आधिपत्य में हैं। इसलिए सिरपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन उपलब्ध भूमि पर सर्वसुविधायुक्त संग्रहालय के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने महानिदेशक को पत्र दिनांक 10.07.2026 प्रेषित किया गया है, जिससे सिरपुर के स्मारकों और पुरावशेषों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित किया जा सके।

अतः यह कहना सही नहीं है कि राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण-संवर्धन की नाकामी से प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है, बल्कि राज्य शासन प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण-संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रहा है तथा भावी पीढ़ियों के लिए उनके सुरक्षित संरक्षण हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे विषय में आपने ध्यानाकर्षण स्वीकृत किया। मैं नहीं सोचता कि 20 साल में कभी पुरातत्व में ध्यानाकर्षण आया होगा। छत्तीसगढ़ के लिए पुरातत्व संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते और उसमें किस तरह से कार्रवाई हो रही है, मैं आदरणीय मंत्री जी को बिल्कुल भी दोष उसमें नहीं देना चाहता, पर एक छोटा सा प्रमाण आपको इस उत्तर में बताऊंगा। ध्यानाकर्षण लगाने की अंतिम तिथि इसी महीने की 7 तारीख थी । माननीय सभापति महोदय, आप उत्तर पढ़िए, दो उत्तर दिए गए हैं, इसमें दोनों में दिनांक 10/07/2026 है। ध्यानाकर्षण लगने के बाद पत्र लिखा गया। आप उत्तर में देख लीजिए ।

श्री राजेश अग्रवाल :- पहले 18/05/2026 को है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं। आप एक दूसरे विषय में भेजे हो। अभी आएंगे न? माननीय मंत्री जी, आप खड़े मत होइए। बैठिए, बैठिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली को दिनांक 10/07/2026 के माध्यम से एक उल्लेख है। एक उल्लेख है संग्रहालय के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए महानिदेशक को दिनांक 10/07/2026 को प्रेषित किया गया है। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से सिर्फ अभी एक साइट है, जिमसें खुदाई चल रही है, सिर्फ एक साइट। खैर, अब मैं प्रश्न कर लेता हूं। माननीय मंत्री जी, आप यह बताइए कि पुरा अवशेष को संरक्षित और उनकी गिनती करने के लिए हमारे पास कितने रजिस्टर हैं? उसको कब-कब, कितने दिन के अंदर सत्यापित करना होता है और कितने रजिस्टर कब दीमक लगने से नष्ट हुए हैं?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- चन्द्राकर जी, आप मंत्री जी का इंतज़ार कर रहे हैं, यदि आपके पास उत्तर है तो आप ही बता दीजिये या तो उस व्यक्ति का नाम बता दीजिये, जिसने आपको यह सब जानकारी दी है। वह वहीं से दे देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- जानकारी नहीं दी है, तो यह सार्वजनिक जानकारी है। समाचार पत्र से लेकर सभी जगह का उपलब्ध है। मैं इस विभाग में जासूसी नहीं करता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- चन्द्राकर जी, आप बहुत ही विद्वान सदस्य हैं। आपको पता होगा कि संग्रहालय का क्या हालत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप भी इसमें प्रश्न करें।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं उसमें शामिल हो रहा हूं, इसलिए मैं आ गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी, जी। आप स्वागत होगा।

डॉ. चरणदास महंत :- मैंने आपका ध्यान रखा है, लेकिन आप मेरा ध्यान नहीं रखते हैं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप अपना जवाब दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आगे बढ़ें या अभी आप उत्तर दे रहे हैं?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, छः आपत्तियां पंजी हैं। एक प्रवेश पंजी और एक गैर-पुरा अवशेष पंजी है, जिनकी समय-समय पर जांच होती है, लेकिन वास्तव में दीमक लगने से नष्ट होने के बाद द्वितीय प्रति अभी भोपाल से दोबारा मंगाई गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, नियमत: इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस प्रदेश को आप यह बताइए कि उस रजिस्टर में कितने पुरातत्व महत्व की कितनी चीजें संग्रहीत हैं? छत्तीसगढ़ में 200, 400, 500, कितनी चीजें संग्रहीत हैं, कितने रजिस्टर सुरक्षित हैं और कितने रजिस्टर दीमक लगने से नष्ट हुए हैं? यदि दीमक लगने से नष्ट हुए हैं तो वहां बहुत सारी चीजें नष्ट होंगी। संग्रहालय में यदि दीमक का प्राथमिक सुरक्षा और उपचार की चीजें नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारे दस्तावेजों में दीमक लगा होगा। क्या आपने किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की है? क्या आपने किसी को जिम्मेदार ठहराया है, कोई कार्रवाई की है?

श्री राजेश अग्रवाल :- जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको शो-कॉज नोटिस दिया गया है और ये जो 5-6 भी रजिस्टर थे, वे भोपाल से वापस लाए जा चुके हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं असली चीज पूछ लेता हूं। नेता-प्रतिपक्ष जी, मैं आपको बता देता हूं। जो प्रतिमा चोरी हुई थी, उसे द्रोणादित्य ने 7वीं शताब्दी में बनाया था। इसमें इसका उल्लेख है। अब यह सोच लीजिए कि यह गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ की मूर्तिकला 7वीं शताब्दी में कितनी अद्भुत और विकसित रही होगी, जिसकी कीमत अभी 20 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। आपको कलाकार का नाम भी बता देता हूं, उसमें द्रोणादित्य का नाम अंकित है। आप उसको वापस लाने के लिए, आपके पास प्रमाण आ गया, भोपाल से आप फोटोकॉपी ले आए, तो उस मूर्ति को वापस लाने के लिए आप क्या-क्या कार्रवाई कर रहे हैं या आपके प्रयत्नों से छत्तीसगढ़ को कब तक मिल जाएगी?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जैसे ही समाचार पत्रों से मुझको जानकारी मिली कि वह मूर्ति अमेरिका से भारत सरकार को सौंपी जा रही है, तब मैंने स्वयं केंद्रीय मंत्री जी को दिनांक 18.05.2026 को पत्र लिखा है कि जैसे ही वह मूर्ति अमेरिका से भारत सरकार को मिले, वैसे ही वह छत्तीसगढ़ को सौंप दें। उसके बाद से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिली है कि वह मूर्ति अमेरिका से वापस आई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई दे देता हूं। लेकिन वह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यह आप जान लीजिए। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न कर लेता हूं। आपने 12,32,000 पृष्ठों का दस्तावेजीकरण, अभिलेखागार का डिजिटलीकरण कर लिया है। आप यह बताइए कि आपको अभिलेखागार के लिए कब जमीन मिली है? आप अभिलेखागार कब तक बना लेंगे? अभी तो लिखा है कि आपको 1291 अभिलेखागार प्रस्तावित हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? एक मिनट, आप सुन लीजिए। भवन जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वह आप समझ लीजिए। आप संस्कृति मंत्री हैं, आप कार्रवाई करेंगे तो प्रदेश का फायदा होगा। 25 साल से दस्तावेज सार्वजनिक नहीं होने से, अभिलेखागार नहीं मिलने से आपने पेपर पूरे मध्यप्रदेश से, सी.पी.बरार से, नागपुर से, आये हैं कि नहीं आये हैं, उसके बगैर छत्तीसगढ़ में 25 सालों से कोई शोध कार्य नहीं हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में कोई लिखा-पढ़ी नहीं हो रही है । आपके अभिलेखागार कहां पर हैं, कोई नहीं जानता है । माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस सदन में है, आप "प्रस्तावित है" शब्द की जगह में एक साल, दो साल, तीन साल, किसी भी समय आप इतने दिन में अभिलेखागार बना लेंगे और छत्तीसगढ़ में अध्ययन के लिये लोगों को प्रस्तुत हो जायेंगे । माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे उसको जानना है, मैं कैसे जानूँ ? डॉ.रमन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसको कैसे जानूँ ? मैं शोधार्थी हूँ, बताईये कैसे जानूँगा उसको, उसकी क्या प्रक्रिया है? मैं आपके प्रदेश में आफिस-आफिस घूमूँगा तो कब तक आप बनायेंगे इसकी अवधि बता सकते हैं क्या, यह बताईये ? आप बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ ? बात रिकार्ड में आ गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुन लिया है ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य द्वारा यह पूछा जा रहा है कि कब बनेगा तो उसका पूरा प्राक्कलन बनकर पी.डब्लू.डी. के पुरखौती मुक्तांगन में जमीन उपलब्ध है, निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग को एजेंसी बनाया गया है । लोक निर्माण विभाग के पास फाइनल चला गया है और बहुत जल्दी ही...।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं यह 10 सालों से सुन रहा हूँ ।

श्री राजेश अग्रवाल :- उस समय तो आप थे ? (हंसी) मैं अभी का बता रहा हूँ। और सुन लीजिए कि जो 12 लाख...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस सदन में है ।

सभापति महोदय :- अजय जी, माननीय मंत्री जी की पूरी बात सुन लें । वह बोल रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अवधि नहीं बता पा रहे हैं तो रहने दीजिए । मेरी बात रिकार्ड में आ गई है ।

श्री राजेश अग्रवाल :- कार्यवाही पूर्ण होकर पी.डब्लू.डी. के पास चला गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसको 10 साल से सुन रहा हूँ ।

डॉ.चरणदास महंत :- माननीय चन्द्राकर जी, आप मुझे बार-बार याद कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको दूसरी चीज के लिये बोला । आपसे आग्रह है आप बैठिये । मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ ।

डॉ.चरणदास महंत :- अच्छा, मुझे ही बतायेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हॉं । अब आपने पुरखौती मुक्तांगन से जमीन दे दी है, पुरखौती मुक्तांगन से आपने आदिवासी संग्रहालय के लिये जमीन दे दी है, पुरखौती मुक्तांगन से आपने ट्रिपल आई.आई.टी. के लिये जमीन दे दी है, जब पुरखौती मुक्तांगन बनाने की परिकल्पना की गई थी तो भारत के सबसे बड़े खुला मानव संग्रहालय बनाने की परिकल्पना थी । आप उसकी सारी जमीन दूसरों को दे रहे हैं, पुरखौती मुक्तांगन में क्या खुला मानव संग्रहालय 5-10 एकड़ में बन जायेगा, हमको बनाने के लिये दूसरी जगह नहीं मिली है, उसको निरस्त करके बल्कि और जगह दीजिए । इसका थोड़ा महत्व समझिये, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ का अध्ययन होगा । ऐसे विषय बहुत कम आते हैं । पुरखौती मुक्तांगन की जमीन कई संस्थानों को दे दीजिए, अब वह कैसे बनेगा, क्या बनेगा, यह कोई नहीं जानता । जब ट्रिपल आई.टी. को दी गई तो यह कहा गया कि हम आपको पीछे जमीन देंगे । आपको अभी तक जमीन नहीं दी गई है । मैं अब आपसे दूसरा प्रश्न कर लेता हूँ । आपने उत्तर में दिया है, सिरपुर की बहुत सारी चीजें भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में है । हम इतने समृद्ध राज्य हैं, हम अपनी प्रापर्टी भारतीय पुरातत्व को क्यों देंगे ? उसके विषय में कौन जानेगा ? आप सिरपुर का संग्रहालय क्यों नहीं बना रहे हैं और बना रहे हैं तो कब तक बन सकता है ? सिरपुर की कितनी सामग्री है, जो भारतीय पुरातत्व में है, आपके पास क्या उसका रिकार्ड है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पूर्व में 12 लाख 32 हजार 450 पृष्ठ वाला वाला क्वेश्चन किया था, मध्यप्रदेश में डिजिटिलाईजेशन का काम चल रहा है, वहां से छत्तीसगढ़ का जो पूरा रिकार्ड है, वह एक महीने के अंदर यहां उपलब्ध हो जायेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मेरी बात सुनो । आप हमारे सम्माननीय मंत्री हो, आप समय की घोषणा मत करो । एक सप्ताह में आप राम भगवान लगाने वाले थे। पिछले बार बजट सत्र में आपने कहा था कि एक सप्ताह में चंदखुरी के राम मंदिर में प्रभु राम लग जायेंगे ।

श्री राजेश अग्रवाल :- मूर्ति आ जायेगी कहा था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसलिये वही अवधि बतायें जो कर सकते हैं कि इतने दिनों में मैं कर लूँगा । आपने इसी सदन में कहा था और आपने मूर्ति नहीं लगाया है । आपने इसी सदन में कहा था कि एक हफ्ते में मूर्ति बदल जायेगी, अत: अवधि वह बताईये कि जितने दिन में आयेगा, डिजिटिलाईजेशन के बारे में मुझको आप दो साल से बता रहे हैं, उसके बाद आपने एक महीने बोल दिया

तो कृपा करके उतनी अवधि बतायें जितने में आप ला सकते हो । आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आप मस्त मेहनत कर रहे हो । जब भी लायें, उसको छोड़ दीजिए । आपकी कितनी संपत्ति पुरातत्व महत्व की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है? आपके पास सिरपुर का रिकॉर्ड है या नहीं है? मैं केवल सिरपुर का पूछ रहा हूं। सिरपुर का संग्रहालय बनाने के लिए आप क्या कार्रवाई कब तक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यह बता दीजिए। यह भी हरि अनंत-हरि कथा अनंता हो गया है।

समय :
1.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, उत्खनन की अनुज्ञप्ति इसी शर्त पर मिली थी कि पुरावशेष स्मारक ए.एस.आई. को सौंपा जाएगा। उत्खनन से लगभग 3500 पुरावशेष मिले हैं। सिरपुर का संग्रहालय, सिरपुर के 2 स्मारक, आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार राज्य शासन के द्वारा संरक्षित हैं। शेष स्मारक स्थल एवं वर्ष 1999 से 2011 तक हुए उत्खनन से प्राप्त स्मारक एवं पुरावशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार के अधीन हैं। सिरपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन उपलब्ध भूमि पर संग्रहालय निर्माण के लिए भारत सरकार के महानिदेशक को पत्र भेजा गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपके सब प्रयत्न सही हैं। न छत्तीसगढ़ का अभिलेखागार है, न छत्तीसगढ़ के दस्तावेज मिल रहे हैं और सिरपुर में संग्रहालय कब बनेगा, वह अभी तक पत्राचार में है। तो यह गोबर सहेजने वाले लोग गोबर-गोबर करके छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया का इतना नारा लगाते थे, लेकिन इन्होंने पूरा गुड़-गोबर कर दिया। अब हम तो उसको कुछ ठीक करें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- हमने गुड़-गोबर नहीं किया, गोबर पोत दिया। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। मैं ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा क्योंकि यह बड़ा टेक्निकल विषय है, एक और दूसरा इसमें गंभीरता नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप बैठ जाते तो ज्यादा कृपा होती, समय बच जाता।

श्री अजय चंद्राकर :- आप तो अभी प्रश्न पूछेंगे, मैंने तो आपको हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह किया है और मैं तो चाहता हूं कि सदन के प्रत्येक सदस्य, जो अपने आपको नारा में बोलते हैं कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं करके, उससने मूल रूप से छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं किया है। नारा लगाने की बात भर करते हैं। छत्तीसगढ़ की असली चीजें जो दुनिया के सामने आएंगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं यह कह रहा हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- आप हमें समय दीजिए। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि आपकी ओर से कोई व्यवस्था आ जाए कि संग्रहालय निर्माण के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लें और अवधि

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

तय हो। अभिलेखागार को बनाने के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी तय हो जो मध्य प्रदेश में बैठे, लाए और सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, जहां-जहां हम थे, वहां से हमारा रिकॉर्ड मिलेगा। सीपी एंड बरार में भी हमारा रिकॉर्ड मिल सकता है। जहां भी मिल सकता है, वहां से रिकॉर्ड लाये, दो। तीसरी बात, जो अभिलेखागार का विषय है, उसके लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी लगे। अभिलेखागार में छत्तीसगढ़ के बारे में शोध हो। जो शोधार्थी हैं, कोर्स बुक बनाने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उनके लिए वहां ड्राफ्ट मौजूद दिखे और चौथी बात है कि यह छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 20 करोड़ रूपये से ज्यादा है। उसको लाने के लिए गंभीर कोशिश की जाये। इसके लिए कोई व्यवस्था या कोई निर्देश आपकी ओर से आ जाये, हम लोग भी मदद करेंगे जो हो सकता है। विधान सभा से केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित करना है तो कर लेंगे। वह चिट्ठी लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे, पुरखौती मुक्तांगन की जितनी जमीन दूसरों को दी गई है, उतनी जमीन पुरखौती मुक्तांगन को वापस की जाए, वहां पर जमीन है और जो कल्पना की गई थी कि उसको विश्व का सबसे बड़ा खुला मानव संग्रहालय बनाएंगे, उसके लिए छेड़छाड़ न की जाये। वहां की जमीन में आरोप लगाने की बजाय आप यह व्यवस्था दे दीजिए तो इससे छत्तीसगढ़ का बड़ा कल्याण होगा।

सभापति महोदय :- अजय जी, आपका ध्यानाकर्षण आ गया है। माननीय मंत्री जी भी गंभीर हैं और मुख्यमंत्री जी भी पूरी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं। वह समय अनुसार इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय चंद्राकर जी बार-बार यह बता रहे हैं कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और इस मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति ने माननीय पर्यटन मंत्री की बोलती बंद कर दी है। क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री जी से उनको इजाजत नहीं मिलेगी, तब तक वह जवाब कहां से देंगे? कुछ प्रश्न जो माननीय ने जानबूझकर छोड़ दिया या भूल गये, मैं नहीं जानता। माननीय मंत्री जी, क्या मैं आपके विधान सभा का प्रश्न पूछ सकता हूं? आदरणीय सभापति जी।

सभापति महोदय :- इस ध्यानाकर्षण में धर्मजीत जी भी हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- आप पहले उनको इजाजत दे दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- आप पूछ लीजिए, लेकिन इसी में पूछिये। उनके विधान सभा का तो उद्भूत नहीं होगा।

डॉ. चरणदास महंत :- क्यों?

श्री अजय चन्द्राकर :- अब आप अभी रामगढ़ का पूछेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसी ध्यानाकर्षण में पूछिये।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं इसी ध्यानाकर्षण में पूछ रहा हूं कि माननीय ने पुरातत्वीय वस्तुओं के संरक्षण, संवर्धन की बात कही है कि लापरवाही हो रही है। मैं इसी में पूछना चाहता हूं कि रामगढ़ में एक नाट्यशाला है, वह भी पुरातत्वीय है। महाराज इधर देखिये न, लज्जित मत होईये। मेरी तरफ देखिये। रामगढ़ नाट्यशाला जहां कालीदास जी ने मेघदूतम की रचना की। वह बहुत बड़ी नाट्यशाला है, पुरातत्व के महत्व का है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कामपीड़ित यक्ष ने अपनी यक्षिणी को वहीं से यक्षपुरी के लिये संदेश भेजा। अलकापुरी में रहती थी।

डॉ. चरणदास महंत :- आप कैसे भूल गये ? चन्द्राकर जी जिसको भूल गये हैं, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूं कि ये आप अपने क्षेत्र का संरक्षित रख पाये है कि वह भी किसी के दान में चला गया है, इतना बता दें।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो पूछा है, हालांकि उद्भूत होता है या नहीं होता है, मैं नहीं जानता।

डॉ. चरणदास महंत :- उद्भूत कैसे नहीं होगा ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वह पूरी तरह सुरक्षित है और बहुत सौभाग्य की बात है कि 15 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां गये थे और ऊपर तक जिसको हमारे सीताबेंगरा कहते हैं, वहां स्वयं मुख्यमंत्री जी भी देखकर आये हैं। वह पूरी तरह सुरक्षित है और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में लगातार, अभी 25 साल हो गये, अभी तक वहां से कागज नहीं मंगाया गया था, लेकिन 12 लाख 32 हजार डिजिटलाइजेशन हो गया है, 15 दिन के अंदर कंपलीट हो जायेगा। इसके अलावा ये जो अभिलेखागार का काम है, ये पेन्डिंग था, इसका पूरा प्राक्कलन बन गया है। ये आपके प्रश्न में नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- उनके प्रश्न का भी जवाब दीजिए और आपने मेरे प्रश्न का भी जवाब दिया।

श्री राजेश अग्रवाल :- तो उसकी भी तैयारी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में सारे काम बहुत शीघ्र पूरे होंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, पूरी तरीके से सुरक्षित है तो बार-बार जो पेपर में आ रहा है कि फट गई है, रामगढ़ में ब्लास्टिंग हो गई है तो हम लोगों को चिंता है कि सचमुच में ब्लास्टिंग हो गई है या नहीं हो गई है। जब आप उत्तर दे रहे हैं तो उसी का उत्तर उसको दे दीजिए। अमेरिका से जो मूर्ति आनी है, उसके लिये 10-15 लोगों की यहां से कमेटी बनाकर चलते हैं, उठाकर ले आयेंगे। हम सब विधायक लोग चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी अनुमति ले लीजिए।

श्री राजेश अग्रवाल :- अभी तक पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि वह मूर्ति अमेरिका से वापिस आ गई है।

डॉ. चरणदास महंत :- इसीलिये तो बोल रहा हूं कि अमेरिका चलते हैं, हम लोग धीरे-धीरे ले आयेंगे।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, आप पूछ लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, चन्द्राकर जी और आदरणीय महंत जी ने तो बहुत ही विस्तृत रूप में बात कह दी है। मैं ज्यादा नहीं पूछते हुए माननीय मंत्री जी इसमें भोरमदेव का भी जिक्र है और मल्हार का जिक्र नहीं है, ताला का भी जिक्र नहीं है। लेकिन यहां सब पुरातात्विक महत्व की मूर्तियां और वो स्थल है। बिलासपुर में जब मैं विधायक नहीं था, तब से टाउन हाल में देख रहा हूं कि एक कमरे में पुरातत्व की मूर्तियां रखी हुई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भोरमदेव, मल्हार, ताला और बिलासपुर में पुरातत्व संग्रहालय के भवन का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है ? और यदि नहीं हुआ है तो अभी उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिये आपने क्या-क्या इंतजाम किये हैं, क्या प्रावधान हैं ? वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं ? कोई इंचार्ज है या नहीं ? इतनी बड़ी करोड़ों, अरबों रुपये की मूर्ति है और फिर रुपये से उसका मूल्यांकन तो हो ही नहीं सकता। 100 करोड़ रुपये देने के बाद भी वह मूर्ति की कीमत नहीं आंक सकते और उसकी सुरक्षा के लिये 2 चपरासी भी नहीं हैं, कोई कर्मचारी नहीं है। आप कृपा करके इन तीनों, चारों के बारे मे बता दीजिए। और अगर आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं हो तो भोरमदेव, मल्हार, ताला और बिलासपुर इन चारों के बारे में बताईये कि यहां पर पुरातत्व को संभालने के लिये, रखने के लिये संग्रहालय भवन है या नहीं और उसकी रक्षा के लिये क्या-क्या इंतजाम है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने अच्छी चिंता जाहिर की है। मल्हार, ताला में स्वयं गया था। मल्हार का जो संग्रहालय है, पहले का बना हुआ है। छोटा है। अभी हम लोगों ने केन्द्र सरकार से उसको बड़े रूप में बनाने का आग्रह किया है। और ताला के लिये हमारे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष जी मेरे को लेकर गये थे, वहां दिखाये हैं। वहां के लिये भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया है और आप जो बिलासपुर का बता रहे हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहाँ कलेक्टर से बोलकर कलेक्ट्रेट में ही या तो कोई कक्ष में या अलग से बनाकर डी.एम.एफ. मद से, सी.एस.आर. मद से वहाँ पर एक जो भी संग्रहालय उसको बनाने का मैं सदन में आश्वासन दे रहा हूँ । साथ ही साथ भोरमदेव में अभी मंदिर के लिए 150 करोड़ रूपए की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा हुई है जिसका निर्माण कार्य जारी है तो यह चारों जगह आने वाले समय में आपको अच्छा दिखेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, भोरमदेव में 140 करोड़ या जो भी हुआ है उसमें पुरातात्विक महत्व के वस्तुओं के संरक्षण के लिए प्रावधान है या नहीं है ? या खाली सड़क, बांध, खूबसूरत लाइट वगैरह के अलावा आप स्पेसिफिक बताईये और दूसरा, आप यह भी बताईये कि अभी भोरमदेव भी गए हैं या नहीं ?

श्री राजेश अग्रवाल :- भोरमदेव गये हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यदि नहीं गये हैं तो मेरे कहने से आप जायेंगे या नहीं, यह भी बताइए ?

श्री राजेश अग्रवाल :- मैं भोरमदेव गया हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी, आप मंत्री बनने के बाद गये हैं या नहीं ? आप सबसे प्यारे मंत्री हैं, जब बोलते हैं तो पीलू मोदी की याद आती है । (हंसी) माय डियर मंत्री हो, आप पर कोई शंका नहीं है लेकिन थोड़ा बस यह बताईये...।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, एक तुमान नाम की जगह है । इनके साथ-साथ तुमान भी है । इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसी में एक तुमान का भी नाम जोड़ दीजिये । जो पाली के पास कोरबा जिले में है, वहाँ भी पुरातत्व संरक्षण की जरूरत है । मैं कम से कम इनकी तरफ से यह तो निवेदन करूँगा कि हर पुरातत्व संग्रहालय में कम से कम ताला-कुची लगाने वाला एक-एक आदमी, दो-दो आदमी की पूर्ति कर दीजिये ताकि वहां जो रखे गये हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, उसमें एक चैतुरगढ़ को भी जोड़िए ।

डॉ. चरणदास महंत :- चैतुरगढ़ को भी जोड़ दीजिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चैतुरगढ़ मंदिर जरूरी है, वहां पहुंचना इतना दुर्गम है । हजारों साल पुराना महिसासुर मर्दनी का मंदिर है ।

डॉ. चरणदास महंत :- जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप एक काम करिये कि एक दिन...।

डॉ. चरणदास महंत :- हम लोगों के साथ चलिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी से हेलीकॉप्टर मांगिए, उसी दिन चैतुरगढ़, उसी दिन भोरमदेव, उसी दिन सब पूरा ऐसा भ्रमण करके आएंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- उसमें तुमान भी जोड़ दीजिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वहां के विकास के लिये प्लान बनाईये । आप चौकीदार-चपरासी का जवाब नहीं दे पाये हैं क्योंकि आपके पास है ही नहीं ।

डॉ. चरणदास महंत :- ताला-कुची धरने वाला नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वहां पर उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम करिये और यह पुरातात्विक चीजों की सुरक्षा के लिये चौकीदार का प्रावधान करिये, कलेक्टर को बोलिये । आप लोकल लेवल में डी.एम.एफ. मद या किसी से भी करवाईये, सुरक्षा कराईये ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठों के द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, बहुत कम ऐसे विषय आते हैं। विधानसभा में ऐसे विषयों में बहस होती है इसलिये जो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- सब बोलें ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि उनको जरूर अवसर दें क्योंकि आरोप-प्रत्यारोप वाला नहीं है । इसमें जो भी निष्कर्ष आयेगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास-संस्कृति को फायदा होगा ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बैठे हैं । जितना आश्वासन देना है, अपने मन से दे दीजिये ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात है ।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, सभी लोगों ने पुरातत्व के विषय और सभी चीजों पर...।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसी विषय पर बात करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है । मैं इसी विषय पर बात करूंगा ।

सभापति महोदय :- मेरा आग्रह है कि सभी विषय महत्वपूर्ण हैं और लंबी चर्चा हो गयी है । ध्यानाकर्षण है, मंत्री जी को और सदन के ध्यान में उसकी सुरक्षा के विषय में, उसके संग्रहण के विषय में बात आ गयी है ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं । इसी विषय पर जो माननीय सदस्य ने उठाया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि यह ध्यानाकर्षण जरूर अजय चंद्राकर जी और हमारा है लेकिन यह ध्यानाकर्षण बाकी लोगों के द्वारा भी किया जाना इसलिये जरूरी है कि इसमें तो गिनती के क्षेत्रों का जिक्र है लेकिन मैं सदन के माध्यम से और आपकी अनुमति से सब महत्वपूर्ण-महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं । एक-बार पूरी बात मंत्री जी के नॉलेज में आ जाये, मंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सक्षम आदमी हैं । इनको तो एकाध दो विभाग और मिलना चाहिए, यह बहुत अच्छा काम करते हैं । मैं यह उनके आगे में भी बोला हूं और यहां बोल रहा हूं तो वह सुन भी रहे होंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- भाई धर्मजीत जी, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं, आपके प्रस्ताव को कोई नहीं सुनेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, सर । वह चैम्बर में सुन तो रहे होंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- अच्छे आदमी हैं, सक्षम नहीं हैं ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ।

डॉ. चरणदास महंत :- अच्छे आदमी हैं, मैं भी बोल रहा हूं कि अच्छे आदमी हैं लेकिन सक्षम नहीं हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नये हैं, सक्षम हैं, कोई दिक्कत नहीं है । लेकिन आप थोड़ा सुनने का...।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, वैसे ही जैसे पड़ौसी सक्षम हैं, बगल में जो बैठे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप थोड़ा सुनने का 5-10 लोगों को, सबको बोलने का अवसर दीजिये और उनको सुनने दीजिये । सभी अधिकारीगण भी बैठे हैं, मंत्री जी बहुत संवेदनशीलता से लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी यहीं पर हैं, सदन भी है, नेता प्रतिपक्ष हैं । आप अपना-अपना ध्यान आकृष्ट करवा दीजिये, आपका अधिकार है ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसी विषय पर केंद्रित बात करना चाह रहा हूं, मुझे अवसर दें ।

सभापति महोदय :- नहीं, धर्मजीत जी आपने विषय को रखा है । सभी जगह में पुरातात्विक धरोहर की बहुत सारी चीजें हैं और सभी लोग यदि अपने-अपने क्षेत्र की बातों को रखेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जायेगा । मंत्री जी हैं, अपने-अपने क्षेत्रों का जो ध्यानाकर्षण देना है, नियम और प्रक्रिया के तहत् आपका ध्यानाकर्षण है ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसी विषय से जुड़े विषय पर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ। संस्कृति विभाग या पुरातत्व विभाग में ऐसा पहली बार नहीं है कि वहां डाटा खराब हुआ है, इससे पहले वहां पर आग लगने की घटना हुई। जहां पूरा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया था। यह पहली बार नहीं है। अगर इस डेटा को रखने की बात है तो यह वर्ष 2000 के पहले की बात है। क्या वर्ष 2000 के बाद इन 26 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, विभाग ने उसका डेटा किस प्रकार रखा है ? क्या वह सुरक्षित है ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उसको रखने की क्या प्रक्रिया है ?

सभापति महोदय :- मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि...।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सब सदस्य एक-एक लाईन प्रश्न पूछ लें फिर माननीय मंत्री जी एक साथ उत्तर दे दें। तब तक उनके विभाग की तैयारी भी हो जाएगी। माननीय राजेश जी, आप सबके प्रश्न सुन लीजिए, सभी सदस्य एक-एक प्रश्न पूछ लें फिर आप एक साथ उत्तर दे दीजिएगा।

सभापति महोदय :- मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है, इसमें जिन सदस्यों को अपने सुझाव देने हैं, वह माननीय मंत्री जी को लिखित रूप में दे दीजिए। मंत्री जी उसका परीक्षण करवा लेंगे और उसके बाद जो कार्यवाही होगी, वह कार्यवाही करेंगे।

डॉ. चरण दास महंत :- तैं लिखके दे दें नहीं तो मंत्री हा भूला जही।

सभापति महोदय :- यह ध्यानाकर्षण का समय है। ध्यानाकर्षण में पर्टीक्यूलर सदस्यों के द्वारा सूचना दी जाती है, उन्हीं पर चर्चा होती है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सभी सदस्य जो ध्यानाकर्षण में प्रश्न कर रहे हैं उसमें अपने क्षेत्र का लिखित में दे दें तो मंत्री जी उसको ध्यान में रखेंगे।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह बड़ा गंभीर विषय है। अगर उस पर कोई बिन्दु है, सवाल है, आपके संरक्षण में..।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं पुरातत्व के संरक्षण विषय पर ही केन्द्रित हूँ। मैं आपको स्पष्ट कर दूं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। उसमें मेरा एक सवाल और है कि एक ऐसी घटना हुई थी। जब मुक्तांगन में टिकट का बड़ा घोटाला हुआ था, उस समय व्यक्तिगत एकाउंट में पैसा जमा कर दिया गया था और सदन में उसकी जांच कराने की मांग की गयी थी और वह जांच नहीं हुई थी। अभी आप फिर से सो-कॉज देकर...।

सभापति महोदय :- माननीय अनुज जी, यह कोई सूचना नहीं है जिसमें सब कोई जानकारी देंगे। यह उचित नहीं है। यह ध्यानाकर्षण का विषय है...।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूँ।

सभापति महोदय :- उन्होंने ध्यानाकर्षण दिया। आप अपना ध्यानाकर्षण फिर से दे दीजिएगा जब यहां आएगा तो उसमें चर्चा होगी। माननीय ब्यास कश्यप जी, अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, राजेश जी की बात सुन लेते फिर मैं अपनी बात कहूंगा। निश्चित रूप से अजय जी और धर्मजीत भईया जी ने छत्तीसगढ़ के ..।

सभापति महोदय :- आप अपना ध्यानाकर्षण पढ़िये।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपना ध्यानाकर्षण पढ़ूंगा।

सभापति महोदय :- आप अपना ध्यानाकर्षण पढ़िये। आपने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, यह है कि हमारे जिले में भी ...।

सभापति महोदय :- आप अपना ध्यानाकर्षण पढ़िये।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपना ध्यानाकर्षण पढ़ूंगा। वहां 12 वीं शताब्दी का मंदिर है, उसकी चिंता करें और जो पैसे का स्वार्थपूर्ण बंटवारा होता है, मैं यह आग्रह करूंगा कि नियोजित तरीके से जहां-जहां पुरातत्व के स्थल हैं, उसको प्लानिंग के साथ करेंगे तो उन पैसे का सदुपयोग होगा।

सभापति महोदय :- माननीय ब्यास कश्यप जी, आप अपना ध्यानाकर्षण पढ़िये।

(2) जिला चिकित्सालय जांजगीर में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में अनियमितता किया जाना.

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अब अपने ध्यानाकर्षण में आता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

परिवार नियोजन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने और प्रेरित करने के लिए छ.ग. प्रदेश के प्रत्येक ग्रामों में मितानिनों की नियुक्ति की गई है। इनके माध्यम से परिवार नियोजन के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के अनेक जन-कल्याणकारी कार्य किये जाते हैं। इन कार्यों के लिए मितानिनों को पारितोषिक या प्रोत्साहन राशि शासन के द्वारा प्रदान की जाती है। जिला चिकित्सालय जांजगीर में पदस्थ अस्पताल प्रबंधक एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने सांठ-गांठ कर मितानिनों के उक्त प्रोत्साहन राशि में अनियमितता की है। इनके द्वारा माह जनवरी 2023 से फरवरी 2026 तक प्रेरक और स्वीपरों को भुगतान की जाने वाली राशि जो कि लगभग 8 लाख 80 हजार एक सौ बयानबे रूपए है, का गबन किया गया है। इनके द्वारा जिला अस्पताल जांजगीर में नियुक्त प्लेसमेंट कर्मचारियों को वेंडर बनाकर उनके खाते में क्रमश: 8,56,900 एवं 23,292 रू. का बिल बनाकर राशि अंतरित की गई है। विगत वर्ष जिला चिकित्सालय जांजगीर में जीवनदीप समिति मद की राशि में अनियमितता की जांच की मांग की गई थी। किन्तु इसके बाद आश्चर्यजनक ढंग से सिविल सर्जन कार्यालय में आगजनी हो जाती है तथा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जला दिये जाते हैं। जीवनदीप समिति अंतर्गत बिना कोई निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए दो दर्जन से अधिक लोगों की नियुक्ति की गई है। उक्त मामलों की शिकायत पर कोई जांच/कार्यवाही नहीं की गई है। जिला चिकित्सालय जांजगीर भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के बड़े मामले सामने आने और शासन द्वारा उन्हें संरक्षण देने से क्षेत्र के मितानिनों के साथ-साथ आम जनों में भी शासन एवं प्रशासन के प्रति गंभीर रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही है कि परिवार नियोजन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने और प्रेरित करने के लिए छ.ग. प्रदेश के प्रत्येक ग्रामों में मितानिनों की नियुक्ति की गई है। इनके माध्यम से परिवार नियोजन के कार्य साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के अनेक जन-कल्याणकारी कार्य किये जाते हैं। इन कार्यों के लिए मितानिनों को पारितोषिक या प्रोत्साहन राशि शासन के द्वारा प्रदान की जाती है।

किन्तु यह कहना सही नहीं है कि जिला चिकित्सालय जांजगीर में पदस्थ अस्पताल प्रबंधक एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने सांठ-गांठ कर मितानिनों के उक्त प्रोत्साहन राशि में अनियमितता की है। इनके द्वारा माह जनवरी 2023 से फरवरी 2026 तक प्रेरक और स्वीपरों को भुगतान की जाने वाली राशि जो कि लगभग 8 लाख, 80 हजार, 192 रूपए है, का गबन किया गया है । इनके द्वारा जिला अस्पताल जांजगीर में नियुक्त प्लेसमेंट कर्मचारियों को वेंडर बनाकर उनके खाते में क्रमशः रू. 8,56,900 एवं रू. 23,292 का बिल बनाकर राशि अंतरित की गई है। अपितु सत्य यह है कि मार्च 2026 में ऑनलाईन एस.एन.ए. स्पर्श में वेण्डर वेलिडेसन में समस्या होने के कारण तथा उक्त राशि 28 मार्च, 2026 में आहरण हेतु अंतिम तिथि थी, जिसके कारण चिकित्सालय में कार्यरत 02 कर्मचारी जिनका एस.एन.ए. स्पर्श में वेलिडेसन हुआ था, के खाते में राशि आहरित की गई, जिससे की राशि व्यपगत (लेप्स) ना हो। वर्तमान में उक्त राशि जिला चिकित्सालय जांजगीर के जीवनदीप समिति के खाते में जमा है।

यह कहना सही नहीं है कि विगत वर्ष जिला चिकित्सालय जांजगीर में जीवनदीप समिति मद की राशि में अनियमितता की जांच की मांग की गई थी। यह कहना भी सही नहीं है कि इसके बाद आश्चर्यजनक ढंग से सिविल सर्जन कार्यालय में आगजनी हो जाती है तथा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जला दिए जाते हैं। अपितु सत्य है कि जिला चिकित्सालय जांजगीर में दिनांक 11.05.2025 को सिविल सर्जन कार्यालय के अतिरिक्त कक्ष में आगजनी हुई, जिसमें कोई दस्तावेज क्षतिग्रस्त नहीं हुए, जिससे की चिकित्सालय को प्रत्यक्ष रूप से हानि नहीं हुई है।

यह कहना सही नहीं है कि जीवनदीप समिति अंतर्गत बिना कोई निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए दो दर्जन से अधिक लोगों की नियुक्ति की गई है। उक्त मामलों की शिकायत पर कोई जांच/कार्यवाही नहीं की गई है, अपितु सत्य यह है कि जिला चिकित्सालय जांजगीर के जीवनदीप समिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, कलेक्टर सह अध्यक्ष जीवनदीप समिति के अनुमोदन उपरांत 07 कर्मचारियों से कार्य लिये जाने की अनुशंसा की गई।

यह कहना भी सही नहीं है कि जिला चिकित्सालय जांजगीर भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। ना ही भ्रष्टाचार के किसी भी मामले को शासन द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। क्षेत्र के मितानिनों के साथ-साथ आम जनों में भी किसी प्रकार शासन एवं प्रशासन के प्रति गंभीर रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है और स्वाभाविक बात है कि जवाब आया है तो अपने लोगों को बचाने के लिए प्रस्ताव वहीं से आते हैं और उसी को यहां पढ़ा जाता है । मेरा जो विषय है, उसमें मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि राशि लेप्स होने से बचाने के लिए तथा वेण्डर वेलिडेसन नहीं होने के कारण राशि कर्मचारियों के खाते में डाली गई। ऐसी स्थिति में राशि व्यक्तिगत खाते में न डालकर सिविल सर्जन के कार्यालयीन करेंट एकाउन्ट में भी डाला जा सकता था, किन्तु ऐसा न कर व्यक्तिगत खाते में राशि ट्रांसफर करना वित्तीय अनियमितता का स्पष्ट संकेत है, उस पर भी अस्पताल के प्लेसमेंट कर्मचारी को वेण्डर बनाना गंभीर मामला है । इस भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे क्या ? यदि हां, तो कब और समय-सीमा बताने की कृपा करेंगे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से जिस बात की ओर अवगत कराया है और उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि जो राशि है, वह व्यक्तिगत खाते में चली गयी है, परन्तु उस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि जो एस.एन.ए. स्पर्श चालू हुआ है, उसमें वेण्डर बनाना आवश्यक होता है । अगर हम कर्मचारियों को पेमेंट भी देते हैं तो उसमें वेण्डर के रूप में यूनिट मानते हैं । चूंकि वह पैसा 28 मार्च को लैप्स होना था और मार्च में ही आखिरी समय में वह पैसे आये थे इसलिए उनके खाते में ट्रांसफर किया गया और बाद में वह पैसा निकालकर जीवन दीप समिति के खाते में जमा कर दिया गया है और जो भी लाभान्वित लोग हैं, उनको देने के लिए प्रक्रिया चालू है । चूंकि अब तक भुगतान भी हो गया होता । लेकिन राशि डिस्ट्रीब्यूशन और काम के आधार पर प्राप्त हुआ है। चूंकि 3 साल का पैसा एक साथ आया था इसलिए वह अभी प्रक्रिया में है। उनको जल्द ही भुगतान कर दिया जायेगा। माननीय सदस्य को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें हमने 5 सदस्यीय जांच कमेटी भी बना दी है, जिसमें 3 अधिकारी वित्त विभाग के हैं, डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। हमने राज्य से 5 अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। जांच में कहीं भी वित्तीय अनियमितता की रिपोर्ट आती है तो हम इस पर कार्यवाही के लिए समय सीमा भी बता रहे हैं कि एक महीने के अंदर नियम सम्मत कार्यवाही भी करेंगे। हमने आपकी मांग के अनुसार प्रदेश की जांच कमेटी गठित कर दी है। मैं उसकी कॉपी भी दे दूंगा।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने इस बात को स्वीकार किया था कि जांच करायेंगे। परन्तु मेरा कुछ प्रश्न है, मुझे उन प्रश्नों की जानकारी चाहिए था। वास्तव में मितानीनों, प्रेरकों और स्वीपरों को जिस अवधि के भुगतान के लिए राशि आहरित की गई है, उन्हें उक्त अवधि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, उनको पहले ही भुगतान किया जा चुका है। फिर दोबारा उनके नाम से राशि आहरित कर निजी खाते में पैसा डालना गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस संपूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा है। इसके साथ

ही यह प्रश्न है कि जिला अस्पताल में पदस्थ अस्पताल अधीक्षक अंकित ताम्रकार के खिलाफ पूर्व में भी अनेकों शिकायतें सामने आई हैं, जिस पर मई, 2025 में उप संचालक एन.एच.एम. द्वारा जांच एवं कार्यवाही के आदेश दिए थे, किन्तु उन्हें हर बार आपके विभाग के द्वारा बचा लिया जाता है। क्या इन गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के लिए उस पर भी कार्यवाही करेंगे ? जब आपने जांच की है तो इन बिन्दुओं पर भी कृपा करके जांच शामिल करें। सभापति महोदय, आपने कहा कि जिला अस्पताल भ्रष्टाचार का गढ़ नहीं बना हुआ है तो इस वित्तीय गबन सिविल सर्जन कार्यालय में आगजनी सहित पूरे मामलें की जांच करा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, एक अंतिम विषय यह है कि वास्तव में प्रोत्साहन राशि लेप्स नहीं होता है। संभवत: आपको विभागीय अधिकारियों के द्वारा गलत जानकारी दी गई है। गलत जानकारी देकर विधान सभा को भ्रमित करने वाले अधिकारियों के ऊपर भी आप कोई कार्यवाही करेंगे क्या ? मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय देखिये, छत्तीसगढ सरकार और विधान सभा के ऊपर लोगों को बड़ा भरोसा और विश्वास है। भाई, विधान सभा में कोई प्रश्न आता है तो उस पर जवाब आयेगा और जब जवाब आयेगा तो उस पर कार्यवाही भी होगी। आपने तो घोषणा कर दी है कि मैं एक महीने में जांच कराऊंगा और जांच कराकर कार्यवाही कराऊंगा। यदि आप जांच करायेंगे और वहां वर्तमान में जिनके खिलाफ जांच होगी, अगर वह व्यक्ति वहीं रहेगा तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जांच की कार्यवाही होने तक बर्खास्त नहीं तो कम से कम उक्त कर्मचारियों को निलंबित करेंगे क्या ? मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब वे कर्मचारी वहां रहेंगे तब सही जांच नहीं हो पायेगी, उन लोग मिलीभगत करेंगे। चूंकि पूर्व में सन् 2025 में आपके विभाग के द्वारा उनकी शिकायत की जा चुकी है। फिर लगातार उस व्यक्ति के खिलाफ बार-बार शिकायतें आ रही हैं, उसके बावजूद भी उनके रहते हुए जांच कर पाना संभव नहीं होगा। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जो अस्पताल अधीक्षक है, जिसकी मनमानी है, वे मनमानी नियुक्ति कर रहे हैं, यह पैसे के गबन और भ्रष्टाचार का मामला है। क्या उक्त अधिकारी को वहां से निलंबित करेंगे ? जब जांच की रिपोर्ट आये तो उस हिसाब से उन्हें क्लिनचिट दे दीजिये और यदि जांच की रिपोर्ट में उन्हें गलत पाया जायेगा तो उनको बर्खास्त कीजिये, यह मैं मांग करता हूं। मंत्री जी, मैं आपसे कृपा करके कहना चाहूंगा कि आप इसी सदन में घोषण कर दीजिये, ताकि कम से कम वह निलंबित तो हो जाता इससे लोगों में भय व्याप्त होता अन्यथा उन्हें बचाने का काम होगा। मंत्री महोदय, मैं आपसे वक्तव्य चाहता हूं।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- कार्यसूची के पद क्रमांक -7 तक का कार्य पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

ध्यान आकर्षण सूचना (क्रमशः)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता की है तो मैंने पहले ही बताया कि हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। राज्य स्तर के 5 अधिकारियों की एक टीम बना दी गई है, जिसमें वित्त नियंत्रक, ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर (फायनांस) एन.एच.एम., डिप्टी डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर और राज्य वित्त प्रबंधक एन.एच.एम., मतलब राज्य स्तर के बड़े अधिकारी हैं। जिनके ऊपर आरोप लगा है उसमें एक प्यून है और एक प्लेसमेंट कर्मचारी है। इनकी इतनी क्षमता नहीं है कि ये जांच को प्रभावित करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जांच बहुत सक्षम अधिकारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर वित्तीय मामला आयेगा तो एकदम कार्यवाही करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपकी एक और आशंका थी, जिसमें कहा था कि मितानीनों को पेमेन्ट पहले मिल चुका है और ये राशि फिर से आयी है तो वह आपका एकदम सही है कि मितानिनों को पेमेंट हो गया है, ये पेमेंट जो आया है, इसमें जो सर्जन हैं उनका है, एनेस्थीसिया वालों का है और हमारे स्टाफ नर्स का है, ओ.टी. तकनीशियन का है, वार्ड बॉय का है, क्लर्क का है और इसमें सिर्फ एक प्रेरक छूट गई थी, उसका है। तो ये डबल भुगतान नहीं है, इसके लिए भी निश्चित रहिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय मंत्री महोदय, आपने स्वीकार किया न कि वहां के अस्पताल में काम करने वाले का है। वहां पर अस्पताल में काम करने के लिए वाले अधिकारी-कर्मचारियों को जब देना ही था तो डायरेक्ट उनके खाता में दे देते। वेंडर के खाता में डालने की क्या जरूरत थी? खाते में डालने की क्या जरूरत थी? माननीय महोदय, आपने और आपके विभाग ने एक सामान्य डॉक्टर ने एक वर्तमान स्थिति पर जब प्रकाश डाला तो आप उनकी सेवा ही समाप्त कर दिये, आप बर्खास्त कर दिए हैं और एक तरफ उनको भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार दो बार, तीन बार घेरा जा चुका है, उनको आप बचाने के लिए उनको आप निलंबित नहीं कर रहे हैं और जब तक निलंबित नहीं करेंगे तब तक जांच कैसे होगी महोदय?

सभापति महोदय :- ब्यास जी, आप सवाल कर लीजिए न, क्या करना है?

श्री ब्यास कश्यप :- नहीं, मैं सवाल ही तो पूछ रहा हूं, मैं निलंबन की तो बात कर रहा हूं...।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- मैं माननीय मंत्री जी से उनकी तरफ से सवाल करना चाहता हूं कि आपने जिसको आरोप लगा कर सेवा समाप्त कर दिया है, माननीय मंत्री जी, उसको क्या सेवा में वापस लेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- उनको सेवा में ले लिए हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- ले लेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ले लिए हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- ले लिए, धन्यवाद।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर व्यवस्था दे दी है और जैसे आप भी बोल रहे हैं कि निलंबित कर दो या टर्मिनेट कर दो, तो आप जानते हैं कि नियम विरुद्ध करेंगे तो उसके ऊपर माननीय न्यायालय है । तो इसलिए आप जांच पर भरोसा रखिए और हमने जिनको बर्खास्त किया था, उसका माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश किया है, उनको सेवा पर रख लिए हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- नहीं, माननीय मंत्री महोदय, बात इसकी नहीं है।

सभापति महोदय :- हो गया ब्यास जी।

श्री ब्यास कश्यप :- नहीं, नहीं, ये अंतिम प्रश्न है, अंतिम बात है। महोदय, मेरा कथन यह है कि लगातार अनियमितता की शिकायत है, कदाचरण और भ्रष्टाचार का मामला है, जिससे अस्पताल को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। व्यक्ति अपने खाते में, अपने लोगों के खाते में पैसा डालना, उसके बाद पुनः निकाल लेना। ध्यानाकर्षण लगा है तब जाकर उस राशि को आपके जीवनदीप समिति में डालना। ये तो स्पष्ट उल्लेख होता है न कि पैसा निकला, दूसरे के खाते में गया, जब ध्यानाकर्षण लगा तो उस खाते से निकलकर जीवनदीप समिति के खाते में चला गया। जब वह व्यक्ति बार-बार इस प्रकार का कदाचरण करेगा, उसको हम निलंबित नहीं करेंगे?

सभापति महोदय :- आप पूछना चाह रहे हो, पूछ लीजिए। आप पूछिए ना, क्या पूछना है?

श्री ब्यास कश्यप :- मैं माननीय मंत्री महोदय से यही पूछना चाह रहा हूं कि लगातार इस प्रकार की उनके ऊपर शिकायत है। किसी को निलंबित कर देने से कोई हाई कोर्ट नहीं जाता। केवल निलंबन की बात है, एक महीने में उसका जवाब भी आ जाएगा, तो मैं इस सदन में माननीय मंत्री जी से वक्तव्य चाहता हूं कि उक्त अधिकारी, जो कि अंकित ताम्रकार, जिनके ऊपर बार-बार गंभीर शिकायतें हैं, उनको निलंबित कीजिए और जांच कराइए और मैं तो इस सदन में ही व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं कि अगर वह सही पाए जाएंगे तो उनकी सेवा बहाल रखिए, अगर उनके खिलाफ प्रकरण पाए जाते हैं, सही पाए जाते हैं तो उनको बर्खास्त कर दीजिए, वह तो एक महीने का समय है। पर वर्तमान में, मैं यहां निलंबन की बात करता हूं

समय :

1.32 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही प्रश्न है कि जिनके खिलाफ लगातार इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो और अगर वह बच जाए, और बचेगा इसलिए कि वह निलंबित नहीं होगा, वहां रहेगा और रहेगा तो बचेगा और निलंबित हो जाएगा, वहां सेवा पर नहीं रहेगा, उस समय तक उसको आप काम पर दूसरी जगह ले जाइए और जब सेवा समाप्ति की बात हो या उनको बचाने की बात हो तो बचाइए, कहीं पर कोई बात नहीं है। परंतु माननीय मंत्री महोदय, जांच कार्रवाई इससे प्रभावित होगी तब तक उनको वहां से हटा दीजिए, निलंबित कर दीजिए या उनका स्थानांतरण कर दीजिए, मैं यही बात आपसे करना चाहता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, मैं माननीय सदस्य का समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि जिसके खिलाफ जांच की शिकायत है, आप उसको ज्यादा दूर नहीं हटा सकते तो मेरे गांव सारागांव में पोस्ट कर दीजिए, कुछ दिन संलग्न कर दीजिए। मेरे यहां डॉक्टर भी नहीं है और आपका काम भी हो जाएगा, उनका काम भी हो जाएगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, जिसको हटाने की बात कर रहे हैं, वह उस स्तर का डॉक्टर भी नहीं है और रेगुलर कर्मचारी भी नहीं है, तो उसको सीधे बर्खास्त ही करना पड़ेगा। अगर बर्खास्त कर दिए तो यह नैसर्गिक न्याय के खिलाफ होगा और बाद में अगला ध्यानाकर्षण आप लोग इसके लिए लाएंगे कि आपने गलत किया । इसलिए हमने पांच बड़े स्टेट लेवल के अधिकारी लगाए हैं, मतलब वह उतना बड़ा मामला भले न हो, लेकिन हमने इतनी गंभीरता से लिया है कि उसमें फाइनेंस कंट्रोलर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये पांच बड़े लोगों की टीम है। तो निश्चिंत रहिए और नेताजी, आपके यहां हम डॉक्टर भेज दिए हैं, सूची बता दूंगा और अभी और भी भेजने वाले हैं और आप तो धन्यवाद दीजिए, आपके यहां मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिल गई है, आप क्या डॉक्टर मांग रहे हैं, हमने डॉक्टर बनाने वाले ही...।

डॉ. चरणदास महंत :- मैंने आपको टी.वी. के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से धन्यवाद दे दिया है कि आप मेरे लिए ही धन्यवाद के पात्र नहीं हैं, आपने छत्तीसगढ़ के जो पांच मेडिकल कॉलेज की अनुमति दिलाई है, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, (मेजों की थपथपाहट) आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उसमें से दो मेडिकल कॉलेज मेरे ही जिले का था। एक आपके यहां मनेंद्रगढ़ का है, जो मेरा और आपका साझा है और जो वर्षों से चल रहा था। दूसरा, आपने जांजगीर-चांपा में मेडिकल कॉलेज के लिए पुनः स्वीकृति प्रदान कराई है, उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री ब्यास कश्यप :- नहीं, एक अंतिम प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- इतनी बार कोई प्रश्न थोड़ी करता है।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दे देता हूं क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुटरा ग्राम, जो मेरा ससुराल है, वहां छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल कॉलेज की अनुमति दी है, यानी इसके पूर्व भी कांग्रेस की सरकार के समय में इसकी घोषणा हुई थी, जिसका अभी निर्माण भी हो रहा है और इस सत्र से चालू भी हो जाएगा, उसके लिए धन्यवाद। अभी माननीय हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी आए हैं, जो कि जीवनदीप समिति के सम्मानीय अध्यक्ष भी होते हैं, परंतु एक दिन भी जिला चिकित्सालय में जीवनदीप समिति की बैठक नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहां से कहां पहुंच गये?

श्री ब्यास कश्यप :- मैं अवगत करा रहा हूं कि जीवनदीप समिति की कभी बैठक नहीं हुई है और वह जिस व्यक्ति के खिलाफ है, वही व्यक्ति अपने परिवार के दो दर्जन से अधिक लोगों को जीवनदीप समिति में भर्ती करा लिये हैं और वे उसमें अनिमियता करा रहे हैं। इसीलिए मैं बार-बार इस प्रश्न को ला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, बैठिए।

समय :
1.36 बजे

<u>नियम 267 'क' के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पड़ी हुई मानी जाएगी और इसके उत्तर संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

1. श्री रोहित साहू
2. श्री अजय चंद्राकर
3. श्री मोतीलाल साहू
4. डॉ. चरणदास महंत
5. श्री कवासी लखमा

समय :
01.36 बजे **प्रतिवेदनों की प्रस्तुति**

श्री अमर अग्रवाल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति का 46वां, 47वां, 48वां, 49वां, 50वां, 51वां, 52वां, 53वां एवं 54वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समय :
01.37 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्य सूची में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

1. श्री सुशांत शुक्ला
2. श्री रोहित साहू
3. श्रीमती भावना बोहरा

समय :
01.37 बजे **मंत्रि-परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- मंत्रि-परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त हुई है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनके मंत्रि-परिषद के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

(दशांश सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्)

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि नियमावली के नियम 143 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या के दशांश सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैं अनुमति देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैं शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई, 2026 को प्रश्नकाल तथा अन्य कार्य संपन्न होने के पश्चात् 5:30 बजे तक का समय निर्धारित करता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सर, आपका धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं।

समय :
01.38 बजे **<u>अशासकीय कार्य के संबंध में सूचना</u>**

अध्यक्ष महोदय :- पूर्व में निर्धारित दिनदर्शिका अनुसार शुक्रवार 17 जुलाई, 2026 के अंतिम 2.5 घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित किए गए थे। चूंकि अब शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2026 को मंत्रि-परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है। अत: शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई, 2026 को लिए जाने वाला अशासकीय कार्य गुरूवार, दिनांक 16 जुलाई, 2026 को लिया जाएगा।

मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

समय :
01.39 बजे **<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>**

अध्यक्ष महोदय :- मैंने, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर -

1. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026)
2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026)
3. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026)
4. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026)

की महत्ता तथा उपादेयता की दृष्टिगत रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

समय :
1.40 बजे **<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>**

<u>(1) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026)</u>

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

(अनुमति प्रदान की गई)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) का पुर:स्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2026 (क्रमांक 10 सन् 2026)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

(अनुमति प्रदान की गई)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) का पुर:स्थापन करता हूँ ।

(3) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026)

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

(अनुमति प्रदान की गई)

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) का पुर:स्थापन करता हूँ ।

(4) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन)विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026)

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

(अनुमति प्रदान की गई)

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन)विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) का पुर:स्थापन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित होने का कष्ट करें । सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिये 3.00 बजे तक के लिये स्थगित ।

(1:43 से 3:01 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
3.01 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, आज तो पूरा खाली है।

सभापति महोदय :- श्री ओ.पी.चौधरी जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

3.01 बजे

शासकीय संकल्प

"यह सदन भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) में संशोधन हेतु लाये गये जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2024 (संख्यांक 5 सन् 2024) को अंगीकृत करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) की परिधि के अंतर्गत आता है।"

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन, भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6, सन् 1974) में संशोधन हेतु लाए गए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (संख्यांक 5, सन् 2024) को अंगीकृत करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 2 की परिधि के अंतर्गत आता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ संक्षिप्त में इस संकल्प की पृष्ठभूमि को आपके माध्यम से सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब कभी भी नई औद्योगिक इकाई लगती है तो दो तरह के कंसेंट की व्यवस्था भारत देश की व्यवस्था नियम में निर्धारित की गई है। किसी भी नई इकाई को दो तरह के कंसेंट की सहमति लेने की आवश्यकता होती है । एक Air Act से संबंधित होता है और दूसरा Water Act से संबंधित होता है। Air Act पूरी तरह से यूनियन लिस्ट का विषय है, इसलिए उस पर पूरी तरह से जो एक्ट बना है, वह सेंट्रल एक्ट है, उसमें राज्य का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। Water Act जो है, वह स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें स्टेट में ही एक्ट बनते हैं। भारत सरकार ने दोनों को मिलाते हुए, एक ही बोर्ड की सहमति, एक ही बोर्ड की व्यवस्था की है। Water Act का जो बोर्ड होता है, उसी को भारत सरकार मानती है, दो तरह के बोर्ड नहीं होते हैं। चूंकि यह Water Act संबंधी जो विषय है, वह भारतीय संविधान में राज्य सूची का विषय है, इसलिए भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत स्टेट के कंसल्टेशन के बाद जो एक्ट पारित किया गया है, वह भारत सरकार ने Water Act पारित किया है। उस Water Act को स्टेट लिस्ट के होने के कारण, वह अपने आप लागू नहीं होता है, बल्कि उसको हमको ग्राह्य करना होगा, तब वह लागू होगा। माननीय सभापति महोदय, इसके पीछे लॉजिक यह है कि Air Act में इस तरह के अमेंडमेंट भारत सरकार के द्वारा हो चुके हैं और चूंकि वह यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है तो उसे भारत सरकार के एक्ट के माध्यम से वह सब पर लागू हो चुका है। Water Act को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो दोनों विषयों पर अलग-अलग तरह के प्रावधान होंगे। Water Act में मूल रूप से प्रावधान में जो चेंजेस किए जा रहे हैं, भारत सरकार ने जो एक्ट पारित किया है जिसको हम संकल्प के माध्यम से स्वीकार कर रहे हैं, उसमें छोटे-

छोटे जो उल्लंघन होते थे, उस पर 10,000 रूपये तक की फाइन और 3 माह तक का कारावास हो सकता है। छोटे-छोटे प्रावधानों में इस तरह के कारावास का प्रावधान इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को खराब करता है, यह भारत सरकार का मानना है। अगर छोटे-छोटे प्रावधानों में इस तरह के कारावास का प्रावधान होता है तो कई अधिकारी उसको ब्लैकमेल भी करते हैं, उसको गलत तरीके से एक्सप्लॉइड करने का भी प्रयास करते है, इसलिए भारत सरकार ने जो सुधार किये हैं, reforms किये हैं, उसके तहत यह प्रावधान किया है कि छोटे-छोटे उल्लंघनों पर कारावास का जो प्रावधान था, उसे समाप्त किया है और 10 हजार रूपये तक जो फाइन होता था, उसे सीधा बढ़ाकर 15 लाख रूपये तक कर दिया है। अब इस तरह के प्रावधानों में बड़े फाइन कर सकेंगे और कारावास जैसी चीजों को समाप्त करने का काम किया गया है। यदि कोई कंटीन्यूअस वायलेंस करता है तो 15 लाख रूपये के फाइन के साथ-साथ 10 हजार रूपये प्रतिदिन का अतिरिक्त फाइन भी किया जा सकता है। तो ये अमेंडमेंट्स किये गये हैं। पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत न्यायालय में वाद फाइल होता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी और साथ ही उसमें जो अपील होगा, वह अब सीधे एनजीटी में होगा। चूंकि कोर्ट में मैटर जाता था तो कोर्ट में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के विषय रहते हैं, नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा होते हैं और इस तरह के जो केस होते हैं, वे एक स्पेसिफिक टेक्निकल आस्पेक्ट के केस होते हैं। इसलिए अगर भारत सरकार एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नॉमिनेट करेगी तो जो मामले हैं, उसमें स्पेशलाइज्ड विषयों को टैकल किया जा सकेगा, उसका जल्दी निराकरण किया जा सकेगा और एनजीटी भी इस तरह के मामलों में ज्यादा टेक्निकली अपडेटेड होती है तो इसलिए बेहतर डिसीजन हो पाएंगे। यदि बड़े उल्लंघन किसी प्रकार के प्रदूषण की दृष्टि से होते हैं तो उसके लिए ईपी एक्ट (एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट) का प्रावधान ऑलरेडी बना हुआ है। उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी है, अगर कोई बड़ा उल्लंघन करता है तो उसे कारावास में डालने और क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने का प्रावधान भी सुरक्षित है। जो छोटे-छोटे वायलेशन होते हैं, उसमें इस तरह के डिक्रिमिनलाइजेशन करके और जो फाइन है उसको 10 हजार रूपये से बढ़ाकर 15 लाख रूपये तक का प्रावधान किया गया है। इस तरह से मैं मानता हूं कि यह भारत सरकार की ओर से एक बहुत ही बड़ा सुधारवादी कदम है। ये जितने एक्ट हैं, मूलतः इंदिरा जी के समय में जब हम सोशलिस्ट फिलॉसफी से रशिया वगैरह से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए थे, इसके कारण बहुत सारे अनावश्यक सेंटीमेंट को खराब करने वाले एक्ट, नियम उस समय पारित हो गए थे। भारत सरकार आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सब विषयों को धीरे-धीरे बेहतर करने का, लॉजिकल करने का, रेशनल करने का प्रयास कर रही है। उसी के तहत ये प्रावधान किये गये हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में यह पहले ही लागू हो गया था और दूसरी ओर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, डिरेगुलेशन 2.0 के तहत पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और मेघालय जैसी विधान सभाओं ने ऑलरेडी अपना संकल्प पारित कर लिया है। यह राष्ट्रीय स्तर का सुधार

है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ निवेश सेंटीमेंट को बेहतर करते हुए भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है और दूसरी ओर कोई गड़बड़ करें तो उसे बड़ा फाइन भी किया जा सके और कोई बड़ा वायलेशन करे तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सके। सभी रास्तों को सुरक्षित रखते हुए एक लॉजिकल, रेशनल तरीके से भारत सरकार ने निर्णय लिया है। तो इस बैकग्राउंड में मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संकल्प को पारित करने का कष्ट करें।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री सुशांत शुक्ला जी।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- धन्यवाद, सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का मैं पूर्ण समर्थन करते हुए सदन को यह अवगत कराता हूं कि जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि जीवन का वह आधार है जिससे हम आज बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल स्रोतों पर बढ़ रहे निरंतर दबाव और ऐसी स्थिति में ऐसे कानूनों की आवश्यकता आज स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित हो रही है, जिससे पर्यावरण के संरक्षण, रक्षण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था हम सुनिश्चित कर सकें। प्रस्तुत संशोधन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के मानकों को कमजोर करना नहीं है, बल्कि कानून के पालन की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के प्रति भी हम सबकी जिम्मेदारियों को उद्वेलित करता है। छोटे प्रतीकात्मक संशोधनों के लिए अनावश्यक आपराधिक मुकदमों के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था को प्रशासनिक दक्षता की तरफ ले जाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। गंभीर प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई हो, यह भी हमारी चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह संकल्प संसद द्वारा पारित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकृत किये जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड 2 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। इस संसोधन का जो मुख्य उद्देश्य है, छोटे और तकनीकी अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर जुर्माने में बदलना, जिससे व्यापार में सुगमता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में 1 लाख रूपये तक का जुर्माना और 3 माह तक के कारावास की सजा को संशोधित करना प्रस्तावित है। जुर्माने की राशि को बढ़ाकर उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर 10 हजार से 15 लाख तक किया जाना भी उस विषय में संशोधित करने के लिए प्रस्तावित है, जबकि कारावास के प्रावधान को समाप्त किया जा रहा है। निरंतर उल्लंघन पर 10,000 रूपये प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लग सके, ऐसी व्यवस्था है और यह भी आज उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में इस सुधार को लाने की प्रक्रिया पर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि यह केवल छत्तीसगढ़ का विषय नहीं, बल्कि संघीय ढांचे में संतुलन के आधार पर पूरे देश में पर्यावरणीय प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संशोधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, सुशासन दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। इन्हीं

शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का कष्ट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ललित चंद्राकर (दुर्ग ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन संकल्प लाया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपने विचार को रखता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 की व्यवस्था संघीय सहयोग की उत्कृष्ट मिसाल है। जब दो या दो से अधिक राज्य किसी विषय पर समान कानून चाहते हैं, तब संसद कानून बनाती है और अन्य राज्य भी अपने विधान मंडल के संकल्प द्वारा उसे अंगीकृत कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जल हम सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है और जल को प्रदूषणमुक्त रखना हम सबका भी दायित्व है। सरकार की मंशा साफ है कि जल।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से यह माननीय ललित जी की मेडन स्पीच है। यदि यह आपकी मेडन स्पीच है तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप आज भाषण कर रहे हैं।

श्री ललित चंद्राकर :- मैं पहले भी बोल चुका हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप और बोल चुके हैं क्या ? मुझे लगा आपकी मेडन स्पीच है। मेडन स्पीच होती है तो उत्साहवर्धन होता है कि आप अच्छा बोल रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री ललित चंद्राकर :- हम सबके लिए जल बहुत आवश्यक है और इसमें माननीय मंत्री जी ने जो सुधार किए हैं कि छोटे-छोटे आर्थिक दंड और कारावास को दूर करते हुए इसको पूर्ण रूप से सुरक्षित और सही मायने में इसको सही ढंग से प्रस्तुत करते हुए हमारे राज्य के लिए भी यह बहुत जरूरी है। आज बढ़ती आबादी को देखते हुए, बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए, जल प्रदूषण को देखते हुए और पूरे ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए यह जो संशोधन लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करते हुए सदन से चाहूंगा कि सदन इसको पारित करें।

श्री आशाराम नेताम (कांकेर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि आज भारत में पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। दोनों को साथ लेकर चलने की नीति का कार्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ जो कि एक औद्योगिक राज्य है। साथ में पर्यावरण संरक्षण का भी उतना ही महत्व है क्योंकि पर्यावरण हम सभी के लिए अति आवश्यक है। जैसे आज देखने को मिल रहा है कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमें जल भी आसानी से उपलब्ध होगा। इसी को देखते हुए हमारी जो सरकार है, वह एक पेड़ मां के नाम के माध्यम से पेड़ लगाने का भी प्रयास कर रही है, यह पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज उद्योगों के कारण हम जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। उद्योगों में गंदगी और नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है । उद्योग होना जरूरी है और उद्योग जरूरी होने के साथ-साथ उद्योगों को जल की भी आवश्यकता है। उसमें हम कैसे उसको संरक्षित रखें, उसको हम जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण

कैसे करें जो कि आने वाली पीढ़ी के लिये बहुत जरूरी है। क्योंकि जल ही जीवन है और यह हमें सभी प्रकार के पर्यावरण से जोड़ता है। जल को सुरक्षा की दृष्टि से उस जल को हम अच्छा करें ताकि जल आने वाले समय में और भी काम आये। और कोई भी उसे उपयोग करता है तो उसे अच्छे ढंग से जल मिले और उनकी पर्यावरण में रक्षा हो। ऐसा करते हुए मैं इनके संकल्प का समर्थन करता हूं। हमारा छत्तीसगढ़ एक औद्योगिक राज्य भी है। विकास की आवश्यकता के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिये यह प्रस्तुत संशोधन है। दोनों उद्देश्य को हमें संतुलित रूप से करना है। जब पेड़ रहेगा तो जल रहेगा। दोनों का महत्व एक समान रूप से है। हम छत्तीसगढ़ के लोगों को पहले यह लगता था कि जैसे ही 15 जून लगता था, यहां वर्षा का आगमन होता है। लेकिन धीरे-धीरे सब एक समय-सीमा में चलते जा रहा है। 15 जून के बाद हम लोग बारिश का मौसम भी कहते थे, वह भी खत्म हो रहा है तो कहीं न कहीं पर्यावरण दूषित की ओर है। हम सब लोगों के लिये ये बहुत जरूरी है। आज हम सब पूर्ण रूप से संकल्प लें कि हम पर्यावरण को हम अपने ढंग से अपने-अपने स्थान से सुरक्षित रखेंगे। माननीय मंत्री जी ने आज इस संकल्प को लाया है, उसे हम सब समर्थन करें। जैसे तालाब, नहर, नालियां हों, वह सबकी जवाबदारी बने कि उसे हम अच्छे ढंग से सुरक्षित रखें, गंदगी न करें, अगर गंदा पानी नदी में भी जा रहा है तो उसे हम बचाव करें कि वह जल अच्छे ढंग से हो और उसका सभी प्रकार से उपयोग हो सके। लेकिन उद्योगों से निकलने वाला जो पानी है, उसको देखरेख नहीं करते हैं, उसकी कोई जवाबदारी महसूस नहीं कर पाते हैं, इस कारण से पर्यावरण दिनोंदिन दूषित होते जा रहा है। एक समय था जब पर्यावरण के माध्यम से तालाब, कुंआ, पोखर से पानी का हम लोग उपयोग करते थे। उसको भी कहीं न कहीं हम लोग पीछे की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तालाब, पोखर और नदी के पानी का उपयोग पेयजल के लिये करते थे, वह भी खत्म होते जा रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो संकल्प लाया है, इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन भी करता हूं और मैं सभी नागरिकों को कहता हूं इसका हर आदमी सुरक्षा की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा में सब आगे आयें और इस संकल्प को पूर्ण रूप से समर्थन करें। इतना कहकर माननीय मंत्री जी द्वारा जो संकल्प लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय सभापित महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम में संशोधन हेतु लाये गये संकल्प का समर्थन करता हूं और आपने बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। अभी यह महत्वपूर्ण विषय में हमारे इस सदन में माननीय मंत्री द्वारा संकल्प लाया गया है, उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हम सबको पता है कि कोई भी कानून बनता है और कहीं कानून में सुधार करने की कोई जरूरत पड़ती है तो उसके लिये संशोधन करने का एक अवसर मिलता है। और आज इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने संकल्प लाया है। संशोधन संकल्प में हमारे पर्यावरण की दृष्टि से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये

जल को शुद्धिकरण करने की आवश्यक जो कानून बनना चाहिए, कहीं-कहीं कुछ सुधार करने की जो आवश्यकता पड़ती है। माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन कानून परिवर्तन नहीं, बल्कि इनके प्रयास में शासन प्रणाली में सुधार की एक बहुत बड़ी भूमिका है, मैं बोलने के लिये खड़ा हूं। आपको कहना चाहूंगा कि समय के साथ व्यवस्थाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता होती है। इसी दिशा में भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन नियम 2024 पारित किया गया है। भारत सरकार ने डेरेगुलेशन 2.0 के अंतर्गत इस संशोधन अधिनियम को सभी राज्यों में प्राथमिकता के साथ लागू करने की अपील भी की है । जिसके माध्यम से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी यह संशोधन बिल लाये हैं । आज ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है कि जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम हो, निर्णय शीघ्र हो और कानून का पालन अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो और किया जा सके और यह प्रस्तुत संशोधन इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करता है । इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य छोटे और तकनीकी अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर जुर्माने में बदलना है जिससे व्यापार की सुगमता सुनिश्चित हो सके, निर्णायक अधिकारी की व्यवस्था तथा पर्यावरण संरक्षण निधि में दंड राशि जमा होने जैसे प्रावधान कानून से अधिक उत्तरदायी हो सके, पारदर्शी बन सके । छत्तीसगढ़ सरकार सदैव सुशासन, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है । मैं इस संकल्प की उस सोच को, प्रतिबिंब को बहुत धन्यवाद देता हूँ अत: मैं इस संकल्प के समर्थन में माननीय मंत्री जी को और माननीय छत्तीसगढ़ सरकार को जल संरक्षण के साथ-साथ जल शुद्धिकरण, प्रदूषण मुक्त जल बनाने का जो संकल्प लाये हैं इसका मैं पुरजोर समर्थन करते हुए, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि इस बिल को, इस संकल्प को सब मिलकर हम प्रस्ताव पारित करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जल की व्यवस्था हो सके । हमारे छोटे-छोटे आपराधिक प्रकरणों में जो दर्ज होता था, उसमें सुधार करने का यह अवसर मिला है । मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं इस संकल्प का भरपूर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त कर हूँ । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- डॉ. सम्पत अग्रवाल । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पहली बार खड़े हुए तब तो समझ लीजिये, मैं गलत बोल गया कि माननीय विधायक ललित जी भी पहली बार बोल रहे होंगे करके लेकिन वास्तव में सम्पत जी की मेडन स्पीच (maiden speech) आ रही है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी ओर से भी इनके लिये मेडन स्पीच में बधाई आ जाए । हम सब मिलकर इनका उत्साहवर्धन करें कि यह आज जोरदार बोलें । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- हम लोग सम्पत अग्रवाल जी के लिये बहुत दिन से प्रतीक्षा में थे । आज वह बोल रहे हैं, बधाई हो ।

डॉ. सम्पत अग्रवाल (बसना) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस संकल्प के समर्थन में यह कहना चाहता हूँ कि आज पूरा देश पर्यावरण कानूनों को अधिक प्रभावी, आधुनिक और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है । जल प्रदूषण केवल किसी एक जिले या राज्य की समस्या नहीं है । नदियां, जलाशय और भू-जल सम्पूर्ण समाज की साझा धरोहर हैं इसलिए इनके संरक्षण के लिए एकसमान और प्रभावी कानून व्यवस्था आवश्यक है । यह संशोधन पर्यावरण संरक्षण के मूल उद्देश्य को अक्षुण्ण रखते हुए कानून के अनुपालन को अधिक व्यावहारिक बनाता है इससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी, निवेश का वातावरण बेहतर होगा एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित रहेगा । छत्तीसगढ़ सदैव राष्ट्रीय सुधारों में अग्रणी रहा है । मुझे विश्वास है कि इस संकल्प के पारित होने से हमारा राज्य, पर्यावरण संरक्षक तथा सतत् विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करेगा । माननीय सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महत्वपूर्ण संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हूँ और सदन से इसे सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि "यह सदन भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) में संशोधन हेतु लाये गये जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2024 (संख्यांक 5 सन् 2024) को अंगीकृत करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) की परिधि के अंतर्गत आता है ।"

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मत ।

संकल्प स्वीकृत हुआ ।

समय :
3:25 बजे

प्रस्ताव

"छत्तीसगढ़ राज्य ने विगत दशकों में नक्सलवाद की गंभीर चुनौती का सामना किया, जिसमें अनेक निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग से हमारी सरकार ने इस चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर नक्सलवाद की समस्या का अंत किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केंद्र ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल, रणनीतिक सहयोग और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को अभूतपूर्व समर्थन दिया। राज्य की दृढ़ इच्छा शक्ति और केंद्र की सुरक्षा एवं विकास नीति के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। अतः यह सदन केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि -

"छत्तीसगढ़ राज्य ने विगत दशकों में नक्सलवाद की गंभीर चुनौती का सामना किया, जिसमें अनेक निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग से हमारी सरकार ने इस चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर नक्सलवाद की समस्या का अंत किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केंद्र ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल, रणनीतिक सहयोग और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को अभूतपूर्व समर्थन दिया। राज्य की दृढ़ इच्छा शक्ति और केंद्र की सुरक्षा एवं विकास नीति के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। अतः यह सदन केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।"

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अजय चन्द्राकर।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, वैसे मेडन स्पीच में तो उत्साहवर्धन होता है, यह करना चाहिए। बाकी कोई टोके-टाके न हों। सब लोग अच्छा बोलें। आज संपत अग्रवाल जी ने अपना पहला भाषण दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं आसंदी को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। यहां पर ऐसे बहुत सारे अवसर आये हैं, जब विधान सभा ने अनेक विषयों पर चर्चा की। इस प्रस्ताव के माध्यम से 31 मार्च, 2026 को एक आतंक के युग की समाप्ति हुई और यह सिर्फ छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी या छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगी एवं विभिन्न विभाग के लोग मिलकर, जिन्होंने जिस काम को परिणाम तक पहुंचाया, इसे इतिहास याद रखेगा। जिन चीजों को इतिहास में पढ़ते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा। जब से नक्सलवाद शुरू हुआ। अब तक 20 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। मैं उन 20 हजार भारतवासियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिसमें बस्तर के भी हजारों निरापराध भोले-भाले आदिवासी भी शामिल हैं। जिसको यह कहा जाता था कि हम जल, जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह आश्चर्य है कि बंदूक की नोक पर जल, जंगल की लड़ाई ऐसे होती है।

माननीय सभापति महोदय, डी.आर.जी., बस्तर फाईटर,एस.टी.एम., सी.जी.पुलिस, कोबरा बटालियन, सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., आई.जी.बी.बी., एस.एस.बी. के हजारों जवान अभियान में शामिल हुए और उन लोगों ने जो शहादत दी, आज इस सदन के माध्यम से हम सब की ओर से उनकी शहादत को भी नमन करता हूँ। जिन्होंने 31 मार्च, 1926 के संकल्प को, उस लक्ष्य को पाने के लिए

समय-समय पर अपनी आहूतियां दीं। जिसमें शहीद विनोद चौबे जी हों, ऐसे अनेक अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई।

मानननीय सभापति महोदय, यह नक्सलवाद नहीं है। यह तो एक वैचारिक लड़ाई है। मैं यह सोचता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वे एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे और छत्तीसगढ़ में इस वैचारिक लड़ाई को जिन्होंने अंजाम दिया, वह माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है और अभी हमारे नवजवान गृहमंत्री जी का प्रवेश हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, हमको कई चीजें याद रखनी चाहिए। वर्ष 1925 में हिन्दुस्तान में कम्युनिष्ट पार्टी की स्थापना हुई। वर्ष 1919 में लेनिन की पहली सरकार बनी । 1949 में चीन में माओवाद की माओवादी सरकार बनी । लेनिन की जो पृष्ठभूमि थी, वह औद्योगिक आधार पर थी, शहरी क्षेत्रों में केन्द्रित थी । माओ की जो नीति थी, वह ग्रामीण आधार पर थी और किसानों पर केन्द्रित थी, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक था, जो समय-समय पर व्यक्त हुआ कि बंदूक की नोक से सत्ता निकलती है, गांव का महावाक्य माना जात है । हम चार वेद के चार महावाक्य जैसे सुनते हैं कि अहम् ब्रहमास्मि की तरह, तत् त्वम् असि: की तरह । वैसे ही कम्यूनिस्टों के लिए ब्रहम वाक्य माना जाता था कि सत्ता बंदूक की नोंक से निकलती है । लेनिन ने लाल आतंक की ऐसी नींव डाली कि 1919 से आजतक 10 मिलियन लोगों से ज्यादा की हत्याएं हुईं, नरसंहार हुए । 10 लाख लोगों की हत्या पर कौन सी विचारधारा काम करती है, हम किस विचारधारा की बात कर रहे थे और इन कम्यूनिस्टों के विचार धारा का जो एक अंग है, जो बोलते हैं कि व्यवस्था सशस्त्र क्रांति से बदली जा सकती है । वह सशस्त्र क्रांति के ये मुखौटे थे, जो लोग दुनिया भर में गन उठाए घूमते थे, बस्तर पर या सरगुजा पर या छत्तीसगढ़ के विभिन्न विषयों पर ।

सभापति महोदय, एक पार्टी के लोग गायब हैं । 1966-67 में हिन्दुस्तान में माओवाद आया-चारू मजूमदार, कानू सान्याल । नक्सल बाड़ी से पैदा हुआ इसलिए नक्सली कहा गया, लेकिन वास्तव में वे कम्यूनिस्ट पार्टी के ही विचारधारा के पोषक थे और हिंसक विचारधारा के पोषक थे । उन्होंने हत्याएं कीं । उस समय सत्ता में कौन था ? आजादी के दो दशक पूरे हो गए थे । प्रफुल्ल चंद सेन मुख्यमंत्री थे, बिहार में कांग्रेस की सत्ता थी । पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद सेन का नाम मैंने आपको बताया । उस दशक में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता थी । छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश में उस दशक में कांग्रेस की सत्ता थी, अविभाजित आंध्रप्रदेश जो आज तेलांगाना है, वहां कांग्रेस की सत्ता थी । दो दशक तक कांग्रेस क्या करती रही ? बस्तर का जो विकास, यदि समय रहा तो मैं बोलने की कोशिश करूंगा । छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया, कांग्रेस को किसने मना किया था? जल, जंगल, जमीन और आदिवासी, उनके भाषण और उनके कार्यक्रम में रोज शामिल होते थे, पर बस्तर या ऐसे रिमोट एरिया जो देश भर

के हैं, वे कहीं पर भी यह नहीं देख पाए कि इस देश में लोकतांत्रिक सरकार है, जो हमारे हितों की रक्षा करती है और यदि वे सोचते तो शायद इस देश में नक्सलवाद नहीं आता क्योंकि इस देश में रसिया जैसी स्थिति नहीं थी, चीन जैसी स्थिति नहीं थी, हम उसमें बात करेंगे।

सभापति महोदय, 1969 में जब कांग्रेस विभाजित हुई, जब कमजोर हुई तो उन्होंने सी.पी.आई. का समर्थन लिया । सी.पी.आई. के समर्थन से क्या हुआ ? कांग्रेस की बड़ी अजीब वैचारिक स्थिति थी और सी.पी.आई. के समर्थन के बाद बनती है । कांग्रेस एक मात्र पार्टी है, जो केरल में यू.डी.एफ. और एल.डी.एफ. बनाकर कांग्रेस वामपंथियों के सामने, एल.डी.एफ. के सामने चुनाव लड़ती है । वही कांग्रेस बंगाल में वामपंथियों के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है । वही कांग्रेस है, जो अभी मुस्लिम लीग के साथ केरल में सत्ता में है और वही कांग्रेस है, जो शिव सेना के साथ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में महाराष्ट्र में शामिल है । जब ये कमजोर हुए तो वैचारिक संस्थानों पर हिन्दुस्तान का कब्जा हुआ और यह कहा गया कि यह विचार है। क्योंकि कांग्रेस के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं थी। कांग्रेस के preambles में लिखा है कि हम डोमिनियन स्टेट चाहते हैं। स्वतन्त्रता के लिए किसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उनके सोचने और उनके क्रियान्वयन का जो तरीका था, वह आयातित था। वामपंथी उनके स्वाभाविक दिमाग थे। उन्होंने सी.पी.आई. से सन् 1969 में समर्थन लिया, मदद मांगी। यह वही सी.पी.आई. है, जब उन्होंने 26 जनवरी 1950 को काला दिवस मनाया था, जिस दिन भारत विभाजित हुआ। यही कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सन् 1964 में एक धड़ा सी.पी.एम. सोवियत संघ के समर्थन में गया एक धड़ा चीन के समर्थन में आया और कहा कि चीन को उकसाने वाली कार्यवाही हिन्दुस्तान ने की थी, यह सी.पी.आई. का बयान है, रिकार्डेड है। यह उनकी देश के प्रति निष्ठा थी। मार्क्स एंगेल्स ने नेशन और स्टेट की थ्यौरी पर कभी विश्वास नहीं किया। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, कहा। जे. एण्ड के. में अशांति फैलाने इनके प्रमाण हैं, नार्थ एण्ड ईस्ट में अशांति फैलाने के इनके प्रमाण हैं। इस तरह की कार्यवाहियों को करने के लिए प्रमाण है। क्योंकि नार्थ इस्ट में भी सी.पी.एम. की सरकार बहुत लंबे समय तक रही। नेशन स्टेट की बड़ी लंबी बहस है। आज उस पर बहस नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी विचारधारा राष्ट्र पर नहीं थी, संस्कृति पर नहीं थी, परम्परा पर नहीं थी, हमारे खान-पान, आदिवासी संस्कृति पर नहीं थी। इनके चक्कर में बस्तर की समृद्ध संस्कृतियां कहां गई, पता नहीं। अब उनके सरंक्षण के लिए उपाय माननीय विजय शर्मा जी, माननीय मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सारे लोग कर रहे हैं।

सभापति महोदय, सन् 1977 से नरूल हसन जी आये। सी.पी.एम. के लोगों ने नरुल हसन जी को शिक्षा मंत्री माना, दुनिया जानती है। वे वामपंथ से प्रभावित थे। दुनिया जानती है कि हुमायूं कबीर साहब वामपंथ से प्रभावित थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री बने। सन् 1972 के आते तक भारत के इतिहास, भारत के वैचारिक संस्थान इन्हीं लोगों के हाथों में रहे। अब आप देखिये कि

वैचारिक संस्थानों पर कब्जा कैसे हुआ ? इण्डियन काऊसिंल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इण्डियन कौंसिल आफ सोशल साईंस रिसर्च, सी.बी.एस.सी.। सी.बी.एस.सी. का विवाद रोज पढ़ते हैं। जे.एन.यू., वारंगल की यूनिवर्सिटी है। कौन महान है यह इरफान हबीब साहब तय करेंगे। कौन महान है रोमिला थापर जी तय करेंगे। जो राष्ट्रवाद के नायक हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराया, जिन्होंने विपरीत समय में आकांतों और आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वे सब नेपथ्य में चले गये। आज हिन्दुस्तान का नवजवान शिवाजी के बारे में नहीं जानता है, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं जानता है, जितना जानना चाहिए, नहीं जानते। दृष्टिभ्रम पैदा कर दी गई कि हिन्दुस्तान को बनाने में मुगलों का हाथ है। शिक्षा व्यवस्था लाने में अंग्रेजों का हाथ है। पूरी दुनिया में आज भी शिवाजी की युद्ध नीति पढ़ाई जाती है। दसवीं शताब्दी में राजेन्द्र चोल के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी, इसको कौन जानता है ? नार्थ इस्ट के अहोम राजा लड़ाई लड़े, इसको कौन जानता है? अकबर महान है या महाराणा प्रताप महान है, औरंगजेब ने क्या किया ? इसी तरह की बातें हैं। जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते थे, वे ढोंगी हो गए। हमको तो स्कॉलरशीप भी नहीं मिलती थी, इन संस्थाओं में हमारा पंजीयन भी नहीं होता था, घुसने नहीं देते थे। आप देखिये कि इनके जो विचारक हैं वैशव राजी जी वारंगल से पढ़े हैं। कोबार्ड गांधी जी कहां से पढ़े थे ? अब इन लोगों ने हिन्दुस्तान की तमाम परम्पराओं के सामने इनकी परम्पराओं को आगे रखा। मैंने कहा कि भारत जब-जब शक्तिशाली बनने की शुरुआत की। यदि भारत 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो उसका भी विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने किया। परन्तु चीन या पाकिस्तान ने उसी समय यदि परमाणु बम का विस्फोट किया तो कमयुनिस्ट पार्टी के लोगों पर ताला था। विजय जी बैठे हैं, नक्सलवाद के तौर-तरीकों पर तो मैं बात करूंगा, वह अलग विषय है, पर कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है, मैंने कहा कि वर्ष 1967 से 1980 तक कौन लोग रहे। चिदम्बरम साहब ने कहा कि मैं ग्रीन हंट जारी करूंगा। दिग्विजय सिंह आ गए कि साहब निर्दोष आदिवासियों की हत्या हो गई। ग्रीन हंट नहीं होना चाहिए। वर्ष 2004 में राजशेखर रेड्डी साहब ने कम्युनिस्टों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया । भारत ने असैन्य परमाणु संधि जब की, कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया। वर्ष 2009 में पहली बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए ये खतरा हो सकते हैं। इससे पहले किसी भी तरह से कहीं पर भी छत्तीसगढ़ में न उनकी नीति थी, न कार्यक्रम थे। कहीं पर न देश में कांग्रेस का कोई दृष्टिकोण नहीं था कि क्या हो सकता है और ये आयातित विचारधारा इनको हिंदुस्तान की सरजमीं पर हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर गन की ताकत पर लादने की कोशिश हुई और एक वैचारिक लड़ाई की बुनियाद इन लोगों ने डालने की कोशिश की। माननीय सभापति महोदय, एक लड़ाई तो खत्म हो गई। विजय जी बताएंगे कि कितने लोग न्यूट्रलाइज हुए, कितने लोग गन डाउन किए, कितने लोग समर्पण किए। मैं थोड़ी-थोड़ी बात करूंगा, लेकिन असली चीजें अभी भी जीवित हैं । फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका अर्बन नक्सली शब्द आया। यूनियन, कितने तरह के यूनियन हैं? हम बोलते हैं, हमारे यूनियन बोलते हैं

देश हित में काम करेंगे, काम का पूरा दाम लेंगे और सोवियत और चीन के निशान वाले यूनियन बोलते हैं कि हर जोर-जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम इस संस्थान का ईंट से ईंट बजा देंगे । देश की तो वे उनके नारे में बातें नहीं करते । आप छात्र संघ जे.एन.यू. देखते हैं, लेखक संघ प्रगतिशील लेखक संघ, कला के क्षेत्र में इप्टा है जन नाट्य संघ। इनका काम क्या है? एक इनकी जो अर्बन पर्सपेक्टिव है एक लाइन में पढ़ देता हूं, 'अवर वर्क इन अर्बन एरिया' जारी किया, घोषणा पत्र कब? 2004 में जब इसके विभिन्न संगठन सी.पी.आई. (एम.एल.)एल, एम.सी.सी.आई. जो-जो भी इनके नाम थे माओवादी, मा.क.पा. का गठन इसी साल जब हुआ तो अर्बन एरिया पर काम करने के लिए इन्होंने रोड मैप जारी किया और उसको हमने भिलाई में भी देखा है, उसको रायपुर में भी देखा है, उसको हैदराबाद में भी देखा है, कलकत्ता में देखा, चेन्नई में देखा, दिल्ली में देखा। लॉजिस्टिक हब, वित्तीय प्रबंधन, लीगल प्रोटेक्शन समझ लीजिए कि जमानत करवाना है तो फौज खड़ी हो गई। नागपुर के इसरो से संबंधित एक वैज्ञानिक एक बार कंप्यूटर ट्रेनिंग होते हुए गिरफ्तार हुए थे, वे भूमिगत थे। उसकी जमानत के लिए गिरफ्तारी शो नहीं हुई थी और दिल्ली में फौज खड़ी हो गई। वकीलों के इतने बड़े-बड़े वकील थे कि उसको लोग नाम भी नहीं जान पाएंगे।

समय :
3.44 बजे **(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं)**

अब जब ध्वस्त किया गया तब अभी डिजिटल माओवाद एक नया शब्द आया है। इस पर नजर रखना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इन परिस्थितियों में अब संकल्प यह हुआ कि कैसे करें? ये आयातित विचारधारा में हम तो राष्ट्रवादी हैं। हमको ऑर्थोडॉक्स कह सकते हो, हमको फंडामेंटलिस्ट कह सकते हो, हमको प्रतिक्रियावादी कह सकते हो। जितने प्रकार के शब्द आपको आते हैं, उन शब्दों का हमारे लिए इस्तेमाल कर लो। पर हम कभी इस बात को छोड़ेंगे नहीं कि नेशन फर्स्ट है। हम कोई स्टेट नेशन थ्योरी वाले आदमी नहीं हैं। हमारे देश से, हमारी माता से, हमारी मातृभूमि से हम प्रेम करते हैं। जिसको जो समझना है समझे। आज़ादी के बाद पहला संकल्प इस देश के लिए नवनिर्माण के लिए हुआ, वर्ष 1947 को सरदार पटेल सोमनाथ पहुंचते हैं, अरब सागर के जल को उठाते हैं और राष्ट्र के सामने प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, संकल्पबद्ध होते हैं कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। राष्ट्रवाद की नींव पड़ती है। वर्ष 1925 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हिंदुस्तान में कानपुर में हो रहा था, उसी समय एक और विचारधारा पैदा हो रही थी, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वर्ष 1966-67 में जब देश नक्सली आतंक के गिरफ्त में आ रहा था, उस समय इस देश में 1965 के विजयवाड़ा अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने एक दर्शन मानव एकात्मवाद को राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर स्वीकार किया। राष्ट्रवाद की जब शुरुआत होती है, उस दिन लोगों ने कहा कि जिस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।

ये पांच नौजवान जो हैं, वे हिंदुस्तान बदलने की बात करते हैं। ये सात जो धर्मशाला में लोग बैठे हैं, वे हिंदुस्तान बदलने की बात करते हैं। मैं गिनती नहीं करना चाहता, लेकिन आज 22 राज्य से लेकर पूरे देश ने राष्ट्रवाद को स्वीकार किया। (मेजों की थपथपाहट) यह उन नौजवानों की सफलता है जो देश के लिए पागल थे, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को न्योछावर किया है। सरदार पटेल के बाद जब देश में लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठाने की कोशिश होने लगी, गन के सहारे सरकार चलाने की कोशिश होने लगी, देश के संसाधनों को कमजोर करने की कोशिश करने होने लगी और देश में अर्बन नक्सल जो है विभिन्न तरह के, चाहे वह भीमा कोरेगांव हो, चाहे अभी लद्दाख का आंदोलन हो, सीमावर्ती राज्य में संवेदनशील जगह में हमारा आचार-व्यवहार कैसे हो, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वह जम्मू-कश्मीर हो, आंतरिक सुरक्षा में भारत के हर कदम में, चाहे वह परमाणु परीक्षण हो या चाहे कोई भी चीजें हो, उसे कमजोर करने की कोशिश हुई है।

माननीय सभापति महोदया, मैं एक दोहा आपको सुना रहा हूं। यह अरण्य कांड का नौ नंबर का दोहा है। विश्वामित्र जी उनको जंगल लेकर जाते हैं। भगवान श्रीराम सभी ऋषि-मुनियों के आश्रम में जाते हैं। रानी लक्ष्मी बाई, नमस्ते। (श्रीमती गोमती साय, सदस्य की ओर देखते हुए) रामचरितमानस में सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं, पर अरण्य कांड या उत्तर कांड को उसकी आत्मा मानी जाती है। अरण्य कांड में भी नवधा भक्ति है। प्रथम भक्ति मन संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मन कथा प्रसंगा करके। एक भीलनी शबरी को भगवान श्रीराम अपने मुख से नवधा भक्ति देते हैं, वह घटना छत्तीसगढ़ के शिवरीनारायण में घटी है। अरण्य कांड का दृश्य ऐसा है कि जब भगवान मुनियों के आश्रम में प्रवेश करते हैं, तब वे हड्डियों के ढेर देखते हैं। वे दुखी हो जाते हैं, सजल नयन हो जाते हैं। तब वे प्रतिज्ञा क्या करते हैं कि निसिचर हीन करौं महि भुज उठाई प्रन कीन्ह, सकल मुनिंन के आश्रमन्ह जाइ जाइ सुख दीन्ह। भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस संसार को निसिचर से विहीन कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा और ये सारे ऋषि-मुनियों को सुखी करते हैं, ये वचन और ढांढस बंधाते हैं। सरदार पटेल के बाद यह दूसरा प्रण होता है कि देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसे ही एक प्रण करते हैं कि इस पृथ्वी को नक्सल से मुक्त करना है, इस कम्युनिस्ट विचारधारा से मुक्त करना है। (मेजों की थपथपाहट) निसिचर यानी राक्षस। आप परिणाम देख रहे हैं। देश के किसी भी संकट के लिए, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य संकट हो, चाहे वह किसी भी तरह की बात हो, इतिहास इस नेतृत्व को याद रखेगा। माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय विष्णु देव साय जी को, माननीय विजय जी को या मंत्रिमंडल के सारे सहयोगियों को इतिहास याद रखेगा कि एक टाइम बाउंड 31 मार्च, 2026। आज मैं अभिलेखागार की बात कर रहा था। अभी अमेरिका ने कैप्सूल डाला है।

श्री अरूण साव :-सभापति जी, जिस प्रकार से सदन का आज दृश्य है, जब नक्सलमुक्त होने पर पूरा बस्तर गदगद है, छत्तीसगढ़ पूरा गदगद है, देश पूरा गदगद है और कांग्रेस कि ये कुर्सियां खाली

है । देश से बहुत जल्दी ये खाली होने वाले हैं । आज छत्तीसगढ़ के लोगों के खुशी के समय, बस्तर के लोगों के खुशी के समय, धन्यवाद देने के लिये उपस्थित नहीं है । यह कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, इन्हें जनता ऐसे ही करने वाली है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदया, यह इसलिये यहां पर अनुपस्थित है, क्योंकि यह सामना नहीं कर पायेंगे । उनके आधे से ज्यादा लोग तो नक्सलियों के समर्थन में है, जो उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं । आज मैं तो उनको पूछने वाला था, पटेल जी नहीं है उनके पिता के हत्यारे को रोल मॉडल मानते हैं क्या, यह सदन पूछ रहा है ? यह स्थिति यहां पर है । आज सामना नहीं कर पाने के कारण सदन से बाहर चले गये हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आज अभिलेखागार की बात कर रहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति कैसे हुई यह अध्ययन के लिये रखा जायेगा । जो कैप्सिल डाला गया है ना, इससे पहले 1977 में मैडम इंदिरा ने कालपत्र डाली थी, उसको चरणसिंह जी ने उखड़वा दिया था कि यह आत्मस्तुति है । हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, इनके जो कार्य हैं, इनका जो योगदान है, माननीय प्रधानमंत्री जी का देश में जो योगदान है, माननीय गृह मंत्री जी का जो सपोर्ट है, वह आज तक हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नहीं हुआ है कि इस तारीख तक हिन्दुस्तान के आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े खतरे को हम समाप्त कर देंगे और करके बताया। (मेजों की थपथपाहट) मैं सारे फोर्स, राजनैतिक नेतृत्व, माननीय मोदी जी और माननीय विजय जी से लेकर माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, दीर्घा में बैठे प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, राजनैतिक नेतृत्व यहां पर जो बैठा है, सभी को सेल्यूट करता हूँ, मैं सदन में सभी का अभिनंदन करता हूँ कि लाल आतंक से मुक्ति उन्होंने दी है । माननीय सभापति महोदया, यह साबित कर दिया कि 4-5 दशकों की लड़ाई ने उस संविधान की हत्या करने की कोशिश की है, जो संविधान आदिवासियों को संरक्षण देता है, जो संविधान पेशा देता है, जो संविधान 11 वीं अनुसूची और 13 वीं अनुसूची देता है, वह अधिकार का विकेन्द्रीयकरण करता है, उस क्षेत्र में पेशा को लागू करके संरक्षण देता है, उसको समाप्त करने की कोशिश हुई। माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बीच में जो उल्लेख किया, मानव एकात्म दर्शन 1965 में विजयवाड़ा में हमने स्वीकार किया, मनुष्य को संपूर्ण एक ईकाई के रूप में देखते हैं । जो हमारा मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा है, वह एकीकृत रूप है । हमारी भावनायें हैं, हमारी परम्परायें हैं, हमारी संस्कृति है । व्यक्ति की, राष्ट्र की, समाज की एक चेतना होती है और उस चेतना को उन्होंने चेते कहा है, जो हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरूषार्थ थे, हमारी संस्कृति ने हमें जो दिया है, उसको परिभाषित करने की कोशिश हुई कि धर्म, नैतिक, नियम और कर्त्तव्य, अर्थ-न्यायसंगत तरीके से धन कमाना, काम-उचित इच्छाओं की पूर्ति, मोक्ष-आत्मिक मुक्ति, परमआनंद । भारत की अध्यात्मिकता, विचारधारा में, किसी भी देश में, किसी भी विचारधारा में, परम्परा और संस्कृति ने, स्थान पाया तो मानव एकात्मवाद में पाया, यही राष्ट्रवाद है ।

आर्थिक नीति में क्या कहा है, पूँजी समाजवाद या साम्यवाद की तरह भौतिकता पर ध्यान नहीं है । जो हमारी चेतना है, जो हमारी परम्परा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी आवश्यकतायें हैं, समाज और राष्ट्र की भी एक आवश्यकतायें हैं । आर्थिक विकास का पैमाना लोग नहीं, आदमी नहीं, अमीर से गरीब की ओर नहीं, अर्थव्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर जानी चाहिये, जिसको उन्होंने शब्द दिया अन्त्योदय और इन लोगों ने क्या कहा, मैं आपको बता देता हूं। जब आपातकाल लगा तो 42वां संशोधन आया, 42वां संशोधन में क्या था? संविधान के प्रिएम्बल्स में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को जोड़ना है। संविधान सभा की बहस में अंबेडकर साहब ने चोरी-छिपे कहा था कि सोशलिज्म किसी पार्टी की विचारधारा हो सकती है, संविधान का विषय नहीं हो सकता। उन्होंने सेक्युलरिज्म के बारे में कहा था, जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बारे में बहस कर रहे हैं, फिर यह देश सेक्युलर की बात क्यों करते हैं ? सेक्युलर हो गया ऐसे कैसे बोलते हैं? यह विरोधाभास पैदा करने वाली, बोलने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आज ये लोग नहीं हैं। संविधान दिवस के दिन भी हमने यह बात कही थी कि ये चोरी-छिपे जो शब्द जोड़े गए हैं और कहे गए हैं, आपने जो वितरित किया है, उसमें सोशलिज्म शब्द नहीं है, सेक्युलरिज्म शब्द नहीं है, इस हिंदुस्तान में इसमें काफी बहस हो चुकी है।

माननीय सभापति महोदया, आज माननीय विष्णुदेव जी की सरकार 2,377 करोड़ की लागत से 3,222 किलोमीटर लंबी सड़क, 388 पुल-पुलिया बना रही है। टेकाम जी, पूवर्ती गांव जो हिड़मा के आतंक का प्रतीक माना जाता था, आज वह गांव बस्तर के पुनरुत्थान का प्रतीक बन रहा है, यह पहचान पूवर्ती की बन रही है। (मेजों की थपथपाहट) मंत्री जी दौरा करके आते हैं, यहां क्या चाहिए बोलते हैं? पूवर्ती बस्तर के पुनरुत्थान का प्रतीक है। मैंने इस बात को जनसंपर्क वालों को कहा था।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान आकर्षित कर दें और प्रकाश डाल दें। हिड़मा कांग्रेस पार्टी के विधायक का एक आदर्श है। जरा उस पर भी कम से कम प्रकाश डालिए।

श्री अजय चंद्राकर :- बोलूंगा-बोलूंगा। माननीय सभापति महोदया, विजय जी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो बात कही है, उस पर थोड़ी-थोड़ी बात कर लेते हैं। आप टॉवर लगा रहे हैं, आजादी के 77 साल बाद चिकापल्ली जैसे गांव बिजली देखते हैं। जगरगुंडा जैसे इलाके में पहुंचना, जहां भारतीय गणराज्य का झंडा नहीं फहरता था, आप वहां पर झंडा फहराते हैं। कितने गनडाउन किए, कितने क्या किए, उसको दूसरे लोग बात करेंगे तो विजय जी बताएंगे। बस्तर ओलंपिक एक नया बयार लेकर आया। एक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होता था, जिस दिन उसके अविश्वास प्रस्ताव आएंगे, उस दिन मैं बोलूंगा, बिना बजट के पैसे से, सेस के पैसे से 6 महीने में चार बार ओलंपिक हुआ था। पैसा खाने के लिए था, वे रहते तो सुनते। पैसा खाने के लिए 6 महीने में चार बार ओलंपिक करवाएं। मैं वित्त मंत्री

जी को बधाई देता हूं कि बस्तर ओलंपिक बजट में है, इसकी निरंतरता बनी रहे, इसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- पुरानी वाली सरकार के ओलंपिक में क्या होता था, जरा बता दीजिए ना, कई लोग जानना चाहेंगे।

समय :
4.00 बजे

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदया, अविश्वास प्रस्ताव के दिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। बस्तर हेरिटेज मैराथन, दुनिया में क्या घट रहा है? बस्तर के मंत्री हैं, आप भी बस्तर की हैं, केदार जी बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बस्तर के हैं। नवीन बजट में जो प्रावधान हैं, मैं पढ़ूंगा तो समय लगेगा। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसका प्रावधान ना हो। लघु वनोपज संघ ने वर्ष 2024 में 52 लाख संग्राहकों को 15.56 लाख बोरा संग्रहण में 855 करोड़ रूपये से ज्यादा पारिश्रमिक वितरण किया। (मेजों की थपथपाहट) चरण पादुका योजना फिर से शुरू की। मैं पढ़ते-पढ़ते जल्दी-जल्दी बोल देता हूं। डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़ अभियान के तहत ट्राइबल हैरिटेज और इको टूरिज्म। हमारे माननीय अध्यक्ष जी के निर्वाचन क्षेत्र का गांव है-घुमड़ारास। हमने उसको घोषित नहीं किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि यह पर्यटन के लिए सबसे अच्छा गांव है। कौशल विकास योजना, बस्तर में नवा अंजोर, 32 नये कौशल केंद्रों की स्थापना, बस्तर में पर्यटन। मैं जब मंत्री था तो बस्तर, सुकमा और बीजापुर के अस्पताल को हम देखने जाते थे, यह इलाका उससे भी अच्छा बन रहा है। औद्योगिक नीति, बस्तर को 2024 से 2030 के बीच के सत्र में प्राथमिकता। बस्तर को क्या प्राथमिकता देनी है, उन्होंने तो वोट बैंक बनाकर रखा? 5 साल में बस्तर के लिए यह एक भी उपलब्धि बता दें। जंगल वारफेयर डॉ. रमन सिंह की सरकार ने किया, यूनिवर्सिटी डॉ. रमन सिंह की सरकार ने बनाई, मेडिकल कॉलेज डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने, भाजपा ने बनाई। दंतेवाड़ा का पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोंडागांव का पॉलिटेक्निक कॉलेज, कांकेर का पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो जवंगा एजुकेशन सेंटर है, यह तत्कालीन कलेक्टर महोदय बैठे हैं। लाइवलीहुड कॉलेज की अवधारणा। यह बस्तर के लिए है। कहां पर ये लोग हैं, कौन से नक्शे में हैं? कहां हैं, भाई लोग? नगरनार स्टील प्लांट के लिए अफवाह उड़ाना कांग्रेस का नैतिक विचार है। अब 118 एकड़ भूमि पर वहां के उद्योगपतियों के लिए उद्योग लगाने की बात भाई लखन लाल जी बताएंगे। मुख्यमंत्री बस सेवा, रेल परियोजना, रावघाट-जगदलपुर की 140 किलोमीटर की स्वीकृति। तो ये सारी चीजें बस्तर के पुनरुत्थान के प्रतीक हैं और जो विष्णु देव जी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में किया। अब मैं थोड़ा सा कांग्रेस की स्थिति बता देता हूं। आप बोल रहे थे न। राज बब्बर जी एक बार छत्तीसगढ़ आये। राज बब्बर जी ने कहा कि ये भटके हुए क्रांतिकारी हैं। उस समय वह कांग्रेस के सांसद थे और

संयोग से मुलायम सिंह जी की बहू को हराये थे। उसी समय वह जीतकर आये थे। उनकी बहू का क्या नाम है? डिंपल कापड़िया को। नहीं, डिंपल यादव जी को। अटल श्रीवास्तव जी ने हिड़मा को अपना रोल मॉडल बना दिया। वह क्या बात करेंगे उसकी?

श्री धर्मजीत सिंह :- मध्य प्रदेश के इनके एक मुख्यमंत्री श्री हाफिज सईद जी करके बोले थे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आपको कापड़िया कैसे याद आई?

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, वह उसी को जानते हैं। (हंसी)

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं सर, वह उनके जमाने की हैं, उनको कहा।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह बॉबी पिक्चर वाली।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदया, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि ये हमारे भटके हुए भाई हैं और तो उसके श्री लगाकर श्री हाफिज सईद जी वाला बयान काफी वायरल हुआ था। माननीय सभापति महोदया, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, नक्सलवाद की शुरुआत, 42वां संशोधन हो, संस्थाओं पर वैचारिक कब्जा करना हो, राष्ट्रवाद को कुचलने की कोशिश करनी हो, आयातित विचारधाराओं को संरक्षण देना हो, इस देश की आत्मा को कुचलना हो, एक वैचारिक शून्य पार्टी ने लगातार 50 साल तक इस देश को दिया और उसका परिणाम यह निकला कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसका उल्लेख कर चुका हूं, मैं दोहराऊंगा नहीं। देश के सामने, प्रदेश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 31 मार्च, 2026 इस आयातित विचारधारा और उसके सामने लड़ने वाले लोगों का अंतिम दिवस है। या तो मुख्यधारा में आ जाओ या तो टिकट कटा लीजिए। आज सबसे बड़ी बात यह है इस सदन के माध्यम से इस वैचारिक लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और आगे की लड़ाई की तैयारी के लिए मैंने जो अर्बन नक्सली कहे, बस्तर में आज भी दो दिन पहले 18 लाख रुपए बरामद हुए, सोना भी बरामद हुआ, यह सारी चीजें जो हो रही हैं, यह लड़ाई का एक दूसरा पार्ट है। ट्रंप साहब ने कहा है, मेक अगेन अमेरिका ग्रेट। भारत महान होगा, भारत अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर महान होगा, भारत अपने अंतर्निहित विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगा और उस विचारधारा का नाम है, राष्ट्रवाद। देश प्रथम, नेशन फर्स्ट और उसी के अंतर्गत यह राज्य आता है। (मेजों की थपथपाहट) इस राज्य को नक्सल जैसी आयातित विचारधारा से, जो गन के सामने, गन की जोर पर संविधान से लेकर भारत की हर व्यवस्था का माखौल उड़ाने की कोशिश करते थे। मैंने कहा कि राज्य और नेशन और स्टेट पर जिनकी आस्था नहीं है, संविधान दिवस लागू होने के दिन जो काला दिवस मनाते हैं, यह लोग आज देश के राजनीतिक नक्शे से, सार्वजनिक जीवन से, जंगलों से, पहाड़ों से गायब हो चुके हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिन के लिए, इस ऐतिहासिक अवसर के लिए, आपके मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जिन्होंने छत्तीसगढ़ में महती भूमिका निभाई, उनके लिए इस सदन की ओर से अभिनंदन करता हूं। माननीय विष्णु देव साय जी जितने सहज, जितने सरल दिखते हैं, नक्सल मामले में तो लौह पुरुष दिखे

कि साहब करना है तो करना है। उनके माननीय गृह मंत्री जी, जिन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और प्रशासन के लोग, पुलिस विभाग के लोग और भी वैचारिक लोग जिन्होंने जन जागरण का काम किया, मैंने बताया कि जिन्होंने कई खतरे भरे काम किये, भीमा कोरेगांव से लेकर, लद्दाख के आंदोलन से लेकर, सी.सी.ए. के खिलाफ आंदोलन से लेकर, छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण तक के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उन सब ज्ञात-अज्ञात कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए और फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए और इस सदन की ओर से भी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदया, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदया :- श्री किरण देव जी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- आदरणीय सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आज इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव के समर्थन में पूरे विश्वास और गर्व के साथ खड़ा हुआ हूं जो प्रस्ताव आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव कोई एक साधारण प्रस्ताव नहीं है। यह छत्तीसगढ़ के संघर्ष की और उसकी यात्रा का सम्मान है और बस्तर के बदलाव का सम्मान है। आदरणीय सभापति महोदया, मैं बस्तर से आता हूं और इस सदन में भी कई वरिष्ठ सदस्य और कई नए सदस्य भी बस्तर से आते हैं। जो लोग बस्तर में रहे हैं, उन लोगों ने इस चार दशक के दंश को झेला है और देखा है। हमारे ऐसे कई सशस्त्र बल के जवानों ने अपनी शहादत दी है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने बस्तर में शांति लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक समय ऐसा था कि पूरा देश और देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग बहुत ज्यादा जगदलपुर, बहुत ज्यादा कोंटा, बहुत ज्यादा सुकमा, बीजापुर को नहीं जानते थे। अब पूर्वी, उत्तर राज्यों में जाना हुआ। मैं दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों तक की बात करता हूं। वहां पर जब कहीं जाकर हम लोग अपना परिचय देते थे तो यह धारणा आम हो चली थी कि अगर हम कहते कि मैं जगदलपुर का निवासी हूं तो लोग पूछते कि जगदलपुर कहां है, जगदलपुर बस्तर में है, अच्छा-अच्छा वहां जो नक्सली घटनायें होती हैं। नक्सली आतंक, नक्सली पर्याय, नक्सली घटनाओं का एक परिचय बस्तर का हो चुका था। 250 किलोमीटर दूर उसूर, आवापल्ली ऐसे जगहों पर घटनायें होती थीं और जब उसकी खबर समाचार पत्रों में या न्यूज चैनलों में जाती थी तो वह जगदलपुर या रायपुर के हेड से जाता था। यह दुखद अहसास हम सभी को है। बस्तर की परिस्थितियां ऐसी थीं, हमारा बस्तर 7 जिलों का एक संभाग है, चाहे वह सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर जिला हो। एक ऐसा भी समय आता था जबकि शाम के 6 बजते ही वहां सन्नाटा छा जाता था, सुनसान हो जाता था। इतना भय, इतना आतंक था। हम सब जानते हैं कि इस नक्सलवाद में अनेक परिवार उजड़ गये। कई माताओं ने अपनी कोख गवा दी, कई पुत्र ने अपने पिता को गवां दिया। एक ऐसा वातावरण इन 4 दशकों में बस्तर का बन चुका था कि लोग वहां से

पलायन करने लग गये थे। मैं तो यहां तक कह सकता कि बस्तर में क्योंकि मेरा गृह जिला सुकमा है, आसपास के ग्रामीण लोग अपने गृह ग्राम को छोड़कर, अपनी खेती या अपना छोटा-मोटा व्यवसाय छोड़कर दंतेवाड़ा जिला के लोग दंतेवाड़ा मुख्यालय में, बीजापुर के आसपास के लोग बीजापुर मुख्यालय में, सुकमा के आसपास के लोग, जगरगुंडा, भेज्जीकोंटा के लोग, इधर के लोग सुकमा मुख्यालय में और बाकी जो बचे थे, जगदलपुर मुख्यालय में, ऐसी जगह पर जब ये सुनने को मिलता था, जब ऐसी बात सामने आती थी, बस्तर के बाहर, मैं तो छत्तीसगढ़ के बाहर भी नहीं कर रहा हूं, ये परिस्थिति थी कि बस्तर के बाहर से लोग अपनी बेटियों को बस्तर में ब्याहने तक के लिये तैयार नहीं होते थे, एक ऐसा समय बस्तर में हम लोगों ने देखा है। लाल आतंक के साये में पूरे बस्तर में अनेक परिवार उजड़ गये। शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिये सबसे पहले मैं आपके माध्यम से इस सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दृढ़ निश्चय है, आदरणीय हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जो दृढ़ता है, उनका भी दृढ़ निश्चय है, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और आप सदन में आदरणीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी विराजमान हैं। मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई भी देता हूं। पूरे बस्तर के लोग इस बात से पूरी तरीके से खुश हैं। (मेंजों की थपथपाहट) एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आया। अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अजय चन्द्राकर जी बता रहे थे कि इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और ऐसे समय पर विपक्ष का पलायन कर जाना, भाग जाना और साथ ही इन्होंने उस विषय को लेकर उद्धृत किया कि उनके एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा दो दिन पहले समाचार में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि आतंक का जो पर्याय हिडमा था, मेरा रोल माडल है। ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे राजनीतिक दल के सदस्य धन्य हो। मतलब उनको ये नहीं मालूम है। मैं आगे आऊंगा। मैं थोड़ा सा संक्षेप में वहां घटित घटनाओं के क्रम को भी बताऊंगा। रूहें कांप जाती हैं। उनको तो थोड़ा बहुत धन्यवाद भी देना पड़ेगा। हम हमेशा इस बात को कहते थे कि जब भी ऐसी बड़ी घटनायें होती हैं, कई ऐसी घटनाये हैं। मैं आगे बताऊंगा जिसमें एक घटना में हमारे 70-70 जवानों ने शहीदी दी, ऐसी कई घटनाएं हैं, उसका दुख नहीं है । मैं उस पर संक्षेप में आगे आउंगा लेकिन यह कितना दुखद है कि ऐसे लोगों को जरा भी चेतना नहीं, उस परिवार की चिंता नहीं, हजारों की संख्या में बस्तर में इस नक्सलवाद की चपेट में आकर या उनके कारण कितने परिवार उजड़ गए, हमारे कितने जवानों ने अपना बलिदान दे दिया । आदरणीय सभापति जी, मैं इसके अतिरिक्त एक घटना का जरूर उल्लेख करना चाहूँगा कि यह घटना ऐसी थी कि जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था । वह घटना है झीरम की घटना । सभी झीरम की घटनाओं का विषय जानते हैं । उस घटना में, हमारे उस समय के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उन लोगों का बलिदान हुआ, उनके साथ कई सुरक्षाकर्मी से लेकर कई ऐसे और अन्य लोगों ने भी अपना उसमें बलिदान दिया, उसमें शहीद हुए । यह उसी दल से थे, जिस राजनीतिक दल के वरिष्ठ सदस्य का यह मानना है कि हिड़मा जल, जंगल, जमीन का

रखवाला था तो वह किस बात को सिद्ध कर रहे हैं ? वह किस बात को मान्यता दे रहे हैं ? (शेम-शेम की आवाज)

समय :

4.16 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और फिर ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में जबकि पूरा सदन एक स्वर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभी विजय शर्मा जी हमारे गृह मंत्री हैं, मैं उनके विषय में बोला । जब यह जगदलपुर आते थे, कोई बड़ी घटना हो जाती थी तो आने के बाद हम पूछते थे कि गृह मंत्री जी आये, किधर गए ? तो पता चला कि मोटर साइकिल में बैठ के इतने खतरनाक जहाँ घटना हुई है, वहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी मोटर साइकिल से पहुंचे हैं, यह होता है । (मेजों की थपथपाहट) यह अपनी कर्तव्यपरायणता होती है । मैंने तो कभी एक-बार भी नहीं सुना और नहीं देखा है कि कभी उन्होंने ऐसी ऐसी घटनाओं के प्रति अपनी शोक संवेदना और किसी प्रकार के दुख का बहुत व्यापक तरीके से उल्लेख किया हो ।

माननीय सभापति महोदय, नक्सलवाद केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी, यह तो हमारे उस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधक था । सरकार की सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम, आवागमन, गाड़ियों का अंदर जाना, पूरा सन्नाटा विकास के काम पूरे ठप हो गए थे इस तरीके का जीवन वहाँ बस्तर के लोग जीते थे और अब यह नक्सलवाद समाप्त हो गया है और हम सभी को उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है । विकास, जिसको कहा जाये कि बस्तरवासी अब विकास का एक नया सूर्योदय देख रहे हैं । उन क्षेत्रों में जहां पर नक्सलवाद अंदर तक छाया हुआ करता था । बोल नहीं पाते थे, शब्दों से हम बयान नहीं कर पाते थे, ऐसी स्थिति में आज परिस्थितियां बदली हैं और यह परिवर्तन अपने आप नहीं आया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह परिवर्तन यूँ ही नहीं आया है । इसके पीछे दृढ़ इच्छाशक्ति और एक टास्क, डेड लाईन । मुझे अपने राजनीतिक जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में याद नहीं आता है कि कभी इतनी बड़ी समस्या, 4 दशक की नक्सल समस्या को एक डेड लाईन देकर, उस डेड लाईन के पहले समाप्त करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ ने किया है । मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ । हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पूरी प्रतिबद्धता इसमें प्रदर्शित की और नक्सल उन्मूलन नीति को धरातल पर उतारा है । बस्तर जैसे वनांचल में सुरक्षा और विकास एक-साथ आगे बढ़ रहा है । मेरा कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गृहमंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ ऐसे विषयों पर बात होती है।

बस्तर में ही जो आत्मसमर्पित नक्सली है, जब हमारे आदरणीय गृहमंत्री जी अपना वक्तव्य रखेंगे तो विस्तार से इस विषय को रखेंगे, मैं अभी संक्षेप में रख रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, जो पुनर्वास की नीति है जिसके विषय में हमेशा चर्चा होती है कि पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे अच्छी पुनर्वास की नीति है, यहां जिसका लाभ बड़ी संख्या में लिया गया। जिन्होंने पुनर्वास लिया है उनको आगे बढ़ाने, सक्षम बनाने, मुख्यधारा में जोड़ने एवं उनके स्कील डेवलपमेंट की दृष्टि से अलग-अलग योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाकर, छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको पुनर्वासित करने का काम किया है। आज बस्तर तेजी से बदल रहा है। जब हम बार-बार कहते हैं कि यह परिवर्तन केवल सड़कों तक नहीं है, उस वनांचल के अंतिम छोर के गांवों तक पहुंचा है जहां दिन में भी लोगों को जाने में ही भय होता था ऐसी जगहों पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। एक महत्वपूर्ण योजना पर कहना चाहूंगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि नियद नेल्लानार, एक गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेरा अपना अच्छा गांव, उसके तहत केन्द्र और राज्य सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं मुझे ऐसा लगता है कि 40 से भी ज्यादा योजनाएं होंगी जो विकास की दृष्टि से ऐसे गांवों में पहुंची जहां पहले नक्सली आंतक के साये में विकास की कोई भी चीज नहीं हो पायी थी, वहां विकास नहीं पहुंचा था अब वहां इस पर तेजी से आगे काम हो रहा है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें का जाल बिछ रहा है, प्रायमरी स्कूल, मिडिल स्कूल बन रहे हैं, पी.एच.सी., मिनी पी.एच.सी. की आधारशिला रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद वहां के जो नवजवान युवा हैं वहां के बच्चें हैं, जो यहां जाने से बचे रहें और इसके साक्षी आदरणीय गृहमंत्री श्री विजय शर्मा जी बैठे हैं, उनमें से कई लोगों ने तो पहली बार जगदलपुर देखा, उसमें कई लोग तो ऐसे थे जो पहली बार हमारी विधान सभा भवन को देखने आये और जो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति जी से मिलें। उन्होंने पहली बार एयरपोर्ट देखा, पहली बार उनके हाथों में मोबाईल आया। मैं आदरणीय गृहमंत्री जी के साथ एक पुनर्वास योजना में गया था तो जब उन सबको मोबाईल देने का काम हुआ तब वहां पर उनको मोबाईल चलाने की शिक्षा भी दी गई। यह अद्भुत था तो इस तरीके से वहां पर विकास के कई आयाम तय किये जा रहे हैं। हमारी सरकार ने वहां के सर्वांगिण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। आदरणीय केन्द्रीय गृहमंत्री जी भी इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, हमारे पूरे देश में संभागों की दृष्टि से बस्तर संभाग को प्राथमिकता के साथ सबसे उन्नत और विकसित संभाग बनाने की घोषणा करके गये हैं। (मेजों की थपथपाहट) वैसे पिछले साल इसकी कड़ी प्रारंभ हो गयी थी। आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने बताया कि वहां के युवाओं को किस तरीके से मुख्य धारा में लाने के लिए किस प्रकार की प्रारंभिक योजना का निर्माण किया जाये। आपने बस्तर ओलम्पिक का जिक्र किया। बस्तर पण्डुम और बस्तर ओलम्पिक, पहली बार तो मुझे लगता है कि उसमें लगभग 60-80 हजार के आसपास की

संख्या प्रतिभागियों की थी जो दूरस्थ वनांचल के थे। वहां पर दोनों बार आदरणीय गृहमंत्री जी का आना हुआ। इस बार आदिवासी अंचल के तीन लाख इकसठ हजार प्रतिभागियों ने बस्तर ओलम्पिक में भाग लिया। यह इस बात का प्रमाण है कि वहां पर हमारी सरकार किस तरीके से विकास पहुंचा रही है। कांग्रेसियों ने बस्तर पण्डुम की कल्पना पर भी बहुत प्रकार की तिखी टिप्पणियां की थीं, यह बस्तर पण्डुम क्या है, कैसा है, हमारा बस्तर विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र है, वहां की आदिवासी संस्कृति, पहचान, बोली, भाषा, खान-पान, गीत-संगीत सब अलग है। इस तरीके से बस्तर पण्डुम के माध्यम से ऐसे अलग-अलग विधाओं की वहां पर प्रतियोगिता हुई, वहां उसका समावेश हुआ, हमारा बस्तर बहुत ही अद्भुत है । बस्तर में क्या नहीं है ? बस्तर रत्नगर्भा है । बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर की जो सभ्यता है, वहां का कल्चर है, वह पूरे देश और दुनिया से पृथक है । अब वहां पर विकास के साथ जोड़ने से उसका लाभ वहां के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में मिल रहा है । अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी की भी उपस्थिति हुई थी, मुझे मालूम है । मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वहां के घर-घर के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है । मैं आंकड़ा भूल रहा हूं, लेकिन अभी तक 3 लाख से भी ज्यादा स्वास्थ्य परीक्षण वहां पर हो चुके हैं । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । शनैः-शनैः ही नहीं, बहुत तेजी से इन सब कार्यों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सभी सम्माननीय मंत्रिगणों की मेहनत से वहां पर विभाग के सभी काम हो रहे हैं । जन कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है ।

सभापति जी, मैं एक चीज जरूर यहां बताना चाहूंगा कि अभी मेरे ही जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में आदरणीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय गृहमंत्री जी ने एक योजना बनाई है, उसका नाम है-सेवा डेरा । आपने उसकी शुरूआत की है और उसमें महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है । उसका एक स्टाल जो है, पिछले 18 से इस 18 तक का उसके अंतर्गत शहीद वीर गुंडाधुर की जन्मस्थली नेतानार में वहां पर जिस कैम्प में फोर्स रहती थी, उस कैम्प को सेवा डेरा के रूप में विकसित किया गया । वहां पर सरकार की 5-6 प्रकार की योजनाएं में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमारी 20 बहिनों को सिलाई सिखाने का काम पहले प्रारंभ किया गया । वहां पर ई-रिक्शा चलाने के लिए वहां की युवा जो हमारी बेटियां हैं, उनकी दृष्टि से प्रशिक्षण का काम, ईमली का प्रसंस्करण, वहां की कोदो-कुटकी जो आज मिलेट्स के रूप में पूरे देश में जाता है, उसके प्रसंस्करण का काम हो रहा है । वहां पर पहला बेच निकल गया और उन 20 बहिनों को सिलाई मशीन भी मिल गई । उन्होंने वहां पर जो प्रोडक्ट तैयार किया, वह 160 या 180 रूपए पैकेट की दर पर मार्केट में आने भी लग गया । यह महिला सशक्तिकरण का काम है, जो बस्तर में प्रारंभ हुआ है । मेरी जानकारी है कि ऐसी योजना पूरे बस्तर में है । यह अद्भूत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास

सिर्फ क्षेत्र का ही नहीं, विकास सिर्फ संसाधनों के माध्यमों का नहीं, विकास अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उस विकास का लाभ पहुंचाने का जो लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वह आज बस्तर में परिलक्षित हो रहा है । यह स्पष्ट रूप से इसकी पीछे बताने का उद्देश्य यह है ।

सभापति महोदय, पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या दशा और दिशा थी ? आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में भी और मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तेज गति से 1600 प्रधानमंत्री आवास प्रतिदिन बन रहे हैं और बस्तर में बनने शुरू हो गये हैं और तेज गति से बस्तर में बन रहा है । अब वहां झोपड़े कम दिखते हैं । एक बड़ा विषय है-महतारी वंदन योजना, इस योजना के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि महतारी वंदन योजना में चिह्नांकित करके ऐसे जगहों पर, जहां पर कि नक्सली घटनाओं के कारण या उनके आतंक के कारण पोर्टल नहीं खुल पाये थे, वहां पर भी इस योजना का लाभ वहां की बहिनों को, हमारी बेटियों को नहीं मिल पा रहा था, उस योजना में भी बहुत तेजी से महतारी वंदन का लाभ हमारी लाखों माताओं और बहनों को मिल रहा है और उनको आर्थिक संबल प्रदान हो रहा है । इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बड़ा है । उस समय हम बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन वह मेरी स्मृति में है, जब जगदलपुर में पहली बार ट्रेन आई थी और जब वह ट्रेन स्टेशन में खड़ी हुई तो उसको मारे बस्तर के लोग देखकर दौड़कर दूर भाग गये। वहां से दूर भागकर प्रणाम कर रहे थे, वह बस्तर था लेकिन आज वह बस्तर है, जो कि वायुमार्ग से दिल्ली तक जा रहा है। वहां की बेटियां, वहां की बहनें, वहां के युवा जा रहे हैं। बस्तर परिवर्तित हो रहा है। यह परिवर्तन में बाधा थी। आयुष्मान भारत योजना, राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं की सेवाओं ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब गंभीर बीमारी भी आर्थिक संकट के कारण कोई बड़ा कारण नहीं बन रहा है। लोगों का बेहतर ईलाज हो रहा है। मैं इसका उदाहरण देता हूं कि हमारे जगदलपुर में, हमारे बस्तर में मेडिकल कॉलेज और सारी चीजों की स्थापना आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी के समय हुआ ही है। अभी वहां एक सुपर स्पेशयालिटी हास्पिटल पी.पी.पी. मॉडल से चालू हुआ है। यह हमारे छत्तीसगढ़ का पहला सुपर स्पेशयालिटी हास्पिटल है, जो पी.पी.पी. मॉडल से चालू हुआ है। जिससे वहां इन क्षेत्रों के मरीजों का भी ईलाज हो रहा है। संपूर्ण व्यवस्था के साथ हो रहा है, जिसके कारण वहां के लोग आर्थिक परेशानियों के कारण ईलाज कराने बाहर नहीं जा पाते थे। जगदलपुर में ईलाज कराते थे या फिर जगदलपुर से रायपुर या फिर विशाखापट्टनम जाओ। हमारा करोड़ों का रेवेन्यु आन्ध्रप्रदेश जाता था। अब वहां पर यह सारा चीज शुरू हुआ है।

सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने बहुत सारे विषयों को रखा है। हमारे यहां से लाल आतंक का सफाया हुआ है। यह विकास में बहुत बड़ा गतिरोध का काम

हुआ करता था। मैं तो बस्तर आने के लिए आमंत्रण देता हूं। पिछले 3 महीनों में यह बस्तर बहुत तेजी से बदला है। हमारे वनमंत्री जी का अभिनन्दन है, पर्यटन की दृष्टि से बस्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। तीरथगढ़, चित्रकूट जैसे जलप्रताप बहुत ही महत्वपूर्ण है और विश्वविख्यात स्थल हैं। अभी वहां के युवा, वहां बेम्बो राप्टिंग से आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, वे हमारे राज्य के अन्य क्षेत्रों में जाकर वहां पर भी सिखाने और बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से सभी प्रकार के होम स्टे का काम लिया गया। वन धन विकास केन्द्र और लघु वन उपज केन्द्रों के समर्थन मूल्य से उन क्षेत्रों के वनवासी वन उपज संग्रहण करके आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं 2 मिनट में इस विषय को रखना चाहता हूं। हमारे यहां जो घटनाएं हुईं, जिसके कारण बस्तर में जिसकी शुरूआत हुई, कई ऐसे जवानों ने अपना बलिदान दिया। क्योंकि मैं इसमें जोड़ रहा हूं। अभी दो दिन पहले इनका वक्तव्य आया था कि कैसा रोल मॉडल, कैसे लोग ? कैसे लोगों को ये कांग्रेसी अपना रोड मॉडल बनाते हैं। मैं संक्षिप्त में कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। हम रानीबोदली की घटना सभी जानते हैं कि 15 मार्च, 2007 को हुई थी। आधी रात को नक्सलियों ने कैंम्प में हमला किया, भारी गोलीबारी के कारण पुलिस 55 जवान शहीद हुए थे। 9 जुलाई, 2007 एर्राबोर में घटना हुई। एर्राबोर में उरपलमेटा में सी.आर.पी.एफ. और जिला पुलिस बल नक्सलियों की तलाश में वापस बेस कैम्प लौट रहे थे तो उस दल पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। हमारे 25 पुलिस कर्मियों ने शहादत दी। मदनवाड़ा में 12 जुलाई, 2009 को 29 पुलिस कर्मी शहीद हुए। ताड़मेटला में 6 अप्रैल, 2010 में बारूदी सुरंग में 76 जवान शहीद हुए। गादीरास दंतेवाड़ा में 12 सुरक्षा बलों के जवान सहित 36 निर्दोष लोगों की शहादत हुई, वे मारे गये। धौड़ाई नारायणपुर में जहां 27 जवान बलिदान हो गये। मैंने झीरम की घटना का जिक्र किया है। इस घटना को भुलाया नहीं जा सकता है और मैंने इस बात को कहा भी कि ऐसे हमारे शीर्ष नेतृत्व राजनीति के उस समय में वे शहीद हुए, बलिदान दिए। ऐसे घटनाक्रम की जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं? सिर्फ राजनीतिक मंच, राजनीतिक माइलेज की दृष्टि से इस तरीके का बयान, मुझे लगता है कि इसकी कटु शब्दों में निंदा होनी चाहिए। उन घटनाओं के साथ और कुल घटित घटनाओं में वर्ष 2001 से 30 जून, 2026 तक नक्सलियों द्वारा घटित कुल 11,534 घटनाओं में 1,450 जवान, 2,104 आम नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं शासकीय कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है। मैं आज उन सभी को, इन घटनाओं में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए, आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बड़ा विषय है, मैं बस्तर के इस विषय पर बहुत बोल सकता हूं, लेकिन पीछे-पीछे से आ भी रहा है, 20 मिनट हो गया है, 25 मिनट हो गया है करके तो मैं आदरणीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मैंने तो यहां से आपको कुछ नहीं टोका । आप चाहते तो बोल सकते थे। श्री रामविचार नेताम जी। इसके बाद लता जी, आपको बोलना है।

कृषि मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- चलिए, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरा नाम पुकारा, उस समय मैं नहीं आ पाया। लेकिन, देर आए दुरुस्त आए। पहुंच गया हूं। और आज ऐसे विषय पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संकल्प लाया गया, प्रस्ताव लाया गया है, वह प्रस्ताव इस छत्तीसगढ़ के लिए नजीर बनेगा, इतिहास बनेगा और इतिहास के लिए हम सब यहां उपस्थित हुए। अब जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास लिखा जाएगा कि एक ऐसा प्रदेश जिसने नक्सली दंश को न जाने कितने सालों साल तक झेला, नक्सली अत्याचार-अन्याय की पराकाष्ठा को झेला, नक्सलियों के द्वारा कत्लेआम किया गया, उसको अपनी आंखों से देखा, और सहा और झेला, और ऐसे विषय को लेकर हमारे देश ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार उनकी संकल्प शक्ति को हमें बधाई देना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा, अभिनंदन करना पड़ेगा। उसे साकार करने के लिए ऐसे नेतृत्व जिनकी बुलंद इरादे, और फौलादी इरादे थे, उसे उन्होंने संकल्प शक्ति के साथ डेडलाइन देकर 31 मार्च, 2026 तक देश से, छत्तीसगढ़ से नक्सल का उन्मूलन करके रहेंगे, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में शायद ऐसा कोई लीडर मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट) मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं । मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ उनका अभिनंदन करता है, उन्हें धन्यवाद देता है। जिनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी कल्पना शक्ति, और उनके जैसे बुलंद इरादे के साथ, संकल्प शक्ति के साथ, और कमिटमेंट के साथ जिन्होंने पूरा किया, सभापति महोदय, मैं देश में ऐसा कम ही लीडर देखता हूं । हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। हम लोगों ने भी नक्सलियों को देखा और झेला है। मुझे भी इस विभाग में काम करने का मौका मिला और पूरी ईमानदारी, शिद्दत के साथ, निष्ठा के साथ हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तमाम सारी घटना को अपने चश्मदीद गवाह के रूप में बहुत सारे हमारे अधिकारी रहे, और मैं व्यक्तिगत तौर पर उन सभी जगहों में पर गया। सभापति महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प एक तरह से जो प्रस्ताव लाया है, ऐसे प्रस्ताव के समय भी कांग्रेस पार्टी बहिष्कार कर रही है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब लिखा जाएगा, तो ऐसे विषय को लेकर कांग्रेस जो बहिष्कार करके चल दी, उसको मैं समझता हूं कि किन शब्दों में इनकी हम इनका निंदा तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि तो दे। इनके तमाम सारी लीडरशिप समाप्त हो गयी। इसके बावजूद वे लोग 5 साल तक केवल कदमताल करते रहे। कोई उसमें आगे नहीं बढ़ा। वे केवल सपने दिखाते रहे और एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहे कि फलाने की गलती थी, फलाने की गलती थी। उनके कुछ नेता कहते थे कि पॉकेट में मैं सबका चिट्ठा लेकर चल रहा हूं, प्रमाण लेकर चल

रहा हूं। पता नहीं वह पॉकेट फटा या कहां गया, लेकिन वह प्रमाण जेब से निकला ही नहीं। उस मामले की जांच रिपोर्ट आयी थी, उन्होंने जांच रिपोर्ट ही बदलवा दी। उसमें भी प्रेशर और राजनीति चली थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब वह रहेंगे तब आप उस विषय में 17 तारीख को डिटेल्स में बोलिएगा।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हमारे डबल इंजन की सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री, हमारे युवा, तेज-तर्रार और जांबाज साथी, जो विपरीत परिस्थितियों में भी वहां खंजर गाड़ कर लड़ने वाले ऐसे नेता श्री विजय शर्मा जी के उत्साहजनक नेतृत्व में जिस प्रकार से रणनीति बना कर काम हुआ, (मेजों की थपथपाहट) उसके लिए आज उनका साथ देने वाले पुलिस महकमे का एक-एक अधिकारी, उन क्षेत्रों में काम करने वाले तमाम सारे जवान अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। अभी बस्तर पंडुम की बात चली। मैं स्वयं बस्तर पंडुम में भी गया, खेल में भी गया। उनके जज्बे और जोश को देखते हुए उस दिनों की याद करके हम लोग को लगता था कि वाह! अगर ऐसा जोश, ऐसा जज्बा उस समय के केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार का रहा होता, अगर उनकी सरकार इस तरह से साथ दी होती तो आज 2026 नहीं, बल्कि बहुत पहले नक्सलवाद से हम मुक्ति मिल गई होती। अगर आज से 10-20 साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्ति मिल गई होती, तो आज हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ऊंचाईयों पर होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे अवतारी पुरुष का ही इंतजार था, जिनके हाथ में यश लिखा हुआ था कि उनके लीडरशिप में ही यह कार्य हो पाएगा और आज वह संभव हुआ। सभापति महोदय, इस तरह की जो एक बड़ी समस्या थी। समस्या ऐसी थी, जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था। आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को रखा है और नक्सलवाद को लेकर उनका स्पीच उत्कृष्ट रहा है, उसके लिए मैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने नक्सलवाद के विषय को एक-एक करके रखा है।

सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि यह कार्य असंभव है और कभी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन उस असंभव को संभव करने का श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाता है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री संकल्प शक्ति के साथ, कमिटमेंट के साथ डेट देकर इस कार्य को पूरा किया। वहां केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।

समय :
4.44 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि हम उन क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ-साथ हर विभाग में बड़े पैमाने पर अलग-अलग निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति दी है। सभापति महोदय, अगर हम उन क्षेत्रों

में देखें, चाहे वह रोड की बात हो, बिजली की बात हो, टेलीफोन की बात हो, स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, एअर कनेक्टिविटी हो, रेल्वे कनेक्टिविटी हो, इस तरह से सभी एक साथ बहुत सारी योजनाओं पर वहां काम चालू हुआ है । हमारे वहां के जांबाज जवानों में जो जज्बा था, जोश बढ़ा, हमने देखा कि कोई भी घटना हुई है या तो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री या हमारे स्थानीय नेता या फिर माननीय केदार कश्यप जी हो या हमारे सांसद या उस क्षेत्र के विधायक हों, जहां-जहां घटना हुई है, चट्टान की तरह उनके परिवार के साथ खड़े हुये थे । यह संकेत गया कि हमार कोई भी जवान शहीद हुआ तो वहां हमारी सरकार का पूरा समर्थन था । वहां गये तो जवानों का जोश और दोगुना हुआ । वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना हम वहां पर जीत नहीं सकते थे और इसीलिए बड़े पैमाने पर वहां लोगों का भरोसा हमारी सरकार के प्रति बढ़ा । उनके भरोसे के साथ, वहां स्थानीय जनता के सहयोग से, पुलिस प्रशासन और हमारे केन्द्रीय रिजर्व बटालियन के लोगों का जज्बा, उनका जोश, उनकी हिम्मत की वजह से, उनके पुरूषार्थ की वजह से, जो विकराल समस्या थी, उसके निराकरण में हम सफल हुये हैं । सभापति जी, आज हम कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों में गत 12 वर्षों में भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 13 हजार मोबाईल टॉवर प्रस्तावित किये थे, जिसमें 5 हजार टॉवर स्थापित किये गये । यह मामूली बात नहीं है । सभापति महोदय, कुल स्थापित टॉवर में से 848 टॉवर भाजपा के छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 2023 के बाद 31 महीने में ही सभी स्थापित टॉवर शुरू कर दिये । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, वर्ष 2014 से वर्ष 2026 तक भारत सरकार ने इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 12,211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया । वहां पर 40 आई.टी.आई., 49 कौशल विकास केन्द्र, 259 एकलव्य मॉडल स्कूल का संचालन किया जा रहा है । बस्तर संभाग में भाजपा की डबल इंजिन सरकार प्रत्येक आदिवासी महिला को एक गाय और भैंस देकर उन्हें सहकारिता डेयरी नेटवर्क से जोड़कर उन्हे आजीविका के साथ जोड़ रहे हैं । इस प्रकार से वृहत कार्ययोजना लेकर चल रहे हैं । अगले 5 साल में बस्तर के लोगों को आय से 6 गुना अधिक आय पहुंचाने का लक्ष्य है । वर्ष 2031 तक विकसित बस्तर की स्थापना का भाजपा सरकार का संकल्प है और उस संकल्प शक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सदियों से आदिवासियों का गढ़ रहा है, बस्तर के आदिवासियों के समाज के प्रति सेवा, समर्पण और भावना से अनेक लोगों ने काम किया । कांग्रेस द्वारा मुख्य धारा से काट दिये गये । कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के सुदूर गांवों में आदिवासी समाज के लिये कार्य कर रहे इन सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, कलाकारों की चिंता ही नहीं की, अगर चिंता की तो अकेले धर्मपाल सैनी जी के नाम से चिंता की। हमारी सरकार आने के बाद डबल इंजन सरकार ने ना केवल बस्तर में नक्सल उन्मूलन कर विकास कार्यों को गति दी बल्कि बस्तर के आदिवासी समाज की सेवा करने वाले अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। अनूप रंजन जी, पांडे जी, अजय कुमार मंडावी जी, हेमचंद मांझी जी, पांडी राम मांडवी जी, रामचंद्र गोडबोले जी, श्रीमती सुनीता गोडबोले जी,

डॉक्टर बुधरी ताती जी को भाजपा सरकार ने सम्मानित करके दिखाया। कांग्रेस ने ऐतिहासिक भूल की थी। आपकी नीति क्या है, आपकी नियत क्या है? बस्तर के प्रति आपकी क्या सोच है, वह प्रदर्शित करता है। उस आधार पर हमें देश में नक्सल उन्मूलन के कार्य में मिली सफलता पर बस्तर रेंज के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक जिनका उन क्षेत्रों में एक विशेष कार्य रहा और उनकी काफी प्रभावी भूमिका रही। उन्होंने भी उस बस्तर क्षेत्र में नक्सल समस्या से जो अनुभव किया, जो देखा, उसके प्रति बस्तर की जनता ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया, इतना लाड़-प्यार दिया, मैं देख रहा था जब उनकी विदाई हो रही थी, कितने लोगों के आंखों में आंसू थे, कितने जवान रो पड़े थे, यह स्थिति थी। हमने सिर्फ वही नहीं किया, हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने सिर्फ आदेश ही नहीं दिया, बल्कि जो सुदूर अंचल में हमारे जवान लड़ते हैं, जूझते हैं, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते जूझते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर भी काम किया। हमने देखा है। वहां एक से एक छोटे-छोटे जवान, छोटे कर्मचारी, एक हमारे जो S.P.O.s होते हैं, उनमें भी जज्बा था और उनका जो अनुभव था, उस अनुभव का लाभ लेते हुए लोगों का दिल भी जीता है, उनका दिल जीतने के साथ-साथ हमें इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमारा जो आत्मसमर्पण का नियम बना, उसमें भी उससे काफी रुझान बढ़ा। सरकार के प्रति जो विश्वसनीयता थी, विश्वास का जो भाव बना, उस भाव की भी एक बहुत बड़ी देन है जो हम उन क्षेत्रों में शांति स्थापित कर पाए। सभापति महोदय, मुझे मालूम है, 2006 के पहले सलवा जुडूम के समय हम लोग उन क्षेत्रों में जाते थे, बड़ी मुश्किल से जाते थे, हेलीकॉप्टर में, प्लेन में भी जाने में डर लगता था। उस समय चुनाव के दौरान हमारे लोगों के हेलीकॉप्टर में फायरिंग हुई थी, हेलीकॉप्टर छल्ली हुआ, उसमें एक इंजीनियर शहीद हुआ था। इस तरह से न जाने कितनी घटनाएं घटी। अगर घटना के बारे में जिक्र करें, रानीबोदली की घटना, उस समय हम सभी लोग डी.जी. साहब के साथ वहां पर गए, 55 जवानों को जिंदा जला दिया गया, हम लोग सुबह घटना के बाद पहुंचे और बॉडी को जलते हुए देखा था। जीवन में इस तरह के दृश्य देखे हैं। मैं आज भी नक्सलवाद की बात करता हूं तो वह सीन दिखने लगता है। एर्राबोर की घटना का भी सीन दिखता है। रानीबोदली की घटना का भी सीन दिखता है, रानीबोदली की घटना का भी सीन दिखता है। सभापति महोदय, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी जब मुझे यह प्रभार दे रहे थे तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे रहने दीजिये, मत दीजिये। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं प्रभावित क्षेत्र से था। मैं एक-दो साल तक अपने घर तक नहीं गया। मेरा घर जाना मुश्किल था। चुन-चुनकर हमारे लोगों को मारा जा रहा था। सेमरवा में राम, न जाने कितने लोगों के साथ हुआ और हमारे अनेक कार्यकर्ताओं को मारा गया। बरवाही में मारा गया। महाराजगंज के पास उधर कई लोगों का कत्लेआम हुआ। सामरी क्षेत्र में कई लोगों का कत्लेआम हुआ। एक घटना प्रतापपुर में हुई थी। प्रतापपुर में भाजपा के नेता को दिन-दहाड़े काटा गया। राजपुर में।

श्रीमती रेणुका सिंह सरूता :- माननीय मंत्री जी, मैं प्रतापपुर गई थी।

श्री रामविचार नेताम :- आप गई थीं। राजपुर में कांग्रेस के बड़े नेता को शहर के किनारे खेत में काम करने के लिए गये थे, वहां उनको मारा गया, काटा गया। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री वहां सरगुजा गए थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। उस सरकार में इतनी संवेदना नहीं थी कि वह अपने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के यहां जाए और कम से कम उस परिवार को संवेदना दे। ये बात क्या करेंगे? इनके एजेंडा में कभी यह रहा ही नहीं कि नक्सलवाद को हमें समाप्त करना है। नक्सलवाद तो इनको सरकार बनाने की एक मशीनरी के रूप में काम करता था। कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे बने, उस समय कैसे हम लोग मैनेज करें, उसका ये लोग सहयोग लेकर, राजनीतिक सपोर्ट लेकर लोगों को, भाजपा को दबाते थे। सन् 2008 में जब मेरे क्षेत्र में चुनाव हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं घर से नहीं निकला, मेरे पास चारों तरफ से चिट्ठी आ गयी। बोले कि जीवन रहेगा तो चुनाव लड़ियेगा, मत निकलिए। हम लोग चुनाव प्रचार कर लेंगे, आप चुपचाप रहिए। मेरे कार्यकर्ताओं को उठाकर ले गये और उनको मारने ही वाले थे, उनकी हत्या करने वाले थे। लेकिन उन्हीं में से एक-दो थे, जिन्होंने बोला कि इसका कोई दोष नहीं है। उसको बचाया। इसी प्रकार से मैं घर से प्रचार नहीं कर पाया। लेकिन जनता का प्रेम था कि घर में रहकर लोगों ने मुझे जिताया। वहां से भी जिताया। आपको मालूम है कि किस तरह से हमारा वाड्रफनगर, बनारस रोड सुरक्षित नहीं था। अंबिकापुर में नक्सलियों की रैलियां निकलती थीं। उस समय दिन में रामानुजगंज जाना, बलरामपुर जाना मुश्किल था। हमारे रास्ते सुरक्षित नहीं थे। गाड़ियां चलती थीं तो गाड़ियों में उस समय उनकी घोषणा होती थी कि ये ब्लॉक हो गया है, नहीं चल सकते। बाहर से, दुर्ग से, भिलाई से, बिलासपुर से कोई जा रहा है तो उसको क्या मालूम? यात्री तो यात्री हैं। उनको क्या मालूम? कितनी गाड़ियों में, चलती हुई गाड़ियों में फायर किया गया, उनकी हत्याएं की गईं। इस तरह की बर्बरता की गई और आज अकेले बताया गया। एक से एक घटना हुई। जिसमें न जाने कितने बेगुनाह, बेकसूर लोग, बेकसूर हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी, पुलिस के जवान व उनके परिवार के लोगों का कत्लेआम हुआ। उन समस्त जनों, जिन्होंने शहादत दी, उनको मैं नमन करता हूं व कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं। उन्होंने जो संघर्ष किया और जिस प्रकार से अपने प्राणों की बाजी लगायी।

समय:
5.00 बजे

सभापति महोदय, शांति का टापू बनाने के लिए जिन्होंने जीवन को समर्पित कर दिया, इतना बड़ा बलिदान दिया, ऐसे बलिदानियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) यह देश सदैव ऐसे लोगों को याद करेगा। उन सबको देखकर हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि ऐसे लोगों का खून बेकार नहीं जायेगा, हम उनका एक न एक दिन बदला लेकर रहेंगे और उसे पूरा करके रहेंगे और छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बनाकर रहेंगे। उस संकल्प शक्ति ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। सभापति महोदय, आप अगर इतिहास में बात करें। मैं उन नक्सली घटनाओं के बारे में कहना चाहता हूं,

चाहे एर्राबोर की बात हो, ताड़मेटला की बात हो, धौड़ई के हमला की बात हो, झीरम घाटी की बात हो, सुकमा के टाकवाड़ा की बात हो, रानी बोदली की बात हो, सुकमा के दुरकापाल की बात हो, बीजापुर के तरेन की बात हो, अरनपुर की बात हो और चाहे सानगृह हमले की बात हो, चाहे हमारे एस.एस.पी. रहे विनोद चौबे जी की हत्या की बात हो, यह सब आंखों के सामने देखते-देखते हो गया। भास्कर सिंह दीवान की बात हो, हमारे एक मरावी जी टी.आई. थे, ऐसे न जाने कितने लोग, स्वयं हमारे विधायक भीमा मंडावी जी की बात हो, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं की बात हो, इतने बड़े-बड़े नेताओं के शहीद होने के बाद कांग्रेस ने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया। मैंने बताया कि यह लोग एक राजनीतिक दृष्टि से बात करते हैं। सभापति महोदय, आज यदि हम कांग्रेस की बात करें तो नक्सलियों के प्रति सदैव इनकी सहानुभूति रही और यही कारण है कि देश की आजादी के बाद सन् 1980 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जो भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अंतर्गत अंग्रेजों ने बस्तर संभाग के 4 हजार वर्ग किलोमीटर से बड़े अबूझमाड़ क्षेत्र को बहिष्कृत क्षेत्र वर्गीकृत किया था, देश की आजादी के बाद जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार रही, उस सरकार ने भी उसे as it is रखा और कांग्रेस जब-जब सरकार में आयी, तब-तब उन क्षेत्रों को अबूझमाड़ ही रखा, यह कभी नहीं सोचा कि वहां के लोग भी जल, जंलग, जमीन की कल्पना करते हैं, सोचते हैं। वह चाहते हैं कि वहां भी उनके नाम से पट्टे हो, जमीन के अधिकार पत्र हो, उनके भी जमीन का सर्वे हो, उनको भी जमीन का मालिकाना हक मिले। कौन नहीं सोचेगा ? लेकिन यह कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। अब हमारी सरकार आयी है, मोदी है तो मुमकीन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की संकल्प शक्ति और आदरणीय योजनाकार, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उन समस्त लोगों का, उन क्षेत्रों के सर्वेक्षण का काम जारी है। सभी काम हो रहा है। हम उन क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों को भूमि का अधिकार देने जा रहे हैं। हमने बड़ी संख्या में वन अधिकार पत्र भी बांटे हैं। हम उन क्षेत्रों में स्कूलों और आश्रम की संख्या बढ़ा रहे हैं। उन क्षेत्रों में सैकड़ों ऐसे आश्रम और छात्रावास थे, जिनके भवन नहीं थे, हम लोगों ने तय किया है कि एक साथ उन क्षेत्रों में जहां-जहां भवनविहीन आश्रम और शालाएं हैं, उन क्षेत्रों में जहां-जहां हमारे छात्रावास हैं, जिनके भवन नहीं है, हम उन्हें एक साथ बनायेंगे और हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) यह कार्य पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस के भाइयों, आपको किसने रोका था ? इसको कोई रोका नहीं था कि आप यह काम मत करिये। सभापति महोदय इसलिए मैं कहता हूं, वैसे भी अगर देखा जाये कि यह नक्सलवाद जब बस्तर में, छत्तीसगढ़ में आया, अगर आप इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार के समय बस्तर महाराज, बस्तर की आन, बान और शान, बस्तर की एक पहचान, जिन्होंने देश, दुनिया में पहचान स्थापित किया, तत्कालीन महाराजा प्रवीणचंद भंजदेव को सरेआम गोली से भूना गया। उस बस्तर में

आग लगी और वह उस समय से कारण बना। इस बात को कभी समझे नहीं। कांग्रेस के लोग तो उनको बराबर समर्थन करते रहे, नक्सलवाद का समर्थन करते रहे। ऐसे लोग क्या बात करेंगे?

समय
5.06 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो कारण है कि आज इनके जितने नेता आते हैं, इनके बड़े-बडे नेताओं का वक्तव्य सुनिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में हम सब यहां उपस्थित हैं और आज ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। और हम सबका सौभाग्य है कि आपके नेतृत्व में सरकार चलाने में भी सहयोग रहा और आज एक सदस्य के रूप में भी आपके साथ यहां बैठने का अवसर मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाईयां लड़ीं। लेकिन बीच में जो 05 साल का ब्रेक लगा, वर्ना 05 साल पहले ही नक्सलवाद का खात्मा हो गया रहता। उनके नेता आते हैं, राज्यसभा सांसद श्रीमती रंजीत रंजन जी की भाषा क्या रहती है? नक्सिलयों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहती हैं कि सभी नक्सली लोग गलत नहीं होते, बहुत लोगों को मिसयूज किया जाता है, बहुत लोग उनके नाम से दुकानें चला रहे हैं। वह भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं तो डर कैसा। ये उनके सांसद का कहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री नक्सलियों के बारे में क्या बोले थे? नक्सलियों के बारे में यही बोले थे कि वह भी सताये हुए लोग हैं, वह अपने हक की लडाई लड़ रहे हैं। 2003 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बोले थे। जब सरगुजा में बड़ी घटना हुई थी, उस समय उस घटना के संदर्भ को लेते हुए, सामरीपाट में जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें हत्यायें हुई थीं, उस संदर्भ में बात की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका तो इतिहास ही रहा है। जब कभी भी ये लोग आते हैं, ये सब इनके समय में गलत-गलत लोग आ जाते हैं। खाली एक से एक गुण्डे, मवाली, बदमाश, अत्याचारी, दुराचारी और भी न जाने क्या-क्या, वह सब उनके खास लंगोटिया यार हो जाते हैं। इसी प्रकार से 25 मई 2013 को झीरम घाटी हमले में मारे गये कांग्रेस के नेताओं को न्याय दिलाने में कांग्रेस पार्टी की कोई रूचि नहीं रही। बल्कि इसके पीछे एक ग्रूप दूसरे ग्रूप पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहा और आरोप-प्रत्यारोप लगाते-लगाते 5 साल निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं। नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार से इनके नेता, न जाने बहुत सारे नेताओं ने उद्धरण दिया, नक्सलियों के प्रति उनका जो समर्थन जारी रहा, बहुत सारे उदाहरण हैं। अन्य वक्ता भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी इन्होंने कि कांग्रेस की सहानुभूति इस बात से भी स्पष्ट होती है कि 172 से अधिक जवानों को मारने वाले हिड़मा के एनकाउंटर के बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर नक्सल समर्थित लोगों द्वारा जब नारे लगाए गए कि कितने हिड़मा

मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा तब कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा राहुल गांधी द्वारा अपने सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन का वीडियो रिट्वीट कर समर्थन किया । (शेम-शेम की आवाज) लज्जा आनी चाहिए, इस तरह के लोग, हमारे संविधान के विपरीत और देश के दुश्मन, ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले, मैं समझता हूँ कि अब इनको पूरा देश समझ चुका है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए और बोलने के लिए हमें अनुमति दी । मैं आज इस अवसर पर वर्ष 2013 में देश में जो 182 नक्सल प्रभावित जिले थे, वर्ष 2026 में शून्य हो चुके हैं । (मेजों की थपथपाहट) हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी के फौलादी इरादे के अनुसार और उनके कमिटमेंट के आधार पर उन्होंने जो कल्पना, उन्होंने जो घोषणा की थी कि मार्च, 2026 तक हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे । आज हम सब इन क्षेत्र के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, बस्तर सम्भाग के लोग, समूचे छत्तीसगढ़ के लोग उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010 में दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में 76 सी. आर.पी.एफ़. जवानों की हत्या के कुछ दिन बाद ही नक्सलियों से समझौता करते हुए कांग्रेस के नेता और देश के तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदम्बरम जी ने नक्सलियों के प्रति विशेष नरमी दिखाते हुए यह कहा था कि हम तत्कालीन यू.पी.ए. सरकार आपके हथियार छोड़ने को नहीं कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आप हथियार नहीं छोड़ोगे, हम जानते हैं कि आप सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते हैं इसलिए आप हथियार नहीं छोड़ेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं आपके नेतृत्व में जब मैं यहाँ गृह विभाग में काम कर रहा था तो उस समय सान्याल और कुछ ऐसे-ऐसे लोगों को पकड़ा गया । उनको पकडने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वहां से फोन आना शुरू हुआ, दिल्ली के इनके कई नेताओं के फोन आने लगे कि आपने किसको पकड़ लिया, उसको छोड़िए । अमेरिका तक से फोन आ रहा था । ऐसे-ऐसे लोग, यह इनका क्या दर्शाता है कि इनका तार कहाँ तक जुड़ा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम सब यहाँ चर्चा कर रहे हैं । आज निश्चित ही हमारी सरकार की देन है कि उन क्षेत्रों में आज एक तरह से नयी आजादी मिली है । आजादी महसूस कर रहे हैं, आज उन क्षेत्रों में हर कोई अपना जो एक सपना था, आज वह अपने सामने देखता है कि उनका सपना पूरा होते चल रहा है, वहाँ के जवानों, वहाँ की तरूणाई में, वहाँ के लोगों में जिस प्रकार से उत्साह और उमंग बढ़ा है, जिस प्रकार से सरकार के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा है और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को जिनको एक भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा है कि जिनके नेतृत्व में आज हमें इतनी खुली हवा, सांस लेने का अवसर मिला है, निश्चित ही हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के गृहमंत्री श्री विजय शर्मा जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार ने केन्द्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं गृहमंत्री जी के निर्देशों का शतप्रतिशत

पालन करके, इस छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया करने का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं गृहमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- अभी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित 9-10 सदस्य बोलने के लिए बाकी है। मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि यह विषय बहुत गंभीर है। आप सबका अध्ययन बहुत अच्छा है आप जितना संक्षिप्त बोलेंगे, उतना प्रभावशाली रहेगा। सुश्री लता उसेण्डी।

सुश्री लता उसेण्डी (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के साथ-साथ भारत के कई हिस्से और हमारे पड़ोसी राज्य जिस विकराल समस्या के साथ जूझते रहे, पूर्व में विकास की बात होती थी तो उन दूरस्थ अंचलों में बैठे लोगों और हम जनप्रतिनिधियों को भी यह लगता था कि जिस तरह मैदानी ईलाकों में विकास हो रहा है, उस तरीके से हमारे इलाकों में कब विकास होगा। जो यहां भय, आतंक का वातावरण था, वहां हम सब विकास के बजाए, विकास शून्य को देखते थे तो हमें निश्चित तौर पर एक पीड़ा होती थी । आज विश्व पटल पर विकसित भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देखा है और हम सब को लगातार यह कह रहे हैं कि वर्ष 2047 में विकसित भारत बनेगा। मुझे यह लगता है कि विकसित भारत की जो कल्पना है, हम सोच भी नहीं पा रहे थे जब 31 मार्च, 2026 के पहले हम जिन परिस्थितियों में रह रहे थे। यहां 31 मार्च, 2026 को परिस्थितियां बदलीं और सारे लोग जो सपने देख रहे थे उनको लगने लगा कि अब हमारा वह सपना साकार होगा। कई पीढ़ियों ने जिसकी तकलीफों को झेला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब यह जानते हैं कि इस सदन में जितने सदस्य विराजित हैं, हमारे साथ हैं, हर घर और हर परिवार का व्यक्ति इस समस्या के कारण से छत्तीसगढ़ में आतंकित रहा था। यह जरूरी नहीं था कि कोई सुकमा, कोण्डागांव, बस्तर, जशपुर या रायपुर का जनप्रतिनिधि है। रायपुर के जनप्रतिनिधियों को भी उतना ही भय था जितना सुकमा और कोण्डागांव के लोगों को था। क्योंकि जब भी बस्तर जाने की बात होती थी और नीतिगत निर्णयों पर बात आती थी तब हमारे जनप्रतिनिधि यह कहते थे कि आप बस्तर में मीटिंग मत रखवाईये। आप कहीं रायपुर में ही बैठक कर लीजिए। ऐसे भय के वातावरण में पूरा प्रदेश झुलस रहा था। हम सब जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और अंग्रेज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अंग्रेज जो देकर गये, कांग्रेस उसी दिशा में अभी भी चल रहा है और उसी का परिणाम है कि आज यहां से सदस्य पलायन कर गये हैं। अगर आजादी के बाद भारत को संवारने की उनमें हिम्मत होती और उन्होंने राष्ट्र प्रथम के भाव से काम किया होता तो मुझे लगता है कि आज वे इस सदन में उपस्थित होते। चाहे काम करते वक्त कोई भी गलती हुई होगी, नीतियों पर नीतिगत निर्णय करके, काम नहीं कर पाये होंगे। लेकिन आज यहां पर उनको बैठकर बातचीत करना था क्योंकि जो लोग शहीद हुए, उसमें एक पक्ष के लोग नहीं थे और न कोई समाज के

लोग थे, उसमें उनके लोग भी थे और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लोग थे, संपूर्ण देश के लोग थे और एक घटना में बड़ी संख्या में हमारे विपक्ष के साथियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी । मुझे समझ में नहीं आता, अगर मैं बस्तर की बात करूं, आदिवासियों की बात करती हूं तो वहां के डेमोग्राफी को भी चेंज करने का काम कांग्रेस ने किया, आजादी के बाद जब आपातकाल का समय आया था तो पूरे देश में आपातकाल लगाकर यह अभियान चलाया गया कि नसबंदी की जाये और दूरस्थ अंचल के आदिवासियों को जबरदस्ती पकड़कर, उनकी नसबंदी करवाकर उनकी पीढ़ियों को भी आगे बढ़ने से रोकने का काम कांग्रेस ने किया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप बस्तर चले जाएं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं । आपके नेतृत्व में जिन तकलीफों के साथ, जिस भय के साथ लोग रहे और उस भय को दूर करने के लिए आपने उस दिशा में लगातार प्रयास किया । कांग्रेस की नीति के कारण जहां पर बारूद पहुंचता था, लेकिन नमक नहीं पहुंचता था । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी साधुवाद दूंगी कि आपके नेतृत्व में वहां पर बारूद नहीं, नमक पहुंचाने का काम आपने किया और हमारे प्रदेश के लोगों को बहुत बड़े शोषण से आपने मुक्ति आपने दिलायी थी । मैं यह बात इसलिए कह रही हूं, जब गिनती होती थी तो यह कहा जाता था कि हमारे जो बार्डर के गांव हैं, छत्तीसगढ़ के जो बार्डर के गांव हैं, आंध्रप्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, आप जाकर देख लीजिए कि कई गांव खाली हो गए हैं । रामविचार नेताम जी अपने वक्तव्य को कहकर चले गए, अभी वे सदन में हमारे बीच में नहीं हैं । यह कहा जाता था कि हमारी बहुत बड़ी संख्या में जिनका राशन कार्ड, जिनका आधार कार्ड और जिनका पहचान-पत्र नहीं मिल रहा है, वे हजारों लोग आंध्रप्रदेश के बार्डर में जाकर रह रहे हैं, उनको लाने के लिए कार्य योजना कैसी बननी चाहिए, इस विषय पर चिन्ता होती थी । आज उस चिन्ता से किसी ने आजादी दिलाई है तो केन्द्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और हमारे प्रदेश के गृहमंत्री श्री विजय शर्मा जी के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आज सारी समस्याओं से हम लोगों को निजात मिला है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी घटनाओं का हम जिक्र करें तो मुझे लगता है कि दिन भर का समय भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम उन एक-एक घटनाओं को अगर याद करते हैं तो शायद हम समय पर पूर्ति नहीं कर पाएंगे । जब बलीराम कश्यप जी एक बार नारायणपुर से कोण्डागांव के लिए, भानपुरी के लिए आ रहे थे, उस समय पुल से उनकी गाड़ी निकली और पीछे पुल पर बम फट गया । तुरंत यह समाचार बना कि जैसे ही बलीराम कश्यप जी की गाड़ी निकली, पुल पर बम फटा और पुल तहस-नहस हो गया । वह तो गनीमत थी कि एक मिनट का भी समय नहीं था, चंद सेकण्ड ही निकला था, उस समय हमारे वरिष्ठ नेता निकले । हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहां पर उपस्थित थे, जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा । वे पार्टी के कार्यक्रम से सुकमा गए थे और एक नक्सली घटना से घिरकर वापस नहीं

आ पाए । उन्हें रातों-रात वहां के कार्यकर्ताओं ने निकालकर ले गए और हैदराबाद जाकर उन्हें रायपुर आना पड़ा, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा । महेश गागड़ा जी, केदार जी, मंगलराम उसेण्डी जी हैं, मैंने तो अपने परिवार को ही देखा है। हमारे बाबूजी को कभी घर जाना होता था, हम सब लोग चिंतित होते थे, वे बताते नहीं थे। घर से खबर आती थी कि आप लोग इस तरफ मत आया कीजिए । जब भी हमें आपसे मिलना होगा तो हम आपकी तरफ आएंगे और कई बार वे बिना बनाए निकल जाते थे और जाकर 15-20 मिनट गांव में रूककर वापस आते थे, तब हमें पता चलता था कि हमारे बाबूजी स्वर्गीय मंगलराम उसेण्डी जी अपने क्षेत्र में जाकर घर से मिलकर आ रहे हैं । अगर पीढ़ियों का गैप हुआ है तो हमने यह देखा है कि जो हमारे भाई-बहिन हैं, जिनमें 10-15 साल का गैप हो गया है, जब नक्सल का समाधान हुआ और आपके नेतृत्व में इस दिशा में लगातार प्रयास होता रहा और 2013-14 के बाद हमने थोड़ा बहुत जाना शुरू किया । वह जो छोटे भाई बहिन थे, जिनको हमें पहचान करवाना पड़ता था, हमारे लोग पहचान करवाते थे कि ये मंगलराम उसेण्डी जी की बेटी है, बेटा है । यह हमारे राजू राम उसेण्डी जी की बेटी है या बेटा है, ऐसी परिस्थितियों को किसी ने झेला है तो बस्तर के हमारे आदिवासी भाई बहिनों ने झेला है । सिर्फ विकास की बात नहीं है, एक पारिवारिक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था, एक सांस्कृतिक व्यवस्था को नष्ट करने का काम, अभी लगातार जिन वक्ताओं ने गिनाया है, मैं उन सारे विषयों पर नहीं जाऊंगी। लेकिन वहां इन सारी चीजों को नष्ट करने का प्रयास हो रहा था। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर यही इस तरह से रहते तो बस्तर और हम सब लोग खत्म हो चुके होते। ये किस विचारधारा के साथ जीते हैं ? अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इनके जो समर्थक दल हैं, सहयोगी दल हैं, वासावाड़ा राजस्थान के सांसद राजकुमार रोत जी आये थे तो पता लगा कि हमारे विपक्ष के कुछ लोग उनके लिए एक रैली का आयोजन किया कि हमारे सामाजिक नेता आ रहे हैं, आदिवासी नेता आ रहे हैं, आदिवासी लीडर आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना है। मैं उस समय वहां से रायपुर के लिए निकल रही थी तो मैंने देखा कि कांकेर से लेकर इस तरफ स्वागत की लड़ी लगी हुई थी। वह भी कहते हैं, उन्होंने भी कहा कि हिड़मा आपकी नजर में नक्सली है, लेकिन हिड़मा उन सब लोगों का एक रोल मॉडल है। तो ऐसे विचारों के साथ जीवने वाले लोग सिर्फ समाज और संपूर्ण राष्ट्र को निश्चित तौर पर नेस्तानाबूत करने की विचार के साथ जीते हैं और ऐसी परिस्थितियां हम सब लोगों के बीच उत्पन्न करते हैं। मैं माननीय विष्णुदेव साय जी को साधुवाद देती हूं। माननीय विजय शर्मा जी को साधुवाद देती हूं। हम लोग भी कई बार समझते थे, अभी विजय शर्मा जी यहां पर नहीं है, लेकिन कभी सांय से निकल जाते हैं तो हमें लगता था कि हमें सूचना नहीं दी है। लेकिन बाद में पता लगता था कि वह कुछ दूरस्थ अंचल में गये हुए हैं और वहां जाकर बस्तर नक्सलमुक्त हो, उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में

जो रिजल्ट मिला है, यह हमारे मंत्रियों के प्रबल दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण हुआ है कि हमको इस प्रदेश को नक्सलमुक्त करना है, उस दिशा में पहल के कारण मिला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक लोग और हम हमेशा कहते हैं कि समाज और सरकार मिलकर जिस कार्य को करते हैं, उस कार्य में सफलता निश्चित होती है और दूरगामी अच्छा परिणाम आता है, हम इस बात को कहते हैं। लेकिन उस बस्तर में लगातार लम्बे समय तक जिन लोगों ने सेवा का कार्य किया, उन्हें भी कांग्रेस ने कभी सम्मान देने का काम नहीं किया है। उन्हें भी कोई विशेष मंच देने का काम नहीं किया। एक लंबे समय तक बस्तर के लोगों को मुख्य धारा से रोककर किसी ने रखा है तो वह सामाजिक संस्थाएं हैं, वहां पर बलिदान देने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने विकट परिस्थितियों में, परेशान होने के बाद भी हर पल अपनी जान गंवाने का डर जिन लोगों को था, उन लोगों को भी याद करना चाहूंगी। हम जानते हैं कि ऐसी कई संस्थाएं हैं, बाबा बिहारी दास जी संस्था है, अलेख महिमा की संस्था है, आर्ट आफ लिविंग की संस्था है, विहृगंम योग संस्था है।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

<u>प्रस्ताव (क्रमश:)</u>

अध्यक्ष महोदय :- आप कन्टीन्यू करिये।

सुश्री लता उसेण्डी :- अध्यक्ष महोदय, गायत्री परिवार जैसी संस्थाएं हैं, रामकृष्ण आश्रम है, जिन्होंने पीढ़ियों को गढ़ने का काम और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का, उनको उनकी संस्कृति से बनाये रखने का काम किया है। ऐसे लोगों को भी कांग्रेस ने कभी सम्मानित और कभी याद करने का काम नहीं किया । शायद वे नहीं होते तो सरकार की जो पहल है, उसमें भी हमारे युवा उस परिस्थिति से गुजर रहे थे, शायद और भी विकराल परिस्थितियां सब लोगों को देखने को मिलता। आज का वह बस्तर में तेजी से विकास बढ़ रहा है। रेल की सुविधा की बात हो, सड़क के इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्कूल की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तेजी के साथ हर गांव तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यदि वह यात्रा कहीं से शुरू हुई है, यदि मैं स्पेशली छत्तीसगढ़ की बात करूं तो आपके नेतृत्व में सन् 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैंने नमक और चावल देने का

कहा, वहां से नमक और चावल की यात्रा शुरू हुई थी। इन्फ्रास्ट्रक्चर से यह यात्रा शुरू हुई थी। यह यात्रा आज माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण से इन सब समस्याओं से मुक्त हो पाये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में बस्तर उन ऊंचाईयों को छुयेगा, जिन ऊचांईयों को छूने के लिए बस्तर आजादी के समय से ही तैयार था। लेकिन गलत नीतिगत निर्णय की वजह से मध्य प्रदेश में संयुक्त सरकार के समय जो परिस्थितियां वर्ष 1993 के बाद छत्तीसगढ़ बस्तर में मध्य प्रदेश में हुआ था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आप जानते हैं कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी और उनके चरमराने के कारण से न वे राशन दे पा रहे थे, न नौकरी करने वालों को तनख्वाह दे पा रहे थे और नए युवाओं को न रोजगार दे पा रहे थे और रोजगार नहीं मिलने की वजह से भी जो हजारों युवा हैं, उनको उस नक्सलवाद की तरफ रुख करना पड़ा था। आज उन सारी समस्याओं से निजात दिलाने वाली हमारी सरकार को मैं साधुवाद देती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का यह समय हमारी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार के लिए आभार प्रस्ताव रखा है, यह आभार प्रस्ताव निश्चित तौर पर इतिहास में एक अविस्मरणीय अवसर के रूप में लोग जानेंगे और जो आने वाली पीढ़ी है, तेजी के साथ विकास करेगी और वह हमारा ढोलकल का मंदिर हो, चाहे माई दंतेश्वरी का मंदिर हो या हमारे यहां का दशहरा हो, जब हम लोगों से कहते थे कि हमारे यहां बस्तर के दशहरे में आप आइएगा, माई दंतेश्वरी जी का दर्शन करिएगा और हम कहते थे कि ढोलकल के मंदिर में पहाड़ पर चढ़कर देखिएगा, तो लोग पहले पूछते थे कि वहां पर जाना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जा सकेंगे या नहीं और चले गए, तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ऐसी परिस्थितियां बस्तर में उत्पन्न करके छत्तीसगढ़ में रखा हुआ था । इन सारी चीजों से निजात दिला कर एक भयमुक्त वातावरण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं सरकार को साधुवाद देते हुए, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को साधुवाद देते हुए, अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- आप सब जब बोल रहे हैं तो मुझे यह कहने में संकोच हो रहा है कि कम बोलें। क्योंकि बस्तर ने दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई जीती है। दुनिया के इतिहास में यह स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, शौर्य बस्तर वालों की ताकत और जिस जीवटता के साथ हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, सभी दल के लोग प्राण को हथेली में रखकर, जान को बाजी लगाकर, 15 साल, 20 साल हमने देखा है। वे कैसे झंडा लगा के जाते थे, दूसरे दिन उनके घर में ब्लास्ट हो जाता था। उसके बाद भी एक कार्यकर्ता नहीं भागा। ऐसे लोगों के बीच जब मैं अध्यक्ष के नाते बैठा हूं, तो मैं किसी को समय में बांध नहीं सकता। मैं अपना समय वापस लेता हूं। आप जितना बोलना चाहें, बोल सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट) श्री विक्रम उसेंडी

श्री विक्रम उसेंडी (अंतागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बस्तर में शांति के साथ विकास की बातें और खास तौर से अभी जिस प्रकार से अगस्त 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक, माने करीबन 19 माह का एक कालखंड या अवधि, जिसमें नक्सलवाद की समाप्ति के लिए जब यह घोषणा हुई तो हम भी सोचते थे कि यह किस प्रकार से होगा, क्या होगा? चूंकि नक्सलवाद का दंश सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में हमने झेला है। मुझे मालूम है, चूंकि कांकेर जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया, खास तौर से हमारा अंतागढ़, कोयलीबेड़ा अपने विधान सभा पर मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पहले का जो कालखंड था, उस कालखंड में भी मुझे याद है कि लगातार जो घटनाएं हो रही थीं, जब वर्ष 1992 में अपने गांव बोंदानार अंतागढ़, वहां के एक बहुत अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति, अपने गांव के पटेल, आयतूराम कोमरा थे। वे इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, आसपास सामाजिक रूप से रहते थे, लेकिन इन चीजों के कारण नक्सलियों को लगा कि यह व्यक्ति रहते हमारे अभियान को आगे नहीं बढ़ा पायेंगे। इसके चलते वह रावघाट वगैरह के एरिया में भी..।

अध्यक्ष महोदय :- आप और लता उसेंडी कभी अपने गांव नहीं जा पाए। यह मुझे मालूम है।

श्री विक्रम उसेंडी :- जी, सही कह रहे हैं। तो उस घटना में हुआ क्या, खास तौर से 9 अप्रैल, 1992 की पहली वहां घटना होती है। चूंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे, अपने घर के सामने पटेल का घर था, रात को आकर, घेर कर, घर को तोड़ कर, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब उसके साथ ही साथ दूसरी एक घटना वहीं अपने गांव से लगा एक सरंडी गांव है, वहां के गायता माने प्रमुख को खास करके वहां पर रामलाल ध्रुव, प्रभावशाली व्यक्ति, आमा जुगानी का कार्यक्रम होता है। उसमें वे कार्यक्रम में रहते हैं, मंदिर में पहाड़ किनारे वहां पर 5 अप्रैल, 1995 को नक्सली आते हैं, वहां पर उनकी हत्या कर देते हैं। उसी प्रकार से तीसरी घटना, मैं पूरी घटना इसलिए बता रहा हूं कि अपने गांव से सब पांच किलोमीटर के अंदर में घटनाएं लगातार घटती थीं। एक जनपद सदस्य थे तेजसिंह मरकाम, वे एम.ए. इंग्लिश किए हुए, पढ़े-लिखे व्यक्ति थे और वे बस्तर के गांधी कहलाते थे। उनकी वेशभूषा देखकर कोई नहीं कहता था, लेकिन वे उस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते थे। वहां नक्सली गतिविधियों को लेकर सुरक्षा कैंप होना चाहिए, इसके लिए बाकायदा उन्होंने दिल्ली से लेकर यहां तक पत्राचार किया था। यह भनक नक्सलियों तक लगी कि यहां पर सुरक्षा कैंप खुलेंगे तो यह होगा, इसलिए उनके भी घर में जाकर हत्या कर देते थे। उसी प्रकार से ताड़ुकी में एक नंदू नेताम थे। वह 15 अगस्त के दिन झंडा फहराकर आ रहे थे, वे तेंदूपत्ता यूनियन के अध्यक्ष भी थे। वहां पर बाजार में नक्सली आकर उनकी दिन-दहाड़े हत्या कर दी। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले ये चार आसपास की घटनाएं अपने गांव के पास घटी थी, जहां मैं रहता था, वहां पर यह घटना मैंने देखा था। वर्ष 1993 में मैं विधायक बनने के बाद, चूंकि वह पूरा क्षेत्र धीरे-धीरे नक्सलवाद के कब्जे में होना शुरू हो गया और लगातार उनकी घटनाएं, बैठकें खासतौर से हो

रही थी। इन घटनाओं के साथ ही साथ मैंने उस समय लगातार यह कालखंड देखा कि उनकी धीरे-धीरे खासतौर से दंडकारण्य राज्य की मांग और बहुत सारे मुद्दों को लेकर वहां पर नक्सलियों की आवाजाही, उनके साथ संगम सदस्य का जुड़ना, इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही थी। लेकिन उस समय तत्कालीन कांग्रेस की जो सरकार केंद्र और मध्य प्रदेश में रही, उनके द्वारा ध्यान नहीं देने के चलते धीरे-धीरे नक्सलियों का एक संख्या बल बढ़ते गया। अध्यक्ष महोदय, खासतौर से जब छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद वर्ष 2003 में आप मुख्यमंत्री बने, तब मुझे मंत्री पद का दायित्व मिला था। मुझे याद है कि पहली बार दिसंबर, 2003 में मेरा रायपुर से कोयलीबेड़ा का दौरा हुआ था। हम वहां जाकर पहला कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जब हम उस कार्यक्रम से वापस आ रहे थे, तब वहां बजरंग बली मंदिर के पास अचानक नक्सली निकलते हैं, फिर वे हमें रोकने का प्रयास करते हैं। उनका यह प्रयास था कि इनका अपहरण करके सरकार प्रभावित करें, लेकिन ड्राइवर की सूझ-बूझ से हम वापस कोयलीबेड़ा पहुंचते हैं। कोयलीबेड़ा पहुंच करके हमें वहां रात को रुकना पड़ता है, रात को रुक कर दूसरे दिन सुरक्षा के साथ हम वापस आते हैं। यह घटना हुई और उसके साथ ही साथ लगातार मेरे ऊपर सात-आठ बार ऐसी घटना घटी। खासतौर से उसके बाद एक और घटना घटी थी। जब मैं 27 नवंबर, 2004 कोयलीबेड़ा जा रहा था, तब सिकसोर हनुमान मंदिर के पास फायरिंग हुई थी। 28 फरवरी, 2005 सोलंगी के पास जाते समय पुनः एक बार फायरिंग हुई थी। एक घटना 7 अक्टूबर, 2005 को महाराष्ट्र सीमा के पास एक माध्यमिक शाला स्कूल पानावार के स्कूल भवन का वहां पर लोकार्पण होना था, उस कार्यक्रम में मैं गया था। वह कार्यक्रम करीबन 4 बजे के आसपास समाप्त होने की स्थिति में था, तब वहां अचानक फायरिंग शुरू हुई। हम सोचे कि भाई, दोनों तरफ से पटाखे फूटे, लेकिन सुरक्षा वाले बोले कि सर, नक्सली फायरिंग कर रहे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद यह मैसेज आता है कि आपको स्कूल में ही रुकना पड़ेगा। तब हमको रात भर उस पानावार स्कूल में रुकना पड़ा। उस समय वहां के शिक्षक हमारे लिए खिचड़ी वग़ैरह का व्यवस्था करवा दिये, जिस प्रकार से रुक कर दूसरे दिन सुबह सुरक्षा हम आए। एक घटना 7 अक्टूबर, 2005 की थी और एक बड़ी घटना जो 11 नवंबर, 2005 है, उसमें कोयलीबेड़ा में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर होता है, उस समय शिविर में तत्कालीन सांसद, कलेक्टर एक साथ कांकेर से कोयलीबेड़ा के लिए निकले, वहां कार्यक्रम हुआ, जन समस्या निवारण शिविर वग़ैरह हुआ, फिर चार बजे वापसी के समय अपने पास दस-बारह गाड़ियों का काफिला रहा होगा। वापसी के समय अधिकारी से लेकर कुछ जनप्रतिनिधि भी आ रहे थे। हम एक ही साथ बैठे थे, सांसद जी, कलेक्टर वग़ैरह और बाकी हमारे मिनिस्टर की गाड़ियां थीं। कोयलीबेड़ा और बजरंग बली मंदिर के बीच में अचानक ब्लैक जैकेट कमांडो के ड्रेस में नक्सली निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू किए। ऐसा दृश्य तो मैंने फिल्मों वग़ैरह में ही देखा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी गाड़ियां निकलते गए, कई अधिकारियों के गाड़ी के ग्लास टूट गए, कुछ अधिकारी घायल भी हो गए और संभवतः बारहवें-तेरहवें नंबर के एक बोलेरो

गाड़ी में एक सरपंच, सचिव, ये चार लोग बैठे थे, उसमें सरपंच के हाथ में गोली लगकर सचिव के सीने में लगी, उनकी स्पॉट में ही डेट हो गई थी। उसके बाद उनकी गति के चलते हमारा कभी भी कोयलीबेड़ा बाय रोड जाना ही बंद हो गया। उस समय आप मुख्यमंत्री थे, तब मैं बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष होने के नाते आपसे हेलीकॉप्टर मांग कर आना-जाना होता था। फिर बाद में बी.एस.एफ. कैंप और सुरक्षा कैंप लगना शुरू हुआ, फिर आवाजाही शुरू हो गई। इस प्रकार से उस समय लगातार घटनाएं हो रही थी। फिर उसके साथ ही साथ आगे पखांजूर में मेरा एक निर्माणाधीन मकान था, वहां पर भी ब्लास्ट करके उड़ाने का प्रयास हुआ था। उसके साथ जब मकर संक्रांति पर पखांजूर में बड़ा मेला लगता है, जो 14 जनवरी को होता है। उसमें भी मैं वन मंत्री के रूप में जाते समय उसके पहले ही जब सुरक्षा में वहां से पुलिस वाले आए थे, उसमें दो आरक्षक थे, महिला आरक्षक भी थी, उसमें दो आरक्षक ब्लॉस्ट में शहीद हो गये । एक महिला आरक्षक को किडनैप किया गया । इस प्रकार की घटनायें हुई । हमको रूट बदलकर मानपुर-मोहला बदलकर जाना पड़ा । इस तरह से कई घटनायें घट रही थी । विकास यात्रा के समय मुख्यमंत्री के रूप में आपका अंतागढ़ आगमन 23 मई 2018 को होता है तो उसी दिन रात को नक्सली मेरे गांव बर्रेबेड़ा में फार्म हाऊस को ब्लास्ट करके उड़ा दिये । उस घटना के कारण कार्यक्रम न हो, इसलिये कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था । वहां बहुत सारे गांवों में घटनाओं के बीच आना-जाना भी नहीं हो पा रहा था । नक्सलवाद समाप्ति के बाद बहुत सारे गांवों में पहली बार जनता का आना-जाना हो रहा है । जनता की मांग पर और स्वयं भी कार्यक्रम रखता हूँ, सभी कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं कुलमिलाकर बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के आर्शीवाद से 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बनने के बाद बहुत सारे गांवों में कभी भी जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन पहली बार उन गांवों में जाकर जनता से संवाद करने का अवसर मिल रहा है । अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि बेचाघाट है, जिसके बारे में पुल का निर्माण 9 दिसम्बर 2021 से, जैसे ही पुल बनने की बात आई तो वहां पर आसपास नक्सलियों के कहने पर जनप्रतिनिधि के समर्थक धरने पर बैठकर वह पुल न बने और सुरक्षा कैम्प हटाये जायें, वहां पर लगातार 50-100 लोग बैठते भी थे और प्रतिवर्ष वहां पर 9 से लेकर 11 दिसम्बर के बीच पूरे अलग-अलग राज्य से जो वामपंथ उग्रवाद विचारधारा के लोग त्रिपुरा, मेघालय बाकी जगहों से आते थे और बहुत सारे जनप्रतिनिधि उस विचारधारा के वहां पहुंचते थे, वहां पर दो दिनों का कार्यक्रम होता था । वहां पर लगातार कार्यक्रम के चलते बैठे रहते थे । मैं 30 तारीख को वहां पर गया भी था । हमारी सरकार बनने के बाद पुल के निर्माण का काम शुरू हो रहा है । वह अबूझमाड़ से लेकर जुड़ेगा और नारायणपुर तक और महाराष्ट्र जाने के लिये बनेगा, उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है । उसके आगे शीतरम का एक बड़े पुल का निर्माण हो रहा है, कुलमिलाकर 7 किलोमीटर के अंतराल में जो कल्पना नहीं कर सकते थे, उन जगहों पर निर्माण का काम शुरू हो चुका है । पहली बार 30 तारीख को ताड़बेड़ली गांव जो कि महाराष्ट्र से लगा हुआ गांव

है, वहां पर शाला प्रवेश उत्सव में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ है । वहां गांव वाले बुलवाये थे, बढ़िया कार्यक्रम हुआ था । वहां पर भी गांव वाले बता रहे थे कि 1984 में एक नक्सली को वहां मारा गया था, महाराष्ट्र से वह क्षेत्र लगा हुआ था, आज वहां पर विकास के बहुत सारे काम हो रहे हैं । नेस्लानार का क्षेत्र हो, वहां पर भी बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं । पुल-पुलियों के निर्माण कार्य हो रहे हैं । आज हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी, उनके नेतृत्व में नक्सलवाद समाप्ति के बाद बस्तर जिस प्रकार से विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है । नक्सली घटनाओं में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जहां पर बहुत सारे परिवार घर-बार छोड़कर जा रहे हैं, चाहे अंतागढ़ हो, भानुप्रतापपुर हो, उनको सरकार की ओर से सहायता मिल रही है । खासतौर से हमारे क्षेत्र में भी आप देखें तो रेल लाईन का विस्तार राव घाट तक चल रहा है । वृक्षों की कटाई का मामला था तो उसमें भी वन विभाग के अधिकारी के साथ-साथ बहुत सारे सुरक्षा अधिकारी वहां पर घायल हुये थे । उस समय वृक्षों की कटाई भी नहीं हो पा रही थी । रेल लाईन के निर्माण की बात हो, वहां पर स्थानीय लोगों को समझाना पड़ा था, लेकिन वहां तेजी से काम हो रहे हैं और रावघाट आगे बढ़ने वाला है । कुलमिलाकर बस्तर में आज रेल लाईन के विस्तार की बात हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बहुत सारे सड़कों के निर्माण की बात हो, यह सभी काम आज तेजी से हो रहे हैं। खासकर, आज का यह अवसर जहां पर नक्सलवाद समाप्ति के बाद बस्तर में एक नये युग की शुरूआत हो रही है । आने वाले समय में बस्तर में जिस प्रकार से सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया था, जहां पर हमारे जनप्रतिनिधि बहुत सारे गांव में जा भी नहीं पाते थे, उन गांवों के लिए अब नक्सलवाद समाप्ति के बाद वहां पर कार्यक्रम के साथ-साथ राज्य सरकार उसको ध्यान देकर बहुत सारे काम कर रही है। मैं केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं, जिनकी दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते इस प्रकार का निर्णय हुआ। हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर पाते कि बस्तर नक्सल मुक्त होगा, नक्सलियों की समाप्ति होगी। सबसे बड़ी बात खास तौर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का नेतृत्व करने वाले जो नक्सली थे, यहां वाले नक्सली तो भोले-भाले थे, सामान उठाओ, जाओ, इस प्रकार से थे, लेकिन वे मारे जा रहे थे लेकिन नेतृत्व करने वाले वहां के नक्सली थे। जहां नक्सल समस्या लगातार हो रही थी, उन क्षेत्रों में आज नक्सली समस्या का समाधान हो रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से हमारे सभी प्रमुख हमारे मुख्यमंत्री सहित सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आने वाले समय में बस्तर एक नए युग के साथ और बेहतर तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। बस्तर में जो अधूरे काम हैं वह पूरे होंगे। जिस प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं, 2047 की बात करें तो कुल मिलाकर बस्तर में एक अलग नक्शे की बात आ रही थी। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय भी नक्सलियों के द्वारा पृथक दंडकारण्य राज्य की बात आ रही थी। उस समय भी ये बात चल रही थी। हमारे गृह मंत्री जी को याद होगा, इसी समय 28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक उनका एक शहीदी सप्ताह चलता रहता था। अभी

भी हमारे क्षेत्र में मेरे ख्याल से प्रतापपुर, दलम-वलम में कुछ बचे हैं, लेकिन वह सब गन-वन छुपा कर ऐसी ही कहीं-कहीं घूमते रहते हैं, मुझे इस प्रकार की जानकारी मिली है लेकिन कहीं पर उनकी गतिविधियां नहीं हैं। जब शहीदी सप्ताह आता है तो इस प्रकार की कोई घटना ना हो, उस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारी सरकार सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ आगे कैसे विकास हो, इसके लिए तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार निर्णय लेकर राज्य सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो काम कर रही है, आने वाले समय में बस्तर मील का पत्थर होगा। हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा बहुत सारी बातें आ गई है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से बस्तर का एक रोडमैप बना हुआ है, जहां पर सड़कों के साथ-साथ रेल के विस्तार अंदरूनी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासतौर से जो अबूझमाड़ क्षेत्र है, हमारे वन मंत्री जी के क्षेत्र से बिल्कुल लगा हुआ है, हमारे कोयलीबेड़ा और अंतागढ़ के क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं, जनता में नए उत्साह के साथ-साथ उमंग है। आने वाले समय में नए युवाओं के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वनोपज के संबंध में उनकी कार्यशाला आयोजित की जाए, ऐसी बहुत सारी मांग आ रही है, हमारे मंत्री जी उसके लिए विभाग से अलग-अलग चर्चा कर ही रहे हैं, आने वाले समय में उस क्षेत्र में बहुत सारे काम होंगे। इस नक्सलवाद की समाप्ति के बाद आभार व्यक्त करते हुए हम राज्य सरकार के माध्यम से एक बार पुनः हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- वक्ताओं में बहुत गंभीर विषय उठा रहे हैं। सलवा जुडूम के बारे में व्यापक चर्चा अभी तक नहीं आई है। चैतराम अटामी जी इसके सबसे नजदीकी गवाह रहे हैं तो अपना विषय प्रस्तुत करें।

श्री चैतराम अटामी (दंतेवाड़ा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं माई दंतेश्वरी के पावन भूमि से, बस्तर की रक्त सिंचित माटी से यहां आकर इस सदन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूं। आज मेरे भीतर दो भावनाएं एकसाथ उमड़ रही हैं। एक तरफ हमने दशकों तक पीड़ा झेली है और दूसरी तरफ अभी हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं। जिस बस्तर को मैंने जलते देखा, जिस बस्तर को मैंने रक्त में डूबते देखा, आज वही बस्तर विकास की नयी इबारत लिख रहा है। आज यह बदलाव देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी के अटूट संकल्प, प्रदेश के मुखिया, आदिवासी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय और हमारे गृहमंत्री सम्माननीय विजय शर्मा जी की दृढ़ इच्छाशक्ति से संभव हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मैं जो बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं, बाकी लोगों को वह कहानी लगेगी। लेकिन वास्तव में वह कहानी नहीं होगी। मैं वही बात करूंगा, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं वही बात करने के लिए यहां पर आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। नक्सलवाद

का असली चेहरा क्या है? उसको मैंने किसी किताब से नहीं, बल्कि स्वयं अपनी आंखों से देखा है। नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश की सीमा उसूर-बासागुड़ा होते हुए अबूझमाड़ में आया है। नक्सली अबूझमाड़ में आते हैं और पूरे बस्तर में कोने-कोने में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं और जब वह जन अदालत की बात करते हैं तो उसकी कुछ घटनाएं मैं आप लोगों को बताता हूं। उनकी जन अदालत को हमने सुना है। नक्सली किसी को गोली मार देते हैं, किसी का गला काट देते हैं, हमने यहां तक तो सुना है। लेकिन एक बार अबूझमाड़ क्षेत्र में मेरे गीदम-दंतेवाड़ा से पुलिस गयी। जो नाव पार करने वाला केवट होता है, उसकी नाव पार करके जब पुलिस वापस आयी तो पूछा गया कि किसने नाव चलायी और पुलिस को पार कराया? उसकी दीदी और उसके भाई-बहन दोनों घर में रहते थे, उसको वह पकड़े और जन अदालत में बुलाये। वहां पर अदालत लगाते हैं। बुलाने के बाद उनको सजा दी गयी कि गड्ढा खोद, फावड़ा लेकर आओ, यहां गड्ढा खोद। उसने गड्ढा खुद खोदा। गड्ढा खोदने के बाद उसको घुसने के लिए बोला गया। यदि नहीं घुसोगे तो उसकी बड़ी बहन से मारपीट की, उसको गड्ढे में घुसने दिया। उसके बाद उसकी बड़ी दीदी गड्ढे में मिट्टी भरी। जिंदा इतनी मिट्टी भरे, फिर पूछते थे, तड़पाते थे, फिर पूछते थे। गला तक मिट्टी भरे, फिर जिंदा उसके ऊपर मिट्टी भर दी गयी और कौन भरा? उसकी बड़ी दीदी। ऐसे ही मेरे क्षेत्र में अबूझमाड़, ताकेलोड़, बोड़गागांव का एक परिवार था और उसका परिवार मेरे क्षेत्र में रहता था। जब वह इधर आते थे तो पुलिस उस बीच में गयी। तुमने जाकर वहां पर पुलिस को बता दिया, इसीलिए पुलिस आती है। उनको एक चिता बनाया गया। पूरे गांव के लोग लकड़ी लेकर आये, लकड़ी लाकर एक चिता बनाये। चिता में उसके बड़े भैया और छोटे भैया, उसकी पत्नी, अब उसको पीछे हाथ बांधने के लिए बोले। परिवार का ही बड़ा भाई उसके दोनों हाथ को पीछे बांधा। उसके बाद परिवार उठाकर चिता में लगाये और उसकी पत्नी से जिंदा उस पर आग लगाने के लिए बोले और पूरा परिवार यहीं रहो, जाने भी नहीं दिया, देखते रहो कि कैसे तुम्हारा पति मरता है। इस प्रकार इन लोगों की जन अदालत में इस प्रकार की सजा देते थे। यह पीड़ा हमने देखी है। वास्तव में मैं जिस घर में रहता था, उस घर में लगातार नक्सली आते थे। मैं एक घटना बता रहा हूं। गीदम से बीजापुर रोड में बहुत बड़ा साप्ताहिक बाजार होता था। वहां नक्सली दिन में आये और व्यापारियों का पूरा सामान लूटकर ले गये। वे वहां पूरी जनता को लेकर आये कि आज बाजार लूटना है। कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने कहा कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन सबको दबाव बनाकर लाये और जितना भी सामान है, सबको लेकर जाना है और वह बाजार लूटकर ले गये। वहां इंद्रावती नदी थी, उस इंद्रावती नदी में वास्तव में हम जो कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा की बात करते हैं। सीमा में जिस प्रकार पुलिस तैनात होती थी, उसी प्रकार वहां भी तैनात कर दिये। यदि हमारा आदमी नदी के उस पार जायेगा तो वह वापस नहीं आयेगा, वह ऐसी सीमा थी कि जो भी नदी पार कर लिया, वह वापस इधर नहीं आयेगा और उधर का आदमी इधर आया तो वह भी वापस नहीं जायेगा। ऐसे हमने ग्राम सुरक्षा

समिति गठित की थी। जिस दिन उन्होंने बाजार लूटा था, वहां 50 कि.मी. दूर से केवल महिलाएं आती थीं, बिलखते, रोते, तड़पते, वहां सामान ले जाने में और वापस जाने में दो दिन लगते थे और और वह रोते, रोते वापस जाती थी। मुझे उनका दु:ख सहन नहीं हुआ और मैं नक्सलियों से बात करने के लिए अबूझमाड़ गया। जहां वह लोग पहले जगह दिये, उस जगह में नहीं आये, दबाव बनाये कि पहाड़ के ऊपर जाना है। मुझे 7 कि.मी. दूर फिर से बुलाया गया है और मैं वहां गया। उस समय सारे नक्सली वहां पर बैठे हुए थे। मेरे साथ 10 हजार लोग नक्सली से प्रताड़ित हुए थे, वह लोग मेरा साथ देने के लिए आये और बोल रहे थे कि आज नक्सलियों को खत्म करना है। लेकिन मेरी उन लोगों से बातचीत नहीं हुई थी लेकिन चैतराम अटामी जी आ रहे हैं, आज हमको नक्सलियों को मारना है। लेकिन हम गये और निहत्थे गये, वे पूरी बन्दूकें और हथियार लेकर आये। सबसे पहले मैं जब वहां गया तो उन लोगों ने लाल सलाम कामरेट बोला, मैंने बोला जय जोहार। उन्होंने बोला कि यहां हमारे दादा का चलेगा, आपका नहीं चलेगा लेकिन मेरे साथी बोले कि आज तुम्हारे दादा का नहीं सुनेंगे, आज तुम लोगों को हमारे दादा का सुनना पड़ेगा। ऐसे 3 घण्टे बातचीत चली। अभी रूपेश के साथ राजमन आया था, वही था। उसी ने मेरे साथ बातचीत की थी। मैंने उन्हें बोला कि आपने बाजार को क्यों लूट लिया, लोग इतने परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा कि यह आपने किया है। उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, जनता ने किया। इस प्रकार वे एक बात को माने कि आज के बाद बाजार नहीं लूटेंगे। उसी दिन उन्होंने मुझे मजबूर किया था कि आपको हमारा हथियार पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा हथियार नहीं पकड़ूंगा, यदि पकड़ लिया तो मुझे जेल ले जायेंगे। मैं उसके बाद वापस आया और अपने गांव-गांव में बैठक किया और ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया। हमारे गांव की सुरक्षा हम करेंगे, न नक्सली करेगा, न पुलिस करेगी। (मेजों की थपथपाहट) मेरे ग्राम सुरक्षा समिति में भी कोई पुलिस रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। अगर पुलिस वहां जायेगी तो अनुमति लेनी होती थी। नदी के उस पार के लोग गीदम आते थे, मैं आई.डी. कार्ड जारी किया था, उसको ही लेकर जो आयेगा उसे आने दिया जायेगा। यह स्थिति थी। वर्ष 2003 से 2005 तक मैं रात को कभी नहीं सोया था। जब मैं एक दिन घर में सोया तो बारिश के समय 400 युवा मेरी सुरक्षा में तीर-धनुष लेकर लगे हुए थे और उसमें से तीन लोग सांप का शिकार हो गये। मैंने उसी दिन से प्रण कर लिया कि अब मैं रात का नहीं सोऊंगा, दिन में सोऊंगा। वर्ष 2003 से 2005 तक मैं कभी रात में नहीं सोया। तब जाकर मैं तीर धनुष लेकर लड़ाई करता था। मैं उसके बाद पूरा चक्कर काटा, मेरे तीन साथी मारे गये। मैंने उसके बाद प्रण कर लिया और यहां आकर मैं डी.जी.पी. साहब से मिला और मैंने कहा कि आप मुझे हथियार दीजिये या आप मुझे हथियार नहीं दे सकते हैं तो मुझे अनुमति दे दीजिये, मैं दो नंबरी हथियार बनाने वाला हूं। फिर मैंने ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया, उसके बाद ओ.पी. राठौर साहब डी.जी.पी थे, उन्होंने मेरी बात को माना। उसके बाद कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया। कारगिल युद्ध में वहां के युवा को बंदूक दिया गया था, वहां पर स्पेशल पुलिस अधिकारी बनाये गये थे। इस तर्क पर मैं

आया और मैंने कहा कि आप मुझे बंदूक दीजिये, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऐसे करके मैंने शुरूआत की। उसके बाद कोई तैयार नहीं थे ।

समय

6.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम सुरक्षा समिति के मेरे 50 लोगों को लेकर 12 दिन की ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करने के बाद मेरे को सरकारी हथियार मिला है और हथियार मिलने के बाद हम सीधा नक्सली के साथ मुठभेड़ करना शुरू कर दिये। उस समय हमारे क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य रात को घूमते थे और एक साईड नक्सलवादी घूमते थे जिसकी दहशत से लोग अपने घरों में 6 बजे ताला बंद कर देते थे, कोई एक-दूसरे के घर में नहीं जा सकते थे, क्योंकि ग्राम सुरक्षा समिति के लोग तीर-धनुष लेकर घूमते थे, वह डर था। दूसरा नक्सली आते थे, कब कहां मुठभेड़ होती थी, ये दोनों के बीच डर था। फिर ग्राम सुरक्षा समिति चलते-चलते एक दिन ऐसा आया, फिर हमारे सरपंचों को बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अल्टीमेटम जारी कर दिये कि कोई सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य नहीं रहेगा, सारे लोग इस्तीफा दो। बीजापुर, सुकमा के सारे लोग इस्तीफा दे दिये थे। मैं एक बैठक किया, फिर हम सरपंच, जनप्रतिनिधि बनाये। सरकार के काम को क्यों बंद करेंगे, हम चलायेंगे, हम सुरक्षा देंगे, ऐसा बोला। पूरे यहां से लेकर भोपालपट्टनम से लेकर कोन्टा तक बैठकें किया और मेरी यहां पर पूरी ग्राम सुरक्षा समिति तैनात हुई है और हमारी ग्राम सुरक्षा समिति रक्षा करेगी। सरकार के काम को बंद करने की जरूरत नहीं है। सरकार हमारे लिये दे रही है। फिर सारे लोगों को इस्तीफा वापस करवाये। फिर हमारी ग्राम सुरक्षा समिति को पूरा तैनात किये। फिर उसके बाद जब मेरे लोग मारे गये, कई लोगों को जिंदा जन अदालत में, मेरे साथी को मार दिये, उसके बाद एक जन को घायल कर दिये, मैं रात का उठाकर लाया और उसको लाने के बाद जंगल में एक डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवाया। क्योंकि वहां पता चलेगा कि कौन ले गया, उसको भी वह लोग मारेंगे। ऐसा कोई मारने के बाद भी इलाज नहीं करना है, कहीं पता नहीं लगना है। फिर उसके बाद कुछ लोग वापस आये, वहां नाम लिखा हुआ था। फिर एक जन की चिट्ठी नीचे गिर गई, फिर वह पढ़कर सुना दिये कि इतने लोगों का नाम है, एक को तो मार दिये, इतने लोगों को मारने वाले हैं। फिर एक व्यक्ति तीर- धनुष लेकर घर में बैठ गया अब तो मैं भी मरने वाला हूं। फिर नक्सली आ रहे थे, उसको ढूंढकर कौन ले गया, यहां से कौन उठा के ले गया, पता करो। नक्सली घर-घर आ रहे थे, उसी के घर जा रहे थे। तीर चला दिया, एक नक्सली स्पाट में खत्म हो गया, सारे नक्सली भाग गये। अपने कपड़ा में उसका पूरा खून लगाया और मेरे पास आ गया। मैं एक नक्सली को मारा हूं, आज मेरे को बचा दो। जब वह नक्सली मारकर मेरे पास आया, फिर उसके बाद उसको लेकर आया। फिर इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, इनको न्याय नहीं मिला। थाना में रिपोर्ट किये, थाने के लोग सहयोग नहीं किये, कौन मारा उसको पकड़कर लाओ। फिर

संघम सदस्य को पकड़कर लाये हैं। इसके पास हथियार नहीं है, वर्दी नहीं है, कैसे मानेंगे। फिर इन लोग गये, फिर एक एरिया कमांडर को पकड़कर लाये। इसके पास बंदूक नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग तय कर लिये कि फिर आज हम वैसे भी मरने वाले हैं। फिर बीच बाजार में ये लोग अपना हथियार लेकर चलना शुरू कर दिये। ऐसे ही यह ग्राम सुरक्षा की चिंगारी मेरे गांव कसोली से कुटरू में जाकर वह चिंगारी आग लग गई। फिर वहां से यह सलवा जुडूम का पूरा आंदोलन बड़ा रूप ले लिया है। (मेजों की थपथपाहट) उसी बीच में महेन्द्र कर्मा जी और कवासी लखमा जी प्रतिनिधिमंडल बनाकर मेरे पास मिलने के लिये आये। इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिये ? यह जनता साथ नहीं देगी। महेन्द्र कर्मा जी बोले कि मैं भी पहले आंदोलन चलाया, बहुत लोग मारे गये। मैं उनको वहीं जवाब दिया कि आप राजनीति स्तर पर आंदोलन चलाये। ये राजनीति नहीं है, ये स्वत:स्फूर्त आंदोलन है। ये प्रताड़ित लोग आंदोलन कर रहे हैं जिसको न्याय नहीं मिला है। उसके बाद महेन्द्र कर्मा जी दोबारा हमारे आंदोलन को देखे, फिर महेन्द्र कर्मा जी बाकी लोगों को छोड़कर हमारे बीच में आ गये और हमारा साथ देना शुरू कर दिया। महेन्द्र कर्मा जी ने कहा कि यह बहुत अच्छी चीज है और आज नक्सलियों को खत्म करना होगा। ऐसा करते-करते हम बहुत आगे बढे फिर महेंद्र कर्मा और हम बैठकर एक आंदोलन का नाम दिये हैं सलवा जुडूम । सलवा यानी अच्छा, शांति और जुडूम यानी सारे लोग मिलकर एक आंदोलन को कुचलना है, कोई दुश्मन को सारे लोग मिलकर उसको दबाना है । ऐसा करके एक जुडूम है । ऐसे सलवा जुडूम का नाम दिए उसके बाद हम तत्काल पूरे क्षेत्र में और कोई लोग तैयार नहीं थे । मेरे गाँव में लोग आये, सबसे पहले अबूझमाड़ के लोग मेरे पास ही आये । मण्डी में इतने हजारों लोगों को रखा, उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय आप तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, मैं आपके पास आया कि इन लोगों को कैसे करना है, इन लोगों को घर देना है और यह कहाँ रहेंगे ? रोज 2-3 लोग मर रहे हैं । एक-साथ इतने हजारों लोगों का खाना, वह एक-साथ सोते थे, आप बोले और मुझे भेजे कि आप जाइए । मैं गृह मंत्री और सभी डी.जी.पी. को लेकर आउंगा । आप भैरमगढ़ में आये फिर हमने राहत शिविर कैंप की स्थापना की है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय रामविचार नेताम जी गृह मंत्री रहे हैं। जब मैंने अबूझमाड़ में एक पदयात्रा की, वहां तक पहुंचा और वहाँ महेंद्र कर्मा जी कहीं फोन के लिये टॉवर लगा, मुझे फोन दिये कि तुम्हारे मंत्री को बुलाओ, वहां फोन लग रहा है, वहां जाकर फोन लगाओ । उन्हीं के फोन में आपको सुखदेव साथी के साथ हमने फोन लगाया और ताकेलोड़मे अबूझमाड़ में पहली बार हेलीकॉप्टर में आप आये और वहां देखे हैं, वहां का दृश्य देखे हैं कि कैसे आप आते थे, हेलीकॉप्टर उतारते थे, वहां पर 2 बम विस्फोट हुआ है, हेलिकॉप्टर घूमता रहा उसके बाद भी हिम्मत करके उतरे हैं । उतरने के बाद हमको जब देखे, हम एके 47 लेकर वहां पर भाषण दे रहे थे तब आप बोले हैं कि असली सेना तो आप लोग हैं । (मेजों की थपथपाहट) उस समय कलेक्टर साहब भी रहे, वह भी हमारे साथ एके 47 लेकर हम दोनों लड़ते थे, पिस्दा साहब आज इस दुनिया में नहीं हैं । हम दोनों ने ऐसी लड़ाई लड़ी है । वास्तव में

यहाँ पर क्षेत्र को मैंने देखा है । मैंने इतने लोगों को खोया है लेकिन आज मुझे सुख मिला है। (मेजों की थपथपाहट) आज की स्थिति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है लेकिन मेरे साथी लोगों को मैंने खोया है इसके लिए भी बहुत दुख होता है । जिस प्रकार हमारे जवान बैठकर बस में यात्रा कर रहे थे, सवारी बस में सुकमा की ओर जा रहे थे और उसको जब उड़ा दिया गया है, ऐसे उड़ा दिया गया है । वहाँ पर 15 जवान शहीद हो गए और बाकी 17 आम आदमी शहीद हो गये । जब मुझे खबर मिली और मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि कोई झाड़ के ऊपर कुछ हिस्सा लटका हुआ था, किसी का पैर इधर था, किसी का सिर अलग था । ऐसे दृश्य को मैंने देखा और मैंने भी उस गाड़ी में उठा-उठा के कुछ धड़ को वहां पर डाला है । मैंने ऐसे-ऐसे दृश्य को देखा है । किस प्रकार का बम विस्फोट कैसे-कैसे होता था । मैंने ऐसे कई विस्फोट को देखा है । जिस प्रकार हमारे ताड़मेटला में 76 जवान शहीद होते हैं, किस प्रकार जवान शहीद होते हैं । आज कांग्रेस के लोग बात करते हैं कि अभी कोई नक्सली को जवान मारता है तो मानव अधिकार की बात करते हैं या मानव अधिकार का कानून लाते हैं । अगर कोई जवान नक्सली को मारता है वहाँ पर तमाम् प्रकार का वहां सवाल खड़ा करते हैं । यह ग्रामीण है, यह नक्सली नहीं है । आज देख रहे हैं, जो आये हैं वह कहां के हैं, वह गांव के ही रहने वाले नक्सली हैं । मैंने इस परिस्थिति को देखा है और मैं सलवा-जुड़ूम में कैसे कंधे से कंधे मिलाकर नागा फोर्स के साथ मेरी टीम, स्पेशल पुलिस अधिकारी पूरा उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम सीधा मुठभेड़ में शामिल हो गए । मैंने कितने मुठभेड़ देखे हैं, मैं तो नरक और स्वर्ग देखा हूँ । मैंने दोनों जीवन देखा है, मैं इतने मुठभेड़ से बचकर कैसे आ गया । मेरे साथ सारे लोग गये। वहां एस.डी.ओ. और टी.आई. थे उन्होंने यह कहा कि कभी हमने जीवन में ऐसा नहीं देखा। हम पूरे 24 घण्टे गोली चलाते रहे, हमने इतनी गोलियां चलायीं कि मेरे मित्र की तीन ए.के. 47 में आग लग गयी।

अध्यक्ष महोदय :- आपने कितने मारे?

श्री चैतराम अटामी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने मुठभेड़ में तो दो लोगों को मारा, बाकी हम निर्दोषों को बिल्कुल बचाकर चलते थे। वहां मुठभेड़ में तो कई लोग मारे गये हैं। मैं आपको बाकी कहानी नहीं बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको एक ही सलाह दूंगा। आप अपने पूरे जीवन का वर्णन कर रहे हैं। पूरा सदन उतनी ही गंभीरता से सुन रहा है। मुझे यह मालूम है कि आप पूरे युद्ध में हर मोर्चे पर थे, आप इस पर एक किताब लिख दीजिए। यह दुनिया को बताने की जरूरत है, जो चैतराम अटामी की कलम से लिखी जानी चाहिए। चलिए, अपनी बात समाप्त करिये।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि बाकी लोगों ने मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया है, हमारे सलवा जुड़ूम और एस.पी.ओ. को प्रतिबंध लगाया है और आप तात्कालीन मुख्यमंत्री थे आपने हमें दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से बचाया है।

मुझे जेल भेजने और सलवा जुडूम को बंद करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, उसी दिन से फिर उसका नाम बदलकर, स्पेशल पुलिस अधिकारी को सहायक आरक्षक बना दिया गया। आज वही सहायक आरक्षक डी.आर.जी. बनकर, पूरे सेन्ट्रल फोर्स या छत्तीसगढ़ फोर्स के साथ कंधे-से कंधा मिलाकर, लड़ाई लड़ा है। इसी का नतीजा है कि अगर कोई असली लड़ाकू है तो हमारे डी.आर.जी. के लोग हैं, वहां का उनको पूरा भौगोलिक अनुभव था, वे अच्छी लड़ाई लड़े हैं। मैंने यह अपनी घटना बतायी है। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं इतनी सारी घटनाएं बता सकता हूँ, लेकिन अभी समय को ध्यान में रखते हुए, मैं पुनः ...।

उप मुख्यमंत्री (गृह)(श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप जारी रहें, जिसको जल्दी है, वह काम करेंगे, लेकिन आप उसको सुनायें।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय गृह मंत्री महोदय जी धन्यवाद्। मैं आप सबके सामने अपना अनुभव और अपनी आंखों देखा हाल साझा कर रहा हूँ। जिस प्रकार से नक्सली लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने हमारे कितने आदिवासियों को मारा है। यहां पर नक्सली लोग आदिवासियों के अधिकार की बात करते आयें और नक्सलियों ने आदिवासियों को ही पूरा ध्वस्त, समाप्त कर दिया। कभी भी नक्सली अपने नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने नक्सलियों को सहयोग किया है उन्होंने सबसे पहले उसी को मारा है। वह ज्यादा दिन नहीं चल सकते थे। अभी इधर कांग्रेस के लोग नहीं हैं अगर यहां पर कांग्रेस के लोग रहते तो मेरी और एनर्जी बढ़ती। मैं उनको पूरा जवाब देता कि अगर नक्सल समस्या के विषय के बारे में कोई भी चर्चा करनी होगी तो मैं ऐसे कांग्रेस के लोगों को अकेले ही जवाब दे सकता हूँ। मैं उनको हर चीज का प्रमाण के साथ जवाब दे सकता हूँ। आज मेरे पास पूरे प्रमाण हैं कि यहां नक्सली कैसे और कहां पर आयें और उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब यहां पहले वही नक्सली आयें और लोगों से मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि हम आपकी जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए आएं हैं। जब मैं वहां गया था तो मैंने राजमन से आमने-सामने बात की । मैंने उससे पूछा कि भाई, तुमने बाजार को क्यों लूटा, मैंने ऐसे शब्दों में बात कर दी तो उसने मुझसे सीधे कहा कि आप क्या करेंगे, उसके 4-5 गार्ड आये, उन्होंने मेरे कान में दो बंदूक टिकायी, उस समय कार्बन और ए.के.47 था और 40-45 लोग थे, मैंने कहा कि तुम अपनी बंदूक हटाओ, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मुझे मारना है तो उधर शुरू करिये। यहां पर जितने लोग हैं, सभी को मारो, उसके बाद मुझे मारो, मैंने उनसे ऐसे ही शब्दों में कहा कि यहां तुम क्या करने आये हो। तो उसने कहा कि मैं सेवा करने आया हूँ, यह तुम्हारी क्या सेवा है, यहां कहां पर अस्पताल है, कहां पर पुलिया है, कहां पर स्कूल है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जो यहां पर लूटते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं उसको बचाने के लिए आया हूँ। मैंने ऐसे ही सीधे जवाब दिया। यहां जब से तुम लोग आये हो तब से यह क्षेत्र कागजों में चल रहा है, यहां के विकास का पूरा पैसा कागजों में निकल रहा है और आधा राशि तुम्हारे पास आ रही है, तुमने फलाने सरपंच को क्यों मारा ? तो कहा कि वह

पुलिस की मुखबिरी करता है, तभी हम मारते हैं, अन्यथा नहीं मारते । इस प्रकार हमारे राजमन इंद्रावती दलम लीडर हुआ करता था, वह इस प्रकार की बातें करता था इसलिए नक्सली समाप्त हुए हैं, आज मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नक्सलियों ने केवल हथियार डाला है और अपनी जान बचाने के लिए आये हैं, हमें फिर से उस अबूझमाड़ में बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, वहां के लोगों के विचारों में परिवर्तन करने की जरूरत है, वहां विचारों की लड़ाई लड़ने की जरूरत है । फिर से लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में दोबारा यह चीज न आये । माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अबूझमाड़ को 100-100 सीटर का एजुकेशन हब चलाने के लिए अनुमति दी गई है, स्वीकृति दी गई है । आने वाले समय में अबूझमाड़ के हमारे बच्चे जहां नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, जहां नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, वहां आज शिक्षा में वृद्धि होगी और वहां से बच्चे निकलकर आएंगे और आने वाले भविष्य में पूरे देश में अबूझमाड़ की दिशा और दशा बदल जाएगी, इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं । यह सरकार वहां पर विकास के काम शुरू करने जा रही है । आज इन्द्रावती नदी, जिस प्रकार पाकिस्तान और काश्मीर भारत की सीमा जैसी हुआ करती थी, आज बड़ी खुशी हुई कि नक्सलवाद समाप्त हुआ, हमारे लोग आसानी से वहां पर पहुंच पा रहे हैं। सबसे पहले मेरा भी गांव अबूझमाड़ में भी था, वहां भी घर था । सबसे पहले मेरे घर को ही नक्सलियों ने लूटा है और लूटने के बाद नक्सलियों ने पूरा आतंक मचा दिया था । मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार केन्द्र के फोर्स, सीआरपीएफ के जवान, छत्तीसगढ़ के सशस्त्र बल और हमारे डीआरजी के जवान और हमारे जितने भी जवान यहां पर आये और नक्सलियों से लड़ाई लड़ी, उससे हमारे बस्तर ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त कराया इसलिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में दोबारा ऐसी नौबत न आये, ऐसे सुरक्षा बल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरी बातें सुनी और मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जब हम लोग चैतराम अटामी जी को सुन रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि बस्तर का जो चित्रण है, वह कितने दर्दनाक तरीके से हमने उसको हमारे जीवन में उतारा है, हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है । मुझे याद है, मैं सी.ई.ओ. जिला पंचायत के रूप में दंतेवाड़ा में काम कर रहा था और एक जगह मीटिंग ले रहा था तो चैतराम अटामी जी अपने साथियों के साथ आये हुए थे । हम लोगों ने उस समय विकास के एक नये आयाम के बारे में भी बातचीत किया था । मैं ऐसा मानता हूं कि 40 साल के बाद फिर से बस्तर के कोने-कोने में पहली बार तिरंगा लहराएगा क्योंकि अधिकांश हिस्से में काले झंडे ही लहराये जा रहे थे । एक ऐसा बस्तर जहां पर प्रकृति ने और ईश्वर ने इतना सारा कुछ दिया है, परन्तु एक राजनीतिक

दुराग्रह की वजह से, मैं राजनीतिक दुराग्रह इसलिए कहूंगा कि जब नक्सलवाद की शुरूआत नक्सलवाड़ी में हो रही थी, उसके ठीक पहले 1966 में हमारे बस्तर के महाराजा जिनको आदिवासी भगवान के रूप में जानते थे, उनको उनके महल में घुसकर सरकारी तंत्र के द्वारा मार दिया जाता है। मारने का कारण क्या था ? आज भी जनता पूछती है, जानना चाहती है कि हमारे भगवान प्रवीण चंद महाराज को क्यों मारा गया ? यह जो विद्रोह की बात निकलकर आती है, उसकी शुरूआत यहीं से होती है। उस दिन न केवल बस्तर के महाराजा को मारा गया, बल्कि 30 हजार से ज्यादा की संख्या में बस्तरवासियों को मारकर इन्द्रावती के नदी में बहा दिया गया था। हम जब स्कूलों में पढ़ा करते थे तो हमारे क्षेत्र के लोगों को ले जाकर दिखाया जाता था कि नक्सलवादी इस क्षेत्र में न्याय लेकर आये हुए हैं। फलाना फारेस्ट गार्ड के द्वारा बंटवारा नहीं दिया जा रहा है, मजदूरी नहीं दी जा रही है तो उनको उनके शरीर में चींटी चढ़ाया जाता था, उनको घुटने में टिकाया जाता था और उनको उनकी मजदूरी दिलाई जाती थी। बस्तरवासी बड़े भोले-भाले होते हैं। उनके इस कारनामे से बहुत प्रभावित हो जाते थे। धीरे-धीरे करके कब नक्सलवाद फैल गया किसी को अंदाजा नहीं लगा। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो हम लोगों ने किसी मामले को लेकर कांकेर थाने का घेराव किया था। घेराव करने के कारण लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुईं। उसके दूसरे दिन कुछ नकाबपोश हमारे हॉस्टल में आते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि हम लोग थाने को उड़ाने में आपका सहयोग करेंगे आप लोग तैयार हो जाओ। लेकिन मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज और हॉस्टल के नवजवान उस बहकावे में नहीं आते हैं। दूसरे दिन उस समय के जाने माने नेता स्व. माननीय बलीराम कश्यप जी आते हैं, जो वास्तव में उस समय हमारे बाहुबली करते थे। वह हमारे समर्थन में खड़े हो जाते हैं, हमको न्याय मिलता है। हमारे जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उन्हें छुड़वाया जाता है। मैं आज भी याद करता हूं कि एक सेकण्ड की देरी थी, अगर हम बहकावे में आकर उन नकाबपोशों के साथ चले जाते तो आज मैं एक विधायक के रूप में नहीं खड़ा होता। मैं आज इनके सामने जरूर लड़ाई करते हुए नजर आता। लेकिन उस दिन बचने का मौका मिला। अभी हमारे विक्रम उसेण्डी जी बात रहे थे, हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़कर निकले हैं। एक ही इलाके के रहने वाले हैं। मैं अपनी नौकरी का ज्यादातर समय मध्यप्रदेश में बिताया। जब 1998-99 में अपने गांव लौटा तो अपनी कार लेकर आया था। गांव वाले परेशान हो गये। एक तो आना नहीं था और दूसरा अपनी कार लेकर आ गया, दूसरा गलत काम हो गया। मुझे बताते हुए हंसी भी आ रही है कि मेरी कार के ऊपर पैरा डालकर छुपाया गया था, ताकि कोई देख न सकें, ये हालत थी। मेरे घर के किनारे हैण्डपम्प है। हमारी मानसिकता कैसी हो जाती है वह बता रहा हूं। जब हम किसी परिवेश में रहते हैं, किसी वातावरण में रहते हैं तो हमारी मानसिकता कैसे हो जाती है। हम तब तक नहीं सोते थे, जब तक रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज नहीं आती थी, उस हैण्डपम्प से पानी निकालने की आवाज बंद नहीं हो जाती थी, हम लोग तब तक जागते रहते थे। हमारा पूरा गांव जागते रहता था। जब गांव के कुत्तें

भौंकते थे उस हैण्ड पम्प से पानी निकालने की आवाज नहीं आती थीं तो सब समझ जाते थे कि नक्सलाइट वहां से निकल चुके हैं, हमारे गांव से पानी वगैरह लेकर चले गये हैं। तब तक हर आदमी जागते रहता था।

अध्यक्ष महोदय, जन अदालत की बात आई। हम जनरली कोर्ट में देखते हैं कि कोर्ट में लीडिंग क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी हमारे धरमलाल कौशिक जी नहीं हैं, माननीय डिप्टी सीएम साहब हैं। तो वहां पर लीडिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तुम्हारे सामने जो है, यह आया हथियार लेकर, हथियार उठाया और हथियार चलाया। बोलो सही है? तो केवल वह हां बोलता है। तो लीडिंग क्वेश्चन में जैसे हां बुलवाया जाता है, हां बुलवाया जाता है और क्रॉसिंग में न बुलवाया जाता है, न बुलवाया जाता है। तो उसी तरीके से जनअदालत की स्थिति रहती है, वहां पर जो चाहे बुलवा करके सजा देने की परंपरा रहती है और पूरे गांव के लोगों के सामने, जैसे दो घटना का इन्होंने जिक्र किया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे गांव में पूरे आसपास के जितने भी बड़े लोग, संभ्रांत लोग, जिनसे पूरे आसपास के क्षेत्र का नियंत्रण होता था, उनको सबसे पहले खत्म करने का काम किया गया। मैं इसी सिलसिले में एक विन्डो मांझी की बात बताना चाहूंगा। विन्डो मांझी नाम का एक बहुत ही संभ्रांत और बहुत ही ताकतवर और समाज में जिसका बहुत प्रतिष्ठा पूर्वक नाम हुआ करता था, आमाबेड़ा का विन्डो मांझी। अभी बड़े तेवड़ा की जो घटना हुई है, यह बड़े तेवड़ा वही बड़ा तेवड़ा है, जहां पर चर्च वाली घटना हुई थी और यह उसी गांव का मांझी हुआ करता था, जिसका नाम विन्डो मांझी था। इस विन्डो मांझी को सबसे पहले नक्सलवादियों को बुला करके जिन्होंने मरवाया था, यह वही सरपंच था, जिसके घर में अभी आगजनी की घटना हुई और धर्म परिवर्तन के नाम पर जो घटनाक्रम हुआ, यह उसी बड़े बड़े तेवड़ा की घटना है। तो मैं कहने का मतलब यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1966 से लेकर अभी तक जो घटना बस्तर में हुई और उसका मौन तरीके से बैठकर उसका मजा देखने वाले कांग्रेस के लोग यहां पर आज मौजूद नहीं हैं। यह इन्हीं लोगों के बदौलत, केवल और केवल कांग्रेस की बदौलत हमारे बस्तर में नक्सलवाद पनपा। उसको सहयोग देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मदद किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके मुख्यमंत्रीत्व काल में हम बस्तर में टाटा स्टील प्लांट लेकर आने वाले थे। लगभग 80% लोगों ने मुआवजा ले लिया था। केवल एक छोटा सा समय की बात थी और वहां पर स्टील प्लांट लग जाता। वहां पर भी नक्सलाइटों ने जनता को आगे करके विरोध का काम करवाया और एक बहुत बड़े विकास के मार्ग में बाधक बन गए। जबकि उस काम में आपके साथ माननीय महेंद्र कर्मा जी भी जुड़े हुए थे और स्वर्गीय बलीराम कश्यप भी चट्टान की तरह खड़े हुए थे। तो हमें आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो लोग आज यहां पर बैठकर हिड़मा को एक रोल मॉडल के रूप में पेश करना चाह रहे हैं, वह फिर से बस्तर की छवि को, बस्तर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके बारे में अभी चैतराम अटामी जी भी बात बता रहे थे कि हथियार छुपाए गए हैं, हथियार

खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मानसिक तौर पर जो नक्सलवाद है, जो अर्बन नक्सलवाद है, उसको ठीक करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विष्णु देव जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री के दिशा-निर्देशन में जो काम यहां पर चालू हुआ है, यह दोबारा नक्सलवाद को पनपने नहीं देगा। यह संकल्प लेने का आज हमारे पास यह दिन है। (मेजों की थपथपाहट) आज हम आभार व्यक्त जरूर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम संकल्पित भी हो रहे हैं कि दोबारा यह स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, हमारे बस्तर में नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि यह न केवल नक्सलवाद को समाप्त करने का अभियान है, बल्कि यह बस्तर के और खास करके आदिवासी समाज की जो पहचान है, उसकी अस्मिता है और उसकी जो मर्यादा है, उसको बचाने का भी अभियान है। क्योंकि हम लगभग यह मान चुके थे कि नक्सलवाद हमारे लिए अब जीवन का पर्याय हो गया है। हमें जीना भी है नक्सलवाद के साथ और मरना भी है तो नक्सलवाद के साथ। लेकिन इतना बड़ा संकल्प और उस संकल्प को पूरा होते हुए देख कर अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है । अब समझ में आता है कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी थी जो कि एक विकलांग स्थिति में आ गई थी, अब इसका उपचार होने लगा है और दोबारा कभी नक्सलवाद का छाया हमारे बस्तर में नहीं होना चाहिए, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। मैं आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि हम लोग टेल एरिया में अपना वक्तव्य रखने वाले नेता लोग थे। हमारे सामने जो बड़े-बड़े नेता लोग थे, उन्होंने 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक अपनी बात रखी। तब हमको लग रहा था कि हमें खड़े होकर केवल आभार व्यक्त करना है, लेकिन आपने व्यवस्था दी कि आप जितने समय चाहे, उतने तक बोल सकते हैं, तब हम लोगों को थोड़ा ताकत मिल गया।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री नीलकंठ टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, यह कहानी इतिहास में एक ऐसी आजादी के रूप में लिखी जाएगी कि भारत देश वैसे तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन भारत का बस्तर सही मायने में में 31 मार्च, 2026 को आजाद हुआ है (मेजों की थपथपाहट) और उसके बाद विकास की एक नई रफ्तार को पकड़ने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ उसको शेयर करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी मंत्री महोदय को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। अभी मैंने देखा है कि 15-20 दिन पहले बस्तर क्षेत्र में एक ही दिन एक साथ 6-6 मंत्री मौजूद थे, यह हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है, वरना पहले कोई बस्तर जाने के लिए 10 बार सोचता था। वर्ष 1994 में राज्य प्रशासनिक सेवा में जब मेरी नौकरी लगी थी, तब भोपाल में मैं सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय में पहुंच गया। सबका नियुक्ति आदेश हो गया था, सब डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन मुझे आदेश नहीं मिला था, तब मैं सीधा डिप्टी सेक्रेटरी के चेंबर में

घुस गया। अचानक वह मैडम बोलीं कि आप कौन हैं? आप कहां से आ गए? तब मैंने कहा कि मैं बस्तर से आया हूं, तो वे उठकर अंदर चली गई। बाद में मुझे शिव नेताम जी बुलाए, उस समय वह मंत्री हुआ करते थे। वे बोले कि यार कुछ भी करते हो, कम से कम आपको चिट्ठी लिख कर तो देना चाहिए, क्योंकि वह तुमको नक्सलाइट समझ बैठी थी। (हंसी) मैंने बोला मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, बाहर कोई चपरासी भी नहीं बैठा था, इसलिए मैंने चिट्ठी बनायी भी नहीं और मैं सीधे घुस गया। हम बस्तर के लोग ऐसे कारनामे में नहीं भी रहते थे, लेकिन हमारे बस्तर की पहचान नक्सलवादियों जैसा हो गया था। इस कलंक से हमको एक तरह से छुटकारा मिल गया है और मैं आज सदन को एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। हमारे कॉलेज के अंग्रेजी के एक प्रोफेसर बताया करते थे कि दिल्ली में कभी प्रोफेसरों का कांफ्रेंस होता था, हमारे प्रोफेसर ने परिचय दिया, तो पूरा सदन उनकी ओर देखने लगे। हमने सुना है कि बस्तर के लोग कपड़े ही नहीं पहनते हैं और तुम तो बिल्कुल कपड़े-लत्ता पहनकर आए हो। हमारे प्रोफेसर ने जवाब दिया था कि यह बात सही है कि बस्तर के लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन वे लोग एक जोड़ी कपड़ा शिला कर रखते हैं और जब कभी भी दिल्ली आना रहता है, तो ट्रेन से उतरते समय उसको पहन करके नीचे उतर जाते हैं। यह जवाब उन्होंने उनको व्यंग्य के रूप में दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा बस्तर, एक ऐसा छत्तीसगढ़ जिसको भुखमरी से बचाने का काम आपने किया है। छत्तीसगढ़ में, बस्तर में कोई बदलाव के बारे में बात करता है तो मैं उनको यही कहता हूं कि 2003 में अगर मुख्यमंत्री के रूप में चाऊर वाला बाबा नहीं होते तो आज भी यहां पर हमको भुखमरी का सामना करना पड़ता। (मेजों की थपथपाहट) आपने पूरे देश की जनता की भूख मिटाने के लिए आपने जिस योजना का सूत्रपात किया था, उस योजना को जब लागू किया गया था, उसके बारे में जो अध्ययन किया गया था, उस अध्ययन को करने वाला एक एस.डी.एम. नीलकंठ टेकाम हुआ करता था। मैंने उस योजना का बस्तर में अध्ययन किया था। मैंने वह रिपोर्ट बनाकर भेजा था कि राशन दुकान में भले चाहे जितना चावल चला जाए, लेकिन खरीदने वाले के पास अगर पैसा है ही नहीं तो चावल कैसे खरीद सकता है। तभी जाकर 1 रूपये, 2 रूपये किलो चावल की योजना चालू हुई थी और मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि उसी योजना के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़, हमारा बस्तर नए सिरे से आर्थिक उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। इस नक्सलवाद के मामले में युग परिवर्तन का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, उसके सब हम लोग गवाही हुए हैं। थोड़ा सा अधूरापन इसलिये लग रहा है कि लोगों ने बहाना बनाकर आज यहां से खिसक लिये हैं, वरना उनको भी हम सुनते, उनके दिलों की बात को सुनने का मौका मिलता । मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज इस सदन में इतना गंभीर और इतना महत्वपूर्ण विषय आया है और यह आयोजन जो है, यह विषय हमारे छत्तीसगढ़ विधान सभा के इतिहास के सबसे बड़े स्वर्णिम काम के रूप में याद किया जायेगा, यह मानते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ । मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसलिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री आशाराम नेताम ।

श्री आशाराम नेताम (कांकेर) :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हुआ है, उस पर बोलने के लिये मुझे जो सौभाग्य मिला है, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । आज नक्सलवाद बोलने से ही हमारा शरीर कांपने लगता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के उर्जावान गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समापत हुआ है । वह समय था, जब हमारे बस्तर में त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन बस्तर में त्यौहार नहीं मनाया जाता था । दीपावली हो, होली हो, नया त्यौहार हो, मन में त्यौहार था, लेकिन गांवों में त्यौहार नहीं हुआ करता था । बस्तर में लोगों का शौक था कि हम दीपावली के दिन फटाका फोड़ें, लेकिन यह नक्सलवाद हमारे लिये एक अभिशाप था। हम जो फटाका सोचकर भी नहीं फोड़ पाते थे और यदि कहीं फटाखे फूट जाते थे तो पुलिस विभाग वहां पहुंच जाता था या नक्सली पहुंच जाते थे कि गांव में क्या हो रहा है ? शौक किसको नहीं लगता था, हर त्यौहार में हर आदमी चाहता है, गरीब से गरीब आदमी चाहता है कि मैं त्यौहार मनाऊँ, मेरे परिवार को एकत्रित करूँ, समाज को एकत्रित करूँ, यह दिन और यह त्यौहार भी बस्तर से खत्म हो चुका था । आज जो खुशी लाने वाला है, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है । वह भाषण में बोलते थे और हम सुनते थे कि अंतिम गांव का विकास होगा, अंतिम लोगों का विकास होगा, हम भी चाहते थे कि हमारे बस्तर का कब विकास होगा, बस्तर के अंतिम छोर का विकास कब होगा ? हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद मुक्त होगा, हमें सपना सा लगता था कि वाकई में हमारे बस्तर से नक्सलवाद मुक्त होगा ? हम सोच नहीं सकते थे और ऐसा लगता था कि हम सो के सपना देख रहे हैं कि जाग के सपना देख रहे हैं । हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बस्तर से नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की परिकल्पना जो 31 मार्च 2026 के लिये की थी, यह संभव है, हमें भी विश्वास नहीं होता था । हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे युवा गृह मंत्री विजय शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस संकल्प को करके दिखाया है । अध्यक्ष महोदय, आज हमारे बस्तर में तीज-त्यौहार समाप्त हो गया था, हमारे आदिवासियों की पहचान खत्म हो गई थी। हम लोग त्यौहार नहीं जानते थे, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने हमें त्यौहारों से जोड़ा, हमारी संस्कृति से जोड़ा । यह है बस्तर से नक्सलवाद की समाप्ति । बस्तर पंडुम से जोड़ा, जो हम युवा और हमारे छोटे-छोटे भाई बहन खेल को भूल गये थे, लेकिन जैसे ही नक्सलवाद खत्म हुआ, बस्तर ओलंपिक से जोड़ा, लोगों के चेहरे में इतनी मुस्कान आई कि जो दौड़ नहीं पाते थे, वे भी दौड़ने के लिए भाग लेते थे, ये दौड़ क्या है, ये खेल क्या है, ये बस्तर के लोग ने जानना प्रारंभ किया और अपना ऑनलाइन पंजीयन भी शुरू किया। वे स्वयं दौड़ नहीं पाते थे, खेल नहीं पाते थे, लेकिन अपना नाम ऑनलाइन दर्ज करवाते थे। हमारे बस्तर में 3 लाख युवा लोग खेल में सम्मिलित हुए। वैसे ही हमारे बस्तर में बस्तर पण्डुम शुरू

हुआ, जो हमारी संस्कृति, हमारी खान-पान, हमारी रहन-सहन बस्तर पण्डुम में देखने को मिल रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हुआ है। बस्तर पण्डुम में कैसी हमारी संस्कृति है, कैसी हमारी खान-पान है, कैसी हमारी व्यंजन है, जो हमारी माताएं-बहनें समूह के माध्यम से गांव की एकता और संगठन से जुड़कर एक-एक व्यंजन को बनाती हैं, जो फाइव स्टार में भी नहीं मिलता है, वह हमको आज खाने को मिलता है। आज सदन में हमारी नारायणपुर की बहनें कम से कम 50 प्रकार की व्यंजन बनाकर लाई थीं।

अध्यक्ष महोदय :- ऊपर बैठी हैं। (हंसी)

श्री आशाराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं उनको धन्यवाद देता हूं हमारे नारायणपुर की बहनें, बस्तर की बहनें ऐसी व्यंजन बनाकर लाई हैं। हमारी एक-एक बहनों के हाथ में कला है। जो हम पहुना कहते हैं, हमारे बस्तर में मेहमान आना शुरू हुआ है और इन लोगों के चेहरों में मुस्कान आना शुरू हो गया है। हम इनको कैसे खाना खिलाएं। हमारी बहनें जिन चीजों में हाथ लगा दें, वह चीजें हमारे लिए भोजन बन जाती है, खाना बन जाता है, हमारी बस्तर की बहनों में ऐसी कला है। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बार-बार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमारे बस्तर के लिए सोचा। हमारी विकास की गाथा आज शुरू हो रही है और बस्तर का द्वार हमारे कांकेर से शुरू हो रहा है। जैसे ही बस्तर में नक्सलवाद खत्म हुआ, हमारे कांकेर जिले के खमडोड़गी गांव से युवक-युवतियों ने अपनी मेहनत से बंबू राइटिंग शुरू की। जो बंबू राइटिंग का काम चल रहा था, वहां सैलानी आना शुरू हुआ, वहां हमको घूमने को नहीं मिलता था, उसी को देखते हुए सरकार ने वहां मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली जहाज, पानी में चलने वाली पनडुब्बी की व्यवस्था की, वे इतने आकर्षित हो गए कि उसी को देखते हुए पूरे बस्तर में लोग घूमना शुरू किए, आज लगातार चल रहा है। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं होती तो हमारे बस्तर में नक्सलवाद खत्म नहीं होता, ऐसा मुझे महसूस होता है। हमारी जो बहनें हैं, वह अबूझमाड़ से कभी कांकेर नहीं देखे थे, मैंने वहां के शिक्षा अधिकारी वहां के कलेक्टर, वहां के एस.पी. से बात की कि मेरी जो बहनें हैं, मैं छोटी-छोटी बेटियों को कैसे यहां लाकर कांकेर दिखाऊं। जो गर्मी छुट्टी घूमने का होता है, उसमें मैंने कांकेर में दो माह रखा। मैंने उनको पूरा घुमाया, उनको फिल्म दिखाया, होटल दिखाया तो वे लोग पूछते थे, भैया, इस मंदिर में कैसे अच्छा-अच्छा भोजन मिलता है, हमारे यहां एक माकड़ी होटल है, मैंने वहां उन सबको खाना खिलाया, मैंने उस दिन देखा कि उनकी भी ऐसी शौक है। उनको होटल में नाश्ता खिलाया, खाना खिलाया। जो छोटी-छोटी बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरे जो भाई हैं, उनको दो माह कांकेर में रखकर खेल के माध्यम से पूरे शासन-प्रशासन ने सहयोग किया। उनको फिल्म दिखायी तो वह कितने खुश थे। वहां की बच्ची एकलव्य में भर्ती थी, वह पढ़ाई करके 90 प्रतिशत लाकर पूरे देश में प्रथम आई है। ऐसी हमारे बस्तर की एक पहचान है। उन सबको दबाने का कारण जो था, वह नक्सलवाद था। जैसे-जैसे नक्सलवाद खत्म हुआ, वैसे-वैसे हमारे जो बेटा-

बेटियां हैं, उनकी छवि निखरकर आ रही है और दुनिया में उनके नाम का परचम लहरा रहा है। इसका कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने हम लोगों की चिंता की। आज स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल बंद थे, आश्रम बंद थे। वे सब खुलने शुरू हो गये हैं और चाहे हमारे बस्तर के आदिवासी भाई हैं या अन्य हैं, उनके चेहरे में हर दिन त्यौहार लगता है। उनके चेहरे में ऐसी मुस्कान देखने को मिलती है तो हमको संतुष्टि होती है। उनकी इच्छाएं, उनकी लालसाएं पूरी बंद थीं। आज कहा जाये कि एक पीढ़ी का जो बस्तर में विकास होना था, वह समाप्त हो गया। आज नक्सलवाद समाप्त होने के बाद हर प्रकार के विकास दिख रहे हैं, हर प्रकार के खेल दिख रहे हैं, हर प्रकार के जो आश्रम बंद थे, वे भी आज खुल रहे हैं। इस पूरे प्रयास के लिए हमारे जितने भी मंत्री हैं, उनको मैं ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोगों को भी ऐसा सोचने का, ऐसा देखने का, ऐसा करने का अवसर मिला। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति का कब विकास होगा? आज विकास हो रहा है, उनके घर में चावल पहुंच रहा है, उनके घर में नमक पहुंच रहा है। ऐसे-ऐसे लोग हमारे बस्तर में थे कि बिना नमक के वह लोग भोजन ग्रहण करते थे। वह एक समय खाते थे। उनका कोई खाना-पीना है या नहीं, वह भी देखने को नसीब नहीं होता था। जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरा किया और हमारे छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, डॉ. रमन सिंह जी ने हमारी भुखमरी खत्म की। हम लोग भूख में सोते थे, उस भूख को मिटाने का उन्होंने प्रयास किया।

समय :
6.47 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेंडी) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे नीलकंठ टेकाम जी बोल रहे थे कि उन तक चावल तो पहुंचता था, लेकिन उसको लेने के लिए उनके पास 1 रूपये नहीं था। हमारी सब सुविधाएं बंद थीं, हमारी सड़कें बंद थीं, हमारे पुलिया बंद थे। हम लोग ले-देकर कहीं न कहीं जंगल में रहते थे, कहीं न कहीं पहाड़ में रहते थे तो हमें कौन देता पैसा? जंगल में टोरा, कुसुम, लाख, चिरौंजी होता था, लेकिन शहर तक हमारी जो कनेक्टिविटी थी, वह सब समाप्त हो चुकी थी। इसका कारण बस्तर में नक्सलवाद का अभिशाप था। सब चीज होने के बाद भी हमारे पास पैसा नहीं था। 1 रूपये में चावल लेने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं थी। 1 रूपये में तो हमारी तत्कालीन सरकार ने, हमारे चाउर वाले बाबा ने चावल तो दे दिया था, लेकिन हम कैसे उसको लेते? क्योंकि हमारे पास 1 रूपये भी नहीं था। उस अंतिम व्यक्ति की चिंता आप जरूर करते थे, लेकिन उसके पास चावल नहीं पहुंचता था। न लाइट थी, न पानी था। जिस बच्चे में बहुत हुनर था, उसके लिए कोई स्कूल नहीं था, कोई संसाधन नहीं था। वह हर चीज करना चाहता था, हम हर चीज करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। उसका कारण व अवरोध मात्र नक्सलवाद था। यह बस्तर की जो पहचान है, हर चीज से उदाहरण के तौर पर करना चाहे तो

हमारी पूरी एक पीढ़ी को जिसने खत्म किया है, वह नक्सलवाद है। पिछले सत्र में इस विधान सभा में जिन नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया, उनके चेहरे को आप लोगों ने देखा होगा कि वह कैसे थे तो वह हम सब लोगों के ही जैसे थे। लेकिन भय और डर सब लोगों को लगता था। कोई अच्छा बड़ा नेता कांकेर तक आता था तो उसके पांव कांकेर से ही वापस रायपुर की ओर बढ़ते थे, लेकिन बस्तर की ओर नहीं बढ़ते थे। इसका कारण नक्सलवाद था। हर इंसान को अपना जीवन प्यारा था। आज हम बस्तर नहीं जायेंगे तो हमारा जीवन और आगे बढ़ेगा, ऐसा लोगों को महसूस होता था। हर लोगों में यह बात आयी कि बस्तर में सबको नक्सलवाद से नवाजा जाता था, पहचाना जाता था, परिचय मिलता था। हमें किसी को नाम बताने की जरूरत नहीं थी। सभापति महोदय, बस्तर मतलब कहा जाता था कि यह नक्सलवाद है। बस्तर कहा जाये तो यह कहीं न कहीं नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है। लोग हम लोगों से बात करना पसंद नहीं करते थे, हमको छूना पसंद नहीं करते थे और न ही हमको उनके सामने खड़े होने का साहस होता था। यह नक्सलवाद है। टेकाम साहब, जो पहले हमारे अधिकारी हुआ करते थे, वह जानते हैं कि वहां कोई अच्छी मोटरसायकल नहीं ले जा सकता था, न कोई सायकल खरीद सकता था। हम लोग मात्र टी.व्ही. में देखते थे, जो पहले दूरदर्शन चलता था, उसमें देखते थे कि गाड़ी कैसी होती है। कार जो हुआ करती है, वह हमको उसमें देखने को मिलता था लेकिन हकीकत में यदि हम लेने का प्रयास करे या सोचने का प्रयास करे तो हमारे ऊपर बहुत-सी यातनाएं, बहुत-सी प्रताड़नाएं आती थीं, यदि इसका कुछ कारण था, तो हमारे यहां का नक्सलवाद था। यह हमारे बस्तर की पहचान बन चुकी थी। हम भी चाहते थे कि हम भी अच्छे शहर में जाये, अच्छी जगह पर पहुंचे, हमको अच्छी शिक्षा, दीक्षा मिले और हम भी हमारे गांव का, हमारे बस्तर संभाग का नाम रौशन कर सके लेकिन सब चीज खत्म हो गयी और हमारी सारी सोच खत्म हो चुकी थी। यह है बस्तर। आज एक कांग्रेस के बंधु कह रहे थे कि हमारे रोल मॉडल है। मैं चाहता हूं कि जब बस्तर में नक्सलवाद की शुरूआत हुई थी, तो उनको वहीं ले जाकर खड़ा करना था, तब उनको पता चलता कि नक्सलवाद का क्या दर्द होता है। उसके बाद वह अबूझमाड़ में बोलते कि वह हमारे रोल मॉडल है, तब हम लोग मानते। आज खत्म हो गये तो उनके रोल मॉडल हो गये। जल, जंगल, जमीन बचाने वाले ऐसे हिड़मा को वे रोल मॉडल बना दिये। जल, जंगल, जमीन बचाने वाले थे, लेकिन हमको उनके नाम से भी दहशत थी। आज उनके ही कितने साथी लोग झीरम घाटी में मरे। वह उन्हीं का रोल मॉडल था, इसलिए मरे। यह बस्तर की पहचान थी। मैंने पहले ही कहा कि आज बस्तर में नक्सलवाद के बारे में सोचने से हमारा शरीर कांपता है। दोबारा ऐसी बीमारी या ऐसा अभिशाप कभी बस्तर को न मिले, न पूरे छत्तीसगढ़ के किसी कोने-कोने को मिले। इसके लिए हमको जागरूक बनना है तभी यह संभव है। साथ ही हमारे भाई जो इतनी तकलीफ और परेशानी से उस दंतेवाड़ा क्षेत्र से विधायक बनकर आये हैं। वह हकीकत जानते हैं। आज नक्सलवाद खत्म हो गया है लेकिन अर्बन नक्सलाइट भी कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। इसको कहीं न कहीं सरकार के माध्यम से,

गृह मंत्री के माध्यम से रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए सभी को शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। सभी को कहीं न कहीं व्यवसाय से जोड़ना पड़ेगा, उनको कहीं न कहीं किसी समूह के काम से जोड़ना पड़ेगा ताकि उनका खालीपन कहीं गलत रास्ता न ले सके, न गलत विचार ला सके, तभी यह सब समाप्ति की ओर होगा। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अंतिम व्यक्ति की चिंता करके बस्तर को दिखाया, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे गृह मंत्री जी को, जो बस्तर समाप्त हो गया था, उसको उन्होंने उभारने का प्रयास किया। मैं इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वे हमेशा बस्तर की चिंता करते हैं और हमेशा करते रहे। वे वहां के युवा, युवतियों को कहीं न कहीं रोजगार से, कहीं न कहीं व्यवसाय से जोड़े। उनकी जो खाली मानसिकता है, खाली विचार है, कहीं और उनकी मनोदशा न बदले। सभापति जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, हम सभी बस्तरवासियों को, सभी विधायकों को मौका मिला। इसका क्या कारण है ? आज बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हुआ इसलिए हम सब लोगों को बोलने का और सभापति महोदय को अपनी बात बताने का मौका मिला। मैं सभी भाइयों को, सभी साथियों को, हमारे विधायक भाई और मंत्रियों को कहता हूं कि विशेष रूप से हमारे बस्तर में ध्यान दें और हम सब को कहीं न कहीं मुख्य धारा से जोड़कर हमारा घर, परिवार, समाज और बस्तर की चिंता करें। सभापति महोदय, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णु देव साय जी ने नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर के हमारी केन्द्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के लिये जो आपने धन्यवाद प्रस्ताव लाया है, मेरा जो अनुभव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कल्पना में जी रहे हैं कि ये भी हम धन्यवाद का प्रस्ताव लायेंगे। क्योंकि हमने वह समय भी देखा है जब 15 वर्षों में हम लोगों ने सदन के अंदर में चाहे वह इंडोर हो, चाहे अलग-अलग संदर्भों में हम नक्सलवाद की घटना पर चर्चा करते थे, मृतकों को, शहीदों को श्रद्धांजलि देते थे और फिर हम ये संकल्प लेते थे कि आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल से मुक्त होगा और उसके लिये योजना भी बनाते थे और उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन की भी कोशिश करते थे। लेकिन लगातार बहुत सारी ऐसी घटनाओं के बारे में आज हमारे सभी सम्माननीय विधायकों ने अपने-अपने संबोधन में अपने मन की बात को यहां पर उल्लेख कर रहे थे और अपनी पीड़ा और उस विषय के संदर्भ में जो अपना पक्ष रख रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज विपक्ष ऐसे मुद्दे पर जिसका दंश, जिसकी पीड़ा छत्तीसगढ़ ने विशेष तौर पर लगभग 50 वर्षों से झेला, उस पर कुछ कहने के लिये विपक्ष आज इस पूरे सदन का बहिष्कार करके चली गई है। इससे बडा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। जो लोग झीरम के लिये राजनीति करते हैं और आज नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के उनके पास में उनके लिये बोलने के लिए कोई शब्द

भी नहीं है, ये भी बड़ा दु:ख का विषय है। क्योंकि हम सभी लगातार अलग-अलग समय में और कोई भी सत्र ऐसा नहीं होता था जब हम नक्सल घटना में चर्चा न करते हों या शहीदों की चर्चा न करते हों, ऐसा समय कभी नहीं हुआ। मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई समय नहीं देखा कि जब हमने नक्सलवाद में चर्चा न की हो या फिर उनके द्वारा नृशंस हत्या पर या शहीद जवानों पर हमने अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं की हो। लेकिन आज मैं उस समय को भी याद करता हूं। आज भी याद करके मेरे को मेरे मन में कहीं न कहीं से फिर वह वह दृश्य याद आ जाता है।

समय :

7.00 बजे

मानननीय सभापति महोदय, जिस दृश्य को आज भी याद करता हूं तो मेरी आंखों के सामने में जो हमारे वनवासी बंधु हैं, हमारे आदिवासी लोग हैं, उनकी पीड़ा नहीं, उसके बारे में तो मतलब जितना हम बात करें उतना कम है उसके बावजूद भी उनके मुँह से आह नहीं निकली । (मेजों की थपथपाहट) मैंने उनके बीच में जाकर उनके साथ में बैठकें की हैं लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की बहनें, वहाँ के बंधू जिस दृढ़ता के साथ में नक्सलवाद के खिलाफ में खड़े होते थे वह भी अद्भूत है । अभी कुछ दिनों पहले जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे बीजापुर के भैरमगढ़ क्षेत्र के सत्वा बेलनार, चैतराम अटामी जी जानते हैं । सत्वा क्षेत्र से पहली बार नकसलवाद के खिलाफ वहां के लोग खड़े हुए । बेलनार क्षेत्र से, चितालंका में है, वहीं से शुरूआत हुई । मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां पर एक उत्सव सा माहौल था । वहां पर नक्सल घटना में जो हताहत हुआ, सुदूरराम इचांतर । वह वहां पर आया था और वह बता रहे थे कि किस तरीके से हम नक्सलियों के सामने नहीं झुके । वह अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है तो यह तो मैं एक जगह की घटना बता रहा हूं । मैं पिछले दिनों अभी गारपा गया था, जो कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है । मैं पहली बार गारपा गया, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है । मैंने जब से चुनाव लड़ा तब तक मैंने गारपा का नाम सुना था, मैं कभी गया नहीं था, इरकभट्टी का नाम सुना था लेकिन कभी गया नहीं था लेकिन कुतुलनार जो कि नक्सलियों की राजधानी कहलाया करती थी, मैं वहाँ गया था तो मैं वहाँ के लोगों से मिला तो मुझे लगा कि मेरी पीड़ा कहीं पर नहीं है । चूंकि मेरे परिवार में भी घटना हुई क्योंकि वह तो वहाँ पर जी रहे हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर रह करके उस पीड़ा को सहा है । हम तो सुरक्षा में रहते थे लेकिन वह तो बिना सुरक्षा के वहां पर अपना जीवन व्यतित करते थे और उसके बावजूद भी पूरे साहसिक, उसके साथ दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ में वहाँ पर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं । कभी आह तक नहीं निकलती थी । उन लोगों का कोई ऐसा विषय नहीं होता था और उसके बाद भी वह अपना जीवन जिस तरीके से जीते थे, यह अद्भुत है, देवतुल्य हैं । कभी भी उनकी पीड़ा नहीं झलकती थी कि हमारे यहाँ पर पानी नहीं है, हमारे यहाँ पर सड़क नहीं है, हमारे यहाँ पर यह नहीं है इसकी बातें आज तक उन लोगों ने नहीं की । मैं इतने दिनों के बाद भी गया

तो उसके बाद भी उन्होंने यह नहीं कहा कि आप इतने दिन बाद क्यों आ रहे हैं क्योंकि वे उस चीज को समझते हैं कि नक्सल होने के कारण से नहीं आ पाये और उसके बावजूद भी वहाँ की बहनों ने मुझे खाना बनाकर खिलाया । मैं अभी 5 दिन पहले मशपुर गया था, वहां पर हमारी बहनों ने जिस हृदयता के साथ में, सहृदयता के साथ में खाना खिलाया तो मैंने उसी दिन यह तय कर दिया था कि आप लोगों को एक-बार विधानसभा में चलना है और हमारे सभी विधायकों को अपना व्यंजन खिलाना है। हम किस तरीके से हमारे जो बस्तर के हैं, अबूझामाड़ के लोग हैं, वह बिना मसाले, रसायनिक खाद के अपने जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग किस मूल में चल रहे हैं वह हमारे आने वाले लोगों और जनप्रतिनिधियों को पता चलें, उस उद्देश्य के साथ आज उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन खिलाया। मैं उनको हृदय से धन्यवाद् देता हूँ। वह बहुत दूर अबूझमाड़ बसपुर क्षेत्र से आये हुए हैं। आज चूंकि अभी यहां पर बहुत सारे विषय आयें हैं, चाहे सलवा जुडूम की बात हो, यहां माननीय चैतराम अटामी जी ने सलवा जुडूम पर पूरे विस्तार से उल्लेख किया। हम लोग रानी बोदली की घटना को भी याद कर रहे थे। यहां पर माननीय रामविचार नेताम जी ने रानी बोदली की घटना का उल्लेख किया। मुझे यह याद है कि जब रानी बोदली की घटना नहीं हुई थी तब वहां पर हम लोगों ने पदयात्रा करके, वहीं रानी बोदली में रात्रि विश्राम हुआ था। उस समय महेश गागड़ा जी जिला पंचायत सदस्य के रूप में हुआ करते थे। हम लोग साथ में ही थे और वहां रात्रि रूके। तो हम लोगों के मन में एक कल्पना आयी कि कभी ऐसा हो कि यहां से उन आयें और यह घटना हो जाये और हम लोगों को घेर लें, यह भी हो सकता है। आप सोचिये कि इसके 4-5 महीने के बाद वैसी ही घटना हुई और वहां पर उन लोगों ने बम से उड़ा दिया। हम लोग बैठे-बैठे रानी बोदली की घटना याद कर रहे थे। वहां ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं। वहां पर एक बार ऐसे ही हमारे आई.जी. साहब अभी दिल्ली गये तो उस समय वहां मेरे मरदापाल क्षेत्र में एस.डी.ओ.पी. हुआ करते थे, नये थाने का उद्घाटन था तो उस नये थाने के उद्घाटन में हम लोग गये थे और उसका उद्घाटन करना था, वहां पर हम लोग रेस्ट हाऊस में बैठे थे तो वहां मरदापाल में रेस्ट हाऊस बाजार के बीच में है। वहां हम लोग अंदर ही बैठे थे और हमारे सामने वहीं का जो एस.पी.ओ. था, उसको वहां मार दिया गया, उसने स्कूल की ड्रेस में आकर मार दिया। उन लोग तत्काल तीन-तीन लोगों को मारकर चले गये। उस समय पूरे बाजार में भगदड़ मच गयी। वहीं हम लोगों को डर के मारे रूम के अंदर बंद कर दिया गया, तब वहां मैं, मंगलराम उसेण्डी जी साथ में थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों को आई.जी. साहब लेकर निकले। हम लोग बिना थाने का उद्घाटन किये, सीधे वापस आ गये। मुझे याद है कि उस समय मेरे पिता जी सांसद हुआ करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम राजनीति छोड़ो, अगर जान होगी तब आगे जाकर राजनीति कर पाओगे। लंकुमेर, उस समय आई.जी. हुआ करते थे, तब कोण्डगांव जिला नहीं बना था और तब शायद एस.पी., जी.पी. सिंह हुआ करते थे। तो मतलब साथ में ऐसी-ऐसी घटनाएं साथ में घटित हुई हैं और क्योंकि उस समय नारायणपुर जिला नहीं बना था

तो नारायणपुर मेरा विधान सभा क्षेत्र नहीं हुआ करता था तो हम लोग वहां पर एड़का में गये तो हम लोगों ने उधर एड़का में सलवा जुडूम की शुरूआत की। हमने कहा कि हम एड़का से सलवा जुडूम की शुरूआत करते हैं। हम लोगों ने एड़का में सलवा जुडूम का कार्यक्रम किया, वहां से आने के बाद पता चला कि वहां पर गोली बारी चली और उन लोगों ने एक सप्ताह के भीतर वहां के सरपंच को मार दिया। तो हमको यह डर लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हम यहां पर करें और वहां पर इस तरह की घटना हो जाये। हम लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे विषय हैं। चाहे कोई भी घटना हो, अभी आदरणीय सदस्य रानी बोदली, बोरकापाल, ताड़मेटला, एर्राबोर की घटना के बारे में कह रहे थे ऐसी कौन सी घटना के बारे में कहें, वहां इतने सारे घटनाक्रम हैं जिसमें झीरमघाटी, टाकवाड़ा की घटना भी है। वहां इतने सारे घटनाक्रम हैं इन घटनाक्रम में जो लाशों के अंबार दिखते थे, आज भी आंखों के सामने वह लाशों के अंबार दिखते हैं। उस समय वहां पर एर्राबोर में हम लोग माननीय रामविचार नेताम जी के साथ हेलीकॉप्टर में गये थे। वहां एर्राबोर में उन लोगों ने पूरे कैम्प को आग से चला दिया और उस कैम्प में 6 महीने के बच्चे को डोली में रखे थे, वह आग में जलकर, झूलसकर खत्म हो गया । कई लोग उसमें मारे गए, शहीद हो गए। मैं उस घटना को याद नहीं करना चाहता । जिस तरीके से उस बेटी के साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया । मतलब उसके बारे में सोचें तो बताने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति को भी हम लोगों को देखना पड़ा । उनका उद्देश्य मारना नहीं होता था, हत्या करना नहीं होता था । उनका उद्देश्य दशहत फैलाना होता था कि लोग बाद में नक्सलवाद के खिलाफ में न बोलें । यह उनकी मानसिकता थी, इस कारण वे निर्दयता के साथ में मारते थे । इस तरीके से मारते थे कि कोई भी आने वाली पीढ़ी यदि उदाहरण सोच ले तो उनके खिलाफ में बंदूक न उठा सके, यह उनकी मानसिकता थी इसलिए जन अदालत लगाया करते थे और जन अदालत में लोगों के सामने में जनता को बांधकर मारना हो या आग लगा देना हो, अभी उस दृश्य को आपने यहां पर बताया । वे उसको अपने पास रखते थे और उसके बाद डंडे से मारते थे, ताकि एक-एक पैर की पूरी हड्डी चूराचूर हो जाये । एक पैर की हड्डी पहले चूराचूर होगा, फिर दूसरे पैर की हड्डी चूराचूर होगी, फिर हाथ ही हड्डी चूराचूर होगी। ऐसे घटना करते थे, ताकि लोग सोचें कि उसके साथ में कभी ऐसी घटना होगी तो वे उस दर्द को, उस पीड़ा को किस तरीके से सहेगा । इस तरीके का घटनाक्रम उनके साथ करके दिखा देते थे । वे जनअदालत लगाकर इस तरीके से कृत्य करते थे, ताकि लोग उसके बारे में चर्चा करें । कोई मर गए, उसके बारे में चर्चा करें, उससे मतलब नहीं है । कैसे उसको मारा गया, इस पर चर्चा करें इसलिए इस तरीके से हत्या करते थे, सुनियोजित तरीके से हत्या करते थे, रणनीति बनाकर हत्या करते थे । कभी बांधकर मारते थे, कभी उसके बहु के साथ बलात्कार कर रहे हैं, कभी उसकी बेटी के साथ में बलात्कार कर रहे हैं । कहीं बेटे को कह रहे हैं कि तू गोली मार, तू उसकी हत्या कर । इस तरीके से घटना करते थे, ताकि कोई उनके खिलाफ न बोल सके, कोई उनके खिलाफ आवाज न उठा सके, कोई उनके खिलाफ न जा सके ।

ऐसा घटनाक्रम करके वे पूरे क्षेत्र में दहशत पैदा करने का काम करते थे, ताकि कोई उनके खिलाफ में जाने की कोशिश भी न कर सके, हिम्मत भी न कर सके । ऐसे-ऐसे घटनाक्रम होते थे ।

मानानीय सभापति महोदय, आज हम माननीय अध्यक्ष महोदय को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 2003 से लेकर 2018 तक पूरे दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ने वाले हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी ने पूरे दृढ़ता के साथ में लड़ाई लड़ी (मेजों की थपथपाहट) वे कभी पीछे नहीं हटे । ऐसे-ऐसे घटनाक्रम हुए, उसके बाद भी नहीं हटे । मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बस्तर की पीड़ा को समझा । आपने चांवल के बारे में बताया । मुझे याद है कि आपके यहां पर दंतेवाड़ा में बुरगुम जहां पर हमारे जनजाति समुदाय के लोग हैं, वे किस तरीके से ऐसे अनाज खा रहे थे, जिसको हम लोग फेंकें भी न, इस तरह के अनाज खा रहे थे । ऐसे दृश्य जहां पर हमारे लोगों को चार-चिरौंजी जैसे बहुमूल्य वनोपज को नमक के लिए बदली करना पड़ता था। उस समय उससे मुक्ति दिलाने का डॉ. रमन सिंह जी ने किया। मुझे याद है चाहे बीजापुर जिले का निर्माण हो, चाहे नारायणपुर जिले का निर्माण हो, जो सन् 2007 में जिला बनाया गया था, तब उन्होंने कहा कि नारायणपुर 2 ब्लाक का जिला है और बीजापुर तो 4 ब्लाक का जिला है। इस तरह से वहां पर प्रशासनिक दृष्टि से वहां के लोगों को न्याय प्राप्त हो सके, उनको भटकना न पड़े, उनको पदयात्रा न करना पड़े, वे अपना रसद लेकर चला करते थे, वह भी एक समय था। हम लोगों ने वह भी समय देखा है जब वे अपना रसद लेकर, खाना-पीना लेकर कलेक्टर से मिलने के लिए, कोई एस.पी. से मिलने के लिए, किसी अधिकारी से मिलने के लिए जिला मुख्यालय 2-3 दिन के लिए आते थे। उनको मालूम नहीं होता था कि वह अधिकारी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज जैसी स्थिति नहीं थी। तब उन्होंने बीजापुर और नारायणपुर जिले का निर्माण किया था। उसके बाद सन् 2011 में सुकमा और कोण्डागांव जिला बना था, ताकि वहां प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा नियंत्रण हो सके और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके और हुआ भी और उसका परिणाम देखने को प्राप्त हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। हमारे माननीय अजय चन्द्राकर जी अभी उसके सन्दर्भ में बता रहे थे। यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे। सारा काम डॉ. रमन सिंह जी के सरकार में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। किसने किया ? कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने तो केवल और केवल श्रेय लेने का काम किया है।

समय
7.17 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जब सन् 2006 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही थी, माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, जिनके मार्गदर्शन में पहली बार बस्तर संभाग में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। (मेजों की थपथपाहट) कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सौ सीट का हमारा मेडिकल कॉलेज होगा। मुझे तो कई लोगों ने पूछा कि सौ सीट तक हो जायेगा क्या ? हम आदरणीय डाक्टर साहब को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने वहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। वहां के लोगों को यूनिवर्सिटी के जितने भी विषय होते थे, उनके लिए रायपुर आना पड़ता था। उनकी क्या स्थिति बनती थी ? लेकिन आपने वहां पर यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। आज वहां पर विश्वविद्यालय है। वह अलग बात है, मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहूंगा। बाकी लोगों ने तो केवल नाम चिपकाने का काम किया है। लेकिन उसको गढ़ने का काम, उसको बनाने का काम किया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, डॉ. रमन सिंह जी ने किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) वहां की जनता जानती है कि किस तरीके से, किस विजन के साथ काम चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आज हम बस्तर के सबसे बड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें तो कोसारटेडा मेरे क्षेत्र में आता है। यदि वह भी पूर्ण हुआ तो आपके कारण से हुआ। आपने 30-35 वर्षों के बाद लोगों को कैसे डबल मुआवजा देकर मध्यम सिंचाई परियोजना को पूरा कराने का काम किया। हम तो बचपन से देखते आ रहे थे कि कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। लेकिन उसको आपने अपने कार्यकाल में पूरा कराया। आपने कहा कि ऐसी परियोजना पूरी नहीं होगी तो क्या वहां के लोग मिट्टी खाकर रहेंगे। उन लोग कैसे अपना जीवनयापन करेंगे, किस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वह मुझे याद है और आपने उसको पूरा किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे उन क्षेत्रों में बात करें, एजुकेशन हब की बात करें। हमारे दंतेवाड़ा में एजुकेशन हब का निर्माण हुआ, बीजापुर में एजुकेशन हब का निर्माण हुआ, सुकमा में एजुकेशन हब का निर्माण हुआ, नारायणपुर में एजुकेशन हब का निर्माण हुआ। वहां बड़े-बड़े शिक्षा के परिसर बनाये गये, जहां पर हमारे 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार बच्चें आवासीय परिसर में रहकर पढ़ रहे हैं। छू लो आसमान, प्रयास तथा अनेक ऐसी संस्थाओं के माध्यम से आज बच्चें वहां से पढ़कर निकलकर रायपुर और रायपुर से निकलकर दिल्ली तक जा रहे हैं। वह भी कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि हमारे बच्चे दिल्ली तक पढ़ने जाएंगे और उनके सपनों को पंख आपने दिया। मैं उसके लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि हमारे उन बच्चों को कहीं न कहीं से आज उच्च स्तर पर लाने का काम और उनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से ऊपर सोचने का काम आपने किया। आज वहां पर हमारे बच्चे यू.पी.एस.सी. के एग्जाम पास कर रहे हैं, आई.आई.टी. की परीक्षा पास कर रहे हैं, नीट के एग्जाम में पास हो रहे हैं। कहीं न कहीं से आज उन क्षेत्रों में चाहे सड़कों

का निर्माण हो, हम लोग कभी-कभी जाते थे। इधर चाहे वह सुकमा से लेकर कोंटा तक की सड़क की बात हो, तो आप स्वयं गए थे, बाई रोड हमारे दोरनापाल तक गए थे, आपको याद है। तो सी.सी. सड़क बनी हुई थी। आपने कहा भी ये सड़क ऐसे नहीं बनी है, इस सड़क की कीमत पर मत जाओ, इस सड़क की कीमत इस बात की है कि इस पर हमारे कई जवानों ने शहादत दी है, तब जाकर के ये सड़क बनी है, तब इस सड़क का निर्माण हुआ। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- 22 लोग शहीद हुए थे।

श्री केदार कश्यप :- 22 लोग शहीद हुए थे। ऐसी-ऐसी सड़क, अरनपुर सड़क। अभी हमारे माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी उस क्षेत्र से आई हैं, कोई बोलेगा कि आज मतलब पहले जाकर आ सकते हैं क्या? वे जगरगुंडा साइड से घुस करके सीधा बीजापुर निकल के आए। मतलब ऐसी सड़कों का निर्माण हुआ। सड़कों का जिस तरीके से आपने नेटवर्क बिछाया, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, (मेजों की थपथपाहट) जिसके कारण से आज वह पूरा क्षेत्र बीजापुर की सड़क...।

अध्यक्ष महोदय :- मिट्टी का नेशनल हाईवे था।

श्री केदार कश्यप :- जी-जी, मिट्टी का नेशनल हाईवे।

अध्यक्ष महोदय :- और बी.आर.ओ. बना नहीं पाया, बी.आर.ओ. भाग गया।

श्री केदार कश्यप :- बी.आर.ओ. नहीं बना पाया। किस तरीके से मतलब हम सोचते हैं तो लगता है कि आज की इस नई पीढ़ी को अभी नहीं मालूम है। स्वाभाविक है कि उनको इन सब चीजों को बताने की भी आवश्यकता है और जानेंगे नहीं तो वे तो मोबाइल में ही समझ रहे हैं कि उनकी पूरी सड़क बन जा रही है। तो किस तरीके से सड़कें बनी हैं, उसका भी एहसास हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले। बीजापुर तक की सड़क हो या फिर हमारे भोपालपट्टनम तक की सड़क हो, मतलब अद्भुत। उस सड़क के बारे में भी जितनी बार बात करें, उस समय तो कई घटनाक्रम हुए। सड़कों में घटनाक्रम होते थे, सड़क में घटना होती थी। तब मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर घटना होने के बाद डेड बॉडी उठाने नहीं जा पा रहे थे। क्योंकि डेड बॉडी में भी बम लगाकर बैठते थे। और बम भी कौन सा? वह जो उसके अंदर कील, लोहे के टुकड़े लगे हुए बम लगते थे। ताकि वह विस्फोट हो जाए तो एक नहीं मरेगा, जितने लोग उसको उठाने गए, वे सारे के सारे मर जाए। ऐसे-ऐसे घटनाक्रम हुए मतलब किस निर्दयता के साथ में, किस तरीके से वे प्लान करके करते थे ताकि कोई भी जाए तो उनको डेड बॉडी उठाने का भी अवसर न मिले। ऐसे-ऐसे घटनाक्रम और ऐसे-ऐसे दृश्य को वहां पर आपने समझा और आज वह पूरा क्षेत्र जिस तरीके से आगे बढ़ा है। नए जिलों का निर्माण हो, विश्वविद्यालय हो, एजुकेशन हब हो। आयुष्मान भारत योजना के बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 14 अप्रैल, 2018 को आपको याद है, जांगला में जब आए थे, तब उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र में ट्राइबल लोगों को आयुष्मान भारत योजना हम समर्पित करेंगे और उन्होंने वहां पर दिया और पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था। अभी

हमारे वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तब भी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, आदरणीय जे.पी. नड्डा जी, तब कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम जांगला में हुआ था । माननीय अध्यक्ष जी, मैं जांगला की घटना बताता हूं। वहां पर भी हम लोग जब पहली बार मैं और महेन्द्र कर्मा जी गए थे, तो वही वह जांगला था, जहां पर हम लोग गए तो मैं था और माननीय स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा जी थे, और महेश गागड़ा जी थे, ऐसे हम लोग चार-पांच लोग गए। जिस पंचायत में जहां पर हमारा कार्यक्रम होना था वहां गए, वहां पूरा का पूरा गांव खाली था। हम पूछे कहां गए? तो पता चला कि वे नक्सलियों की बैठक में गए हैं। तो ऐसे-ऐसे दृश्य भी हम लोगों ने देखा। उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां पर उस योजना को दिया। तो ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं। लता उसेण्डी जी भी बता रही थी, बीच में बेचा गया था। उनके पिता जी नौकरी करते थे। वहां पूरा एक अलग टापू टाइप का है, जहां पर धार्मिक केन्द्र था, आस्था का केन्द्र था, उसको भी नक्सलियों ने उड़ा दिया था। इस तरीके के हमारे यहां पर जितने भी घटनाक्रम घटित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने अबूझमाड़ क्षेत्र को समस्या से निकाला क्योंकि अंग्रेजों और कांग्रेस की सरकारों ने अबूझमाड़ क्षेत्र को प्रतिबंधित करके रखा था। वह क्षेत्र 2006 के बाद खुला है। (शेम-शेम की आवाज) नहीं तो वहां के लोगों को इन लोगों ने अजायब घर बना दिया था कि उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनको अलग रखो। हमारे क्षेत्र के लोग बोलते थे कि क्या वहां के लोग आज भी वैसे ही रहते हैं? क्या आज भी वह कपड़ा पहनना नहीं जानते हैं? क्या आज भी वे लोग वैसा ही जीवन-यापन करते हैं? मतलब 2006 के पहले वनमानुष की तरह उनका जीवन-यापन था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस क्षेत्र को खोला और आपने वहां पर लाइट, वहां पर सड़क और वहां पर शिक्षा का विस्तार किया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) चूंकि वह मेरा क्षेत्र आता है, इसलिए मैं विशेष तौर उसका जिक्र कर रहा हूं। यह अब मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई तार जुड़ा होगा। जहां पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर कोई दूसरे और पहुंच रहे हैं। जो शिक्षा अपने सिस्टम से दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य अपने सिस्टम से दे रहे हैं, लोभ-प्रलोभन के आधार पर उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी पीड़ा उस क्षेत्र में थी और उसकी पीड़ा किस तरीके से वहां पर उस गुबार के रूप में देखने को प्राप्त हुई। उस समय जो घटनाक्रम हुआ, वह आपने भी जानते हैं और आपको भी मालूम है कि किस तरीके से वहां पर एक बड़ी घटना घटित हुई थी। आज हमारा क्षेत्र जिस तरीके से आगे बढ़ा है, उसके लिए हम आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। मुझे याद है कि दो-ढाई साल पहले माननीय अमित शाह जी रायपुर आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हम सभी लोग उनका स्वागत करने गए थे। वे पहली बार रायपुर आए थे, तब उस समय उनका घोषणा नहीं था कि 2026 तक बस्तर में नक्सली समस्या समाप्त करेंगे। वह शुरुआती दौर था। उन्होंने कहा था कि मैं जाते-जाते ग्राम इरकभट्टी जाऊंगा। इरकभट्टी तो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में था। मुझे लगा कि मैं तो यहीं खड़ा हूं और वे कल वहां जाऊंगा बोल रहे हैं। इसलिए मेरे पैरों तले

जमीन खिसक गई थी कि गृह मंत्री जी मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में जा रहे हैं और मेरे को जानकारी भी नहीं है। मैं तत्काल भागा, जहां पर मैं पहले कभी नहीं गया था। उनका कार्य करने का तरीका ही ऐसा था कि वे किस तरीके से टास्क देते थे और किस तरीके से चलते थे। मैं तो यह कहता हूं कि आज बस्तर में सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा समय देने वाले देश के यदि कोई प्रधानमंत्री हैं तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और सबसे अधिक अधिक हमारे बस्तर को समझने और बस्तर के अलग-अलग क्षेत्रों में जाने का, अलग-अलग जिलों में जाने का कार्य किसी ने किया है तो वह माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। (मेजों की थपथपाहट) एक साल के भीतर में ही वहां 9-9, 10-10 बैठकें हुई हैं। एक महीने पहले ही जगदलपुर में बैठक हुई, तो हम लोग को तो विश्वास नहीं था कि मध्य क्षेत्र का बैठक भी हमारे जगदलपुर जैसे शहर में हो पाएगा। इसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आज राष्ट्रीय स्तर की बैठकें वहां पर हो रही हैं। इससे आज कहीं ना कहीं से बहुत चीजों में परिवर्तन आया है। आज मैं उस दिन को भी याद करता हूं, जब हम लोग बैठे थे, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी थे और वहीं पर उन्होंने मंच पर कहा था कि 31 मार्च, 2026 तक हमारा पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। क्योंकि यदि हम पूरे देश की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ का 80% क्षेत्र नक्सल से प्रभावित रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया में जो नक्सल विचारधारा के लोग हैं, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने मजाक उड़ाना चालू कर दिया कि ऐसा कोई घोषणा करता है, ऐसा कोई नेता है कि घोषणा कर दे और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इस तरीके से सोशल मीडिया में कमेंट्स चालू जो जाते थे, लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जिन्होंने यह संकल्प लिया है कि वह देश से आतंकवाद को खत्म करेंगे, काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है, हम लोगों से ज्यादा विश्वास तो गांव के लोगों को हो गया है । गांव के लोगों ने कहा कि अब नक्सलवाद को कोई नहीं बचा सकता है और हुआ भी वहीं है । लोगों के मन में यह आ गया कि अब तो होगा ही । संकल्प कौन ले रहा है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है । यह संकल्प ऐसे व्यक्ति ने लिया है, जो अपने संकल्पों को पूरा करते हैं। हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जहां पर उन्होंने दौरा करके उस क्षेत्र को फोकस किया है और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम किया है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद एक राज्य की समस्या नहीं थी, हमारे उस बार्डर में तेलंगाना था, आन्ध्रा था, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है और नक्सली एक राज्यों से दूसरे राज्यों में भाग जाते थे और इसे पूरी रणनीति के साथ अंजाम दिया गया । माननीय गृह मंत्री जी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, यह बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से हुआ है । दो सालों के भीतर में जिस तरह से लोगों का आत्म विश्वास बढ़ा है, जिस उर्जा के साथ में, जिस शक्ति के साथ

में, वहां के लोगों ने नक्सल का सामना करने के लिये, चाहे इलवत पंचायत के माध्यम से हो या नियतनेरलानार के माध्यम से हो, अनेक ऐसी योजनायें जिसके माध्यम से वहां के लोगों को जोड़ने का काम किया गया है । बस्तर पंडुम या फिर बस्तर ओलंपिक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन क्षेत्रों में चालू किया, ताकि सामाजिक रूप से भी हमारे लोग एकजुट होकर इन सब बातों को बड़ी खुशी के साथ मनाये । पिछले दो सालों से इसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं, इसमें लोगों की भावनायें जुड़ रही है और पूरे मन के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, इसकी बैठकें करते हैं और उसका परिणाम देखने को मिला । आज हमारा क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, यहां लगातार आत्मसमर्पण हुआ है, न्यूट्रिलाईज किया गया, यह कहीं न कहीं से वह समय लोगों को जिस तरह से उनको पीड़ित किया गया, आज हमारे कई लोग हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है, जहां शहादत न हुआ हो या उसके परिवार में ऐसी घटना न हुई हो । आज हमारे बस्तर का एक-एक व्यक्ति यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हृदय से धन्यवाद देता है, उनका आजीवन आभारी है । (मेजों की थपथपाहट) जिस पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, उसे खत्म करने का काम किया है, उसे पीढ़ियों तक याद रखा जायेगा और आने वाले नौनिहालों का भविष्य कैसे हो, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं । आज जगरगुण्डा को एजूकेशन हब के माध्यम से माननीय ओ.पी.चौधरी जी ने जो कार्य किया उसी प्रकार और अबूझमाड़ में भी एजूकेशन हब बनाया जा रहा है, ताकि वहां के बच्चे अपनी प्रतिभा को स्थापित कर सके । हमारे बच्चे में जो क्षमता है, प्रतिभा है, वह अद्भूत है । मलखम में आज हम अंतराष्ट्रीय स्तर पर साबित कर रहे हैं, फुटबाल में, तीरंदाजी में, हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम बस्तर पंडुम के माध्यम से कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जितने भी पूजा होते हैं, जात्रा है, मंडई है, अभी आपके यहां भी चार-पांच साल बाद एक मड़ई हुआ है, ऐसे ही 10-10, 15-15 साल के बाद मेला मड़ई हो रहा है, वहां पर जिस उत्साह के साथ उन लोग पूजा-आराधना करते थे, इन सारी संस्कृतियों को खत्म करने की साजिश रची गई थी, आज वे खुद खत्म हो गए, हमारे आस्था के केंद्रों को, हमारे पूजा के केन्द्रों को खत्म करने की साजिश थी , ये भी हमको कहीं ना कहीं सोचने की बात है। क्योंकि गारपा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, गारपा में पूरा क्षेत्र बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी वाला क्षेत्र है, उनको इसीलिए भगाया गया कि या तो आप मांसाहारी हो जाओ या फिर गांव छोड़कर चले जाओ, वे गांव छोड़कर चले गए। वे 25-25 वर्षों के बाद गांव में गए हैं। उनको चावल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घोषणा की कि अब वहां पर ही चावल दिया जाएगा। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि नक्सलवाद खत्म हुआ, नहीं तो वहां पर चावल रखने से वे लूटकर ले जाते थे। ऐसी स्थितियां बात हमारे उन क्षेत्रों में हुई है। आज उन क्षेत्रों के बाजार स्थल खुले हैं, नहीं तो जगरगुंडा का जो बाजार है या फिर जो कोकामेटा का बाजार है, ये बाजार 40-40, 50-50

वर्षों से नहीं खुले थे, वह बाजार खुलते गए, क्योंकि बाजार हम सबके लिए, वहां के जनजातीय समुदाय के लिए आर्थिक स्तर और लेन-देन का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहा है, उसको कैसे खत्म करना है? हमारी खुशी, हमारे ढोल, मांदर को कैसे खत्म करना है? हमारी संस्कृति को कैसे खत्म करना है? ये साजिश के साथ हो रहा था। निश्चित तौर पर विषय तो बहुत सारा है, बहुत लंबा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जिस तरीके से उन क्षेत्रों में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया और नक्सलवाद के खिलाफ आपने पिछले 15 वर्षों में लड़ाई लड़ी, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी जिन्होंने हमारे उस पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाया और वहां उस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त किया है। (मेजों की थपथपाहट) हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं जो लगातार उस क्षेत्र में प्रवास करके वहां पर हमारे जवानों का हौंसला बढ़ाया। (मेजों की थपथपाहट) हमारे समाज में सेना में जितने लोग हैं, हम सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने लगातार उस क्षेत्र में पूरी जोश और उत्साह के साथ काम किया । आज हमारा वह क्षेत्र नक्सल से मुक्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप हमेशा कहा करते थे, एक वह समय आएगा जब ढोल और मांदर बजेंगे और वास्तव में अब वहां पर ढोल और मांदर बज रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) मैं सबको आमंत्रित करता हूं, वहां पर जितने भी मेले-मड़ई हैं, उसको देखने आप जरूर आइएगा, आपको अद्भुत नजारे दिखेंगे, आपके रोंगटे खड़े ना हो तो आप मुझे कहिएगा। बिल्कुल आप जरूर आइएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं। हमारे सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि वह समय जिसके लिए हम लोग कल्पना किया करते थे, सपना देखा करते थे, आप सबके कारण आज वह सपना साकार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी।

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सारे ही वक्ताओं ने जिस तरीके से बात रखी है और जिन्होंने अनुभव किया है, चीजों को देखा है, अपने जीवन में जिस बात को जिया है। केदार जी, पूरी घटनाक्रम के बारे में कह रहे थे कि आज ये सदन इस विषय पर धन्यवाद कर रहा है। इस बात को सोचना, इस बात को स्वीकार करना भी अविश्वसनीय जैसा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दिनों के बाद मतलब ढाई वर्षों से सरकार में काम करते-करते अभी 31 मार्च, 2026 को वाकई ऐसा लगा था, 1 अप्रैल के दिन सुबह से वाकई ऐसा लगा था कि अब काम एकदम खत्म हो गया, कोई काम नहीं है, इस तरीके से अनुभव हुआ था। विशेष रूप से बहुत करीब से बहुत निकटता से सारी विषयों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। विशेष रूप से इस पूरे ही अभियान के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और जो मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है और वह यह है कि बस्तर की जनता ने मन में ठान लिया था कि यह लाल आतंक अब समाप्त

होना चाहिए और बस्तर की जनता के इस मनोभाव को ही माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने समझा था और उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। यह बिल्कुल मुझे बहुत स्पष्टता से दिखता है। सर्वप्रथम तो आज की इस चर्चा में, इस धन्यवाद प्रस्ताव में मैं बस्तर की जनता को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, बस्तर की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने जितना सहा है–जैसे केदार जी भी कह रहे थे कि हम तो बाहर आ जाते थे, वह वहीं रहते थे तो सहते थे। मैं केदार जी के साथ इरगबट्टी गया हूं। इरगबट्टी गए हैं और साथ में अनेक स्थानों पर जाना हुआ है। तो इन स्थानों में जो लोग रहते थे, जैसा उन्होंने जीवन में सहा, जैसा उन्होंने जीवन में किया और जैसे आगे बढ़ गए, यह वस्तुतः अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। बस्तर की जनता का हृदय से आभार। विशेष रूप से अब तक आम नागरिकों के द्वारा 2040 रिपोर्ट हुए हैं, जिनको जनहानि हुई है। मतलब, इस पूरे प्रकरण में जो आम नागरिक मारे गए हैं। ये जो आम नागरिक मारे गए हैं, उनकी FIR हुई है। अभी जाकर सब जगह पता चलता है कि हमारे साथ भी घटना हुई तो है, हमारे घर-परिवार में, हमारे गांव में भी हुई है, लेकिन हम थाने में जाकर बता नहीं पाए। क्योंकि थाने में बताने पर एकाध और मारा जाता, इसलिए नहीं गए। थानों में अभी यह सूचना आ रही है कि बहुत सारे लोग आकर बता रहे हैं कि उस सन् में हमारे साथ हमारे घर-परिवार में ऐसा-ऐसा हुआ था। अभी ये सूचनाएं आ रही हैं। अभी थाने में उसको रजिस्टर भी करने के लिए कहा गया, उसको रजिस्टर किया जा रहा है। जब यह होगा तो और पता चलेगा। लेकिन 2040 तो वे हैं जो पंजीकृत हैं, जिन आदिवासियों की नक्सलियों के द्वारा हत्या की गई है, ये FIR जिनकी हुई है, वे लोग हैं। ऐसे ही 64 शासकीय कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिनको मार दिया गया। जो विभीषिका हम सबने मिलकर यहां बस्तर में और विशेष रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में देखी है, समूचे देश के नक्सलवाद का 75 प्रतिशत से अधिक छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद का 80 प्रतिशत बस्तर में है और बस्तर के नक्सलवाद का, बस्तर संभाग के नक्सलवाद का मैं सोचता हूं कि 75 प्रतिशत नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर जिले में है। यहीं सारी घटनाएं, सारी स्थितियां, सारा इनका फोर्स बस इन्हीं स्थानों से बनकर जाता था। कितनी ऐसी चीजें देखीं, जिसमें एक पुनर्वासित महिला यह कह रही है कि हमारे घर में हम लोग चार भाई-बहन थे। उनसे आकर नक्सलियों ने कहा कि एक को तो हमारे साथ जाना ही होगा और 13-14 साल की उम्र में एक बच्ची को घर वालों ने उनके साथ भेज दिया, क्योंकि वही जाने योग्य थी। उसी के जाने से यह होता कि बाकी घर सुरक्षित हो पाता, अन्यथा बाकी घर को गांव छोड़ना पड़ता या उसमें से लोग मारे गए होते । इस तरह से दबाव डालकर 13 साल की उम्र में ले जाकर और फिर उनसे अपराध करवाना, जंगल में घुमाना, उनसे श्रमिक का काम करवाना, ये सब नक्सली करते रहे तो ऐसी जनता, ऐसे लोग भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे अभियान में कुल-मिलाकर 1429 जवान शहीद हुए। शारीरिक क्षति जिनको हुई है, अभी भी हमारे कुछ जवान हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अभी भी आज जब हम यह चर्चा कर रहे हैं तो कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, लेकिन

ईश्वर की दया से स्वस्थ हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं जरूर यह बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने चर्चा की, माननीय अजय चंद्राकर जी ने बात कही कि किस तरीके से लेनिन के समय से या मार्क्स के समय से यह बात आगे बढ़ते-बढ़ते नक्सलवाद से लेकर और फिर हमारे छत्तीसगढ़ में यह हावी हो गया। कितने राज्य इसमें प्रभावित रहे, कितने जिले प्रभावित रहे, आदि बातें आईं। छत्तीसगढ़ में इन ढाई सालों में जो एलिमिनेशन का प्रोसेस हुआ, वह मैं जरूर आपके सामने एक बार रखना चाहता हूं। यह बात जरूर है कि प्रारंभ से लेकर आपके मुख्यमंत्रित्व काल में जितने काम हुए, डीआरजी फोर्स बने, सब कुछ बने। ये सारे काम उस समय से ही होते चले आ रहे हैं। सभी ने काम किया, लेकिन फिर भी यह हुआ है कि किस सरकार ने कितना मनोयोग से काम किया, यह देखने-समझने की बात थी। विगत सरकार के समय में क्या हुआ और अभी इस सरकार के समय में क्या हुआ ? बार-बार यह कहा जाता है कि जब यह करना था तो पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं, उसके भी आंकड़े हैं। उस समय क्या सहयोग हुआ और इस समय क्या सहयोग हुआ, इसके भी आंकड़े हैं। इन सारे ही विषयों को लेकर जो हमारा नक्सलवाद समाप्त हुआ, इसमें हमारे राज्य की क्या भूमिका रही, केन्द्र की क्या भूमिका रही, संयोजन कैसे होता चला, यह मैं जरूर आपके सामने और पूरे सदन के सामने भी रखना चाहता हूं। बस्तर के समाज प्रमुखों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। मतलब मांझी, चालकी, गायता, पेरमा, पुजारी, पटेल, इन सारे लोगों ने इसमें यहां तक सहयोग दिया कि जब पहला बड़ा पुनर्वास हुआ, जब नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्वास अगस्त 2025 में हुआ तो वह पुनर्वास 210 लोगों का था, उस समय यह स्थिति आयी कि हमको प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होना है तो फिर क्या किया जाये ? तो वह समाज जिससे यह अलग होकर नक्सली हो गये थे, आज बस्तर के मूल निवासी ही वापस मुख्य धारा में आ रहे हैं तो समाज ही उनको वापस लेगा। तब हम लोगों ने बस्तर के मांझियों से आग्रह किया कि आप इनको वापस समाज में ले। आप आज भी मीडिया, सोशल मीडिया में इस विषय का दृश्य देखेंगे कि जब वह 210 लोग पुनर्वास करते हैं तो बस्तर का समाज उनको स्वीकारता है। बस्तर का समाज मांझी, चालकी यह सारे लोग वहां खड़े होकर, उनको पुष्प देकर स्वीकारते हैं। प्रशासन एक तरफ होता है, जो हथियार संभालता है, प्रशासन एक तरफ होता है, जो संविधान की किताब देता है, लेकिन उनको समाज ने संभाल लिया। यह एक बड़ा विषय हुआ। न सिर्फ इतना हुआ बल्कि गोंड, धुरवा, हलबा, दुरला, मुड़िया, अबुझमाड़िया, यह सारे लोगों ने, सारे समाज प्रमुखों से अनवरत चर्चा एवं बातचीत होती रही और इन समाज प्रमुखों ने खुद जाकर नक्सलियों को पुनर्वास करने के लिए कहा, उनके ग्रुपों में जाकर उनको पुनर्वास करने के लिए कहा, यह भी बहुत बड़ी बात हुई। ऐसे ही पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गयी। मतलब नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में तो अनेक बैठकें जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सबकी ली गयी और उन बैठकों में हमारे सारे नेतागण रहे। उसमें हम लोगों ने आग्रह किया कि आप अपनी पंचायत में इस बात को प्रारंभ करवाये। माननीय

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इलवद पंचायत नामक योजना प्रारंभ की गयी और उस इलवद पंचायत योजना में यह था कि अगर आप अपनी पंचायत को इलवद पंचायत की घोषणा करते थे कि इन पंचायतों के लिए यह योजना है, वह जो घोषित पंचायतें हैं, उन पंचायतों में से अगर कोई पंचायत बाहर निकलकर आता है और वह यह करता है कि अपनी पंचायत में जितने भी तरह से वहां पर नक्सली है, चाहे वह चितरा नाट्य मंडली वाले हो, सी.एन.एम. वाले हो या वह जनताना सरकार के हो, हथियारी हो, जैसे भी नक्सली है, अगर उनको वह वापस करा देते हैं, पुनर्वास करा देते हैं और उसके बाद एक पंचायत का प्रस्ताव कर देते हैं कि हमारा पंचायत नक्सलवाद कैडर से मुक्त हो गया तो उनको 1 करोड़ रूपये का निर्माण कार्य तुरंत स्वीकृत किया जाता है। इस तरीके की योजना लेकर गांव-गांव घूमते रहे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि पंचायत राज के प्रतिनिधियों ने भी बहुत मेहनत करके इसमें काम किया। अध्यक्ष महोदय, बीजापुर में जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, उनका नाम जानकी कोरसा है। उन्होंने स्वयं ही मुझे एक दिन फोन किया और कहा कि मैं इतने नक्सली ले आयी हूं और थाने में इनका पुनर्वास करा रही हूं। ऐसे ही अनेक समाज के प्रमुखों ने भी इस विषय पर काम किया। पत्रकार साथियों ने भी बस्तर में बहुत आगे बढ़कर काम किया। उनको स्पष्टता थी कि अगर इनके साथ आते हैं, काफी लोगों को पहले ही कहा गया था कि आप लोग बातचीत करिये, चर्चा करिये, सब लोग बात कर रहे थे और उनके साथ काफी नक्सली वापस भी आये। यह भी एक विषय हुआ है। साथ ही हमारे विधायक जी, सांसद जी, केदार जी और पूरे ही बस्तर के और अन्य क्षेत्रों के भी विधायकों और सांसद महोदय ने भी इस विषय पर बहुत काम किया। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि पूरे ही बस्तर में खुलकर काम करने के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता के साथ मार्गदर्शन किया, हम सबको रास्ता दिखाया, हम सबको संबल प्रदान किया, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, माननीय विष्णुदेव साय जी ने नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए जो समूचे छत्तीसगढ़ में जो अभियान छेड़ा, मैं हृदय से उनका आभार और अभिनंदन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूछा करती थी। वे यहां नहीं है। मुझे तो इनके नहीं होने पर आश्चर्य है क्योंकि मैंने सोचा था कि वह हमारे साथ होंगे। कम से कम छत्तीसगढ़ के इस विषय पर साथ खड़े होंगे। जब छत्तीसगढ़ के इस विषय पर वह साथ खड़े होंगे तो छत्तीसगढ़ का दर्द जो हम सब का दर्द है । मैं उनको बताऊंगा कि झीरम घाटी में हमला करके छत्तीसगढ़ के ही नेतृत्व को, भले कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन वह छत्तीसगढ़ के नेतृत्व हैं। छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को समाप्त करने वाले S.Z.C.M. जगदीश और उसके 16 साथियों को हमारी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, ये मैं उनको बताना चाहता था। मैं बताना चाहता था कि झीरम घाटी का अपराध करने वालों को हमारे फोर्सेस ने सजा दी है। वह न्यूट्रलाइज हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता था, लेकिन वह हमारे बीच नहीं हैं। मैं बिल्कुल यह बताना चाहता था कि आकाश राव गिरीपुंजे जैसे साहसी अधिकारी को जिन लोगों ने शहीद किया, उन सारे ही विट्टी मंगडू और उसके 11

साथियों को हमने जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है। ऐसे ही शिक्षादूत मनेश नूरेटी और उनके लोगों को, ऐसे अनेक शिक्षादूतों को मौत के घाट उतारने वाले ए.सी.एम. रूपी और उनके सहयोगियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन मुझे तो इनकी बात समझ ही नहीं आती है, ये क्या करना चाहते हैं ? झीरम जैसी घटना घटी है और उसके बाद यहां अनुपस्थित हैं। जबकि हम यह बताने के लिये तैयारी में हैं कि झीरम कांड करने वालों को हमारे सैनिकों ने, हमारे जवान साथियों ने मौत के घाट उतार दिया है और उसके बाद ये यहां पर अनुपस्थित हैं। हम इनको बताना चाहते हैं, हां एक बात पूछना भी चाहते हैं, ये पिछली बार भी हो गया था, जब यहां पर धर्म स्वातंत्रय अधिनियम का विधेयक आया था, उस दिन भी ये गायब थे। छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण विषयों पर गायब रहना इनका काम है। मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि झीरम कांड को करने वाला आपका रोल माडल कैसे हो सकता है, ये एक बात इनको जरूर बताना चाहिए। (शेम-शेम की आवाज) झीरम कांड को करने वाला रोल माडल कैसे हो सकता है ? फिर ये कैसा कन्फ्यूजन इनके मन हैं, वह किस तरीके से कन्फ्यूज हैं, इसी कन्फ्यूजन में ये 5 साल कुछ नहीं कर पाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- वैसे गृहमंत्री जी अफजल गुरू और बुरहान वानी भी इनके रोड माडल हैं। (शेम-शेम की आवाज) तो ये हिडमा भी रोल माडल है। अब तर्क तो कुछ दे नहीं सकते। झीरम में शहीद हुए नेता, डॉ.साहब थे, बहुत व्यथित थे, उन्होंने जांच कराई, कार्रवाई कराई, उसमें भी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। बुरहान वानी, भारत तेरे टुकड़े होंगे और रामचन्द्र अभिकल्प से रामचन्द्र भी उनको याद आ गये थे। ये अपने हिसाब से चलते हैं। आप तो जनता को बताईये। इनको बताने की जरूरत नहीं है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी इनका यह कहना होता था कि हमको सहयोग नहीं मिली, अभी सहयोग मिल रहा है। एस.आई.एस. (स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम) केन्द्र सरकार की योजना है। कांग्रेस की सरकार में इसमें 91 करोड़ रुपये आये और माननीय विष्णु देव जी की सरकार में इसमें 18 करोड़ रुपये आये, फिर भी आरोप लगाते हैं। एस.आई.एस. स्कीम है, कांग्रेस की सरकार में 91.63 करोड़ रुपये आये और भा.ज.पा. की विष्णु देव साय जी की सरकार में 18 करोड़ रुपये आये, फिर भी आरोप लगाते हैं। एस.आर.ई. (सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेन्डीचर) स्कीम है, इसमें कांग्रेस की सरकार में 8.27 करोड़ रुपये आये और भा.ज.पा. की सरकार में 2.5 करोड़ रुपये आये, फिर भी यही बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और बताऊं कि इसमें विशेष रूप से एक बात जरूर ध्यान देने योग्य है, फोर्सेस के संदर्भ में जरूर मैं आपको एक विषय कहना चाहूंगा। जिस समय छत्तीसगढ़ में फोर्सेस डिप्लाई हुए तो 2017 में केन्द्र सरकार की सी.ए.पी.एफ. फोर्सेस की 38 बटालियन थीं। 2018 में जब इनकी सरकार बनी तो उस समय 7 बटालियन और आई, 2021 में सी.ए.पी.एफ. कि 5 बटालियन फिर आई और इनके समय में कुल मिलाकर 12 बटालियन आई। उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में विष्णु देव जी की सरकार बनने के बाद 3 बटालियन आई। तो सेन्ट्रल से बटालियन भी, फोर्स भी जो आना है,

वह इनके समय में ज्यादा आया है, बनिस्बत की हमारी सरकार के। माननीय अध्यक्ष महोदय और कुछ नहीं बदला है। वहां पर फोर्स भी वही है, वहां पर तो आई.जी. भी वहीं हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के एंटी नक्सल ऑपरेशन के हेड भी वही हैं, वहां पर तो आई.जी. भी वही हैं, हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन के छत्तीसगढ़ के जो हेड हैं वह भी वहीं हैं । एस.पी. भी नहीं बदले गये, कुछ नहीं बदला गया केवल एक बात बदली है। वह कांग्रेस की सरकार बदल गयी और यहां भाजपा की सरकार बन गयी, विष्णुदेव साय जी की सरकार । (मेजों की थपथपाहट) सरकार का संकल्प बदल गया और नक्सलवाद समाप्त हो गया । सारी सुविधा देने के बाद, सब कुछ देने के बाद सिर्फ गाल बजाते रहे और यह कहते रहे कि यह नहीं हो सका और वह नहीं हो सका । यह आंकड़े हैं और आंकड़े असत्य नहीं बोला करते । इसमें स्पष्टता है कि उनको फंड भी ज्यादा मिला, उनको फोर्स ज्यादा मिला, उनके लिये अपेक्षायें ज्यादा थीं कि आप कर देंगे क्योंकि उसी कालखंड में अन्य प्रदेशों में भी कार्यवाहियाँ हुईं और वहाँ पर बहुत दूर तक सफलता इस पर प्राप्त कर ली गयी लेकिन यहां वह बात नहीं हो सकी और इस बात अगर अब कह दिया जाए तो दूसरी बात करेंगे लेकिन अब यह बात समझ में आती है कि जिनका रोल मॉडल ही हिड़मा हो वह नक्सलवाद खत्म करके क्या करेंगे या क्यों उस दिशा में सोच पाएंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ की माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जब माननीय विष्णुदेव साय जी की हमारी सरकार बनी थी, यह दिसम्बर, 2023 का समय था, 13 दिसम्बर का और उसके बाद 24 जनवरी पहली बार माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ था और 24 जनवरी के उनके आगमन के बाद एक पूरी रणनीति बनी थी । हर एक फोर्सेस को चाहे वो आई.टी.बी.पी. हो, सी.आर.पी.एफ. हो, हमारा सी.एफ. हो या सी.एफ. के दूसरे विंग्स हों, उन सबको यह कहा गया था कि आप अपना डिटेल बना कर दें कि कम्प्लीट एलिमिनेशन नक्सलवाद का, यह नक्सल कैडर का कैसे किया जा सकता है? और इस 6 महीने के बीच में सारे ही फोर्सेस ने अपने एक्सरसाइज किए, उनको रिपोर्ट किया और एक आंकलन लगाकर उन्होंने टेक्निकली मैं यह सोचता हूँ कि पूरा कम्पलीट स्ट्रक्चर उनके मन में, उनके प्लान में था कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इस तारीख तक हम इसको अचीव कर सकते हैं । इसी के बाबत् जब अगली बार वह अगस्त, 2024 में यहाँ पर आये तब उन्होंने 24 अगस्त, 2024 को इस बात का ऐलान किया कि 31 मार्च, 2026 तक समूचे छत्तीसगढ़ से, समूचे भारत से नक्सल कैडर समाप्त हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और बात का ध्यान है कि अभी केदार जी के बोलते-बोलते उनका गला भर आया था । ऐसा अभी ही नहीं है, एक-बार और हुआ था । हमको याद है कि तियानमेन स्क्वायर चाईना का वह स्थान है जहां पर मेसिव मेसेकर हुआ था और माओ के बाद की सरकार ने अपने ही देश में, अपने ही नौजवानों को तोप और टैंक से उड़वा दिया था, उस मेसिव मेसेकर को लेकर कि माओवादी सरकारें होती क्या हैं, हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे । हम लोग एक कार्यक्रम

जगदलपुर में कर रहे थे और उसी दिन एक कार्यक्रम था । यह जून का महीना पड़ता है, 3 और 4 जून का, वर्ष 1989 का समय था, 3 और 4 जून की दरम्यानी रात थी तो उस दिन हम लोग हम लोग जगदलपुर में एक कार्यक्रम कर रहे थे । वहाँ पर केदार जी थे, वहाँ पर भी इन सब बातों को ध्यान करते हुए केदार जी का गला भर आया था, इसका मुझे ध्यान है और उसके बाद फिर भी मुझे ध्यान है कि उसी दिन हम लोग यहाँ पर आकर के एक कार्यक्रम रायपुर में रखे थे और उस दिन महेश गागड़ा जी हमारे साथ थे । महेश गागड़ा जी का भी गला भर आया था, जिसने भी इस नक्सलवाद के कृत्य को करीब से देखा होगा उसके साथ यही होने वाला है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी एक वाक्या याद आता है कि हर बार नक्सली अपना एजेंडा या इनके लिए बात करने वाले लोग हर बार यह कहते थे कि यह कोई क्रांति कर रहे हैं । यह कोई किसी तरीके से जल, जंगल-जमीन बचाने का अभियान कर रहे हैं, हमेशा यह कहा जाता था तो केंजा नक्सली मनवा माटा एक अभियान यहाँ छतीसगढ़ में चला । सुनो नक्सली हमारी बात यह अभियान चला और इसके अंतर्गत 55 ऐसे लोग जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक थे, किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख चली गई थी, यह सारे दिव्यांग हो चुके थे और यह सब के सब दिल्ली गए थे और दिल्ली में राष्ट्रपति जी से इनकी मुलाकात हुई थी । माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से इनकी मुलाकात हुई थी । अमित शाह जी ने इनको अपने घर के आंगन में बड़ा पंडाल बिछाकर भोजन साथ में कराया था और मैंने देखा था कि इतने बड़े, इतने कठोर निर्णय लेने वाले अमित शाह जी भी उस दिन वैसे ही द्रवित हुए थे जैसे आज केदार जी द्रवित हो रहे हैं । मैंने बिल्कुल अपनी आँखों से देखा था । अद्भुत यह हुआ था कि यही टीम उस दिन जाकर के जे.एन.यू. में धरना देकर के आयी थी, अद्भुत यह हुआ था कि यही टीम जाकर के जंतर-मंतर में यह बात कह कर आई थी । यही टीम जो नक्सल पीड़ितों के बस्तर कैंप थे, जो दिव्यांग हो चुके थे, वह दिल्ली में एक प्रेस क्लब है, उस प्रेस क्लब में जाकर इन्होंने प्रेस कांफ्रेंस किया था, कांस्टियूशन क्लब में जाकर प्रेस कांफ्रेंस किया था । दुनिया से यह कहा था कि हमारे बारे में कौन कहेगा तो इस दिशा में शुरूआत में ही इस दिशा में बात हुई और इसके बाद जितनी घटनायें, जितने मेसिव मेसेकर आदिवासियों के हुए हैं । चाहे वह चिंगावरम हो, मनीकोंटा हो, दरभागोड़ा हो, एर्राबोर हो, झीरम हो या दूसरी और कोई भी घटनाएं हों, इन सब घटनाओं को जनता के बीच में बहुत स्पष्टता से ले जाने के लिए सारी प्रक्रिया की गयी थी।

समय
8.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर बताना चाहता हूँ कि लेवरैना एक योजना चलाकर, बस्तर के युवाओं को रायपुर राजधानी और अन्य क्षेत्रों में घुमाने का काम किया गया। हमें उस समय यह समझ में आया कि बस्तर में जो 25 साल का लड़का है उसने भी टी.व्ही. नहीं देखी थी। विधान सभा को

कितने ऐसे लड़के देखने आये जिन्होंने कभी टी.व्ही. नहीं देखी थी। उसकी उम्र 25 साल हुआ करती थी। अगर 25 साल के लड़कें ने टी.व्ही. नहीं देखी है तो यह कैसा समाज है और हम उनको कैसे इस स्थिति में छोड़ सकते हैं। इन सारी ही बातों को समझते हुए, केन्द्र की विभिन्न एजेंसियों ने बहुत सहयोग दिया। इसमें इंटेलिजेंस को टेक्नालॉजी बेस्ड बनाया गया। इस टेक्नालॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सूचनाएं आयी हैं, उनके ऊपर काम किया गया। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन्स को भी डिफरेंट तरह से डिजाईन किया गया। इसमें दो-तीन थानों को मिलाकर, नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये। फिर मैन टू मैन मैपिंग की गई। इनके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के काम के लिए नियद नेल्लानार ऐसी योजना लायी, जिन कैम्पों का नक्सली विरोध किया करते थे बाद में वह उसी कैम्प की मांग करने लगे थे। नक्सली अर्थात् नक्सलियों के कहने पर ग्रामीण मांग करते थे। बाद में वही ग्रामीण उन कैम्पों की मांग करने लगे। जब से नियद नेल्लानार योजना आयी तब से मेरे पास, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिगणों के पास अनेक आवेदन आये होंगे, जिसमें अब ग्रामीण यह मांग करते थे कि हमारे गांव में एक कैम्प खुलना चाहिए। क्योंकि वह कैम्प उनके लिए एक हॉस्पिटल, राशन की दुकान, आंगनबाड़ी का केन्द्र हो गया था, वहीं पर उनका सब कुछ हो गया था। आने वाले समय में भी इस बात की अच्छी योजना है कि हम इन सारे कैम्पों के साथ क्या आगे बढ़ सकते हैं। प्रारंभ से ही इस पूरे ही अभियान में अर्बन बेस, रूरल बेस, लिगल बेस, अगर एडमिस्ट्रेशन में कोई बेस हो, इनका फाईनेंशियल बेस क्या है, इनके एक्सक्लूसिव का क्या नेटवर्क है, हमने इन सभी पर बहुत दृढ़ता से काम किया। सभी ने मिलकर, विशेष रूप से आर्म्ड फोर्सेस ने जो काम किया, जिस तरीके से बात आगे बढ़ी, जितनी दृढ़ता के साथ बढ़ी, उसके बाद ही इनके नस टूंटे हैं, उसके बाद ही यह इस तरीके से समाप्त हुए हैं। मतलब कुछ घटनाएं मैं आपसे कहूंगा तो सरकार बनने के साथ ही जिस समय फ्रीडम हुआ तो सारे ही फोर्सेस को यह कहा गया कि आप पूरी ताकत के साथ इस नक्सलवाद को समाप्त करने का काम करिये तो 2 अप्रैल, 2024 को गंगालूर, बीजापुर में 13 मोओवादी मारे गये, 16 अप्रैल, 2024 को ही छोटेबेटिया में 29 नक्सली न्यूट्रलाईज हुए, फिर 30 अप्रैल, 2024 को नारायणपुर में 10 मोओवादी मारे गये, उसके बाद 10 मई, 2024 में ही फिर से बीजापुर में 12 मोओवादी मारे गये, 24 मई को ही ओरछा-नारायणपुर में 08 मोओवादी न्यूट्रलाईज हुए, 15 जून, 2024 को ही नारायणपुर फरसेंबेड़ा में 08 मोओवादी न्यूट्रलाईज हुए, 3 सितम्बर, 2024 में किरंदुल दंतेवाड़ा में 09 मोओवादी न्यूट्रलाईज हुए, 5 अक्टूबर, 2024 में दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में थुलथुली में 31 सशस्त्र मोओवादी मारे गये। ऐसे अनेक घटनाएं हैं। मतलब 16 जनवरी को 12 लोग, 20 जनवरी, 2025 को विशेष घटना घटी थी जिसमें चलपती पहला सी.सी.एम. था, जो यहां पर मारा गया। 21 जनवरी, 2025 को 16 मोओवादी, 1 फरवरी, 2025 को 31 मोओवादी, 9 फरवरी, 2025 को 16 मोओवादी मारे गये। जब हमारे जवानों ने इनका सिक्वेंस में न्यूट्रलाईज करना प्रारंभ किया, उसमें विशेष रूप से डी.आर.जी., सी.एफ., छत्तीसगढ़ बस्तर

फाईटर, छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवान और साथ ही साथ सी.ए.पी.एफ. के सारे फोर्सेस ने साथ दिया। चाहे वह सी.आर.पी.एफ. हो, चाहे ए.टी.बी.पी. हो या अन्य जो फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस ने हम सब को साथ दिया है। इन जवानों की भुजाओं की ताकत पर ही वह परिस्थिति बनी है, जो आज हम देख रहे हैं। इन जवानों की भुजाओं की ताकत पर ही नक्सलियों ने इस बात को माना कि हमको पुनर्वास करना है। यहां अच्छी पुनर्वास नीति है उसके बाद ही सब कुछ हुआ। उसके बाद ही उनको यह समझ में आया कि अब इस जंगल में हमारा और ठिकाना नहीं हो सकता है यह जवान हमें कहीं भी खोजकर, न्यूट्रलाईज कर देंगे। यह उसके बाद ही समझ में आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि जब नई सरकार बनी थी तब माननीय विष्णु देव साय जी ने बहुत स्पष्टता और स्वतंत्रता के साथ काम करने का अवसर दिया था। उसी समय यह हुआ था कि मैंने कहा था कि अगर कोई एक नक्सली, दो नक्सली या समूह में या नक्सलियों का छोटा समूह या बड़ा समूह अगर पुनर्वास करना चाहता है और उस पर कोई चर्चा करना चाहता है तो हम किसी भी तरीके से बात करने के लिए तैयार है । मैंने यह भी कहा था कि हम फोन पर बात कर लेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बड़ी मुर्खता की बात है, कितने नक्सलियों से फोन पर बात करें । ये बताओ कि क्या हुआ है ? आज वे सदन में नहीं हैं, मैं उन्हें कैसे बताऊं, परन्तु मैंने माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि उनके घर के सामने या कांग्रेस कार्यालय के सामने पंडाल लगाकर भी हम सबको इस विषय को उन्हें बताना चाहिए । मैं बताना चाहता हूं कि अभी सतीश ऊर्फ रूपेश सी.सी. मेम्बर ने 210 लोगों के साथ 17 अक्टूबर, 2025 को पुनर्वास किया । उससे पहले उससे मेरी फोन पर बात हुई, उसके पूरे रिकॉर्ड हैं । रामदयाल ऊर्फ अमरजीत जो बीजापुर का रहने वाला था, वह भी सी.सी. मेम्बर है, वह 8 दिसम्बर, 2025 को खैरागढ़ में आया । मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजनांदगांव जाकर उसका प्रेस कांफ्रेंस किया था, उससे भी फोन पर मेरी बात हुई थी, वह भी आया था। पापा राव ऊर्फ मंगू यह किस्टाराम, सुकमा का था, वह 24 मार्च, 2026 को जगदलपुर में पुनर्वास किया, इससे फोन पर मेरी बात हुई । विकास ऊर्फ सुदर्शन तेलांगाना का है, इसने 1 मार्च, 2026 को महासमुंद में पुनर्वास किया । ये बी.बी.एम. बलांगीर, बरगढ़ और महासमुन्द रीजन का था, उससे भी मेरी बात हुई । गंगा नामक एस.सी.एम. नक्सल है, उससे बात हुई । राहुल तेलम नामक डी.एस.सी.एम. है, उससे मेरी बात हुई । इन सारे लोगों से बात करके इनका पुनर्वास हुआ । किसी भी नई चीज के लिए, किसी भी नई टेक्नालॉजी के लिए, किसी भी नये अभियान के लिए, नवाचार के लिए ये लोग बुद्धि बंद करके क्यों रखते हैं, यह समझ में नहीं आता है । जब उस समय यह बात हुई कि अगर ऐसा हो सकता है तो हम करने के लिए तैयार हैं तो जो उनका कहना था, जिस भाव में कहना था, मैं आज आपके सामने पूछना चाहता था, परन्तु वे नहीं हैं । वे फिर यहां से भाग गए हैं, भाग ही गए हैं क्योंकि मैंने अनेक बार अनुभव किया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग यह सुनना भी नहीं चाहते हैं कि

नक्सलवाद समाप्त हो गया है । वे मानते भी नहीं, मानना तो बहुत दूर की बात है, वे सुनना भी नहीं चाहते कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है । अगर उस विषय पर बात होती है तो वे दूसरी बात करना चाहते हैं । इसलिए आज पूरे विषय को वे कहां सुन पाते इसलिए वे भाग गए हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अनेक बातें हैं । बहुत सारे बड़े अभियान हमारे डीआरजी के फोर्सेस ने, हमारे बस्तर फाईटर्स के फोसेर्स ने किये हैं । जैसे ऑपरेशन थुलथुली है, ऑपरेशन अबूझ है, जिसका उल्लेख मैं जरूर करना चाहता हूं । ऑपरेशन अबूझ वह है, जिसमें नम्बाला केशव राव ऊर्फ बसवराजू महासचिव है, वह नक्सलियों का पालित ब्यूरो मेम्बर था और वह 21.5.2025 को नारायणपुर जिले में न्यूट्रलाईज्ड हुआ। हमारे आर्म्स फोर्सेस की ऐसी जीत थी, उस जीत के सामने नक्सलियों को यह बात समझ में आ गई कि अब और टिकना संभव नहीं है । न सिर्फ वह, बल्कि चलपति गरियाबंद में मारा गया था, वह उनका सी.सी. मेम्बर था । उनका सी.सी. मेम्बर सुधाकर ऊर्फ आनंद बीजापुर में मारा गया था । उनका सी.सी. मेम्बर मनोज ऊर्फ बोडेम बालकृष्णा भी गरियाबंद में मारा गया था । रामचन्द्र रेड्डी और सत्यनारायण रेड्डी, ये दोनों भी सी.सी. मेम्बर थे, यह भी नारायणपुर में मारे गए थे । इन सारे लोगों के न्यूट्रलाईज्ड होने के बाद ऊपर का पूरा कैडर जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय था, वह सब समाप्त हो गया था। उसके बाद ही नीचे के लोगों को बहुत स्पष्टता से यह बात समझ में आ गई थी कि अब हमारा यहां दोबारा रहना संभव नहीं हो पाएगा । छत्तीसगढ़ की सरकार, साथ ही साथ केन्द्र की सरकार जिसके लिए आज हम लोगों ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, वह इसीलिए रखा है कि केन्द्र की सरकार के सीआरपीएफ के 53 बटालियन आज भी हमारे साथ यहां है और आज भी इस दिशा में हमारा सहयोग कर रहे हैं । कारण यह है, विपक्ष के लोग फिर से कहना शुरू करते हैं कि अगर नक्सलवाद खत्म हो गया तो केन्द्र के फोर्स चले जाएं, अगर नक्सलवाद खत्म हो गया तो यह न करें, वह न करें । कुछ समय लगता है, इनको कौन समझाएगा । आज कांग्रेस के लोग होते तो आपके सामने समझा लेते, लेकिन आज ये गायब हैं, बाद में किसी दिन समझाना पड़ेगा । ये काम तुरंत ही नहीं किया जा सकता, परन्तु सीआरपीएफ के पूरे 53 बटालियन हमारे साथ आज भी हैं। एक बहुत बड़ा अभियान करते हुए दो वर्षों में 118 कैम्प लगाने का बड़ा काम भी हमारे छत्तीसगढ़ की फोर्स और सेन्ट्रल की फोर्स ने मिलकर किया है । हम लोग सेन्ट्रल को इसलिए भी बधाई देना चाहते हैं, इसलिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं, चाहे ए.के. 47 हो, चाहे एल.एम.जी. हो, यू.बी.जी.एल. हो, आर.एल. हो या लोकेशन ट्रेकर हो, स्नाईपर्स हो, एन.बी.डी. हो, इन सारे ही उपकरणों को, सारे ही हथियारों को बड़ी तीव्रता से, बड़ी प्रचुर मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराने के लिए भी केन्द्र की सरकार को आज इस माध्यम से धन्यवाद कहना चाहते हैं । हमें टेक्नालॉजिकल सपोर्ट भी बहुत मिला है । एन.टी.आर.ओ. ने इंटेलीजेंस के लिए यहां जिस टेक्नालॉजी का उपयोग किया, उससे ही पूरा जंगल नीचे तक स्पष्ट दिखने लगा था। हमको दूसरी वेब जैसी मशीनें मिली, जो टेकेलगुड़ेम को जीतने में काम आया। पहले टेकेलगुड़ेम में 2011 में

हमारे 22 जीवन शहीद हो गये थे। जब सन् 2024 में वेब की गाड़ी थी तो वैब की गाड़ी के माध्यम से टेकेलगुड़ेम में हमारा कैम्प बन पाया था। उस गाड़ी को भी उपलब्ध कराने के लिए एन.टी. लैण्डमाईन व्हीकल कितने हैं, बम डिस्पोटल क्वाड की मशीनें कितनी हैं, यह सब कुछ केन्द्र की सरकार से प्रचुर मात्रा में मिला है। इन सबके लिए भी उन सबका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने फायनेसियल सपोर्ट के सन्दर्भ में बताया। एस.आई.एस. और एस.आर.ई., हालांकि कांग्रेस के समय ज्यादा आया था, लेकिन जितना हमारे पास आया था, वह पर्याप्त था। उसके लिए भी उनको बहुत सारी बधाईयां और धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय चाहे वह फोर्टीफाइड पोलिस स्टेशन हो, आर.आर.पी-1 का रोड रिक्वायरमेंट प्लान के अन्तर्गत लिए गए रोड्स हों या आर.सी.पी., एल.डब्ल्यू.ए. के अन्तर्गत आने वाले रोड हों, पी.एम.जी.एस. वाय. फेस-1 का रोड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात बहुत ध्यान से बताना चाहता हूं कि पी.एम.जी.एस. वाय. फेस-1 का रोड जो 2003-2004 का रोड है, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। वह पूरा नहीं हुआ है, फिर भी केन्द्र में जाकर बार-बार अनुरोध करने पर उस रोड को भी बचाकर रखा गया है। उस रोड का भी काम चल रहा है। उस रोड को बनाते-बनाते यह जरूर बताना चाहता हूं कि अभी नई सरकार में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में पी.एम.जी.एस. वाय. के प्रथम फेज के रोड में से कुल मिलाकर 93 सड़कों को ढाई वर्षों में पूर्ण किया गया और उसकी दूरी 222 किलोमीटर है। इसके बाद उसी समय की पी.एम.जी.एस. वाय. फेज-1 की 146 सड़कें बची हैं, उस पर भी पूरी ताकत से काम चल रहा है और उसको भी पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.एम. जनमन के अन्तर्गत तुरन्त ही हमारे 43 प्रीमीटिव बसाहटों में नारायणपुर और कांकेर जिले में 32 सड़कें उपलब्ध कराई गई हैं। पी.एम.जी.एस. वाय.-4 में अन्य प्रदेशों में 500 की जनसंख्या को मिनीमम माना गया है। यह पी.एम.जी.एस. वाय.-4 में, चूंकि यह एल.डब्ल्यू.ई. नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है तो यहां 100 की जनसंख्या सन् 2011 के सर्वे सूची है, उसके आधार पर 100 की जनसंख्या में भी सड़कें स्वीकृत की गई हैं। तो इसके 228 सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जो 729 किलोमीटर की है, यह पी.एम.जी.एस. वाय.-4 की है। बस्तर में लगभग सवा सौ वृहद पुल स्वीकृत किए गए हैं। ये निर्माण के कार्य तेजी से चले हैं। पूरे ही बस्तर में निर्माण के कार्य सामने दिखेंगे, जो जनता वहां पर चाहती थी, बड़े दिनों से रूका हुआ था, वह सामने आयेगा। हमको ध्यान है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सन् 2011 की सर्वे सूची के आधार पर स्वीकृत होता है या आवास प्लस की सर्वे सूची के आधार पर स्वीकृत होता है। परन्तु जाकर आग्रह करने पर केन्द्र ने यह भी कहा कि ठीक है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 15 हजार आवास आप ऐसे ही ले लो, जिसको आप पुनर्वास करने वालो या नक्सल पीड़ित वालों को दे जिले की एक टीम बनाकर सकते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिलों की टीम बनाई गई है। इसमें पुनर्वास करने वाले 3500 लोगों को प्रधानमंत्री आवास, जो न 2011 की सर्वे

सूची में और ना आवास प्लस की सूची में है, उनको भी देने का काम किया गया है। ऐसे ही 1686 पीड़ित पक्ष हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम उसी के माध्यम से किया गया है।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्र के सहयोग से हमारे 156 पंचायतें बस्तर क्षेत्र में ऐसी थीं, जहां उनके खाते में आनलाईन पेमेन्ट नहीं हो पाता था। तो वहां मनरेगा में कैश भुगतान की अनुमति केन्द्र के माध्यम से दी गई थी। वहां पर आधार कार्ड नहीं बने थे, उसके कारण यही थे कि वहां पर आनलाईन प्रोसेस नहीं हो पाता था तो आधार के लिए udai में बात करने पर 80 हजार आधार कार्ड स्पेशल कैम्प लगाकर बस्तर क्षेत्र में बनाये गये। उसके लिए भी उनका बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। मतलब इन सारे ही कामों के लिए फिर से वही करना पड़ता था। चूंकि माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार इन विषयों पर ध्यान देते थे। लगातार बस्तर और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के उन्मूलन और उसके लिए आवश्यक सारी चीजों पर ध्यान देते थे। बस हमको यही करना होता था कि एक चिट्ठी लेकर पहुंचते थे, फिर सब जगह निर्देश होता था और सब काम आगे बढ़ जाता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय मिला करते हैं, परन्तु बस्तर में अंदरूनी क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से क्षमता नहीं होने के कारण पंचायतों को दे दिया जाये, हमने यह आग्रह किया तो वह भी दे दिया गया। मतलब वह चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो चाहे आधार हो, चाहे नरेगा का कैश भुगतान हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का अतिरिक्त आवास हो, वह सब कुछ दे दिया गया। ऑल इण्डिया रेडियो के लिए एक स्पेशल बात कहूं। पहले ऑल इण्डिया रेडियो का स्टेशन जो जगदलपुर में है, उसका 15 प्रतिशत ही छत्तीसगढ़ के लिए मिलता था, बाकी सारा हिन्दी का कार्यक्रम आता था। बल्कि 85 प्रतिशत नेशनल ही डिजाइन होता था। हमने जाकर कहा कि हमको 50 प्रतिशत दिया जाये, 50% नेशनल किया जाए, वह अनुमति भी मिली और जो 50% विशेष रूप से जगदलपुर रेडियो स्टेशन के लिए मिला, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें फिर पुनर्वासित नक्सलियों की स्टोरी लगातार चली, उसमें पुनर्वास नीति की बातें लगातार चलीं, उसमें सारे नेताओं की अपील बार-बार चली और ये जो रेडियो की पहुंच नक्सलियों तक थी, इसने बहुत बड़ा काम किया। ऑल इंडिया रेडियो का जो 50% हमको दिलवाया गया, उसके लिए भी मैं केंद्र की सरकार के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पोस्ट ऑफिस और आई.पी.पी.बी. के 296 यूनिट यहां पर दे दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से केंद्र ने सारे ही विषयों पर चाहे वह हथियारों का हो, चाहे इंटेलिजेंस का हो, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो, या फाइनेंशियल सपोर्ट हो या दूसरे तरह के सपोर्ट हों, जिसमें हमको रिलैक्सेशन चाहिए किसी योजना में, किसी स्कीम में, वह भी हमको प्राप्त हुआ है। इन सारी ही बातों के लिए मैं बहुत हृदय से आभार और अभिनंदन आज के इस माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाए हुए इस प्रस्ताव के माध्यम से करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर बैंक खुलवाना एक

बड़ा काम था, मतलब जगरगुंडा और किस्टाराम जैसे स्थानों पर आज बैंक संचालित है और जगरगुंडा के लिए तो मैं आपको और विशेष रूप से एक बात कहूं कि जगरगुंडा वह जगह है जो सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा तीनों का ट्राई-जंक्शन है और ट्राई-जंक्शन होने के बाद जगरगुंडा क्या स्थिति में पहुंच गई थी, हम सब जानते हैं। आज जब मैं यह विषय आपके सामने रख रहा हूं अध्यक्ष जी, तो वह जगरगुंडा सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर तीनों से अप्रोचेबल है, जगरगुंडा का बाजार फिर गुलजार हो रहा है, वहां एशिया की सबसे बड़ी इमली की मंडी हुआ करती थी, मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही वह सबसे बड़ी मंडी फिर से हो जाएगी और जगरगुंडा में अब बैंक भी खुल गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर आप देखेंगे तो ये एक पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ध्यान देकर वहां पर लोगों के लिए बस चलाने के लिए मुख्यमंत्री बस सेवा, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर, नियद नेल्लानार योजना, एल्बत पंचायत की योजना, बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक की जानकारी हम सबको हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अमर बलिदानी स्मारक के बारे में जरूर बताना चाहता हूं कि पिछले ही वर्ष में 10 करोड़ रूपया पूरा स्वीकृत करके जितने भी बस्तर और अन्य क्षेत्रों के शहीद हैं, उनके गांव में उनकी मूर्ति लगाने के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है और उसमें 150 लगभग मूर्तियां लग भी गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब जो शहीद होते थे, उनके परिवारों की एक बड़ी मांग हुआ करती थी, तो वह पूर्ण कर लिया गया है। हमारी सरेंडर पॉलिसी जो 2025 में नई बनी, उस सरेंडर पॉलिसी में भी बहुत विशेषताएं थीं, जिसके कारण भी यह हुआ है, विशेष रूप से उसमें एक्सप्लोसिव अगर किसी के पास है तो उसके लिए अलग राशि का निर्धारण किया गया था। अध्यक्ष महोदय, उसमें ग्रुप सरेंडर पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन ग्रुप सरेंडर कोई करता है तो उसकी प्रोत्साहन राशि को डबल कर दिया गया था, एक वह भी विषय उसमें था। आपको ध्यान होगा कि छत्तीसगढ़ की हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, उसमें भी ऐसा है कि अगर अपने फैक्ट्री में कोई पुनर्वासित नक्सली को काम देता है तो उसकी तनख्वाह का 40% सरकार की तरफ से जाता है, यहां तक का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी विषय है कि यहां नसबंदी कर दिया करते हैं, तो नसबंदी खुलवाने का, यह भी उसमें है कि अगर उससे भी परेशानी होती है तो टेस्ट ट्यूब बेबी कराने का, यहां तक का प्रावधान हमारी इस नीति के अंतर्गत है। मैं सिर्फ इतना आपको जरूर बताना चाहता हूं कि बीजापुर मुख्यालय से पामेड़ जाने के लिए पहले 100 कि.मी. घूम कर जाना पड़ता था, अब ये सीधा रास्ता चालू हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसमें कोई परेशानी नहीं है। मरेईगुड़ा भी सुकमा से जाने के लिए तेलंगाना घूम कर जाना पड़ता था, यह भी सीधा-सीधा चालू हो गया है। अबूझमाड़ को जोड़ने के लिए फुंडरी का ब्रिज बिल्कुल समापन की स्थिति में है, वह भी पूर्ण हो चुका है, तो अबूझमाड़ भी पूरा जुड़ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिन मुझे ध्यान है मैं फुंडरी गया था और फुंडरी से उस ब्रिज पर गया था, फिर मैंने कहा कि जब तक इसकी लैंडिंग नहीं होती है, वहां पर लोहे की सीढ़ी लगा दी जाए। लोहे की सीढ़ी

लगी और ठीक दूसरे-तीसरे दिन वहां से बल्क में अबूझमाड़ के लोग पूरा पुल क्रॉस करके फुंडरी और इधर मार्केट आने लगे, ये वीडियो और फोटो देख कर के बड़ा सुकून हुआ। वे किस तरीके से वहां पर बंधन में रहते थे, किस तरीके से उनको लगभग बांध कर रखा जाता था, जैसे ही पुल बना वैसे ही उसका उपयोग उन सब लोगों ने मिलकर प्रारंभ कर दिया था। मैं आपको यह जरूर कहना चाहता हूं कि आगामी आने वाले समय में भी बस्तर के संदर्भ में बहुत चिंता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी को है। इस पूरी चिंता के अंतर्गत भी अनेक काम किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे वह दिन ध्यान है जब हम लोग विपक्ष में हुआ करते थे और कांग्रेस की सरकार थी, तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और यहीं रायपुर में साइंस कॉलेज की मैदान से ही उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस नक्सलवाद का पूर्ण सफाया कर देंगे। ईश्वर की दया से, जनता की कृपा से सरकार बनी और यह सरकार बनने के बाद जनवरी में माननीय अमित शाह जी का पहला ही आगमन होता है और अगस्त में फिर माननीय अमित शाह जी का आगमन होता है और उसी अगस्त के समय उन्होंने यह निर्धारित कर दिया था कि 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। इस निर्धारण का क्या फर्क पड़ा, यह मैं आपके और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ। उसका फर्क केदार जी भी बता रहे थे कि उसका फर्क कहाँ तक पड़ा कि सारे लोग मानने लगे। सारे लोग मतलब कौन-कौन मानने लगे, अध्यक्ष जी? उसमें यहाँ तक फर्क हुआ है, मेरे पास मोबाइल पर उसका वीडियो है। उसमें जब पापाराव को लेने के लिए टीम गई थी और पापाराव से फ़ोन पर मेरी बात हुई थी। वह आने वाला था, लेकिन उसके साथ का एक नक्सली नहीं आ रहा था। वह यह कह रहा था कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पुनर्वास नहीं करना है। क्योंकि जैसा कि सबने बता दिया है कि 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तब तक जंगल में रहूँगा और जब 31 मार्च, 2026 को नक्सलवाद खत्म जाएगा, तब मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैं पुनर्वास के लिए नहीं जाऊंगा। यह बोलते हुए उस नक्सली की वीडियो है। मैं यह कहना चाहता हूं कि साइकोलॉजिकली चीजें कहां तक तैयार हुई। हमारे सारे Armed forces इस बात के लिए तैयार हो गए कि 31 मार्च, 2026 की समय-सीमा अंतिम है, उससे पहले ही सब कुछ समाप्त कर लेना है। हमारे दूसरे भी जितने सेक्शन हैं, वह सब इस बात के लिए मेंटली तैयार हो गए कि 31 मार्च, 2026 से पहले हमको परिणाम तक पहुंच जाना है। नीचे लेवल पर काम करने वाले, जैसे मैंने आपको कहा कि 2-3 थानों को मिला कर एक डी.वाई.एस.पी. नियुक्त किया गया था, फिर मैन-टू-मैन मैपिंग की गई थी। हर व्यक्ति के मन में यह चिंता आ गई कि 31 मार्च, 2026 तक हमको यह काम समाप्त कर लेनी है। जनता के मन में भी हमेशा यह चिंता लगा रहता था कि पुलिस और नक्सलियों के बीच यह लड़ाई सदैव चलती रहेगी, लेकिन जब जनता ने भी जब यह मान लिया कि 31 मार्च, 2026 को यह समाप्त होने वाला है, तब जनता का पूरा साथ और समर्थन पुलिस को मिलने लगा। यह साइकोलॉजिकल बड़ा गेम था

और उस गेम में बिल्कुल सुनिश्चित टेक्नोलॉजी बेस्ड इंप्लीमेंटेशन उसका क्रियान्वयन हुआ और उसका परिणाम हम सब के बीच में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह जरूर कहना चाहता हूं कि जितने भी कैंप हैं, उसके बारे में उनको आपत्ति होती है कि वहां कैंप क्यों हैं, उसको हटा लिए जाने चाहिए। हालांकि, इनके आपत्ति होने से क्या है, जो इस बात पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हो। वह सारे ही कैंपों में से 70 कैंपों का चयन कर लिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जैसी संस्थाएं आकर उसका निरीक्षण कर चुकी हैं और वह संस्था उन कैंपों का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। उन कैंपों में से कोई स्कूल बन जाएगा, कोई अस्पताल बन जाएगा, कोई आंगनबाड़ी बनेगा, कोई स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बनेगा, वहां पर अलग-अलग तरह के प्रसंस्करण के केंद्र बन जाएंगे, वहां लघु वनोपजों के प्रसंस्करण केन्द्र बन जाएंगे। यह सारे जितने भी हमारे सिक्योरिटी कैंप हैं, वह सब बदल जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कुछ दिनों पहले विक्रम भैया और अन्य लोगों के साथ किसकोड़ो गया था, जो कांकेर जिले में है। किसकोड़ो वह स्थान है, जहां पर नक्सलियों ने अपना पहला एरिया कमिटी प्रारंभ किया था। हमारे छत्तीसगढ़ में 30 एरिया कमेटी हैं। एक-एक का मैपिंग है कि कहां-कहां पर कौन है? एक चिंता जो आप कर रहे थे, जिसमें यह था कि कुछ लोग अभी भी वहां पर हैं। विक्रम भैया ही बोल रहे थे कि वहां चंदर लोग हैं। उनका भी मैपिंग है कि वह कहां हैं, क्या हैं? उनका भी स्पष्टीकरण है। ऐसे सात लोग हैं, जो प्रारंभ से ही हैं। मैं उन्हीं के साथ गया। ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर आज तक एक दाना फर्टिलाइजर या एक बूंद पेस्टीसाइज का वहां नहीं पड़ा है। वहीं केदार जी के विधान सभा क्षेत्र का एक कन्हार गांव है और एक और बोड़ागांव है। मैं बोड़ागांव भी गया था। बोड़ागांव और किसकोड़ो कांकेर जिले में है और कन्हार गांव नारायणपुर जिले में है। सभी गांवों में वही स्थिति है। चार-पांच सौ गांव ऐसे हैं, जहां पर आज तक एक दाना केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके लिए भी केंद्र सरकार ने बड़ा सहयोग किया है और केंद्र सरकार ने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक साथ ही पूरे गांवों का ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए सर्टिफिकेशन कर दिया जाएगा। उसके लिए भी तीन वर्षों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। (मेजों की थपथपाहट) वह भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की और उसके बाद आने वाले 30 जुलाई को 125 माझी चालकी और बस्तर पंडुम के विजेता 100 लोग, ऐसे लगभग 250 लोगों को राष्ट्रपति जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ और केंद्रीय गृह मंत्री जी के साथ भोजन पर अपने भवन में बुलाया है। (मेजों की थपथपाहट) बस्तर पंडुम के 100 विजेता और माझी चालकी के 125 बस्तर के प्रमुख माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के साथ भोजन के लिए जाने वाले हैं। अनेक और योजनाएं हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना, जिसके तहत 60 हजार ग्रामीणों का चेकअप किया गया है, आदि-आदि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं इन सारे विषयों पर ना जाकर एक विषय पर सबका ध्यान लाते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, वह यह है कि जल-जंगल-जमीन आदि-आदि कहकर

Negative Narrative बहुत भयंकर तरीके से फैलाया जा रहा है। जाने कहां की खुदाई हुई होती है, उसको सोशल मीडिया पर चलाया जाता है। जाने कहां का जंगल कटा होता है, उसको सोशल मीडिया पर चलाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में और उसके बाद बस्तर के बड़ी सभा में बहुत स्पष्टता से यह कहा है कि इस तरह के किसी भी अभियान में सरकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी कुछ लोग मिलकर के इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि नौजवानों के हृदय में क्रोध भरा जाए और वे कितना क्रोध भरना चाहते हैं, वह विस्फोट कैसा चाहते हैं, यह समझ नहीं आता है, लेकिन हम सभी की और पूरे इस सदन की जिम्मेदारी है कि लोगों को शिक्षित करें और उसको समझायें कि ऐसा नहीं है । यह निगेटिव और नरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, उसको तोड़ने की आवश्यकता है । आज जब बस्तर आगे बढ़ने के लिये उठा हुआ है, आज जब बस्तर आगे बढ़ रहा है, तब फिर से बस्तर को इस तरीके से नकारात्मकता के अंधकार में नहीं झोंकना चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात का आग्रह सभी से है और मैं जरूर इतना कहना चाहता हूँ कि समूचा बस्तर यानी कहीं और दुनिया में सहकारिता कागजों पर होगी, नियम और कानूनों पर होगी, बस्तर में तो जीवन में सहकारिता है और सहजता है, उसके माध्यम से बस्तर बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है । हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिल्कुल इस दिशा में काम पर हैं कि लघु वनोपज पर आधारित उनका जीवन है, लघु वनोपज के प्रथम प्रस्संकरण कराकर, उसका मूल्यवर्धन कराकर उसी दिशा में आगे बढ़ा जाये । बस्तर के लोगों में और गांवों में समृद्धि उसी के माध्यम से आये, ऐसे ही विषय पर काम किया जा रहा है । बस्तर के युवा आने वाले समय में विश्व के पटल पर छायेंगे, इसमें संशय नहीं है । मैं समझता हूँ कि अगले ओलंपिक में बस्तर के नौजवान कुछ मेडल जीतकर लायेंगे, यह भी संशय नहीं है, बस्तर का गांव-गांव समृद्ध होगा, उसमें भी संशय नहीं है । इन सारे ही बातों के साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के आर्म फोर्सेस ने जिस गजब दृढ़ता के साथ काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब का जितना मार्गदर्शन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हद्य से आभार और अभिनंदन है । हमारी केन्द्र की सरकार में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का और माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का उनके दृढ़ इच्छाशक्ति के लिये आभार व्यक्त करता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, वह इस तरह की स्थिति है कि संकल्प लेना एक बात होती है और आदमी संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया उनके तरफ देखती है और जब आदमी संकल्प को धरातल पर उतारता है तो बड़े सामर्थ्य की जरूरत होती है । संकल्पवान भी है और सामर्थ्यवान भी है, उन्होंने यह जरूर करके दिखाया है, उनका भी आभार और अभिनंदन करता हूँ, केन्द्र की पूरी टीम और केन्द्र की पूरी सरकार का अभिनंदन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ।(मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नक्सल उन्मूलन में केन्द्र सरकार के सहयोग पर आभार प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का जो अवसर दिया है, मैं उसके लिये सबसे पहले आपका आभारी हूँ और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है । इसमें श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री रामविचार नेताम जी, श्री किरण देव जी, सुश्री लता उसेण्डी जी, श्री विक्रम उसेण्डी जी, श्री चैतराम अटामी जी, श्री नीलकंठ टेकाम जी, श्री केदार कश्यप जी, श्री आशाराम नेताम जी, श्री विजय शर्मा जी का बहुत आभारी हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही खुशी का विषय है कि दर्शक दीर्घा में अबूझमाड़ की हमारी बहनें भी इस चर्चा में साक्षी बनी हुई है और उनका भी स्वागत है । (मेजों की थपथपाहट) आज उन्होंने दोपहर में हम सभी लोगों को बस्तर की व्यंजनों का स्वाद हमें कराया है । अध्यक्ष महोदय, माँ दंतेश्वरी के आर्शीवाद से हम लोग छत्तीसगढ़ की धरती से नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हुये हैं और इसके लिये सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिनका आशीर्वाद मिला और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, जिनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को नमन करते हैं और उनका भी आभार व्यक्त करते हैं । (मेजों की थपथपाहट) हमारे केन्द्र और प्रदेश के सुरक्षा बल के जवानों के अदम्य साहस को भी नमन करते हैं और उनको भी धन्यवाद करते हैं, उनके अदम्य साहस के कारण हम लोग इस नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हुए हैं। साथ ही साथ बस्तर क्षेत्र की जनता का भी भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिला है, बस्तर क्षेत्र की जनता का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) उनके सहयोग के बिना भी नक्सलवाद का समापन संभव नहीं था। आज इस अवसर पर हम उन शहीद जवानों को भी नमन करते हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी और बलिदानी दी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से अपने अनुभव साझा किए हैं और आपने भी उनको पूरा समय दिया। जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है, हमारे गृह मंत्री जी ने उसका विस्तार से वर्णन किया है। हम आगे कुछ बोलें, उसके पहले अतीत पर भी जाना उपयुक्त समझेंगे, क्योंकि जब से हम लोग होश संभाले और राजनीति में आए, तब से हम लोग लगातार नक्सलवाद शब्द सुनते रहे हैं। पता नहीं ऐसा लगता था कि इस नक्सलवाद का कभी समाधान होगा या नहीं। जहां पर हमारे ज्यादातर जनजातीय क्षेत्र हैं, सरगुजा, बस्तर जहां पर इनको रहने के लिए उपयुक्त जंगल, झाड़ ये सब मिलता था, वहां के लोग कभी विकास का मुख देख पाएंगे कि नहीं ऐसा लगता था। लेकिन आपने भी अपने 15 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। (मेजों की थपथपाहट) हालांकि उस समय केन्द्र में 10 साल तक यू.पी.ए. की सरकार थी, आपको भरपूर सहयोग नहीं मिला लेकिन फिर भी आपने अदम्य साहस के साथ, आपके नेतृत्व में उस समय हमारे जवानों ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पहले बस्तर क्षेत्र, उसके पहले सरगुजा संभाग भी पीड़ित था। जो

बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर क्षेत्र था, जहां पर सूर्यास्त के बाद आने-जाने में डर लगता था। मैं रायगढ़ से सांसद था, दिल्ली आता-जाता था तो नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची होता था, रांची से आना-जाना होता था, हम लोग सूर्यास्त के बाद रांची से जशपुर आने में डरते थे। ये उस समय का वातावरण था। झारखंड में तो हमेशा हर सप्ताह बंदी होती थी, नक्सली लोग किसी ना किसी कारण लेकर बंदी करते थे। अध्यक्ष महोदय, आपके समय में ही सरगुजा नक्सल से मुक्त हुआ और बस्तर को भी नक्सल मुक्त करने के लिए आपने साहस का परिचय दिया। (मेजों की थपथपाहट) बस्तर पहले एक जिला था जो केरल प्रदेश से भी बड़ा था, लेकिन आपने उसको छोटा-छोटा जिला बनाकर नक्सलवाद से लड़ने की रणनीति बनाई। आज उसी का परिणाम है कि बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है, मैं आज जिस कुनकुरी विधानसभा से चुनकर आता हूं, वहां की आरा चौकी नक्सलियों ने लूटी थी और हम दूसरे ही दिन वहां पर चौकी गए थे, लूट का पूरा मंजर देखे थे, उन्होंने किस तरह से थाना को लूटा था। वहां पर इस तरह की वारदात होती थी और ये सब आम बात थी। जब कांग्रेस की सरकार आ गई तो उसके बाद जो आपने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, उसमें बहुत फर्क आ गया। जबकि केन्द्र में हमारी सरकार थी और वह चाहती थी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो। हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने गिनाया है कि उन्हें संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं की गई, लेकिन उनमें नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की एक तो इच्छाशक्ति ही नहीं होती है, उनकी नीयत ही नहीं होती है। वह जब अपने समय में सरकार में रहते हैं तो नक्सलवाद को पाल-पोषकर बड़ा करते हैं। उनका अधिकांश नेतृत्व नक्सलियों ने दरभा घाटी में खत्म भी कर दिया, फिर भी पता नहीं, समझ में नहीं आता कि नक्सलियों के साथ उनका क्या रिश्ता है और आज भी उनका दुर्भाग्य है कि इस चर्चा से वे लोग भाग गए हैं। हिड़मा जैसा नक्सली, जिसने कितने लोगों की हत्या की है, निर्दोष लोगों की हत्या की है उसको वह रोल मॉडल बताते हैं। ऐसे लोग तो हैं। माननीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी पूरे देश के सामने स्वीकार किया था कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी समस्या हथियारबंद माओवादी हैं। जब देश का उनका प्रधानमंत्री ही ऐसा सोच सकता है तो उनकी सोच को हम लोग समझ सकते हैं और उनमें नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति ही नहीं है, बल्कि जब 5 साल तक वे लोग यहां पर सरकार में थे तो नक्सली बोलते थे कि हम लोगों की सरकार है। यह तो बात थी। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जब 2023 के विधान सभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों पर विश्वास करके हम लोगों को सरकार बनाने का जनादेश दिया और दिसंबर, 2023 में हम लोग सरकार में आये और अगले ही महीने मुझे तारीख भी याद है कि 24 जनवरी को हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहां पर आये और जितने भी नक्सल पीड़ित प्रदेश हैं उनकी

उन्होंने समीक्षा बैठक ली और तब पता चला कि छत्तीसगढ़ में 77 प्रतिशत नक्सलवाद बाकी है और बाकी 23 प्रतिशत नक्सलवाद बाकी के पड़ोसी राज्यों झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे प्रदेशों में थोड़ा-थोड़ा बाकी है। इसका कारण यह था कि कांग्रेस की सरकार में केंद्र सरकार को सहयोग नहीं मिला और इसलिए यहां पर नक्सलवाद भारी तादाद में बचा रहा। 77 प्रतिशत नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा रहा। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने दृढ़ इच्छाशक्ति व्यक्त की, हम लोगों ने नई रणनीति बनायी, केंद्र से हम लोगों को नये शस्त्र वगैरह, संसाधन मिले तथा जेटीएफ का गठन हुआ तो ये सब करके नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की। वही जवान, वही सब कुछ, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने जवानों का साहस बढ़ाया, एक तो केंद्र की भरपूर मदद मिली और इंटेलिजेंस व सबके कारण, जेटीएफ के कारण जो लड़ाई हुई, उसमें हमारी तरफ से कैजुअल्टी कम हुई और वह ज्यादा संख्या में मारे गए। इसका परिणाम हुआ कि आज ढाई साल के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर से और पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। जब हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 31 मार्च, 2026 की डेडलाइन तय कर दी कि पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है तो वाकई में हम लोग भी मन में सोचते थे कि पता नहीं यह कैसे होगा, लेकिन यह भी सोचते थे कि जब हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री जी डेडलाइन तय करते हैं तो निश्चित रूप से यह सब संभव होगा ही। मोदी है तो मुमकीन है। (मेजों की थपथपाहट) केन्द्रीय गृहमंत्री जी भी जो बोलते हैं, तो वह उसको पूरा करके रहते हैं, तो पूरा विश्वास हुआ। हम लोग लगातार जवानों का हौसला बढ़ाते रहे और जब जवान घायल होकर अस्पताल में आते थे तो हम लोग विजय जी के साथ उनको देखने जाते थे। वह लोग साहस के साथ बोलते थे कि साहब हमें ठीक होने दीजिये फिर हम और 10 नक्सलाइटों को मारेंगे। (मेजों की थपथपाहट) उनमें ऐसा साहस होता था । हम लोगों की तरफ से केजुअल्टी कम हुई लेकिन उनको भी हम लोग कंधा देने जाते थे। उनके परिवार से मिलते थे और माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री जी दो, ढाई साल के बीच में 10 बार से ज्यादा छत्तीसगढ़ के प्रवास में आये और वह केवल दफ्तर में समीक्षा बैठक ही नहीं किये बल्कि दूरस्थ अंचलों में गये, सुरक्षा कैंपों में गये, वहां से गांवों में गये, गांवों में चौपाल लगाये, जवानों के साथ बात किये, उनके साथ भोजन किये, उनके परिवार के साथ बात किये, इस तरह से जवानों का साहस बढ़ाकर इस नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने मजबूत किया। हमारे प्रदेश के गृहमंत्री जी को तो जुनून छाया हुआ था। हम लोग कई बार इनको मना भी करते थे कि आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी लेकिन फिर भी जुनून छाया हुआ था तो वे पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते रहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दो, ढाई सालों में हम भी 100 बार से ज्यादा बस्तर गये। (मेजों की थपथपाहट) एक दिन तो हम एक सुरक्षा कैम्प में चले गये थे। किसी को पता नहीं था। हम सुरक्षा कैम्प में गये, वहां पर रात्रि विश्राम किये, उनके साथ भोजन किये (मेजों की थपथपाहट) और वह लोग रात में डेढ़, दो घण्टे का कल्चरल प्रोग्राम भी रखे थे और सबेरे उनके साथ नाश्ता हुआ, उनके परिवार के

लोगों से बातचीत हुई। इस तरह से जवानों का हौसला बढ़ाकर इस नक्सलवाद की लड़ाई को लड़े हैं। आज जो छत्तीसगढ़ और जो बस्तर है, जो केरल राज्य से बड़ा है, वहां पर जनजाति समाज की बाहुलता है, वहां पर उनको एक तरह से नयी आजादी मिली है। जब हम लोग नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े तो हम लोगों को पता था कि वहां पर विकास भी पहुंचाना पड़ेगा इसलिए नियद नेल्लानार योजना, जो गोंडी में है, इसका हिन्दी में अर्थ है, आपका सुंदर गांव। इस योजना के माध्यम से हम लोग लगातार जैसे-जैसे सुरक्षा कैम्प खोलते गये और पहले 5 कि.मी. के रेडियस में और बाद में माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने उस सुरक्षा कैम्प का रेडियस बढ़ाकर 10 कि.मी. का एरिया कर दिया। जैसे-जैसे गांव आबाद होते गये, वैसे-वैसे हम लोग नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से वहां पर विकास को पहुंचाते गये। हम लोग करीब 14 विभागों की 40 से ज्यादा योजनाओं को वहां पर सामुदायिक और व्यक्ति मूलक योजनाओं को पहुंचाने में भी सफल हुए। जहां कभी कोई जाता नहीं था। शासन के लोग भी वहां नहीं जा पाते थे, वहां पर आज सड़कें बन रही है, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, स्कूल खुल रही है, अस्पताल खुल रहे हैं, वहां पर दूरसंचार के साधन हो रहे हैं। बड़ा दु:ख होता है, जब केदार कश्यप जी गारपा की चर्चा कर रहे थे, वह उनके विधान सभा में आता है। हम लोग सुशासन तिहार में गारपा में गये तो वह लोग बताये कि उनको राशन के लिए 5-5 दिन लगते हैं। वहां पर सड़कें नहीं हैं, दुकानें दूर में हैं तो उनको राशन के लिए 5 दिन लगते थे। उसी तरह से हम लोग मुलेर गये तो वहां के लोग बताये कि उनको राशन के लिए 3 दिन लगते हैं, तो ये तो वहां पर हालत थी, लेकिन अब नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो निश्चित रूप से वहां पर सारे विकास के काम होंगे। हम लोग इस बीच में उस क्षेत्र में काफी काम किए हैं। करीब 6 लाख 79 हजार परिवारों का राशन कार्ड बन चुका है, 17 लाख लोगों का जनधन खाता खुला है, 24 लाख 66 हजार लोगों का आधार कार्ड बना है, 22 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है, 1 लाख 18 हजार लोगों को वनाधिकार पत्र दिये हैं, 3 लाख 89 हजार किसानों का के.सी.सी. बना है, 1 लाख 76 हजार पी.एम. आवास स्वीकृत किये गये हैं जिसमें नक्सलियों के लिये 15 हजार अलग से हम लोगों के निवेदन पर भारत सरकार ने शुरू किया है। जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनके भी मकान बन रहे हैं। बस्तर संभाग में 240 नक्सल प्रभावित गांव जो पूर्व में वहां पर स्कूल बंद थे, वहां पर 458 स्कूल जो बंद थे, उसमें से 421 स्कूल खोले गये हैं। 36 नये स्कूल स्वीकृत भी किये हैं और करीब पिछले ढाई वर्षों में 57 प्रतिशत गांव में विद्यालय आज वहां पर संचालित हुए हैं। इस तरह से वहां पर विकास कर रहे हैं। इतना ही नहीं वहां पर रेल की पटरी भी पहुंच गई है। जगदलपुर रावघाट 3513 करोड़ का रेलमार्ग है जिसकी स्वीकृति मिली है। और रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, इसमें बस्तर क्षेत्र भी जुड रहा है। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का इससे बनने से भी लाभ होगा। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक के माध्यम से भी हम लोगों ने उस क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का काम किया है। बस्तर ओलंपिक में 4 लाख से भी ज्यादा लोग 2 साल में हिस्सा लिये हैं और

वह खेले हैं। उसी तरह से बस्तर पंडुम में भी 1 लाख से ज्यादा लोग भाग लिये हैं। इस तरह से वहां पर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम सरकार के माध्यम से हो रहा है। आज बस्तर रोडमैप 2.0 भी हम लोग तैयार किये हैं। अग्रणी बस्तर जिसको बस्तर मुन्ने बोलते हैं, वह भी हम चला रहे हैं, जिसके तहत अधिकारियों की टीम गांव-गांव में जाकर वहां पर राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड ये सब बना रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना अभियान भी चलाये हैं जिसमें अभी 36 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। स्वास्थ्य की टीम एक-एक घर में जाकर, एक-एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किये हैं, इलाज भी कराये हैं। बड़ी बीमारी हुई है तो उनको रेफर भी किये हैं। इस तरह से बस्तर के क्षेत्र में विकास का काम चल रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने जैसा कहा है कि जो सुरक्षा कैंप खाली होते जा रहे हैं, उसको सेवाडेरा के रूप में तब्दील कर रहे हैं। गुंडाधुर जी का गांव नेतानार में पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी ने सेवाडेरा शुभारंभ किया है और उसमें सिलाई मशीन का, इमली की पैकिंग का और जो उधर आर्गेनिक धान होती है, उसका चावल ढेंकी द्वारा जो गांव में जो ढेकी होता है, उसके द्वारा बनाने का काम होता है। हमारे माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि बस्तर को देश का सबसे अच्छा ट्राइवल संभाग के रूप में विकास करेंगे और 70 सुरक्षा कैंप को सेवाडेरा के रूप में तब्दील करेंगे और बाकी में जैसी वहां की आवश्यकता होगी, कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल या कहीं स्कीलिंग सेंटर ऐसा खोलकर उस क्षेत्र में लोगों को आजीविका देने का काम भी सरकार आने वाले समय में करने वाली है और हम लोग उस क्षेत्र में कृषि को भी बढ़ाना चाहते हैं इसलिये सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिये इंद्रावती में अभी इस साल 2 बड़ी योजना स्वीकृत किये हैं देउरगांव और मटनार और इससे करीब 32,000 हैक्टर में सिंचाई होगी और वहां पर पशुपालन, मत्स्यपालन, हर्बल प्लांट की खेती यह सब को भी सरकार बढ़ाने का काम करने वाली है । वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए नया मेडिकल कॉलेज गीदम में बना रहे हैं जिसकी अभी स्वीकृति भी मिल गई है । (मेजों की थपथपाहट) इस साल 50 स्टूडेंट की वहाँ पर पढ़ाई भी शुरू होगी । जगदलपुर में सुपरस्पेश्यलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत किये हैं जिसमें अब वहाँ के लोगों को दूर ईलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा और उसी तरह से एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी बनाने का अभी इस साल के बजट में प्रावधान है । (मेजों की थपथपाहट) और लगातार उधर जहाँ नक्सली बारूद बिछाते थे अब वहाँ पर पक्की सड़कें बन रही हैं । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर फेस इसकी भी स्वीकृति मिली है और 234 बसाहटों को जोड़ने के लिए 228 सड़कें उस क्षेत्र में बना रहे हैं जिसकी लंबाई 729 किलोमीटर होगी और इसकी लागत 699 करोड़ रूपये है और उधर 524 गाँव ऐसे थे जिसमें सौर उर्जा था, सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति होती थी । अब ऐसे गाँव को पॉवर ग्रिड से जोड़ने का काम भी हम लोगों ने किया है, 13 गाँवों का कर चुके हैं, 461 गाँव का ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए हम लोग भारत सरकार को 937 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भेजे हैं और उसकी स्वीकृति हो जाने के बाद बाकी 461 गांवों में भी ग्रिड के द्वारा बिजली पहुंचाने का काम सरकार

करने वाली है और विकसित भारत जी राम जी 01 जुलाई से वह भी लागू हो गया है और उसके लिए भी हम लोग बजट में प्रावधान किए हैं तो निश्चित रूप से इसका भी लाभ हमारे बस्तर क्षेत्र को होगा तो इस तरह से विकास का काम हम लोग बस्तर के क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं और आज इसमें बड़ी अच्छी चर्चा हुई है । हमारे सदस्यों ने विस्तार से अपने अनुभव भी साझा किए हैं और हम पत्रकार साथियों को भी उन के योगदान के लिए बधाई देना चाहेंगे कि उनका भी नक्सलवाद उन्मूलन पर बड़ा सहयोग रहा है और चूंकि काफी चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं अंत में फिर से एक-बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे केंद्रीय और प्रदेश के सुरक्षा बल के जवानों को, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी को और केदार कश्यप उनको भी जो बराबर साथ में रहे और वह नक्सलवाद के भुक्तभोगी भी हैं । (मेजों की थपथपाहट) उन्होंने नक्सलवाद के कारण अपने भाई को भी खोया है और हमारे आदरणीय जगदलपुर के विधायक किरण देव जी उनका भी बराबर साथ मिला है तो उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं । (मेजों की थपथपाहट) सब मिलकर हम लोग छत्तीसगढ़ से और विशेषकर बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हुए हैं और अब उस क्षेत्र में हम लोगों को विकास को और तेजी से बढ़ाना है और अंत में यह जो नक्सलवाद की जीत, यह जो कथा है । यह बिल्कुल एक तरह से विजयगाथा है और इसको जरूर हमारे प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। मैं अंत में एक बार फिर से हमारे जितने भी सदस्यों ने इस आभार प्रस्ताव में भाग लिया, मैं, उनका, केन्द्र शासन, प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।(मेजों की थपथपाहट)

<u>अध्यक्षीय उद्‌बोधन</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज का यह ऐतिहासिक अवसर इस विधान सभा और इस विधान सभा में की गयी चर्चा वर्षों नहीं, कई पीढ़ी याद रखेगी। मैं आज यह कहना चाह रहा हूँ। एक बड़े युद्ध की समाप्ति, शांति और विकास की यात्रा तथा एक संकल्प, जो इस सरकार ने लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी ने जिस पर दिशा दी। आज अपनी बात रखते-रखते, बहुत सारे सदस्यों की आंखें नम हो गयी। मैं वह पीड़ा समझता हूँ उनकी आंखों में आंसू थे, कुछ ने अपने परिजन खोये हैं, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपने गांव की बस्तियों में लोगों को जलते हुए देखा है और मैं डॉ. रमन सिंह चश्मदीद गवाह हूँ, मुझे 500 से ज्यादा पुलिस के जवानों, आम आदमी को अंतिम विदाई देने का अवसर मिला, इसको मैं अपने जीवन का वह अवसर मानता हूँ जब 65-65, 70-70 लोगों को विदा देने का अवसर मिला, सलवा जुडूम के गांव-गांव जला दिये गये। पूरे के पूरे स्टेडियम में बिलखते हुए, महिलाओं को रोते हुए देखा। मैंने उन 15 सालों में उस पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा। इसलिए मुझे

भी आपसे ज्यादा प्रसन्नता हो रही है और आपके जो आंसू निकले हैं, यह आपके संघर्ष और पीड़ा के हैं, क्योंकि आपने उसको बहुत नजदीक से देखा है।(मेजों की थपथपाहट) वह 15 साल जो सरकार के रहे, उसमें कुछ माईल स्टोन थे मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा क्योंकि यहां इतनी कुछ बातें आ गयीं तो मुझे भी यह लगा कि मैं यहां पर दो-तीन विषयों को बोल दूं कि पुलिस के एक लाख जवानों की भर्ती, जंगलवारफेयर कॉलेज की स्थापना, सलवा जुडूम का प्रारंभ होना, डी.आर.जी. की स्थापना हुई, कृषि मंत्री जी डी.आर.जी. के बारे में बता रहे थे कि यह कौन सा फोर्स है, कैसे सुप्रीम कोर्ट से लड़कर, सुप्रीम कोर्ट का वह चीफ जस्टिस जिसने फैसला दिया, बाद में कांग्रेस के राष्ट्रपति का प्रत्याशी हुआ। उसने हमारे खिलाफ फैसला दिया था। आज यहां इस बात की चर्चा हो रही थी। उस समय थाने लूटे गये, 01, 02, 10, 12, नहीं 15, छुरिया से शुरू करके कितने थाने लूटे गये। इन सारी योजनाओं में मैं यही देखता हूं कि मैं बहुत संक्षिप्त में बस्तर के उस दिन को इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि बस्तर में अबूझमाड़ में बिजली के टॉवर गिरा दिये गये। बस्तर के लोग गवाह हैं, उस समय तीन दिनों तक पूरे बस्तर में अंधेरा था। इसको छत्तीसगढ़ नहीं जानता है, इसे बस्तर के लोग ही जानते हैं। वहां तीन दिनों तक ब्लैक आउट था, उसका कारण यह था कि अबूझमाड़ के खम्भे गिरा दिये गये। मैंने जीवन में पहली बार इन्द्रावती क्रॉस करके, अबूझमाड़ में प्रवेश किया और मैंने उस खम्भे को जाकर देखा, जहां पर उसे गिराया गया था। वहां हमारे 100 मजदूर काम कर रहे थे। मेरा अनुभव इसलिए है क्योंकि मुझे अबूझमाड़ जाने का अवसर मिला और हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग के मजदूर थे, उनके साथ मैं गिरते हुए पानी में दो घण्टे खड़े रहा, उन्होंने उस पूरे खम्भे को उस नक्सल के खतरे को झेलते हुए, ठीक किया। यानी यह पीड़ा बस्तर ने झेली है। छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों ने नहीं झेला है। वहां 3 दिनों तक मोमबत्ती के सहारे रहे। उसके बाद हमने उपाय किया कि 132 के.व्ही, 220 के.व्ही. और 440 के.व्ही. इन तीनों की एक साथ लाईन दी और मैंने उसी दिन यह कह दिया था कि अब कभी बस्तर में नक्सल अंधेरा नहीं कर सकता है, यह चुनौती थी। वह घटना मुझे इसलिए याद है क्योंकि मुझे वहां तक जाने का अवसर मिला। अभी बार-बार केदार जी बोल रहे थे कि मैं बस्तर में एक बात दोहराता था। मैं आज भी दोहरा देता हूँ कि वहां खुशहाली बरसेगी, वहां ढोल और मांदर की धुन में थपकते हुए वनवासी रहेंगे। कुछ बड़े कदम थे जो संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। उस समय हमारे पास जितने बेस्ट टीम थी, जितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. के लड़के थे, आईपीएस लड़के थे, सबसे जो श्रेष्ठ टीम थी, उसको हमने बस्तर में भेजने का काम किया । (मेजों की थपथपाहट) परिवर्तन कहां से आता है और उसका गवाह पीछे बैठा है-ओ.पी. चौधरी, वह भी एक है ।

समय :-

9.00 बजे

जब यह मेरे पास आया तो मैंने कहा कि तू छत्तीसगढ़िया है, तू छत्तीसगढ़ का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ले ले तो इसने पहले कहा कि मैं दंतेवाड़ा जाऊंगा तो मुझे लगा कि यह लड़का सिरफिरा है और यह सिरफिरा था इसलिए ये दंतेवाड़ा गया और वहां परिवर्तन में इसकी भी भूमिका रही और निश्चित रूप से वहां पर जो एजुकेशन सिटी बनायी । इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में सब में काम करने वाले आज सचिव के स्तर में बैठे हुए हैं । उनसे मैं पूछता हूं कि कैसा लग रहा है । वे बताते हैं कि साहब, जो उस समय हमने संघर्ष किया, जो भी अधिकारी वहां थे, जिनको भेजा गया था, आज वे उस दिन को याद करते हैं कि किस डर से, किस भय से ये काम करते थे और वह बस्तर सुलगता हुआ बस्तर, झुलसता हुआ बस्तर वर्षों से आग में तपता हुआ बस्तर और बिखरता, बिलखता हुए बस्तर को खुशहाली लौटाने का काम माननीय नरेन्द्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी और विजय शर्मा जी ने जिस मेहनत के साथ काम किया, हमारे पुलिस के जवानों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा । बस्तर में जिसकी पोस्टिंग होती थी, उस लड़के की शादी नहीं होती थी । जो हमारा अधिकारी बस्तर चला जाता था, उसको कोई लड़की नहीं देता था, मैं गवाह हूं, ये सब गवाह हैं। उनकी शादी नहीं होती थी, बस्तर पोस्टिंग है। वापस बुला लो, मगर वे लड़ने के लिए तैयार हुए और कहा कि शादी बाद में हो जाएगी, मौत हो जाये तो हो जाए, मगर हिम्मत के साथ लड़ने वाली उस पूरी फौज को आज मैं सेल्यूट करने के लिए खड़ा हूं । (मेजों की थपथपाहट) उनके हिम्मत, उनके हौसले को जिनकी वजह से बस्तर में इतनी बड़ी लड़ाई, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई, मैं फिर बार-बार दोहराकर एक शब्द को बोलता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई छत्तीसगढ़ ने जीतकर दिखाया है । (मेजों की थपथपाहट) इसीलिए बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बस्तरिया सबले बढ़िया । (मेजों की थपथपाहट) बस्तर जीतना चाहता था, सरगुजा जीतना चाहता था इसलिए यह लड़ाई हमने जीती है । उनके अंदर की ताकत थी इसलिए हमने लड़ाई जीती है । पुलिस के जवान पीछे खड़े थे, आगे ये खड़े थे । ऐसा अवसर जीवन में कभी नहीं आता । मैं अध्यक्ष के नाते मुझे ज्यादा बोलना नहीं था, मगर मुझे यह लगा कि बहुत सारे लोगों ने इतनी अच्छी बातें की तो मैंने कहा कि मैं अपना दो लाईन बोल दूं । आज यह अवसर हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और इस अवसर में मैं अध्यक्ष की हैसियत की प्रस्ताव को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि "छत्तीसगढ़ राज्य ने विगत दशकों में नक्सलवाद की गंभीर चुनौती का सामना किया, जिसमें अनेक निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग से हमारी सरकार ने इस चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर नक्सलवाद की समस्या का अंत किया है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केंद्र ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल, रणनीतिक सहयोग और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों

को अभूतपूर्व समर्थन दिया। राज्य की दृढ़ इच्छा शक्ति और केंद्र की सुरक्षा एवं विकास नीति के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, गृहमंत्री जी और पूरे सदन को बधाई देना चाहता हूं । अतः यह सदन केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।"

ये प्रस्ताव का स्वरूप था, जो मुख्यमंत्री जी ने लिखा था ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2026 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(रात्रि 9 बजकर 05 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 24, शक संवत् 1948) को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

सचिव

दिनांक 14 जुलाई, 2026

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं